सर्वे भवन्तु सुखिनः

वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

सर्वे भवन्तु सुखिनः
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत वार्षिक रिपोर्ट 2010–2011

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

वार्षिक रिपोर्ट
2010-2011

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

इमेज प्रिन्ट
एन–78 कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110 015
मो० : 9810161228

इमेज प्रिन्ट
एन–78 कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110 015
मो० : 9810161228

fo"k; & oLrq

v/;k;&1	ifjp;	1
v/;k;&2	eq[; fcUnq % 2010&2011	3
v/;k;&3	jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx % laxBu ,oa dk;Z	13
v/;k;&4	Ukkxfjd ,oa jktuhfrd vf/kdkj	19

अ. हिरासतीय हिंसा तथा प्रताड़ना 19

क) हिरासतीय मौतें 19

न्यायिक अभिरक्षा *19*

1. अभियोगाधीन कैदी राम सिंह उदय सिंह रवाना की भरूच उप–जेल, गुजरात में मृत्यु (मामला सं0 524/6/5/07–08–जे सी डी) 19
2. तिहाड़ जेल, नई दिल्ली के सेंट्रल जेल सं0 6 में हिरासतीय मृत्यु का स्वतः संज्ञान (मामला सं0 1138/4/4/08–09–जे सी डी) 20
3. जिला कारावास, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश में दोषसिद्ध कैदी पूरन सिंह की मृत्यु (मामला सं0 32064/24/2004–2005–सी डी) 20
4. रोहिणी जिला जेल, नई दिल्ली में विचाराधीन कैदी ओम प्रकाष की मृत्यु (मामला सं0 4915/30/9/07–08–जे सी डी) 21
5. अभियोगाधीन कैदी देवनारायण मंडल की मधुबनी जिला कारागार, बिहार में मृत्यु (मामला सं0 3874/4/2004–05–सी डी) 22
6. अभियोगाधीन कैदी हरीष पटेल की केन्द्रीय कारागार अम्बिकापुर, जिला सुरगुजा, छत्तीसगढ़ में मृत्यु (मामला सं0 106/33/16/07–08) 22
7. अभियोगाधीन कैदी अब्दुल सत्तार की विषेष उप–कारागार दवनगेरे, कर्नाटक में मृत्यु (मामला सं0 440/10/2005–2006–सी डी) 23
8. अभियोगाधीन कैदी मुरुगन की सलेम केन्द्रीय कारागार, तमिलनाडु में मृत्यु (मामला सं0 69/22/31/09–10–जे सी डी) 24
9. अभियोगाधीन कैदी काकी श्रीनु की आंध्र प्रदेष के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाड़ा उप–कारागार में मृत्यु (मामला सं0 740/1/5/08–09–जे सी डी) 25

	पुलिस अभिरक्षा	*26*
10.	पूर्वी खासी हिल्स जिला, मेघालय में मॉरिंगनेंग पुलिस चौकी में एक नाबालिग लड़के की कथित मृत्यु (मामला सं0 10/15/2/09–10–ए डी)	26
11.	जिला करनाल, हरियाणा के मधुबन पुलिस स्टेषन में भुवन दत्त की मृत्यु (मामला सं0 1771/7/10/07–08–पी सी डी)	27
12.	धर्मवती दयाल की उत्तर प्रदेष के पीलीभील जिले में कोतवाली पुलिस स्टेषन में मृत्यु (मामला सं0 20678/24/2004–05–ए डी)	28
13.	असलम कमरुद्दीन शेख की महाराष्ट्र के पुणे जिले में ओतुर पुलिस स्टेषन में मृत्यु (मामला सं0 1122/13/2005–2006–सी डी)	29
14.	आंध्र प्रदेष के जिला प्रकाषम के ओंगोले टाउन II पुलिस स्टेषन में ज्योति रचना की मृत्यु (मामला सं0 428/1/17/09–10–पी सी डी)	30
15.	अरुण कुमार सिंह की पटना, बिहार में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के कारण मृत्यु (मामला सं0 180/4/2002–2003–ए डी ख्एल/एफ.188/4/2000–2001–सी डी,)	31
16.	उत्तर प्रदेष राज्य पुलिस द्वारा फतेहपुर जिला कारावास के दो अभियोगाधीन कैदियों की हत्या (मामला सं0 43224/24/2005–2006–सी डी)	32
17.	पुलिस द्वारा असम के कछार जिले के सिलचर में मोताहीर अली की मृत्यु (मामला सं0 130/3/2/2007–2008–पी सी डी)	33
18.	चंडीगढ़ में पुलिस लापरवाही के कारण अनिल कुमार की मृत्यु (मामला सं0 53/27/0/07–08–पी सी डी)	34
	अर्द्ध–सैनिक/रक्षा बल अभिरक्षा	*34*
19.	त्रिपुरा में सेना द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण रथजॉय रींग की मृत्यु (मामला सं0 20/23/2002–2003–ए एफ)	34
	ख) अवैध गिरफ्तारी तथा प्रताड़ना	35
20.	उत्तर प्रदेष के जिला चन्दौली में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के कारण एक दलित रमाषंकर राम की मृत्यु (मामला सं0 30182/24/19/2010–ए डी)	35
21.	उत्तर प्रदेष के जिला बदायूं में पुलिस प्रताड़ना के कारण एक नाबालिग की मृत्यु (मामला सं0 48147/24/7/07–08)	36
	ग) पुलिस की ज्यादतियाँ	37
22.	पष्चिम बंगाल के जिला नाडिया में हुए पुलिस संघर्ष में अच्छानूर शेख तथा दो अन्य लोगों की मृत्यु (मामला सं0 11/25/2003–2004–एफ सी)	37

23. उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत पुलिस की उदासीनता के कारण गिरफ्तार की गई महिला की नवजात कन्या की मृत्यु (मामला सं0 2367/24/8/08–09–ए0डी0) 39

24. छत्तीसगढ़ में पुलिस हिंसा संबंधी प्रेस रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान (मामला सं0 103/33/3/2011) 40

25. उत्तर प्रदेश के जिला संत रविदास नगर के कोईराना पुलिस स्टेषन में नाबालिग लड़की का बलात्कार (मामला सं0 871/24/2006–2007) 40

26. पुलिस उत्पीड़न के कारण कुमारी जयरानी द्वारा की गई आत्महत्या (मामला सं0 1092/22/2006–2007) 41

27. पानीपत, हरियाणा, में हरियाणा एस0टी0एफ0 पुलिस कार्मिकों द्वारा जबरन धन वसूली (मामला सं0 701/7/15/2010) 42

घ) पुलिस गोलीबारी तथा मुठभेड़ में मृत्यु 43

28. उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में पुलिस गोलीबारी में सुख देवी की मृत्यु (मामला सं0 41956/24/2005–2006) 43

29. झारखंड के जिला पलामू में पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को मारने तथा कई व्यक्तियों को घायल करने का आरोप (मामला सं0 172/34/2003–2004) 44

30. मध्य प्रदेश के जिला सतना में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में गणेष साहू की कथित हत्या (मामला सं0 2138/12/38/07–08) 45

31. दिल्ली पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में रितेष की मृत्यु (मामला सं0 5280/30/5/08–09) 46

32. बिहार के औरंगाबाद जिले में हुई पुलिस फायरिंग में महेन्द्र प्रताप सिंह की मृत्यु (मामला सं0 3737/4/2005–2006) 47

33. झारखंड के जिला हजारीबाग में तरुण शाह और मोहम्मद खालिद की मुठभेड़ में मृत्यु (मामला सं0 1466/34/11/07–08) 48

34. उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पुलिस के साथ तथाकथित मुठभेड़ के दौरान सलीम की मौत (मामला सं0 17513/24/08–09) 49

35. महराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के सिरोचा वन क्षेत्र में तथाकथित पुलिस मुठभेड़ में पांच लोगों की मृत्यु (मामला सं0 2103/13/2003–2004) 50

36. असम के गोलपारा जिले में दोहीकाटा कदलधोवा रिजर्व फोरेस्ट में पांच डकैतों की मौत (मामला सं0 75/3/6/2010–इ डी – एफ सी) 51

37. उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा तथाकथित फर्जी मुठभेड़ में कुलदीप सिंह की मौत (मामला सं0 16593/24/18/2010–ए एल इ) 52

38. बिहार के नवादा जिले में पुलिस गोलीबारी में पवन मिश्रा की मौत (मामला सं0 3609/4/2005–2006) 53

	ब.	आतंकवाद तथा उग्रवाद		54
		1.	जम्मू एवं कष्मीर में उग्रवादियों तथा सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी में अब्दुल रहमान दर की मौत (मामला सं0 55/9/2002–2003)	55
	स.	जेलों की दषाएं		56
		क.	जेलों के दौरे	56
		ख.	जेल जनसंख्या का विष्लेषण	56
v/;k;&5	LokLF; dk vf/kdkj			59
	क.	जनजातीय इलाकों में बेहतर चिकित्सा व्यवसाय तथा स्वास्थ्य देखरेख सुविधा		60
	ख.	मानसिक स्वास्थ्य		62
	ग.	सिलिकॉसिस		62
	घ.	एण्डोसल्फान		68
	ड़.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए स्वास्थ्य संबंधी दृष्टान्त मामले		68
		1.	आंध्र प्रदेष के हैदराबाद अस्पताल में चिकित्सा में लापरवाही के कारण 13 बच्चों की मौत (मामला सं0 1103/1/7/07–08)	68
		2.	दिल्ली में जाली प्रमाणपत्रों पर प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों का भण्डाफोड़ (मामला सं0 3606/30/2/08–09)	69
		3.	कोलकाता, प0 बंगाल के शंभुनाथ पंडित हास्पिटल में स्टाफ नर्सों की लापरवाही के कारण एक रोगी की मौत (मामला सं0 120/25/2006–2007)	70
		4.	बिहार के वैषाली जिले के भगवानपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत (मामला सं0 1565/4/39/09–10)	71
v/;k;&6	Hkkstu dk vf/kdkj			73
	अ.	मानव अधिकार जागरूकता तथा भारत के 28 चयनित जिलों में मानव अधिकार कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा प्रवर्तन को सुकर बनाना		74
	ब.	भोजन के अधिकार संबंधी कोर ग्रुप की बैठक		77
	स.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए भोजन के अधिकार संबंधी दृष्टान्त मामले		77
		1.	एथ्रेंक्स से तथाकथित संक्रमण तथा भूखमरी के कारण तीन वयस्कों तथा तीन बच्चों की मौत (मामला सं0 979/18/8/2010)	78

v/;k;&7	f'k{kk dk vf/kdkj		81
	क.	षिक्षा में भेदभाव के विरूद्ध यूनेस्को सम्मेलन, 1960	82
	ख.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए षिक्षा के अधिकार संबंधी दृष्टान्त मामले	83
	1.	छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा तथा बस्तर जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों को प्राथमिक षिक्षा से वंचित करना (मामला सं0 468/33/2005–2006)	83
	2.	ट्राई–वैली यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के टखनों पर रेडियो मानीटरिंग डिवाइस लगाने के संबंध में मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान (मामला सं0 17/99/4/2011)	84
	3.	केरल में स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर द्वारा एक छात्र को षिक्षा ऋण से वंचित करना (मामला सं0 363/11/4/2010)	85
	4.	पंजाब के पटियाला जिले में भद्रपुर गांव में स्कूलों का न होना (मामला सं0 436/19/15/2010)	85
v/;k;&8	vu|lfpr tkfr] vu|lfpr tutkfr rFkk vU; detkj legk d vf/kdkj		87
	क.	सिर पर मैला ढुलाई तथा सफाई पर राष्ट्रीय कार्यषाला का आयोजन	88
	ख.	बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन	89
	–	न्यूनतम भत्ता अधिनियम संबंधी जोनल कार्यषालाएं	91
	ग.	बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) प्रथा अधिनियम, 1976 की धारा 11 की पुनरीक्षा तथा संषोधन	91
	घ.	बाल श्रम उन्मूलन	91
	ङ	रा0मा0अ0आ0 द्वारा निपटाए गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित दृष्टांत मामले	92
	1.	हरियाणा के कैथल जिले में पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय राहत का भुगतान न होना (मामला सं0 602/7/9/08–09)	92
	2.	आंध्र प्रदेष के जिला विजयनगरम के पार्वतीपुरम क्षेत्र में जनजातीय स्कूलों की शोचनीय स्थिति (मामला सं0 543/1/22/07–08)	93
	3.	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों से संबंधित परिवारों का उत्पीड़न (मामला सं0 228/18/12/07–08)	94
	4.	उड़ीसा के जिला मलकानगिरी में 11 बंधुआ मजदूरों की मुक्ति (मामला सं0 431/18/29/08–09(एम–1)	95

		5.	उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में एक ईंट के भठ्ठे से 79 बंधुआ मजदूरों की मुक्ति (मामला सं0 34351/24/31/09–10–बी.एल.(एम–3)	97
		6.	उत्तर प्रदेश में ईंट के भट्ठों में काम करने वालों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना (मामला सं0 47148/24/2006–2007)	98
		7.	उड़ीसा के पुरी जिले में 'बरतन' प्रथा का प्रचलन (मामला सं0 13/18/2006–2007)	99
v/;k;&9	efgykvk vkj cPpk d vf/kdkj			101
	क		महत्वपूर्ण राज्यों में गर्भाधान–पूर्व तथा प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत बनाने के लिए अनुसंधान तथा पुनरीक्षा	102
	ख.		भारत में प्रसव–पूर्व लिंग चयन : मुद्दे, चिंताएं तथा कार्रवाई	103
	ग.		प्रजनन संबंधी अधिकार तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान	104
	घ.		राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए महिलाओं तथा बच्चों के अधिकारों संबंधी दृष्टांत मामले	106
		1.	मैरी इम्मेक्यूलेट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तिरुपत्तूर, जिला वेल्लोर, तमिलनाडु के प्रषासनिक स्टॉफ द्वारा किए गए अपमान के कारण दो छात्राओं की मृत्यु (मामला सं0 912/22/42/07–08–डब्ल्यू.सी.)	106
		2.	दिल्ली में हजारों बच्चों के गुमषुदा होने संबंधी न्यूज़ रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान (मामला सं0 1059/30/0/2011(एम–1)	107
		3.	उड़ीसा के जिला बालेष्वर के माझीसाही अपर प्राईमरी स्कूल में कक्षा–1 के दलित विद्यार्थी को दिया गया शारीरिक दंड (मामला सं0 1141/18/1/2010)	108
		4.	सोलह वर्ष की एक लड़की के पोस्टमॉर्टम संबंधी न्यूज़ रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान (मामला सं0 55/12/0/2011)	109
v/;k;&10	Ck tx d vf/kdkj			111
	क.		बुजुर्गों व्यक्तियों के लिए कोर ग्रुप का गठन	112
	ख.		बुजुर्गों के मानव अधिकारों को संरक्षित करने संबंधी राष्ट्रीय सेमिनार	113
	ग.		राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए बुजुर्गों से संबंधित दृष्टांत मामले	114
		1.	दिल्ली में आवासहीनता की समस्या (मामला सं0 3712/30/2005–2006)	114
v/;k;&11	v'kDr O;fDr;k d vf/kdkj			117
	क.		भारत में निःषक्तता संबंधी कानूनों का यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के साथ सामन्जस्य	118
	ख.		निःषक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी राष्ट्रीय रिपोर्ट की मॉनीटरिंग की तैयारी	119

	ग.	निःषक्त व्यक्तियों के लिए कॉपी राईट (संषोधन) विधेयक, 2010 की पुनरीक्षा	119
	घ.	निःषक्तता संबंधी अन्य चिन्ताएं	119
	ङ.	निःषक्त व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित प्रकाषन	120
	च.	राष्ट्रमंडल में निःषक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन	120
	छ.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए निःषक्त व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित दृष्टांत मामले	121
		1. प्रमस्तिष्क घात से पीड़ित निःषक्त व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन (मामला सं0 563/12/22/2010)	121
v/;k;&12		ekuo vf/kdkj f'k{kk] if'k{k.k rFkk tkx#drk	123
	क.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रषिक्षण कार्यक्रम	123
	ख.	ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अंतः षिक्षु	123
	ग.	भारतीय विदेष सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए प्रषिक्षण कार्यक्रम	124
	घ.	रेलवे सुरक्षा बल के सहायक सुरक्षा आयुक्त (परिवीक्षार्थियों) के लिए प्रषिक्षण कार्यक्रम	124
	ड.	इन–हाउस प्रषिक्षण कार्यक्रम	124
	च.	भारत के विभिन्न कॉलेजों/विष्वविद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों/प्रषिक्षुओं के साथ बातचीत	124
	छ.	पुलिस कार्मिकों के लिए मानव अधिकार संबंधी ऑन लाईन कार्यक्रम	125
	ज.	आयोग में हिन्दी पखवाड़ा	125
	झ.	स्थापना दिवस समारोह	125
	ड़	मानव अधिकार दिवस समारोह	125
	के.	अंतर विष्वविद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता	126
	एल.	अंतर अर्ध–सैनिक बल वाद–विवाद प्रतियोगिता	127
v/;k;&13		ekuo vf/kdkj leFkZd	129
	क.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वांइट	130
	ख.	मानव अधिकार समर्थकों संबंधी संयुक्त राष्ट्र के विषेष संपर्ककर्त्ता ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया।	130

	ग.	मानव अधिकार समर्थकों से संबंधित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए दृष्टांत मामले	130
	1.	संतरविदास नगर, उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार समर्थक के विरूद्ध पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग (मामला सं0 11939/24/73/2010)	130
	2.	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार समर्थक के विरूद्ध पुलिस की कथित निरंकुषता (केस सं0 42087/24/4/2010)	131
	3.	गुजरात में मानव अधिकार समर्थक के विरूद्ध पुलिस द्वारा शक्ति का दुरूपयोग (केस सं0 4/6/0/2011)	132
	4.	तमिलनाडु के तिरूनलवेली जिले में अभिकथित झूठे आरोपों में पांच मानव अधिकार समर्थकों की गिरफ्तारी (केस सं0 896/22/37/2010)	132
v/;k;&14	vrjjk"Vh; lg;kx		135
	क.	एन एच आर आई की एषिया प्रषांत मंच की 15 वीं वार्षिक बैठक	135
	ख.	मानव अधिकार परिषद्	135
	ग.	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की अन्तरराष्ट्रीय समन्वय समिति की गतिविधियों में सहभागिता	135
	घ.	अंतरराष्ट्रीय बैठकों, संगोष्ठियों एवं कार्यषालाओं में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की भागीदारी	136
	ड.	आयोग में विदेषी प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्ष	137
v/;k;&15	jkT; ekuo vf/kdkj vk;kx		139
v/;k;&16	vU; lajpuk,		141
	क.	विषेष संपर्ककर्त्ता	141
	ख.	कोर एवं विषेषज्ञ समूह	141
	ग.	गैर–सरकारी संगठन	142
v/;k;&17	iz'kklu ,o lHkkjdh; lgk;rk		145
	क.	स्टॉफ	145
	ख.	राजभाषा का प्रयोग	145
	ग.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की लाइब्रेरी	145
	घ.	सूचना का अधिकार	146

v/;k;&18		egRoi.k lLrfr;k ,o fVIif.k;k dk lkj	149
vuyXud			167
	1.	01.04.2010 को लंबित मामलों का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा	169
	2.	01.04.2010 से 31.03.2011 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में दर्ज किए गए राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार मामलों की संख्या दर्षाने वाला विवरण	170
	3.	2010 – 2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार निपटाए गए मामलों का विवरण	171
	4.	31.03.2011 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष लंबित मामलों का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा	172
	5.	2010 – 2011 के दौरान उन मामलों की कुल संख्या जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आर्थिक राहत की संस्तुति की	173
	6.	वर्ष 2010–2011 के दौरान आर्थिक राहत के भुगतान हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण	175
	7.	वर्ष 1993 – 1994 से 2008–2009 तक आर्थिक राहत का भुगतान/अनुषासनिक कार्रवाई/अभियोजन हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण	184
	8.	2009 – 2010 के दौरान आर्थिक राहत के भुगतान/अनुषासनिक कार्रवाई/अभियोजन हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण	186
	9.	2010 – 2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रषिक्षण कार्यक्रम को दर्षाने वाला विवरण	188
pkV ,o xkQ			193
	1.	2010 – 2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में दर्ज किए गए मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या	195
	2.	2010–2011 के दौरान हिरासत में मृत्यु से संबंधित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में दर्ज की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूचना	196
	3.	2010–2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोगों को हस्तांतरित मामले	197
	4.	2010–2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए रिपोर्ट मामलों का स्वरूप एवं उनका श्रेणीकरण	198

5. 2010–2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए/निपटान के लिए लंबित मामले 199

6. 2010–2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरंभ में खारिज किए गए मामले जिनकी खारिज दर 3 प्रतिषत से अधिक है। 200

7. 2010–2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निर्देष सहित निपटाए गए मामले जिनकी खारिज दर 3 प्रतिषत से अधिक है 201

Lkf{kflr ;k 203

अध्याय - 1

i{Lrkouk

1-1 यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन0एच0आर0सी0) की अठारहवीं वार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि को कवर किया गया है।

1-2 की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन तैयार करने तथा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20(2) तथा सितम्बर 2006 में इसमें किए गए संशोधन के तहत परिकल्पित प्रक्रियाओं के अनुसरण में इस ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों में तथा संबंधित राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए आयोग की 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक की अवधि की सत्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट को क्रमशः दिनांक 12 मई 2011 तथा दिनांक 23 जून 2011 को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को प्रस्तुत किया गया था।

1-3 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यायविद श्री जी0पी0 माथुर, सदस्य ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार तब तक संभाला जब तक कि भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायविद श्री के0जी0 बालाकृष्णन ने दिनांक 7 जून 2010 को आयोग के छठे अध्यक्ष के रुप में कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया। श्री के0जी0 बालाकृष्णन द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर न्यायविद श्री जी0पी0 माथुर तीन अन्य सदस्यों अर्थात न्यायविद श्री बी0सी0 पटेल, श्री सत्यव्रत पाल तथा श्री पी0सी0 शर्मा के साथ 2010–2011 के दौरान आयोग के सदस्य बने रहे।

1-4 जहां तक आयोग के मनोनीत सदस्यों का संबंध है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) के तहत धारा 12 के खंड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करने के लिए दिनांक 15 अक्टूबर 2010 को डॉ0 पी0एल0 पूनिया ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया; डॉ0 रामेश्वर ओरॉन ने दिनांक 28 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रुप में कार्यभार ग्रहण किया; तथा श्री वजाहत हबीबुल्लाह ने दिनांक 3 फरवरी 2011 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रुप में कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 2010–2011 के दौरान डॉ0 गिरिजा व्यास, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के रुप में अपनी सेवाएं प्रदान करती रहीं।

1-5 दिनांक 15 फरवरी 2010 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभालने वाले श्री कुरिअमप्लकल शंकर मणि, आई0ए0एस0 (राजस्थानः76) सेवानिवृत्त होने अर्थात 28 फरवरी 2011 तक अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। श्री सुनील कृष्णा, आई0पी0एस0 (उ0प्र0ः73) महानिदेशक (जांच) के रुप में तथा श्री ए0के0 गर्ग, रजिस्ट्रार (विधि) के रुप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अपनी सेवाएं देते रहे। श्री जे0पी0 मीणा, आई0ए0एस0 (असम : 83) ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशासन) के रुप में कार्य करना जारी रखा। भारतीय आर्थिक सेवा के एक अधिकारी श्री जे0एस0 कोच्चर ने दिनांक 15 नवम्बर 2010 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) के रुप में कार्यभार ग्रहण किया।

1-6 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करना आयोग का केन्द्र बिन्दु बना रहा। आने वाले अध्यायों में इन सभी मामलों पर आयोग के विचारों एवं कार्रवाईयों की विस्तृत चर्चा की गई है। इन अध्यायों में अन्य बातों के साथ–साथ आतंकवाद एवं उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मानव अधिकारों की सुरक्षा; हिरासतीय हिंसा तथा अभिरक्षा में मौत सहित प्रताड़ना तथा 'मुठभेड़'; और कारागारों की स्थिति सहित विविध सिविल स्वतंत्रताओं पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य के अधिकार; खाने–पीने के अधिकार; शिक्षा के अधिकार; अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकार तथा अन्य संवेदनशील वर्गों के अधिकार; महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार; वृद्धों के अधिकार, पर्यावरण संबंधी अधिकार; मानव अधिकार जागरुकता तथा साक्षरता सृजित करने के प्रयास; तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए इसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग को संबोधित शिकायतों पर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यह रिपोर्ट मानव अधिकारों के प्रतिरक्षकों के विषय से भी संबंधित है। मौजूदा वार्षिक रिपोर्ट में कार्रवाई किए गए उपरोक्त प्रत्येक मुद्दे में आयोग को संबोधित मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को भी कवर किया गया है।

1-7 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, आयोग तथा केन्द्र एवं राज्यों, दोनों स्तरों पर सरकारों के परस्पर प्रयासों के सुदृढ़ गुणों पर आधारित है। अतः देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों की 'मानसिक एकरुपता' अपेक्षित है। आयोग, इसी मिशन के तहत भारत के लोगों को यह वार्षिक रिपोर्ट समर्पित करता है और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 20(2) के अनुसरण में इसे संसद के दोनों सदनों तथा संबंधित विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को प्रस्तुत करता है।

¼dk- th- ckykÑ".ku½
vè;{k

¼th- ih- ekFkqj½
lnL;

¼ch lh iVsy½
lnL;

¼lR;czr iky½
lnL;

¼ih- lh- 'kekZ½
lnL;

31 ekpZ 2011
ubZ fnYyh

अध्याय - 2

e|[; fcUn| % 2010&2011

2-1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसरण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रदत्त व्यापक कार्यों एवं शक्तियों के चलते यह आयोग भारत के संविधान, विधि के कानून तथा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के दायित्वों से निहित राष्ट्रीय संस्थानों की प्रतिष्ठा से संबंधित पेरिस सिद्धांतों के अनुसरण में अपनी भूमिका तथा दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। आयोग, केन्द्र तथा राज्य में सरकारी मंत्रालयों, देश में काम कर रहे गैर सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय एवं तकनीकी संगठनों/संस्थानों के साथ–साथ क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिल कर घरेलू, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को अग्रस्थान दिया है और कई चुनौतीपूर्ण मामलों का निपटान किया है। आगामी अनुच्छेदों में अप्रैल 2010 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कुछ मुख्य घटनाओं एवं गतिविधियों को उजागर किया गया है।

Uk, v/;{k

2-2 न्यायविद श्री के0जी0 बालाकृष्णन ने दिनांक 7 जून 2010 को आयोग के छठे अध्यक्ष के रुप में पदभार ग्रहण किया। आप न्यायविद श्री एस0 राजेन्द्र बाबू के स्थान पर आए जिन्होंने 31 मई 2009 को कार्यभार त्यागा था।

vk;kx dh cBd

2-3 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्ण आयोग ने 52 बैठकों में मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न मामलों पर विचार किया और निर्णय दिया। इसके अतिरिक्त दो प्रभागीय पीठों ने 131 बैठकों में 1970 मामलों का विचारण किया। न्यायालय की सुनवाई के दौरान 15 बैठकों में 79 अन्य मामलों का विचारण किया गया। 13 बैठकों में अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक कार्यसूची का निपटान किया गया। सांविधिक पूर्ण आयोग, जिसमें मनोनीत सदस्य शामिल हैं, की बैठक भी 26 जुलाई 2010 को हुई।

cxy# rFkk Hkqous'oj esa f'kfoj cBdksa dk vk;kstu

2-4 आयोग ने दो शिविर बैठकों का आयोजन किया – पहला 15–16 सितम्बर 2010 को बंगलूरु, कर्नाटक में तथा दूसरा 18–19 जनवरी 2011 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में। देश के चार दक्षिणी राज्यों नामतः केरल, कर्नाटक, आंध्र

प्रदेश तथा तमिलनाडु में लंबित शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए बंगलूरु में शिविर बैठक आयोजित की गई। बंगलूरु में आयोग द्वारा 92 मामलों का निपटान किया गया जिसमें नौ मामलों में 19,80,000 रु0 तक की आर्थिक राहत की सिफारिश की गई।

2-5 दूसरी शिविर बैठक भुवनेश्वर में आयोजित की गई, 400 से अधिक मिलती–जुलती शिकायतों वाले 62 मामलों की सुनवाई की गई। आयोग ने राज्य में मानव अधिकारों की स्थिति में प्रभावी समग्र सुधार के लिए उड़ीसा सरकार से कई सिफारिशें कीं।

f'kdk;rk dh l[;k rFkk idfr

2-6 विगत की तरह इस बार भी आयोग को देश के विभिन्न भागों से मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों में कथित हिरासतीय मौतों, प्रताड़ना, जाली मुठभेड़, पुलिस की ज्यादती, सुरक्षा बलों द्वारा किया गया उल्लंघन, कारावास संबंधी परिस्थितियां, महिलाओं, बच्चों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों पर किए जाने वाले अत्याचार, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, लोक प्राधिकारियों की लापरवाही आदि से संबंधित मामले शामिल हैं। आयोग ने प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्टों के आधार पर तथा अध्यक्ष, सदस्यों एवं विशेष प्रतिवेदकों द्वारा किए गए दौरों के दौरान, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कई घटनाओं पर स्वतः संज्ञान में भी लिया।

ekuo vf/kdkj mYy?ku d ekey

2-7 1 अप्रैल 2010 तक आयोग के समक्ष कुल 14,580 मामले लंबित पड़े थे ¼vu|yXud 1½। वर्ष 2010–2011 के दौरान आयोग में 84,605 मामले पंजीकृत किए गए ¼vu|yXud 2½। अतः पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग के पास जांच के लिए कुल 99,185 मामले थे। आयोग ने इनमें से 87,568 मामलों का निपटान किया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में 9,254 मामलों को निपटान हेतु राज्य मानव अधिकार आयोगों को अंतरित किया गया। 2010–2011 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों (87,568) में से 54,676 मामलों को 'प्रारंभिक स्तर' पर ही खारिज कर दिया गया था, जबकि 15,813 मामलों में यथोचित प्राधिकारियों को उपचारी उपाय करने संबंधी निदेश देते हुए उनका निपटान किया गया। वर्ष 2010–2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार मामलों का विवरण vu|yXud&3 पर है। रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति अर्थात 31 मार्च 2011 को आयोग के पास 11,617 मामले लंबित थे जिसमें 1856 मामले ऐसे थे जिनका प्रारंभिक विचारण प्रतीक्षित था तथा 9761 मामले ऐसे थे जिनके संबंध में संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्रतीक्षित थीं या प्राप्त हो गई थीं लेकिन वो आयोग द्वारा आगे विचारण के लिए लंबित थीं, (vu|yXud&4½.

2-8 नीचे दिखाए गए ग्राफ में वर्ष 2008–2009 से 2010–2011 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पंजीकृत हुए कुल मामलों का तुलनात्मक आकलन किया गया है।

jk"Vh; ekuo vf/kdkj vk;kx e i thdr ekey
2008&2009 l 2010&2011 rd

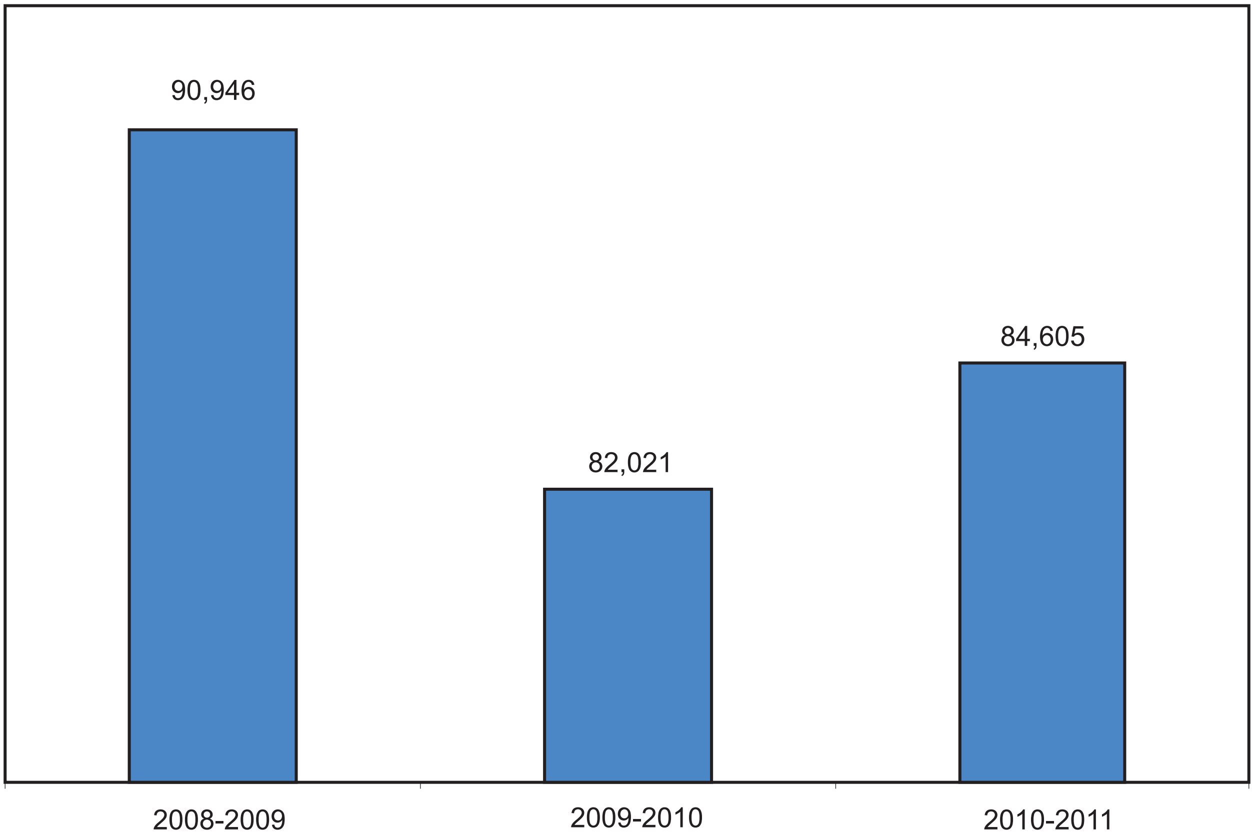

jkT; ekuo vf/kdkj vk;kxk e f'kdk;r icU/ku i.kkyh dh LFkkiuk

2-9 शिकायत संचालन तंत्र को सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में स्थापित शिकायत प्रबंधन प्रणाली साफ्टवेयर को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम तथा एन0आई0सी0 की मदद से देश के चार राज्य मानव अधिकार आयोगों, नामतः असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। इन राज्य मानव अधिकार आयोगों को संबंधित उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए तथा अपने अधिकारियों एवं स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए तकनीकी मानवशक्ति नियुक्त करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के तकनीकी स्टाफ द्वारा भी प्रशिक्षण दिया गया। इसी तर्ज़ पर अन्य राज्य मानव अधिकार आयोगों को भी चरणबद्ध तरीके से शिकायत प्रबंधन प्रणाली साफ्टवेयर से सुसज्जित करने का निर्णय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा लिया गया।

flfoy ,oa jktuhfrd vf/kdkj

fgjklrh; fgalk dh jksdFkke

2-10 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यायिक अभिरक्षा* में मृत्यु की 1,426 सूचना, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की 146 सूचना तथा अर्धसैनिक बलों/रक्षा बलों की अभिरक्षा में मृत्यु की 2 सूचनाएं प्राप्त हुईं। आयोग ने अभिरक्षा में मौत के 1944 मामलों को निपटाया जिसमें 1753 मामले न्यायिक अभिरक्षा में मौत के थे, 189 मामले पुलिस अभिरक्षा में मौत तथा 2 मामले अर्धसैनिक बलों/रक्षा बलों की अभिरक्षा में मौत से संबंधित थे। इन आंकड़ों में पिछले वर्ष के मामले भी शामिल हैं। ग्राफ देखें :–

2010&2011 ds nkSjku iathd`r rFkk fuiVk, x, fgjklrh; eR;q ds ekeyksa dh la[;k

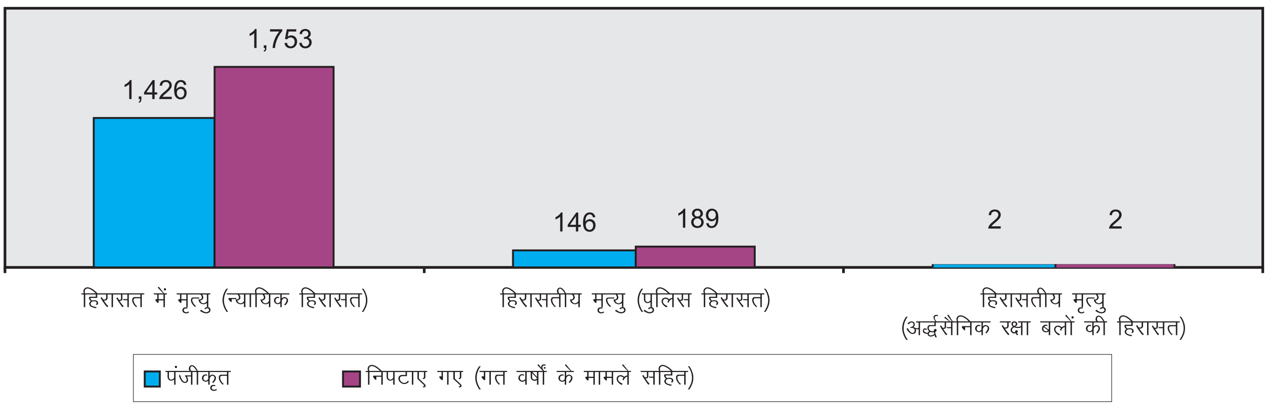

dkjkxkjksa dk fujh{k.k

2-11 आयोग के एक सदस्य तथा दो विशेष प्रतिवेदकों ने 7 कारावासों अर्थात उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, लखनऊ एवं फैजाबाद; उड़ीसा में भुवनेश्वर; हिमाचल प्रदेश में शिमला; तथा पश्चिम बंगाल में मिदनापुर का दौरा किया। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य इन संस्थानों की कार्यप्रणाली के निरीक्षण के साथ–साथ कैदियों के मानव अधिकारों की स्थिति का अध्ययन करना था। इसके अतिरिक्त आयोग के अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों ने भी त्रिचूर में सेंट्रल जेल वियुर, केरल; जिला कारागार देहरादून, उत्तराखंड; तथा इंदौर मध्य प्रदेश में सेंट्रल जेल तथा जिला कारागार, का दौरा किया।

LFky fujh{k.k

2-12 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने अपने अन्वेषण प्रभाग को सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के 64 मामलों का स्थल निरीक्षण करने का निदेश दिया। यह मामले हिरासतीय मौतों/बलात्कारों, पुलिसकार्मिकों द्वारा यौन शोषण; अभिरक्षा में प्रताड़ना; झूठे मामलों में फंसाना; अवैध रूप से बंदी बनाना; बंधुआ तथा बाल मजदूरी; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वंचित वर्गों पर अत्याचार; सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय लापरवाही तथा उचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव, विभिन्न राज्य प्राधिकारियों की लापरवाहियों के कारण मृत्यु; कारावासों तथा बाल सुधार गृहों में अमानवीय स्थितियों से संबंधित थे।

vkfFkd] lkekftd ,o lkLd`frd vf/kdkj

ekufld :Ik ls fof{kIr O;fDr;ksa ds vf/kdkjksa ds lac/k esa mRrjh {ks= dh {ks=h; iqujh{kk cSBd

2-13 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2010 को मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में उत्तरी क्षेत्र के लिए पांचवी क्षेत्रीय पुनरीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसका आयोजन इंस्टीच्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल, आगरा के सहयोग से किया गया।

iapk;rh jkt rFkk ekuo vf/kdkjksa ds lac/k esa jk"Vªh; laxks"Bh

2-14 जनता के बीच मानव अधिकारों के प्रति जागरुकता को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में आयोग ने दिनांक 30 जुलाई 2010 को कोचीन में 'पंचायती राज एवं मानव अधिकार' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

Hkkjr esa izloiwoZ fyax p;u % eqn~ns] fpark,a rFkk dkjZokbZ

2-15 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2010 को नई दिल्ली में भारत में प्रसवपूर्व लिंग चयन : मुद्दे, चिंताएं तथा कार्रवाई विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य : प्रसवपूर्व लिंग चयन की मौजूदा समस्या तथा भारत में लड़कियों की जनसंख्या में हो रही कमी का आलोचनात्मक आकलन करना; मुख्य पणधारियों के बीच संबंधित मुद्दों, चिन्ताओं तथा कार्रवाईयों के बारे में जागरुकता पैदा करना; एन0एच0आर0सी0 तथा यू0एन0एफ0पी0ए0 द्वारा संयुक्त रूप से किए गए 'रिसर्च एण्ड रिव्यु टू स्ट्रेन्थन प्री–कन्सेपशन एण्ड प्री नेटल डायग्नॉस्टिक टेकनीक्स (प्रोहिबिशन आफ सैक्स सेलेक्शन) एक्ट इम्पलीमेंटेशन अक्रॉस की स्ट्टेस' नामक अध्ययन के परिणामों का आदान प्रदान करना; तथा पूर्वबोध एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने की रणनीति के बारे में विचार विमर्श करना है।

Hkkstu ds vf/kdkj ds lac/k esa dksj xzqi dk iquxZBu

2-16 आयोग ने अगस्त 2010 में अपने एक सदस्य श्री पी0सी0 शर्मा की अध्यक्षता में भोजन के अधिकार संबंधी कोर ग्रुप का पुनर्गठन किया। पुनर्गठित कोर ग्रुप में पूरे देश से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को मिलाकर कुल 18 सदस्य हैं। इस ग्रुप की पहली बैठक 2 नवम्बर 2010 को हुई थी।

o`) yksxksa ds vf/kdkjksa ds lac/k esa dksj xzqi dk xBu

2-17 आयोग में दिनांक 22 नवम्बर 2010 को वृद्ध लोगों के अधिकारों के संबंध में 13 सदस्यों वाले एक कोर ग्रुप का गठन किया गया। इस कोर ग्रुप का गहन आयोग के माननीय सदस्य श्री पी सी शर्मा की अध्यक्षता में किया गया है।

,.MkslYQku ds iz;ksx ij izfrca/k

2-18 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने देश में एण्डोसल्फेन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में भारत सरकार तथा केरल राज्य सरकार को विस्तृत रूप से सिफारिशें की हैं।

v{ke 0;fDr;k d vf/kdkj

2-19 आयोग, वर्ष 2008 में अक्षम व्यक्तियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को अंगीकृत किए जाने के समय से ही देश में अक्षमता कानूनों के सामन्जस्य की वकालत कर रहा है। तदनुसार, आयोग ने अक्षम व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 नामक विधायन को नए रूप में ढालने का सुझाव देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। आयोग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए उक्त विधायन से संबंधित कार्यकारी प्रारूप पर भी अपनी टिप्पणियां दीं।

2-20 आयोग ने ''कॉपीराईट (संशोधन) विधेयक, 2010'' के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के साथ–साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भी अपनी सिफारिशें अग्रेषित कीं क्योंकि वह मुद्रित प्रति पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के अनुकूल नहीं था।

v{ke 0;fDr;k d vf/kdkjk lc/kh vfHkle; ij oSdfYid u;kpkj

2-21 आयोग ने अक्षम व्यक्तियों के अधिकार संबंधी अभिसमय पर वैकल्पिक नयाचार का अनुसमर्थन करने के लिए भारत सरकार से वकालत की। आयोग का यह विचार है कि वैकल्पिक नयाचार जवाबदेही तंत्र को मजबूत बनाएगा तथा अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक अतिरिक्त साधन की तरह कार्य करेगा।

flfydkfll ij jk"Vh; lEeyu

2-22 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में सिलिकॉसिस पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, सिलिकॉसिस की समस्या अर्थात क्रिस्टल सिलिका वाली धूल में सांस लेने से होने वाली फेंफड़ों की एक बीमारी से निपटने के लिए पूरे देश के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किए गए उपायों का आकलन करना था।

o) 0;fDr;k d ekuo vf/kdkjk dh lj{kk d lc/k e jk"Vh; lfeukj

2-23 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने वृद्ध व्यक्तियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा' विषय पर दिल्ली में स्थित अनुग्रह नामक एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से देहरादून, उत्तराखंड में दिनांक 20 जनवरी 2011 को एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने भी सेमिनार का समर्थन किया। उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा, राष्ट्रीय सेमिनार की मुख्य अतिथि थीं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री पी0सी0 शर्मा ने राष्ट्रीय सेमिनार की अध्यक्षता की।

ituu lc/kh vf/kdkj rFkk ,u0,p0vkj0vkbZ0

2-24 जुलाई 2008 में क्वालालम्पुर, मलेशिया में हुई एशिया पेसेफिक फोरम (ए0पी0एफ0) की 13वीं वार्षिक बैठक में ए0पी0एफ0 फोरम पार्षदों ने प्रजनन संबंधी अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू0एन0एफ0पी0ए0) के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करने के प्रस्ताव पर विचार किया और उसे औपचारिक रूप से अनुमोदित किया। ए0पी0एफ0 सदस्य संस्थानों के कार्य में एकीकृत प्रजनन अधिकार विषय पर मुद्रण के विकास के संबंध में ए0पी0एफ0 तथा यू0एन0एफ0पी0ए0 के बीच में एक मुख्य गतिविधि पर सहमति हुई। इस परियोजना के लिए तैयार की गई विस्तृत प्रश्नावली जो 2010–2011 के दौरान पूरी हो गई थी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत सहित सभी ए0पी0एफ0 सदस्य संस्थानों में वितरित किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा उपलब्ध कराई

गई जानकारी में समस्याओं तथा उन तरीकों जिनसे प्रजनन अधिकारों को और प्रभावी तरीके से आयोग के कार्यों में एकीकृत किया जा सके; के साथ आयोग द्वारा प्रजनन अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी निपटाए गए मुद्दों को कवर किया गया था।

c/kvk etnjh rFkk cky Je iFkk dk mUewyu

2.25 आयोग ने देश में बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग को जारी रखा। आयोग ने बंधुआ मजदूरी तथा बाल श्रम के मुद्दे पर चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं क्रमशः हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तमिलनाडु में आयोजित की गईं।

vkfFkd jkgr rFkk mlds vuqikyu ds lc/k e jk"Vh; ekuo vf/kdkj vk;kx dh flQkfj'k

2.26 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के दौरान आयोग ने 583 मामलों में पीड़ितों या मृतक के निकटतम संबंधी को 19,86,55,500 रु0 आर्थिक राहत के भुगतान की सिफारिश की। इन मामलों में से 367 मामलों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुईं तथा पीड़ितों/मृतकों के निकटतम संबंधियों को कुल 7,57,73,500 रु0 की राशि का भुगतान किया गया। इन मामलों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार विवरण vuqyXud 5 पर है।

2.27 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान 216 मामलों के संबंध में 12,28,82,000 रु0 की राशि के मौद्रिक राहत के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है ¼vuqyXud 6½।

2.28 जहां तक पिछले वर्षों से संबंधित मामलों के संबंध में अनुपालन का प्रश्न है, 45 मामलों में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं ¼vuqyXud 7 ,oa 8½। इन मामलों का विवरण आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्टों में दिया जा चुका है।

if'k{k.k dk;Øe rFkk dk;'kkyk,

2.29 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं में निम्नलिखित शामिल थे : 'मानव अधिकारों के संबंध में बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम', 'मानव अधिकारों के संबंध में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण', 'मानव अधिकारों के संबंध में अग्रवर्ती प्रशिक्षण', 'एन0सी0सी0 अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण शिविर', 'राष्ट्रीय एकता शिविरों के दौरान मानव अधिकार संबंधी प्रशिक्षण' तथा 'कम्यूनिटी रेडियो के माध्यम से मानव अधिकारों के संबंध में प्रशिक्षण'। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए भी दो–दिवसीय आशक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके अलावा आयोग ने अपने नव–नियुक्त अधिकारियों एवं स्टॉफ के लिए एक 'इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम' तथा कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु प्रत्येक के लिए एक–एक महीने की अवधि के लिए 'समर एण्ड विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम' तथा मानव अधिकारों के क्षेत्र में इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अंश–कालिक आसक्ति का आयोजित किया। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों तथा पूरे देश के अन्य संस्थानों/संगठनों के सहयोग से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा कुल 70 प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं तथा सेमिनारों का आयोजन किया गया।

flj ij eyk <kus rFkk LoPNrk ds lc/k e dk;'kkyk

2.30 आयोग द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2011 को सिर पर मैला ढोने तथा स्वच्छता के विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य, समस्या के प्रभावी एवं सतत

मॉनीटरिंग की आवश्यकता की ओर सभी साझेदारियों का ध्यान आकर्षित करना था ताकि सिर पर मैला ढोने की अपमानजनक प्रथा को समाप्त किया जा सके।

U;ure HkRrk vf/kfu;e d lc/k e tkuy dk;'kkykvk dk vk;ktu

2-31 वर्ष 2010–2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने न्यूनतम भत्ता अधिनियम के संबंध में तीन एक–दिवसीय जोनल कार्यशालाओं का आयोजन किया। पहली जोनल कार्यशाला 9 सितम्बर 2010 को हैदराबाद में दक्षिणी राज्यों के लिए आयोजित की गई, दूसरी कार्यशाला 29 अक्टूबर 2010 को अहमदाबाद में पश्चिमी राज्यों के लिए आयोजित की गई तथा तीसरी कार्यशाला 7 जनवरी 2011 को भुवनेश्वर में पूर्वी राज्यों के लिए आयोजित की गई थी।

ifyl dkfedk d fy, ekuo vf/kdkj lc/kh vkuykbu if'k{k.k dk;Øe dk "kHkkjEHk

2-32 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के सहयोग से दिनांक 1 फरवरी 2011 को पुलिस कार्मिकों के लिए मानव अधिकार संबंधी ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ इग्नू के कुलपति प्रो0 वी0एन0 राजशेखरन पिल्लई की उपस्थिति में न्यायविद श्री के0जी0 बालाकृष्णन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस कार्मिकों, विशेषतः ऐसे पुलिस कार्मिकों जो कांस्टेबल तथा उप–निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, के बीच मानव अधिकार मुद्दों के बारे में जागरुकता फैलाना तथा जनता के साथ दिन–प्रतिदिन के संपर्क के दौरान उनका अनुपालन सुनिश्चित करना है।

vrjk"Vh; xfrfof/k;k

,u0,p0vkj0vkb0 d ,f'k;k iflfQd Qkje dh okf"kd cBd

2-33 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चार सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 3 से 5 अगस्त 2010 तक बाली, इंडोनेशिया में आयोजित एन0एच0आर0आई0 के एशिया पैसिफक फोरम की 15वीं वार्षिक बैठक में भागीदारी की।

v{ke 0;fDr;k d vf/kdkjk ij ,d iLrd dk ykdki.kA

2-34 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने दिनांक 3 सितम्बर 2010 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में आयोजित एक कार्यक्रम में अक्षम व्यक्तियों के अधिकार संबंधी अभिसमय – राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा एक गाईड नामक एक पुस्तक को जारी किया।

jk"Vh; ekuo vf/kdkj lLFkkuk dh vrjk"Vh; leUo; lfefr dk 10ok f}okf"kd lEeyu

2-35 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में दिनांक 7 से 10 अक्टूबर 2010 तक एडिनबर्ग, स्कॉटलैण्ड में आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के 10वें द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का मूल विषय था – 'मानव अधिकार तथा व्यवसाय : राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका'।

jk"Vh; ekuo vf/kdkj lLFkkuk rFkk flfoy lkekftd lxBuk ij {k=h; fopkj&foe'k

2-36 न्यायविद श्री बी0सी0 पटेल, सदस्य की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग–भारत के दो सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 22 एवं 23 नवम्बर 2010 को बैंकॉक, थाईलैण्ड में आयोजित 'राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों पर क्षेत्रीय विचार–विमर्श तथा सिविल सामाजिक संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रणाली के साथ अनुबंध : एशिया में बुनियादी स्तर पर मानव अधिकार संरक्षण संवर्धन' विषय पर क्षेत्रीय विचार–विमर्श में भाग लिया। विचार–विमर्श का मुख्य उद्देश्य, बुनियादी स्तर पर मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रणाली के अधिक एवं प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संस्थानों (एन0एच0आर0आई0) तथा सिविल सामाजिक संगठनों (सी0एस0ओ0) के बीच सुव्यवस्थित सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना था।

jk"VeMy e v{ke 0;fDr;k d vf/kdkjk ij lfeukj

2-37 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रमंडल सचिवालय ने दिनांक 14 जनवरी 2011 को संयुक्त रूप से राष्ट्रमंडल में अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों पर एक–दिवसीय सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार का शुभारंभ श्री मुकुल वासनिक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया था। अन्य लोगों के अलावा सेमिनार में श्री शुएब चॉकलेन, सामाजिक विकास आयोग के अक्षमता संबंधी संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदक तथा डॉ0 पूर्ण सेन, मानव अधिकार अध्यक्ष, राष्ट्रमंडल सचिवालय भी उपस्थित थे।

v{kerk ij l;Dr jk"V d fo'k"k ifrondk }kjk vk;kx dk nkjk

2-38 राष्ट्रमंडल में अक्षम व्यक्तियों के अधिकार संबंधी सेमिनार से पहले सामाजिक विकास आयोग के संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदक मिस्टर शुऐब चॉकलेन ने एन0एच0आर0सी0 के महासचिव श्री के0एस0 मणि के साथ एक बैठक के लिए दिनांक 13 जनवरी 2011 को एन0एच0आर0सी0 का दौरा किया। एन0एच0आर0सी0 में अक्षमता के लिए विशेष प्रतिवेदक श्री पी0के0 पिन्चा भी बैठक में शामिल थे। श्री मणि ने विशेष प्रतिवेदकों को सूचित किया कि आयोग, अक्षमता विशिष्ट कानून तथा मुख्यधारा के कानून, जो अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं, को संयुक्त राष्ट्र के अक्षम व्यक्तियों के अधिकार संबंधी अभिसमय के साथ सामंजस्य स्थापित करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है।

ekuo vf/kdkj ifrj{kdk ij l;Dr jk"V d fo'k"k ifrondk }kjk vk;kx dk nkjk

2-39 मानव अधिका प्रतिरक्षकों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक सुश्री मारग्रेट सेकाग्या ने दिनांक 15 जनवरी 2011 को एन0एच0आर0सी0 का दौरा किया जहां उन्होंने सांविधिक पूर्ण आयोग तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने भी विशेष अतिथि के रूप में विचार–विमर्श में भाग लिया। आयोग ने मानव अधिकार प्रतिरक्षकों, जो अन्य लोगों के मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को सामने लाने के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाल देते हैं, के बारे में चिन्ता व्यक्त की। यह भी सूचित किया गया कि मानव अधिकार प्रतिरक्षकों के हितों की सुरक्षा के लिए आयोग द्वारा हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

एन0एच0आर0सी0 में मानव अधिकार प्रतिरक्षकों के लिए एक फोकल प्वाईंट स्थापित किया गया है जो मोबाईल टेलीफोन नम्बर, फैक्स तथा ई–मेल के माध्यम से चौबीसों घंटे उपलब्ध है।

2-40 उसी दिन बाद में, विशेष प्रतिवेदकों ने देश में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा सिविल समाज के सदस्यों से भी बातचीत की।

****

अध्याय - 3

jk"Vh; ekuo vf/kdkj vk;kx % lxBu rFkk dk;l

3-1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। आयोग की संविधि, मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निहित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा दिसम्बर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। यह आयोग, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भारतीय सहानुभूति का मूर्त रूप है।

l;jpuk

3-2 आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्ण कालिक सदस्य तथा चार मनोनीत सदस्य हैं। संविधि में आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए उच्च अहर्ताएं दी गई हैं।

jk"Vh; ekuo vf/kdkj vk;kx dh l;jpuk

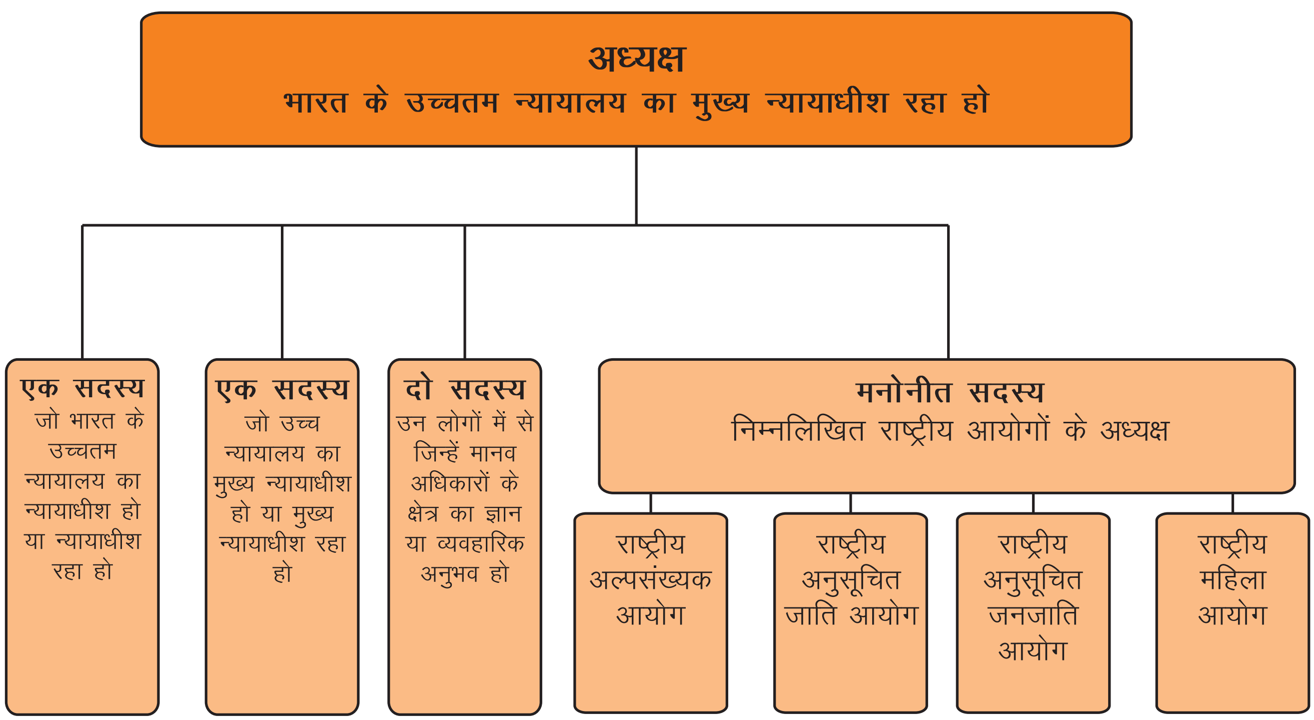

3-3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा के स्पीकर, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोकसभा तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा राज्य सभा के उपसभापति से गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सिफाशि पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx ds v/;{k rFkk lnL;ksa dh fu;qfDr ds fy, p;u lfefr

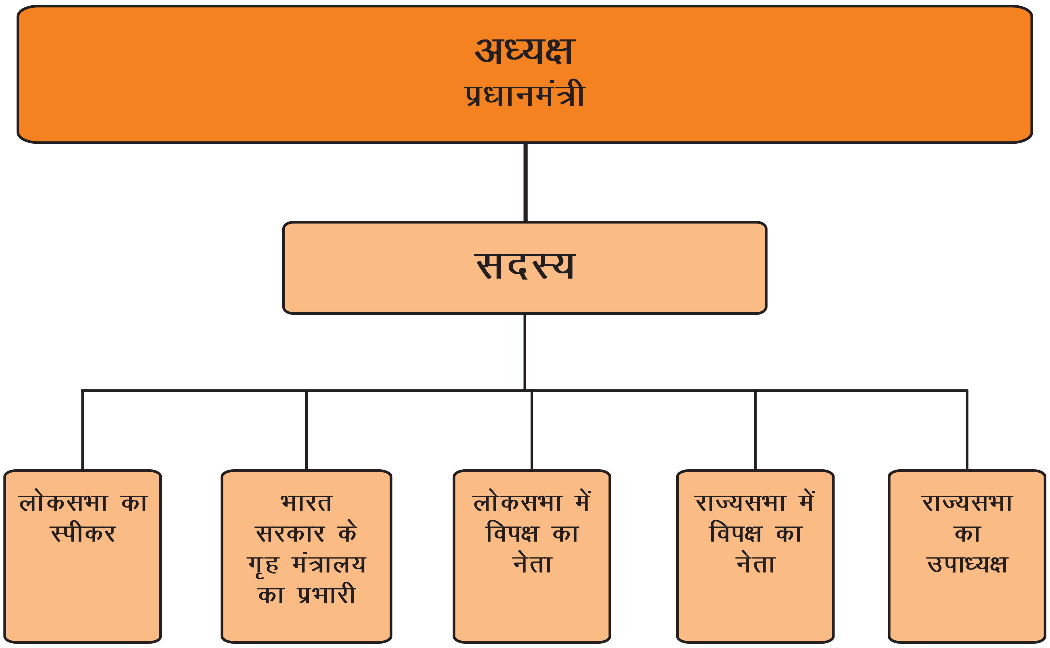

3-4 आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अहर्ताओं से संबंधित सांविधिक अपेक्षताओं के साथ–साथ एक उच्च स्तरीय एवं राजनीतिक रूप से संतुलित समिति, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यप्रणाली को एक उच्च स्तरीय स्वतंत्रता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।

3-5 आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है जो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। आयोग का सचिवालय, महासचिव के समग्र दिशानिर्देशों के तहत कार्य करता है।

3-6 आयोग के पांच प्रभाग हैं – (1) विधि प्रभाग, (2) अन्वेषण प्रभाग, (3) नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम प्रभाग (पी0आर0पी0 एण्ड पी0 प्रभाग), (4) प्रशिक्षण प्रभाग, तथा (5) प्रशासनिक प्रभाग।

3-7 विधि प्रभाग, पीड़ित या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के निदेश या आदेश द्वारा आयोग को मानव अधिकार उल्लंघन के संबंध में की गई शिकायतों का निपटान करता है। आयोग द्वारा प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान में लिए गए गंभीर मुद्दों का निपटान भी इसी प्रभाग द्वारा किया जाता है। शिकायत प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (सी एम आई एस) द्वारा सभी शिकायतों की बारीकी से जांच की जाती है, जो विशेषतः इसी प्रयोजन के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद इन शिकायतों को पंजीकृत किया जाता है जिसे निदेश हेतु आयोग के समक्ष रखा जाता है। आयोग के निदेशानुसार, प्रभाग द्वारा इन मामलों

पर तब तक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है जब तब इनका निपटान नहीं हो जाता। प्रभाग, संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों का आकलन करने के बाद पूर्ण आयोग तथा प्रभागीय पीठों के समक्ष प्रस्तुत मामलों के लिए कार्यालय नोट भी तैयार करते हैं। यह, मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण तथा संवर्धन के लिए आयोग में प्राप्त हुए विभिन्न विधेयकों/प्रारूप विधायनों पर अपने विचार/अभिमत उपलब्ध कराते हैं। प्रभाग का अध्यक्ष एक रजिस्ट्रार (विधि) होता है जिसे प्रजेन्टिंग अधिकारी, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, अधिसंख्य उप–रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी तथा सचिवालयीय स्टॉफ की मदद मिलती है।

3-8 अन्वेषण प्रभाग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से पूरे देश में स्थल निरीक्षण करता है। इसके अलावा यह आयोग को संबोधित की गई विविध शिकायतों के संबंध में पूरे देश भर से तथ्यों को एकत्रित करने, पुलिस तथा अन्य अन्वेषण एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों की जांच करने तथा हिरासतीय हिंसा या अन्य दुराचारों की रिपोर्टों की जांच–पड़ताल में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग पुलिस तथा न्यायिक अभिरक्षा के साथ–साथ पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों के संबंध में राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं तथा रिपोर्टों का विश्लेषण करता है। यह प्रभाग, पुलिस या सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी मामलों में भी विशेषज्ञ परामर्श देता है। प्रभाग ने तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाली शिकायतों के लिए एक रेपिड एक्शन सैल का गठन किया हुआ है। इसके अलावा, यह प्रभाग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12(एच) के अनुसरण में मानव अधिकार साक्षरता का विस्तार करने में प्रशिक्षण प्रभाग को मदद करता है। इस प्रभाग की अध्यक्षता, पुलिस महानिदेशक के स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है और उसकी सहायता के लिए पुलिस उपमहानिदेशक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, कांस्टेबल तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होता है। नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम प्रभाग, मानव अधिकारों पर अनुसंधान करता है तथा उनका प्रचार करता है तथा महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों पर सम्मेलन, सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करता है। जब कभी भी आयोग, अपनी सुनवाई, कार्रवाईयों या अन्यथा इस निर्णय पर पहुंचता है कि कोई विशेष विषय महत्वपूर्ण है, तो उसे पी0आर0पी0 एण्ड पी0 प्रभाग से संबंधित एक परियोजना/कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नीतियों, कानूनों, संधियों तथा प्रवृत्त हुए अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की पुनरीक्षा करता है। यह प्रभाग, केन्द्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही आयोग की सिफारिशों की मॉनीटरिंग में सहायता करता है। यह प्रभाग, मानव अधिकार साक्षरता के विस्तार तथा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों के बारे में जागरुकता का प्रसार करने में भी सहायता करता है। प्रभाग का कार्य दो संयुक्त सचिवों, एक निदेशक, एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान सहायक तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ की जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण प्रभाग, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साहित्य का विस्तार करने के लिए उत्तरदायी है। अतः यह प्रभाग मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों के बारे में राज्य के विभिन्न सरकारी अधिकारियों तथा कार्यकारियों तथा राज्य की एजेंसियों, गैर सरकारी अधिकारियों, सिविल सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देता है और उन्हें सुग्राही बनाता है। इसके अलावा यह प्रभाग, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए इन्टर्नशिप प्रोग्राम भी आयोजित करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) होता है जिसकी सहायता के लिए वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशि0), एक अवर सचिव तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होता है। प्रशासनिक प्रभाग का कार्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की स्थापना, प्रशासनिक एवं संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा, यह प्रभाग कार्मिकों, लेखों, पुस्तकालय तथा आयोग के अधिकारियों तथा स्टाफ के सदस्यों की अन्य जरूरतों को भी पूरा करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशासन) होता है तथा उसकी सहायता के लिए एक निदेशक, कई अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होता है। प्रशासनिक प्रभाग के तहत सूचना एवं लोक संपर्क यूनिट का कार्य प्रिंट एवं

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की गतिविधियों से संबंधित जानकारी का प्रचार करना है। यह प्रभाग 'मानव अधिकार' नामक एक द्विभाषी मासिक न्यूज़लैटर तथा आयोग के अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन करता है। इसके अलावा, यह प्रभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों तथा अपीलों को भी देखता है।

3-9 विशेष प्रतिवेदकों की नियुक्ति तथा कोर एवं विशेषज्ञ समूहों के गठन द्वारा आयोग की पहुंच में काफी विस्तार हुआ है। विशेष प्रतिवेदक, काफी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले भारत सरकार के सचिव के पदों पर या पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्य किया होता है या फिर मानव अधिकारों से संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया होता है। इन्हें या तो बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, अभिरक्षा न्याय, अक्षमता आदि जैसे कुछ विशिष्ट विषय दिए जाते हैं या फिर मानव अधिकार उल्लंघनों या प्रयोजनों की जांच के लिए राज्यों के समूह से बना एक जोन दे दिया जाता है।

3-10 कोर/विशेषज्ञ समूह, विख्यात व्यक्तियों या मानव अधिकार मुद्दों पर कार्य करने वाले निकायों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना होता है। यह समूह आयोग को विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में गठित कुछेक महत्वपूर्ण कोर/विशेषज्ञ समूह निम्नानुसार हैः–

- स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह
- अक्षमता संबंधी कोर समूह
- गैर सरकारी संगठनों संबंधी कोर समूह
- विधिक मुद्दों संबंधी कोर समूह
- भोजन के अधिकार के संबंध में कोर समूह
- वृद्धों के अधिकारों के संबंध में कोर समूह
- आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के संबंध में विशेषज्ञ समूह
- शरणार्थियों के संबंध में विशेषज्ञ समूह
- सिलिकॉसिस के संबंध में विशेषज्ञ समूह
- असुरक्षित औषधियों तथा चिकित्सीय यंत्रों के संबंध में विशेषज्ञ समूह

dk;l

3.11 आयोग के अधिदेश बहुत व्यापक हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में दिए गए आयोग के कृत्य निम्नानुसार हैः–

- स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के निदेश पर आयोग को प्रस्तुत की गई याचिका पर (1) मानव अधिकारों का किसी लोकसेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की; या (2) ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोकसेवक द्वारा की गई उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना।
- किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना।
- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए

जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिश करना।

- संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विध्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों से संबंधित संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार, माध्यमों गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरुकता का संवर्धन करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे अन्य कार्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक हैं।

'kfDr;k

3-12 आयोग को, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायतों की जांच करते समय वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं।

fo'k"krk,

3-13 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकारों के संस्थानों के लिए अंगीकृत किए गए पेरिस सिद्धांतों का पूर्ण अनुसरण करता है। इसके अधिदेश तथा कृत्य बहुत ही व्यापक हैं। आयोग ने अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए पारदर्शी प्रणाली तथा प्रक्रियाओं का विकास किया है। आयोग ने विनियम तैयार करते हुए अपने काम–काज का प्रबंध करने के लिए प्रक्रियाएं तैयार की हैं।

****

अध्याय - 4

ekuo vf/kdkjksa dk mYya?ku ls lacaf/kr ekeys

d- fgjklrh; fgalk rFkk i;rkM+uk

4-1 हिरासतीय हिंसा, मानवीय गरिमा पर किया जाने वाला एक सुविचारित आघात है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान हिरासतीय मौतों में परिणित होने वाले मानव अधिकारों के घोर उल्लंघनों को समाप्त करने के अपने प्रयासों में सक्रिय रूप से कार्यरत रहा। हिरासतीय हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास करना आयोग की प्रमुख वरीयता है। समय–समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसरण में राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की एजेंसिया अभिरक्षा में हुई किसी मृत्यु के बारे में 24 घंटों के अंदर–अंदर आयोग को इसकी सूचना देने के मामले में कमोबेश सफल रही हैं। तथापि, कई मामलों में जांच–पड़ताल रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी रिपोर्ट आदि जैसी अनुवर्ती रिपोर्टें शीध्र प्राप्त नहीं हुई हैं।

4-2 यह नोट करना प्रासंगिक है कि हिरासतीय मौतों के सभी मामले हिरासतीय हिंसा नहीं होते हैं। ऐसी अधिकांश मौतों का मुख्य कारण प्राकृतिक होता है जैसे कि लम्बे समय से चली आ रही बीमारी, उम्रदराज होना तथा दुर्बलता आदि। कैदियों के बीच हिंसा, आत्महत्या तथा चिकित्सीय लापरवाही जैसे कुछ अन्य कारणों से भी हिरासतीय मौते होती हैं।

4-3 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग को हिरासतीय मौतों के 1,574 मामले रिपोर्ट किए गए। इनमें से 1,426 मामले न्यायिक अभिरक्षा में हुई मौतों, 146 मामले पुलिस अभिरक्षा में हुई मौतों तथा 2 मामले रक्षा/अर्ध सैनिक बलों की अभिरक्षा में हुई मौतों से संबंधित थे। आयोग द्वारा निपटाए गए हिरासतीय मौतों के कुछ महत्वपूर्ण मामले नीचे दिए गए हैं :–

d½ fgjklrh; ekSrsa

न्यायिक अभिरक्षा

1. अभियोगाधीन कैदी रामसिंह उदयसिंह रवाना की भरूच उप–जेल, गुजरात में मृत्यु (मामला सं0 524/6/5/07–08–जे.सी.डी.)

4-4 पुलिस अधीक्षक, भरूच, गुजरात ने आयोग को दिनांक 12 अक्टूबर 2007 को सूचित किया कि एक अभियोगाधीन कैदी जो गुजरात में भरूच उप–जेल में हिरासत में था की 11 अक्टूबर 2007 को मृत्यु हो गई है। अभियोगाधीन कैदी का नाम रामसिंह उदयसिंह रवाना था और वह लगभग 30 वर्ष का था। मृतक को तीन अन्य अभियुक्तों के साथ दिनांक 11 अक्टूबर 2007 को लगभग 9:00 बजे प्रातः महाराष्ट्र पुलिस द्वारा महाराष्ट्र की दहानु उप–जेल से भरूच उप–जेल में लाया गया था।

4-5 अध्यक्ष के दिशानिर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने सूचित किया कि रामसिंह उदयसिंह रवाना से संबंधित जांच–पड़ताल में संबंधित जांच मजिस्ट्रेट का निष्कर्ष है कि उसे न्यायालय के निर्णय के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस द्वारा भरूच उप–जेल लाए जाने के दौरान ही रास्ते में उसकी मृत्यु रास्ते में ही हो गई थी। मृतक को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी तथा महाराष्ट्र की तालासारी डिस्पेन्सरी के डॉक्टरों ने भी लापरवाही दिखाई थी।

4-6 मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आयोग ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव से मृतक रामसिंह उदयसिंह रवाना के निकटतम संबंधी को 3,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान करने के संबंध में सिफारिश की। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मृतक के निकटतम संबंधी को भुगतान किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद आयोग द्वारा मामले को बंद कर दिया गया।

2. तिहाड़ जेल, नई दिल्ली के सेंट्रल जेल सं0 6 में हिरासतीय मृत्यु का स्वतः संज्ञान
(मामला सं0 1138/4/4/08–09–जे.सी.डी.)

4-7 आयोग ने दिनांक 7 जुलाई 2004 के हिन्दुस्तान टाईम्स में प्रकाशित नई दिल्ली के तिहाड़ जेल के सेंट्रल जेल सं0 6 में बंद, जोहरा सुपुत्री बरत अली, आयु 24 वर्ष की 3 जुलाई 2004 को हुई हिरासतीय मृत्यु के समाचार पर स्वतः संज्ञान लिया। मृतक जोहरा, एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, 1985 की धारा 21/43, 61/83 के तहत एफ0आई0आर0 सं0 4/99 के संबंध में दिनांक 2 फरवरी, 1999 से जेल में थी।

4-8 आयोग ने अपने महानिदेशक (अन्वेषण) को आठ सप्ताह के अंदर अपेक्षित रिपोर्ट एकत्रित करने का निदेश दिया। संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त संगत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आयोग ने पाया कि मृतक बीमार थी तथा उसे त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित मेडिकल बोर्ड ने भी उसे बेहतर मेडिकल सेंटर में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। यह भी नोट किया गया कि मरीज को दिनांक 21 जून 2008 को भर्ती किया गया था तथा 22 जून 2008 को आवश्यक जांच करने का परामर्श दिया गया था। तथापि, कोई जांच नहीं की गई थी। परिणामतः 6 जुलाई 2008 को सदर अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई जो पुष्टि करता है कि जेल प्राधिकारियों ने उसकी मृत्यु हो जाने तक उसे बेहतर चिकित्सा केन्द्र में न भेजकर उसे बेहतर उपचार देने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी। दूसरी ओर, यदि समय पर उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया गया होता तो पीड़ित की जान बचाई जा सकती थी। अतः आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतक की मृत्यु का कारण प्रशासनिक एवं चिकित्सीय लापरवाही था तथा आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से मृतक के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत के रूप में 3,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान करने तथा भुगतान के सबूत सहित एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सिफारिश की।

4-9 अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान के सबूत प्राप्त हो गए हैं तथा मामला बंद कर दिया गया है।

3. जिला कारवास, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश में दोषसिद्ध पूरन सिंह की मृत्यु
(मामला सं0 32064/24/2004–2005–सी.डी.)

4-10 आयोग को दिनांक 24 सितम्बर 2004 को पूरन सिंह नामक एक कैदी की मृत्यु के बारे में फतेहगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचना प्राप्त हुई। वह फतेहगढ़ जिला कारावास में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। सजा के दौरान यह पाया गया था कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है तथा उसे 4 जनवरी 1999 को वाराणसी के मानसिक अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। तथापि, संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त

रिपोर्टों से पता चला कि जेल प्राधिकारियों ने उसे वाराणसी के मानसिक अस्पताल में स्थानांतरित करने के संबंध में दिनांक 3 फरवरी, 1999 को स्वीकृति मांगी थी। तथापि, वास्तव में पूरन सिंह को स्थानांतरित करने संबंधी अनुमोदन 29 अप्रैल 1999 को प्राप्त हुआ और यह भी पता चला कि उसे वाराणसी मानसिक अस्पताल ले जाने के लिए कोई गार्ड मौजूद नहीं था। अंततः उसे 27 अक्टूबर 1999 को वाराणसी के मानसिक अस्पताल में स्थानांतरित किया गया अर्थात नौ महीनों के अंतराल के बाद। परिणामस्वरूप, पूरन सिंह की स्थिति बदतर हो गई थी, उसे 22 अगस्त 2000 को वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्ता अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्ता अस्पताल में चिकित्सी उपचार के दौरान दिनांक 29 अगस्त, 2000 को पूरन सिंह की मृत्यु हो गई। तथापि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दर्शाती है कि उसकी मृत्यु ''फेंफड़ों के संक्रमण के कारण हुए सेप्टिसेमिक शॉक'' के कारण हुई, हालांकि उसके शरीर पर पोस्टमॉर्टम से पहले कोई चोट के निशान नहीं थे।

4.11 आयोग ने दिनांक 7 जून 2010 की अपनी कार्रवाई में प्रेक्षण किया कि यह पता चल जाने कि पूरन सिंह मानसिक रूप से बीमार है, उसे मानसिक अस्पताल नहीं लेकर जाना मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। उसे मानसिक अस्पताल ले जाने में 10 महीने लगे। कारागार के अधिकारियों या स्टॉफ का ऐसा असंवेदनशील व्यवहार किसी भी कारावास में नहीं होना चाहिए। अतः आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निदेश दिया कि भविष्य में कारावासों में इस प्रकार का विलम्ब न हो, को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपचारी कदम उठाए जाएं।

4.12 आयोग ने इस प्रेक्षण के साथ मामले को बंद किया कि जब कभी भी मरीजों को अन्य अस्पतालों में तत्काल उपचार के लिए संबंधी अनुरोध किया जाता है तो सभी कारावासों में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अनुरोधों को त्वरित अनुमति दी जानी चाहिए तथा गार्डों की सेवा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसा करने से न केवल विलम्ब समाप्त होगा बल्कि कैदियों का गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन भी दूर होगा।

4. रोहिणी जिला जेल, नई दिल्ली में विचाराधीन कैदी ओम प्रकाश की मृत्यु
(मामला सं0 4915/30/9/07–08–जे सी डी)

4.13 नई दिल्ली के रोहिणी जिला कारावास के अधीक्षक ने दिनांक 20 दिसम्बर 2007 को वॉयरलैस के माध्यम से एक अभियोगाधीन कैदी ओम प्रकाश सुपुत्र तीजा महतो, आयु 23 वर्ष की दिनांक 20 दिसम्बर 2007 को रोहिणी जिला कारावास में ही मृत्यु हो जाने की सूचना दी। ओम प्रकाश को पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी, दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क/304 ख/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज मामला एफ0आई0आर0 सं0 1030/07 के संबंध में दिनांक 25 जून 2007 को जिला कारागार में डाला गया था। उसे आपात स्थिति में डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल, रोहिणी, नई दिल्ली ले जाने के लिए कहा गया था। तथापि, चिकित्सीय उपचार के दौरान ही दिनांक 20 सितम्बर, 2007 को ओम प्रकाश की मृत्यु हो गई।

4.14 यह भी पता चला है कि उसकी मृत्यु सिर पर लगने वाली चोट के कारण हुई थी जिसकी वजह से वह कोमा में चला गया था। किसी ने भी इस तथ्य का खुलासा नहीं किया तथा घटना की मजिस्ट्रेट जांच में भी यह पता चला कि उसकी मृत्यु अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई थी। उनका निष्कर्ष था कि जेल स्टॉफ की लापरवाही के कारण मृत्यु हुई।

4.15 इन परिस्थितियों के तहत आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(क)(प) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को बुलाते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के निकटम संबंधी को अभिरक्षा में हुई अप्राकृतिक मृत्यु के संबंध में मुआवजे की सिफारिश क्यों नही की जाए। मुख्य सचिव को की गई मजिस्ट्रेट जांच के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ–साथ छः सप्ताह के अंदर–अंदर एफ0आई0आर0, यदि कोई है, की स्थिति की रिपोर्ट भी भेजने का भी निदेश दिया गया।

4-16 इसके जवाब में पुलिस उपायुक्त, दिल्ली मुख्यालय ने अपने दिनांक 19 जुलाई 2010 के माध्यम से सूचित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक दंडनीय अपराध के लिए अपराध सं0 255/09 के तहत एक मामला पंजीकृत किया गया था जिसकी जांच अभी चल रही थी। यह भी बताया गया कि इस स्तर पर मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवजे के भुगतान की सिफारिश करना उचित नहीं होगा।

4-17 आयोग ने जवाब पर विचार करने के बाद यह पाया कि मृतक ओम प्रकाश, राज्य की देखभाल एवं अभिरक्षा में था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार सिर पर हुए तेज प्रहार के कारण आई सिर की चोटों के कारण मृत्यु हुई थी। मजिस्ट्रेट जांच करने वाले मजिस्ट्रेट ने भी निर्णय दिया कि यह एक अप्राकृतिक मृत्यु थी और यह संज्ञेय अपराध का स्पष्ट मामला है, जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए। परिणामस्वरूप, पुलिस स्टेशन समयपुर बादली में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एफ0आई0आर0 सं0 255/09 पंजीकृत की गई। मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से मृतक ओम प्रकाश के निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत के रूप में 5,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान करने तथा किए गए भुगतान के सबूत के साथ अनुपालन रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करने की सिफारिश की।

4-18 अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद आयोग द्वारा मामले को बंद कर दिया गया।

5. अभियोगाधीन कैदी देवनारायण मंडल की मधुबनी जिला कारागार, बिहार में मृत्यु (मामला सं0 3874/4/2004–05–सी.डी.)

4-19 दिनांक 4 फरवरी 2005 को मधुबनी जिला कारागार, बिहार से अभियोगाधीन कैदी देवनारायण मंडल की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और अपेक्षित रिपोर्ट मंगाने का निदेश दिया।

4-20 काफी लम्बे पत्राचार के बाद मधुबनी जिला कारावास के अधीक्षक ने दिनांक 19 जुलाई 2006 के पत्र के माध्यम से जांच–पड़ताल, पोस्टमॉर्टम तथा मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्टों की एक–एक प्रति प्रेषित की। जांच–पड़ताल कार्रवाई रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर किसी तरह की चोट नहीं लगने का पता चला। रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण दिल का दौरा, खून की कमी तथा लम्बे समय से चली आ रही फेंफड़ों की बीमारी था। मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट ने निर्णय दिया कि मृतक को बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल ले जाने में विलम्ब हुआ था और इसलिए उन्होंने जेल प्रशासन को दोषी माना।

4-21 परिणामतः बिहार सरकार के मुख्य सचिव को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि मृतक के निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत के भुगतान की सिफारिश क्यों न की जाए।

4-22 इसके जवाब में बिहार सरकार से दिनांक 29 अप्रैल 2010 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि मृतक के निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत प्रदान करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

4-23 तदनुसार, मृतक के निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत के रूप में 3,00,000/–रू0 का भुगतान किया गया।

4-24 बिहार सरकार द्वारा भुगतान किए जाने के सबूत की प्राप्ति के बाद मामले को बंद कर दिया गया।

6. अभियोगाधीन कैदी हरीश पटेल की केन्द्रीय कारागार अम्बिकापुर, जिला सुरगुजा, छत्तीसगढ़ में मृत्यु (मामला सं0 106/33/16/07–08)

4-25 केन्द्रीय कारागार अम्बिकापुर, जिला सुरगुजा, छत्तीसगढ़ के अधीक्षक ने आयोग को सूचना दी कि एक अभियोगाधीन कैदी हरीश पटेल, आयु 29 वर्ष की दिनांक 5 अप्रैल 2007 को उसके घर पर उस समय हत्या कर दी

गई जब वह उसे उसकी इच्छा से रक्तदान कराने के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था। जांच–पड़ताल एवं पोस्टमॉर्टम रिपोर्टों की जांच के बाद यह सामने आया कि पीड़ित की हत्या नहीं हुई थी बल्कि उसकी मृत्यु पांच आग्नेयास्त्र चोटों के कारण हुए आघात के कारण हुई थी जिनसे अंततः उसकी श्वसन प्रणाली नाकामयाब हो गई थी।

4-26 सुरगुजा के जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 28 मार्च 2009 के पत्र के माध्यम से सुरगुजा के डिप्टी कलैक्टर द्वारा की गई मजिस्ट्रेट जांच की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित की। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जब हरीश पटेल को कारावास के दो अन्य कैदियों के साथ रक्तदान के लिए ले जाया जा रहा था तो उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में गार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तीनों कैदियों को रक्तदान के लिए पैदल ही अस्पताल ले जाया जा रहा था। जेल वार्डन के फटकारने के बाद भी अपने घर गया। जेल वार्डन अन्य दो कैदियों के साथ उसके साथ गया। जब हरीश पटेल अपने घर में था तब उसके भाई विजय पटेल ने कुछ पारिवारिक रंजिश के कारण उस पर गोली चला दी जिसके कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

4-27 आयोग के अनुसार, मृतक हरीश पटेल राज्य की देखभाल एवं अभिरक्षा में था। उसे दो अन्य कैदियों के साथ जिला अस्पताल में रक्तदान के लिए ले जाया जा रहा था। मृतक ने अपने घर जाने की जिद की जहां उसके भाई ने उसकी हत्या कर दी। अतः मजिस्ट्रेट ने जेल अधिकारियों को उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(ग) के तहत छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर के मुख्य सचिव को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। उनसे मजिस्ट्रेट जांच के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में भी पूछा गया।

4-28 कारण बताओ नोटिस जारी करने और आयोग द्वारा अनुस्मारक जारी के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। आयोग ने दिनांक 23 अप्रैल 2010 को कारण बताओ नोटिस पर कोई जवाब नही मिलने के मामले पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास संभवतः कहने के लिए कुछ नहीं है। मृतक की मृत्यु अभिरक्षा में हुई है जो निश्चित ही उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन है। अतः आयोग ने मृतक के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत के रूप में 3,00,000/–रू0 की राशि का भुगतान करने के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव से सिफारिश की। मुख्य सचिव को निदेश दिया गया कि वे आठ सप्ताह के भीतर मृतक के निकटतम संबंधी को किए गए भुगतान का साक्ष्य भी प्रस्तुत करें।

4-29 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए भुगतान का सबूत प्राप्त हो जाने के बाद आयोग द्वारा मामले को बंद कर दिया गया।

7. अभियोगाधीन कैदी अब्दुल सत्तार की विशेष उप–कारागार दवनगेरे, कर्नाटक में मृत्यु (मामला सं0 440/10/2005–2006–सी.डी.)

4-30 विशेष उप–कारागार दवनगेरे, कर्नाटक के अधीक्षक ने दिनांक 27 जनवरी 2006 को आयोग को सूचित किया कि एक अभियोगाधीन कैदी अब्दुल सत्तार सुपुत्र अब्दुल वहाब, आयु 40 वर्ष की दिनांक 27 जनवरी 2006 को सी0जी0 अस्पताल, दवनगेरे में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। विशेष उप–कारागार दवनगेरे के अधीक्षक से प्राप्त दिनांक 2 नवम्बर 2010 की रिपोर्ट के अनुसार जब अब्दुल सत्तार को 16 दिसम्बर 2005 को जेल कारागार में डाला जा रहा था तब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।

4-31 आयोग के निदेशानुसार, राज्य सरकार से अब्दुल सत्तार की मृत्यु के वास्तविक कारणों तथा जांच–पड़ताल रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तथा मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट के साथ–साथ उसका समग्र चिकित्सा उपचार रिकार्ड भी मंगाया गया। जांच–पड़ताल सह मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट से पता चला कि गेस्ट्रो–इंटेस्टाइनल ट्रेक्ट ब्लीडिंग के कारण अब्दुल की मृत्यु हुई थी। मजिस्ट्रेट ने माना कि उसकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं हुई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी मृतक के शरीर पर बाहरी चोटों के कोई निशान नहीं पाए गए थे। चिकित्सा रिकार्ड से पता चला कि मृतक का 26 जनवरी 2006 से इलाज चल रहा था।

4-32 आयोग ने अपनी दिनांक 24 जनवरी 2011 की कार्रवाई के माध्यम से निदेश दिया कि जांच के लिए मृतक के चिकित्सा रिकार्ड की एक प्रति आयोग के पैनल के विशेषज्ञ को अग्रेषित की जाए, जो इस निर्णय पर पहुंचे कि अभियोगाधीन कैदी को दिनांक 16 जनवरी 2005 को जेल में डाला गया था तथा उस समय वह विभिन्न व्याधियों से पीड़ित था। तथापि, दिनांक 16 दिसम्बर 2005 से 25 जनवरी 2006 की अवधि के संबंध में अभियोगाधीन कैदी का कोई चिकित्सा उपचार रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। चूंकि उसके शरीर का निचला भाग फ्रेक्चर था इसलिए उसे दिनांक 26 जनवरी 2006 को प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाने के साथ–साथ चिकित्सा उपचार दिया गया था। उसी दिन उसने खून की उलटी की थी जिसके बाद उसे दवनगेरे के सी0जी0 अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां 27 जनवरी 2006 को प्रातः 2:15 बजे उसकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी दोनों आंखें पीली थीं और उसका लीवर बढ़ा हुआ था। मृत्यु का कारण ''हाईपो वॉल्यूमिक शॉक एण्ड सेप्टीकेमिया ड्यू टू ब्लीडिंग डुओडेनल अल्सर एण्ड लंग इन्फेक्शन'' बताया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से जो बातें पता चली उन पर आयोग ने यह पाया कि यह ''लीवर से बड़ा रोग का मामला लगता है जो अंततः पोर्टल हाईपरटेंशन में परिणत हो गया'' जो काफी लम्बे से विकसित होने वाली बीमारी है न कि अचानक होने वाली। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार केवल 26 जनवरी 2006 को मृतक को फ्रेक्चर होने और खून की उलटी होने के बाद उसे पहली बार अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सा विशेषज्ञ का यह विचार था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक को 16 दिसम्बर 2005 से 25 जनवरी 2006 तक जेल में रहने के दौरान विभिन्न प्रकार की व्याधियों के लिए पर्याप्त उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया है।

4-33 चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आयोग ने महसूस किया कि मृतक को जेल में डालने के समय राज्य प्राधिकारियों ने उसकी बीमारियों के संबंध में उसे समय पर उपचार उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती है। जेल अधिकारियों द्वारा मृतक को सही समय पर उपचार उपलब्ध न कराने के कारण उसकी असमय मृत्यु हो गई जो निश्चित रूप से उसके मानव अधिकार का उल्लंघन है। अतः आयोग ने कर्नाटक के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के निकटतम संबंधी को यथोचित आर्थिक राहत दी जाने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। कारण बताओ नोटिस के संबंध में कर्नाटक के मुख्य सचिव का उत्तर प्रतीक्षित है।

8. अभियोगाधीन कैदी मुरुगन की सलेम केन्द्रीय कारागार, तमिलनाडु में मृत्यु
(मामला सं0 69/23/31/09–10–जे.सी.डी.)

4-34 संदर्भित मामला एक अभियोगाधीन कैदी मुरुगन, आयु लगभग 42 वर्ष, जो पुलिस स्टेशन थलईवसल, सलेम में भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के तहत अपराध सं0 628/2008 के संबंध में सलेम केन्द्रीय कारागार, तमिलनाडु में कैद था, की दिनांक 1 दिसम्बर 2008 को हुई मृत्यु से संबंधित है। कारागार चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर मुरुगन को दिनांक 8 अप्रैल 2009 को सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सलेम में उपचार के लिए भेजा गया था लेकिन दिनांक 10 अप्रैल 2009 को उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं बताए गए हैं। तथापि, सिर की आंतरिक जांच से मस्तिष्क के दोनों गोलार्थ पर रक्तस्राव पाया गया। फिर भी रसायनिक आकलन रिपोर्ट प्रतीक्षित होने की वजह से मृत्यु के कारण का खुलासा नहीं किया गया। विसरा रिपोर्ट में भी कोई जहर नहीं पाया गया। अंततः ''मस्तिष्क रक्तस्राव–प्राकृतिक'' को ही मृत्यु का

कारण बताया गया।

4-35 सलेम के सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा की गई मजिस्ट्रेट जांच के दौरान मृतक के पुत्र ने कहा था कि उसके पिता का स्वास्थ्य बिलकुल ठीक था। एक दिन जब उसकी मां उसके पिता से मिलने जेल गई थी तो उसके पिता ने उसकी मां को बताया था कि पुलिस ने एक दिन पहले ही उसके दोनों कानों पर निर्दयतापूर्वक मारा है जिसके कारण उसे सुनाई नहीं दे रहा है। जांच के दौरान मृतक के एक अन्य संबंधी ने भी आशंका जताई कि पुलिस द्वारा मुरुगन के कानों की बेदर्दी से की गई पिटाई के कारण मुरुगन को सुनाई देना बंद हो गया होगा। अन्य कैदियों ने भी बताया कि पुलिस ने मुरुगन को 11 दिन तक हिरासत में रखा और प्रताड़ित किया था। जांच मजिस्ट्रेट ने निर्णय दिया कि मुरुगन को उन पुलिस कार्मिकों द्वारा निर्दयतापूर्वक मारा–पीटा गया था जो उसकी अभिरक्षा कार्रवाई के लिए जिम्मेदार थे। दोषी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई। हालांकि स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी, मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में फार्मासिस्ट एवं अस्पताल के डॉक्टर ने विशेषतरूप से कहा था कि जब मुरुगन को सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती किया गया था तो वह बेहोश था और उसके शरीर पर चोटें थीं।

4-36 आयोग ने रिपोर्टों की जांच के दौरान नोट किया कि पुलिस ने मृतक को न केवल निर्दयतापूर्वक मारा–पीटा बल्कि कारागार अधिकारियों की ओर से भी चिकित्सा लापरवाही की गई, जिसके लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। तदनुसार, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(क)(प) के तहत तमिलनाडु सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि वह छः सप्ताह के अंदर यह बताए कि मृतक के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत दिए जाने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। आयोग ने जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मामले की विस्तृत सी०बी०–सी०आई०–डी० जांच कराने के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रधान सचिव, गृह को निदेश भी जारी किए हैं।

4-37 तमिलनाडु सरकार की रिपोर्टें अभी प्रतीक्षित हैं।

9. अभियोगाधीन कैदी काकी श्रीनु की आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाड़ा उप–कारागार में मृत्यु (मामला सं0 740/1/5/08–09–जे.सी.डी.)

4-38 उपरोक्त मामले में, 31 वर्ष के अभियोगाधीन कैदी काकी श्रीनु को 4 अप्रैल 2008 को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाड़ा उप–कारागार में डाला गया था। अभियोगाधीन कैदी की दिनांक 19 दिसम्बर 2008 को मृत्यु हो गई। आयोग द्वारा मंगाए गई रिपोर्टों तथा दस्तावेजों से पता चला कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं थे। हालांकि ऑटोप्सी सर्जन का मानना था कि मृत्यु का कारण ''दोनों फेंफड़ों में संक्रमण; फेंफड़ों में टी0बी0 सहित ब्रॉन्को निमोनिया'' था। मृतक ''एच0आई0वी0 सेरो पॉजीटिव'' भी था, जो मृत्यु का सहज कारण है।

4-39 काकीनाड उप–कारावास के अधीक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक को 18 दिसम्बर 2008 से छाती में दर्द तथा सांस में तकलीफ थी और वह पिछले चार दिन से बुखार से पीड़ित था। उसे आवश्यक उपचार दिया गया था। दिनांक 19 दिसम्बर 2008 को लगभग प्रातः 11:40 बजे सांस न ले पाने की तकलीफ के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मजिस्ट्रट जांच में पता लगा कि मृतक एच0आई0वी0 सेरो–पॉजीटिव था और दोनों फेंफड़ों में हुए संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में यह भी पता चला कि अभियोगाधीन कैदी को पर्याप्त उपचार उपलब्ध कराया गया था।

4-40 अतः आयोग ने काकीनाडा उप–कारावास के अधीक्षक को मृतक का सारा चिकित्सा रिकार्ड अग्रेषित करने का निदेश दिया। इसके जवाब में अधीक्षक ने आयोग को सूचित किया कि अभियोगाधीन कैदी ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 तक अपने खराब स्वास्थ्य के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी इसलिए कारागार में कैदी का कोई चिकित्सा रिकार्ड नहीं है। चूंकि कैदी की मृत्यु 31 वर्ष की छोटी आयु में हुई है और जेल में डाले जाने के दौरान वह फेंफड़ों की सूजन से पीड़ित था और उसका वजन केवल 40 किलोग्राम था इसलिए किसी पैनलबद्ध डॉक्टर से विशेषज्ञ राय मांगी गई। विशेषज्ञ ने अपने दिनांक 5 अप्रैल 2011 की रिपोर्ट में कहा कि ''घटनाओं के कालक्रम पर विचार करते हुए मेरा यह मानना है कि जिस बीमारी से वह पीड़ित था, आठ महीने तक उस बीमारी से संबंधित कोई लक्षण न उभरे हों, और अचानक एक ही दिन में पीड़ित की मृत्यु हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। यहां तक कि जेल में डाले जाने के समय भी व्यक्ति की सांस में तकलीफ की शिकायत की थी लेकिन जेल प्राधिकारियों द्वारा उसे कोई चिकित्सा उपचार नहीं दिया गया। प्रथम दृष्टया यह चिकित्सा लापरवाही का मामला है जिसमें 31 वर्ष के युवा कैदी को आठ महीने की लम्बी अवधि तक कोई उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई''।

4-41 आयोग का मानना था कि चिकित्सीय लापरवाही सिद्ध हो गई है, राज्य मृतक के निकटमत संबंधी को मुआवजा देने के लिए बाध्य है। परिणामस्वरुप, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(क)(प) के तहत आंध्र प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

4-42 आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से कारण बताओ नोटिस का जवाब प्राप्त हो गया है की आयोग के साथ विचाराधीन है।

ifyl vfHkj{kk

10. पूर्वी खासी हिल्स जिला, मेघालय में मॉरिंगनेंग पुलिस चौकी में एक अवयस्क लड़के की कथित मृत्यु (मामला सं0 10/15/2/09–10–ए.डी.)

4-43 आयोग को दिनांक 11 मई 2009 को श्री सुहास चकमा, निदेशक, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण अभियान, जनकपुरी, नई दिल्ली से एक शिकायत प्राप्त हुई कि मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिला के पुरिआंग गांव में रहने वाले स्नगेलेम खारस्ती नामक एक 17 वर्षीय अवयस्क लड़के की दिनांक 9 मई 2009 को मॉरिंगनेंग पुलिस चौकी के हवालात में मृत्यु हो गई है। कहा जाता है कि मृतक सुंग घाटी से काम करने के बाद वापिस घर लौट रहा था। पुलिस वालों ने उसे टिफिन बैग में दाओ (तलवार) रखने के आरोप में पकड़ लिया। पुलिस ने जनता के सामने उसे सड़क पर बुरी तरह से मारा–पीटा और उसे कार में धकेल कर पुलिस चौकी ले गए। पुलिस चौकी में उसके उपर और अत्याचार किया गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पुलिस से शिलांग में सिविल अस्पताल ले गई जहां उसे डॉक्टर ने मृत लाया गया घोषित कर दिया। इस मामले की न्यायिक जांच, दोषी पुलिस कार्मिकों की गिरफ्तारी तथा मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवजा दिलाने के संबंध में आयोग के समक्ष गुहार लगाई गई थी। इस संबंध में आयोग को पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय के जिला मजिस्ट्रेट से एक सूचना भी प्राप्त हुई थी।

4-44 आयोग के निदेश के अनुसरण में पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 26 जून 2009 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग–44 पर पुरिआंग गांव में बहुत भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। उस ट्रैफिक जाम में नाम गोरंगा देब नाथ नामक एक ट्रक ड्राईवर ने मदद के लिए शोर मचाया कि उसे लूटा जा रहा है। जब तक पुलिस कार्मिक ट्रक तक पहुंचते दो बदमाश वहां से भाग गए थे। ट्रक ड्राईवर की मदद से किसी तरह एक बदमाश अर्थात स्नगेलेम खारस्ती को पकड़ा गया। इस दौरान ट्रक ड्राईवर तथा पकड़े गए

बदमाश को चोटें आईं। बदमाश को पूछताछ के लिए पुलिस चौकी ले जाया गया। उसके बाद उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत लाया हुआ घोषित कर दिया। मजिस्ट्रेट जांच के दौरान एक भी गवाह ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि मृतक को पुलिस ने मारा–पीटा था। तथापि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में तीन खंरोचों, सात भीतरी चोटों, तीन जगह चीर–फाड़, 14 गहरी खरोंच का खुलासा हुआ तथा छाती, अन्य अंगों तथा सिर पर लगी बहुत सारी चोटों के कारण हुए शॉक पेरीफेरल सर्कुलेटरी ऑब्सट्रक्शन और रक्तस्राव को उसकी मृत्यु का कारण बताया गया।

4-45 अतः मेघालय सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। राज्य सरकार ने अपने जवाब में पुलिस के वर्णन को ही दोहराया जिसमें कहा गया कि मृतक के संबंधियों के अलावा किसी अन्य ने स्नगेलेम खारस्ती की मृत्यु के लिए पुलिस को दोषी नहीं ठहराया है। इसके अलावा, यदि पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो कई अन्य नुकसान हो गए होते। स्नगेलेम खारस्ती के परिवार की दयनीय स्थिति पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने मृतक के निकटम संबंधी को मुआवजे के रूप में 2,00,000/–रू0 की राशि का भुगतान करने की घोषणा की।

4-46 पूर्वी खासी हिल्स के अपर जिला मजिस्ट्रेट की जांच के अनुसार ''घटना के संबंध में पुलिस का विवरण सही नहीं है'', आयोग ने दिनांक 1 दिसम्बर 2010 को हुई कार्रवाई में पाया कि राज्य सरकार के दावे में सच्चाई नहीं है। आयोग को वस्तुतः यह बहुत ही आश्चर्यजनक लगा कि कोई व्यक्ति ट्रैफिक जाम के दौरान विशेषतः इतने अधिक लोगों के बीच में लूटपाट करने की कोशिश कैसे कर सकता है। आयोग ने पाया कि अस्पताल ले जाने से पहले ही पीड़ित की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने भी पीड़ित को आई चोटों के प्रति गंभीर रुख नहीं अपनाया और उसे सीधे अस्पताल ले जाने की बजाय पुलिस चौकी ले गई। पीड़ित के प्रति पुलिस का समग्र दृष्टिकोण केवल उनकी निर्दयता को दर्शाता है। सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद आयोग ने मेघालय सरकार को मृतक के निकटतम संबंधी को 5,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान करने तथा राज्य सरकार द्वारा पहले से भुगतान किए गए 2,00,000/–रु0 की राशि को समायोजित करने की सिफारिश की।

4-47 मेघालय सरकार, मृतक के निकटतम संबंधी को 3,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई है। तथापि, राज्य सरकार की ओर से किए गए भुगतान का साक्ष्य अभी प्रतीक्षित है।

11. जिला करनाल, हरियाणा के मधुबन पुलिस स्टेशन में भुवन दत्त की मृत्यु
(मामला सं0 1771/7/10/07–08–पी.सी.डी.)

4-48 आयोग को दिनांक 3 सितम्बर, 2007 को करनाल, हरियाणा के सहायक पुलिस अधीक्षक से सूचना प्राप्त हुई कि हरियाणा के जिला करनाल में मधुबनी पुलिस स्टेशन की अभिरक्षा में दिनांक 3 सितम्बर, 2007 को भुवन दत्त नामक एक 17 वर्षीय लड़के की मृत्यु हो गई है। मृतक ने अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली थी। मधुबन के एक निवासी संजीव कुमार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302/301/34 के तहत दिनांक 27 जुलाई 2007 को दर्ज मामला सं0 115 के संबंध में मृतक को दिनांक 1 सितम्बर 2007 को मधुबन पुलिस स्टेशन में लाया था। भुवन दत्त ने उसी दिन अपने उपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। इसके बाद उसे 2 सितम्बर, 2007 को रोहतक में पी0जी0आई0एम0एस0 में भर्ती कराया गया जहां उसने 3 सितम्बर 2007 को दम तोड़ दिया।

4-49 मामले को संज्ञान में लेते हुए, आयोग ने अपने महानिदेशक (अन्वेषण) को भुवन दत्त की मृत्यु से संबंधित सभी तथ्यात्मक विवरण एकत्रित करने और तदनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक की मृत्यु जलने के कारण आई चोटों से हुई है जो सामान्य स्थिति में मनुष्य को मृत्यु के घाट

उतारने में पर्याप्त हैं। सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में दावा किया गया कि मृतक द्वारा मरने से पहले दिए गए रिकार्डिड बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अपने आप को स्वयं जलाने के कारण मरा है तथा उसकी मृत्यु में कोई संशय की स्थिति नहीं है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मरते समय रिकार्ड किए गए मृतक के बयान के अनुसार, मृतक ने पुलिस के खिलाफ गंभीर अत्याचार के आरोप लगाए हैं और कहा है कि एक इंस्पेक्टर पवन ने उसे आग लगाई थी।

4.50 आयोग ने सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट की गंभीर खामी, जिसमें पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मरते समय रिकार्ड किए गए मृतक के बयान को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, को नोट किया। मृतक ने मरते समय दिए गए बयान में उल्लेख किया था कि इंस्पेक्टर पवन ने उसे आग लगाई थी। आयोग ने कहा कि मरने से पूर्व दिए गए बयान तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर उसे विश्वास हो गया कि मधुबन पुलिस स्टेशन के पुलिस कार्मिकों ने मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है जिसके कारण भुवन दत्त की मृत्यु हो गई। आयोग ने हरियाणा सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया है कि मृतक के निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत प्रदान करने की सिफारिश क्यों नही की जाए। आयोग ने इस मामले में एक सी0बी0–सी0आई0डी0 जांच शुरु करने की भी सिफारिश की है।

4.51 आयोग द्वारा जारी किए गए अनेकों अनुस्मारकों के बावजूद भी हरियाणा सरकार को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में हरियाणा सरकार से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था। आयोग ने दिनांक 28 अक्टूबर 2011 को हुई अपनी कार्रवाई के माध्यम से मृतक के निकटतम संबंधी को 5,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान करने तथा भुगतान के सबूत सहित अनुपालन रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करने के लिए हरियाणा राज्य से सिफारिश की है।

4.52 हरियाणा सरकार द्वारा मृतक के निकटमत संबंधी को किए गए 5,00,000/–रु0 के भुगतान के संबंध में आयोग को साक्ष्य प्राप्त हो गया है। तथापि, इस मामले में सी0बी0–सी0आई0डी0 की जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

12. धरमवती दयाल की उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में कोतवाली पुलिस स्टेशन में मृत्यु (मामला सं0 20678/24/2004–2005)

4.53 आयोग को पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट से सूचना प्राप्त हुई कि धरमवती नाम की एक महिला जो रामेश्वर दयाल की धर्मपत्नी थीं, की दिनांक 4 अगस्त 2004 को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में कोतवाली पुलिस स्टेशन में मृत्यु हो गई है।

4.54 मामले को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने अपने महानिदेशक (अन्वेषण) को संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट एकत्रित करने का निदेश दिया। इसके जवाब में पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक से एक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने मृतक महिला को प्रताड़ित नहीं किया था। हालांकि स्थानीय पुलिस पार्टी एक अपहरण के मामले में दिनांक 3 अगस्त 2004 को उसके घर गई थी। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जब पुलिस रामेश्वर दयाल के घर पहुंची तो उसकी पत्नी धरमवती, आयु 45 वर्ष, भागने की कोशिश में दीवार से टकरा कर गिर गई। जिसकी लिए उसे आंख की भौं के उपर चोट आई थी। महिला ने कमजोरी के कारण दिनांक 4 अगस्त 2004 को प्राण त्याग दिए क्योंकि उसे परिवार ने उसे उचित चिकित्सा से वंचित रखा था। महिला की मृत्यु के बारे में पुलिस स्टेशन में किसी ने सूचित नहीं किया।

4-55 तथापि, धरमवती के पति, रामेश्वर दयाल द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के आधार पर दिनांक 4 अगस्त 2004 को शरीर का पंचनामा और पोस्टमॉर्टम किया गया। दिनांक 6 अगस्त 2004 को बिलासपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/304/34 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(अ) के तहत एक मामला रजिस्टर किया गया। इसके अतिरिक्त, मामले की जांच राज्य सी0बी0–सी0आई0डी0 को सौंपी गई।

4-56 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक के चेहरे की दायीं ओर घिसट और गुमचोट के बारे में इशारा किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि मृत्यु का कारण पता नहीं चल पाया है इसलिए विसरा को सुरक्षित रखा गया है। आयोग ने विसरा रिपोर्ट के साथ–साथ सी0बी0–सी0आई0डी0 द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट को मंगाया। पुलिस अधीक्षक, सी0बी0–सी0आई0डी0 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मामले में जांच एवं कानूनी औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के बाद दिनांक 20 अक्टूबर 2008 को दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक चार्जशीट दायर की गई थी।

4-57 आयोग ने इस तथ्य को नोट किया कि पुलिस ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/204/34 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(अ) के तहत मामला सं0 498/2004 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में चार्ज शीट दायर की, जो स्वयं इस बात का संकेत है कि पुलिस ने स्वयं भी इन व्यक्तियों को धरमवती की मृत्यु के लिए दोषी माना है। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी पूछा है कि क्या मृतक के निकटतम संबंधी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत कोई राहत प्रदान की गई है। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी पूछा है कि क्या मृतक के निकटम संबंधी को आर्थिक राहत प्रदान की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया इसलिए आयोग ने अपनी दिनांक 26 अगस्त 2010 की कार्रवाई में सिफारिश करते हुए कहा कि मृतक के निकटतम संबंधी को 5,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान किया जाए।

4-58 आयोग, मामले की मॉनीटरिंग कर रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भुगतान के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

13. असलम कमरुद्दीन शेख की महाराष्ट्र के पुणे जिला में ओतुर पुलिस स्टेशन में मृत्यु (मामला सं0 1122/13/2005–2006)

4-59 आयोग को पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 24 दिसम्बर, 2005 को 31 वर्षीय असलम कमरुद्दीन शेख की मृत्यु हो गई है। सूचना के अनुसार, मृतक पुणे का निवासी था और उसे दिनांक 24 दिसम्बर, 2005 को सुबह 3:00 बजे एक मोटरसाईकिल की चोरी के शक में ओतुर पुलिस स्टेशन लाया गया था। तथापि, उसने प्रातः 9:30 बजे पुलिस स्टेशन के कमरे में ही कंबल के किनारे को अपने गले से बांधकर आत्महत्या कर ली।

4-60 मामले को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने अपने महानिदेशक (अन्वेषण) से मामले के संबंध में अपेक्षित रिपोर्ट एकत्रित करने का निदेश दिया। जांच–पड़ताल रिपोर्ट से पता चला कि मृतक के गले के दाहिनी ओर खंरोच के साथ–साथ गर्दन के चारों ओर एक सफेद निशान था। मृतक के कंधों पर लाल निशान थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर घिसट, खंरोच तथा नील के 13 चोटें थीं। मृत्यु का कारण गर्दन दबने की वजह से सांस रुक जाना बताया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में स्पष्ट चोटों का भी उल्लेख किया गया था। तथापि, विसरा रिपोर्ट में कोई

जहर नहीं पाया गया। राज्य सी0बी0–सी0आई0डी0 ने मामले के संबंध में की गई जांच के निष्कर्ष में कहा कि पुलिस कार्मिक विधिविरुद्ध गिरफ्तारी के दोषी हैं क्योंकि वे मृतक से यह कबूल करवाना चाहते थे कि उसने मोटरसाईकिल चुराई है। हैड कांस्टेबल लोहकरे ने मृतक असलम कमरुद्दीन शेख के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग किया। एक अन्य हैड कांस्टेबल छिवे तथा हैड कांस्टेबल पोखरकर ने मृतक को न केवल बंदी बनाया बल्कि उसे प्रताड़ित भी किया और पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी में न तो कोई प्रविष्टि की और न ही संबंधित मजिस्ट्रेट को चोरी के बारे में सूचना दी। यह भी पाया गया कि हैड कांस्टेबल पोखरकर ने एक लोकसेवक होने के नाते विधि के कानून की अवहेलना की और जनरल डायरी में संगत प्रविष्टि किए बिना ही पुलिस स्टेशन में चोरी की पांच मोटरसाईकिलों को रखा। राज्य सी0बी0–सी0आई0डी0 ने तीन पथभ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक आपराधिक मामला रजिस्टर किया। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और बाद में चार्जशीट किया गया। इसके बाद, सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपी पुलिस कार्मिकों को इस आधार पर रिहा कर दिया कि इस मामले में पुलिस कार्मिकों के अभियोजन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत पूर्वानुमति नहीं ली गई थी।

4-61 आयोग का यह मानना है कि राज्य सी0बी0–सी0आई0डी0 द्वारा की गई जांच–पड़ताल में यह स्पष्ट उजागर होता है कि मृतक पुलिस अभिरक्षा में हुई मानव हत्या है और इसलिए राज्य, मृतक के परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य है। तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनसे जवाब मांगा गया कि मृतक के निकट संबंधी को आर्थिक राहत क्यों नहीं प्रदान की जाए। मामले में महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं होने पर आयोग ने अपनी दिनांक 5 जनवरी 2011 की कार्रवाई के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को मृतक असलम कमरुद्दीन शेख के निकट संबंधी को आर्थिक राहत के रूप में 3,00,000/–रू0 का भुगतान करने की सिफारिश की।

4-62 आयोग, मामले की मॉनीटरिंग कर रहा है क्योंकि महाराष्ट्रा सरकार की ओर से भुगतान के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

14. ज्योति रचना की आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम के ओंगोले टाउन II पुलिस स्टेशन में मृत्यु (मामला सं0 428/1/17/09–10–पी.सी.डी.)

4-63 पुलिस अधीक्षक ने आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम के ओंगोले टाउन II पुलिस स्टेशन में हुई ज्योति रचना नामक महिला की मृत्यु के बारे में आयोग को सूचित किया। मृतक की आयु लगभग 32 वर्ष थी तथा उसे एक गुमशुदा लड़की अनु, सुपुत्री बोल्ला वेंकटेश्वरलु के बारे में पूछताछ के लिए 20 सितम्बर 2009 को पुलिस स्टेशन में लाया गया था। उसका पति तथा ढाई साल का बेटा भी उसके साथ पुलिस स्टेशन आया था। रात्रि को लगभग 10:00 बजे उसका पति अपने पुत्र के साथ भूतल पर आया था क्योंकि उसका बेटा सो नहीं रहा था और लगभग 10:30 रात्रि को वह प्रथम तल पर वापिस गया था। वापिस जाकर उसने अपनी पत्नी को छत के पंखे से अपने दुपट्टे से लटका हुआ देखा। उसके पति ने तत्काल ही पुलिस को सूचना दी और उसकी पत्नी को ओंगोले के राजम्मा मल्टी स्पेशियेलिटी अस्पताल ले जाया गया। तथापि, अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा किए गए भरकस प्रयासों के बाद भी ज्योति रचना को बचाया न जा सका। मृतक के पति की शिकायत पर ओंगोले टाउन II पुलिस स्टेशन में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में आयोग को भी ह्यूमन राईट्स ऑबजर्वर, नई दिल्ली के मुख्य संपादक से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

4-64 मामले का संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपने महानिदेशक (अन्वेषण) को इस मामले में संबंधित प्राधिकारियेां से अपेक्षित रिपोर्टें एकत्रित करने का निदेश दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि मृतक के शरीर पर दो जगह चोट के निशान थे – (1) एक दाहिने एक्सिल क्षेत्र के नीचे सीधी रेखा में बहुत सारी खंरोच (2) गर्दन के सामने की ओर 28 से0मी0 लंबा तथा 2.0 से0मी0 चौड़ा पट्टी का निशान। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार लटकने के कारण मृत्यु हुई थी। मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में भी यह उजागर हुआ कि मृतक ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कारण हुई ग्लानि के चलते आत्महत्या की और यह विचार भी प्रकट किया कि यह पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ। मजिस्ट्रेट ने इंगित किया कि न केवल ज्योति रचना की गिरफ्तारी कानून के विरुद्ध थी बल्कि वहां मौजूद रहने वाले होम गार्डस ने भी साक्ष्य के दौरान कहा कि जब मृतक ने अपने आप को लटकाया था तो वे उपस्थित नहीं थे। एक गार्ड के बयान ने यह उजागर किया है कि ज्योति को एक बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया कि घटना के समय वह घटनास्थल पर मौजूद थी। ज्योति ने उस समय पर अपनी उपस्थिति बताने से इंकार कर दिया लेकिन उप–निरीक्षक ने बलपूर्वक उसके हस्ताक्षर करवाए। इस प्रकार के साक्ष्य मिलें हैं कि मृतक को एक पृथक सैल में नहीं रखा गया था तथा यह स्पष्ट था कि मृतक को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था जिसके कारण वह आत्महत्या करने को बाध्य हुई। इसके अतिरिक्त, उसे सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार किया गया था जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 46(4) का उल्लंघन है क्योंकि उक्त धारा में विनिर्दिष्ट है कि किसी महिला को सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि किसी अपवाद में गिरफ्तारी की जानी आवश्यक है तो उस प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, जिसके न्यायक्षेत्र में अपराध घटित हुआ है की पूर्वानुमति सहित गिरफ्तारी की जा सकती है। इसलिए, यह गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों के खिलाफ थी। मजिस्ट्रेट ने इस मामले में पुलिस की लापरवाही को भी इंगित किया।

4-65 सभी तथ्यों की जांच के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा मृतक को लगातार प्रताड़ित करना तथा उसे अलग बंदीगृह में नहीं रखने के कारण ही उसने आत्महत्या करने जैसा बड़ा कदम उठाया। आयोग ने पाया कि इस मामले में मृतक के निकटम संबंधी को आर्थिक राहत जरूर मिलनी चाहिए और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आयोग ने मृतक ज्योति रचना के निकटतम संबंधी को 2,00,000/–रु0 की आर्थिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश की।

4-66 इस मामले में भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

15. अरुण कुमार सिंह की पटना, बिहार में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के कारण हुई मृत्यु (मामला सं0 180/4/2002–2003–ए.डी.ख्एल/एफ.188/4/2000–2001–सी.डी. ,)

4-67 आयोग को दिनांक 9 अप्रैल, 2002 को बिहार में मोहल्ला भिकना पहाड़ी, धरहारा कोठी, पुलिस स्टेशन कदमकुआ, पटना के निवासी मुन्ना उर्फ प्रियरंजन से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिनांक 18 अप्रैल 2000 को आलमगंज पुलिस स्टेशन के पुलिस कार्मिक उसके छोटे भाई अरुण कुमार सिंह को एक चोरी में शामिल होने की वजह से उठाकर ले गए थे और उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। अगले दिन अर्थात 19 अप्रैल 2000 को उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इसके बाद उसे बेउर केन्द्रीय जेल में घायल अवस्था में ही डाल दिया गया। उसकी बिगड़ती हुई सेहत को देखते हुए उसे दिनांक 20 अप्रैल, 2000 को पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी अच्छी तरह से जांच नहीं की और उसे उसी दिन वापिस जेल भेज दिया। दिनांक 22 अप्रैल, 2000 को प्रातः लगभग 8:00 उसकी जेल में ही मृत्यु हो गई। शिकायत के अनुसार पीड़ित की मृत्यु चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण हुई।

4-68 समन की गई रिपोर्टों की प्राप्ति के बाद आयोग ने दिनांक 31 दिसम्बर 2008 की अपनी कार्रवाई में यह प्रेक्षण किया कि जब दिनांक 19 अप्रैल 2000 को मृतक अरुण कुमार सिंह को बेउर सेंट्रल जेल में डाला गया तो वह घायल अवस्था में था। जेल में डाले जाने से एक दिन पहले वह पुलिस अभिरक्षा में था। इस परिस्थितियों में सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट, सदर, पटना ने दिनांक 22 जुलाई 2002 की संयुक्त रिपोर्ट में यह सही पाया है कि चोटें पुलिस द्वारा की गई पिटाई के कारण आई हैं। कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है जो इंगित करता हो कि मृतक को पुलिस अभिरक्षा के दौरान चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया गया था। यहां तक कि जेल में डालने के बाद भी उसे पर्याप्त चिकित्सा उपचार नहीं मिला। उसे दिनांक 20 अप्रैल, 2000 को पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया था लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सही जांच नहीं की गई। उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया और उसी दिन ही वापिस जेल भेज दिया गया। दो दिन के बाद वह अपनी चोटों से हार गया और उसने दम तोड़ दिया। यह सभी तथ्य कारावास अधिकारियों तथा डॉक्टरों की उपेक्षा को दर्शाते हैं। मृतक को पहले पुलिस द्वारा पीटा गया और फिर उसे उचित चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई।

4-69 इसके परिणामस्वरूप आयोग ने बिहार सरकार से मृतक अरुण कुमार सिंह के निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत के रुप में 2,00,000/–रु0 की राशि का भुतगान करने की सिफारिश की है।

4-70 बिहार सरकार की ओर से भुगतान किए जाने का सबूत प्राप्त हो जाने पर आयोग द्वारा मामले को बंद कर दिया गया।

16. उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस द्वारा फतेहपुर जिला कारावास के दो अभियोगाधीन कैदियों की हत्या (मामला सं0 43224/24/2005–2006–सी.डी.)

4-71 आयोग को दिनांक 11 मार्च, 2006 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला कारावास के अधीक्षक से एक सूचना प्राप्त हुई कि दो अभियोगाधीन कैदी नामतः महाराजदेन यादव तथा सतीश मौर्य को अस्पताल ले जाते हुए उनकी हत्या हो गई है। समन की गई रिपोर्टों से उजागर हुए तथ्यों से पता चला कि दो अभियोगाधीन कैदियों को दिनांक 7 मार्च 2006 को पुलिस सुरक्षा के तहत इलाज के लिए इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल भेजने के बहाने फतेहपुर जिला कारावास से बाहर निकाला गया था। लेकिन उन्हें निःशुल्क ईंट प्राप्त करने के लिए एक ईंट के भट्टे के मालिक को डराने के लिए ईंट के भट्टे पर ले जाया गया। ईंट के भट्टे के मालिक ने निःशुल्क ईंट देने से मना कर दिया और परिणामस्वरूप वहां एक संघर्ष शुरू हो गया जिसमें दोनों अभियोगाधीन कैदी मारे गए। घटना की जांच करने वाले सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट, खागा ने पाया कि दो अभियोगाधीन कैदियों को जानबूझ कर के0पी0 सिंह, जिला कारावास के उपाधीक्षक; डॉ0 जयकरण, कारावास के मेडिकल ऑफिसर; तथा निरीक्षक राजेन्द्र पाल सिंह के साथ–साथ फतेहपुर जिला कारावास के अधीक्षक पारसनाथ सिंह द्वारा रचे गए षडयंत्र के तहत ईंट के भट्टे पर ले जाया गया था। उन्होंने फतेहपुर जिला कारावास के उपाधीक्षक के0पी0 सिंह सहित ग्यारह व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

4-72 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार ने सूचित किया कि पुलिस स्टेशन धाता में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 302, 386, 120–8 के तहत आपराधिक मामला सं0 14/2006 दर्ज किया गया है तथा मामले की जांच पूरी हो जाने पर न्यायालय में एक चार्ज–शीट भी दायर की गई। महानिरीक्षक (कारावास) ने आयोग को अपने दिनांक 12 फरवरी, 2009 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि के0पी0 सिंह, उपाधीक्षक, चार्ज–शीट किए गए आरोपियों में से एक है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि के0पी0 सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

4-73 फतेहपुर जिला में फास्ट ट्रैक न्यायालय नं0 1 ने आपराधिक मामला सं0 14/2006 में तीन आरोपियों को पहले ही दोषसिद्ध करार कर दिया है। दो अभियोगाधीन कैदियों को रिहा करने वाले उपाधीक्षक को भी आरोपी माना गया है लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उसके विचारण पर स्थगन आदेश दिया गया है।

4-74 चूंकि यह मामला उच्च न्यायालय में चला गया था इसलिए आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

17. पुलिस द्वारा असम के जिला कछार में सिलचर में मोताहीर अली की मृत्यु (मामला सं0 130/3/2/2007–2008–पी.सी.डी.)

4-75 आयोग को दिनांक 23 सितम्बर, 2007 को असम के जिला कछार में सिलचर के पुलिस उपायुक्त से एक सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 2007 को सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाते समय मोताहीर अली सुपुत्र स्व0 अक्कादस अली, आयु 45 की अभिरक्षा में मृत्यु हो गई है।

4-76 आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में जिला कछार, सिलचर के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त हुई दिनांक 27 फरवरी, 2008 की रिपोर्ट में कहा गया था कि 20 सितम्बर, 2007 को पुलिस को दो पक्षों के बीच में संघर्ष की सूचना मिली थी और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस दल को शहाबुद्दीन तथा मोताहीर अली जख्मी हालत में जमीन पर पड़े हुए मिले। दोनों को तत्काल ही चिकित्सा उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया। असम के कछार जिले के काटीगोराह पुलिस स्टेशन में बिमल चन्द्र द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 341/325/326/457/354/34 के तहत एक एफ0आई0आर0 भी रजिस्टर की गई। इसके कुछ देर बाद इसी पुलिस स्टेशन में हजिआर बेगम द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 325/326/34 के तहत एक प्रतिरोधी एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गई। उक्त मामले में मोताहीर अली तथा दो अन्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और चिकित्सा जांच के बाद पुलिस चौकी ले जाया गया। दिनांक 21 अक्टूबर, 2007 को पुलिस चौकी प्रभारी ने गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्तियों को न्यायालय भेजने के लिए उनके खिलाफ चालान तैयार किया। उन्हें कार्रवाई के तहत चिकित्सीय जांच के लिए भी ले जाया गया। सिलचर न्यायालय ले जाने हेतु वाहन का प्रबंध करते समय मोताहीर अली अचानक ही बेहोश हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के एक डॉक्टर द्वारा उसकी जांच की गई और एक बार फिर सिलचर मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल भेजा गया जहां ड्यूटी पर तैनात मेडिकल ऑफिसर ने उसे मृत लाया गया घोषित कर दिया।

4-77 पोस्टमॉटर्म की रिपोर्ट से पता चला कि शरीर पर घातक बल प्रयोग से लगी चोटों के निशान थे। मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में भी यह खुलासा हुआ कि पुलिस द्वारा मृतक पर अमानवीय अत्याचार किया गया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(क)(प) के तहत असम सरकार के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी किया कि मृतक के निकट संबंधी को मुआवजा की सिफारिश और भुगतान क्यों नहीं किया जाए।

4-78 आयोग द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(क)(प) के तहत भेजे गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने मृतक के निकट संबंधी को मुआवजे का भुगतान करने के संबंध में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।

4-79 आयोग ने अपनी दिनांक 12 अगस्त, 2010 की कार्रवाई के माध्यम से असम सरकार से मृतक मोताहीर अली के निकट संबंधी को आर्थिक राहत के रूप में 5,00,000/–रू0 का भुगतान करने की सिफारिश की।

4-80 असम सरकार की ओर से किए गए भुगतान के सबूत के साथ अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

18. चंडीगढ़ में पुलिस लापरवाही के कारण अनिल कुमार की मृत्यु
(मामला सं0 53/27/0/07–08–पी.सी.डी.)

4-81 दिनांक 12 जुलाई 2007 को संघ शासित क्षेत्र प्रशासन चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आयोग को सूचित किया कि दिनांक 11 जुलाई 2007 को सुरजीत कौर तथा अन्य लोगों ने संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए एक व्यक्ति को पकड़ कर चंडीगढ़ के मणिमाजरा पुलिस स्टेशन के उप–निरीक्षक नरेन्दर सिंह के साथ कांस्टेबल हरपिन्दर सिंह के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन में बाद में 2:45 बजे अपराह्न में प्रविष्टि भी कर दी गई। संदिग्ध व्यक्ति ने अपना नाम अनिल कुमार तथा मकान नं0 375, इन्दिरा कॉलोनी, मणिमाजरा का निवासी बताया। जांच करने पर पता चला कि उक्त पते पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। तथापि, और पूछताछ करने पर उसने एक अन्य पता बताया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही थी तो उप–निरीक्षक नरेन्दर सिंह के कमरे में एक अन्य व्यक्ति बृह्मपाल सुपुत्र तेलु राम भी उपस्थित था। पूछताछ के दौरान अनिल कुमार अचानक ही प्रथम तल पर स्थित कमरा सं0 9 के सामने की तरफ से नीचे कूद पड़ा और उसे काफी चोटें आईं। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन 11 जुलाई, 2007 को उपचार के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई।

4-82 मामले पर विचार करते हुए आयोग ने दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 यह पाया कि इस मामले में इस तथ्य के मद्देनजर किसी अन्य चीज की आवश्यकता शेष नहीं है कि पुलिस ने मामले की जांच की और 10 अगस्त 2007 को उप–निरीक्षक नरेन्दर सिंह के खिलाफ एक चार्जशीट भी दायर की। उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यह भी देखा गया कि उप–निरीक्षक नरेन्दर सिंह को दिनांक 9 नवम्बर, 2009 को धारा 304(पप) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया था और उसे अपर सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा दो वर्ष के कारावास के साथ–साथ 20,000/–रु0 के जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस की उदासीनता के कारण एक मनुष्य की जान चली गई।

4-83 इस परिस्थितियों में आयोग ने निदेश दिया कि संघ शासित क्षेत्र प्रशासन चंडीगढ़ के मुख्य प्रशासक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि मृतक अनिल कुमार के निकट संबंधी को आर्थिक राहत का भुगतान क्यों न किया जाए।

4-84 आयोग ने अपनी दिनांक 2 फरवरी, 2011 की कार्रवाई में संघ शासित क्षेत्र प्रशासन चंडीगढ़ के गृह सचिव से प्राप्त जवाब पर विचार किया और संघ शासित क्षेत्र सरकार से मृतक अनिल कुमार के निकट संबंधी को 5,00,000/–रु0 का भुगतान करने की सिफारिश की। मामले में अनुपालन रिपोर्ट तथा किए गए भुगतान के सबूत अभी प्रतीक्षित हैं।

vèk & lfud@lU;cy vfHkj{kk

19. त्रिपुरा में सेना द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण हुई रथजॉय रींग की मृत्यु
(मामला सं0 20/23/2002–2003–ए.एफ.)

4-85 आयोग को दिनांक 19 जुलाई 2002 को जनकपुरी, नई दिल्ली के एशियन इंडीजीनियस एण्ड ट्राईबल पीपुल्स नेटवर्क के कोऑर्डिनेटर सुहास चकमा से एक शिकायत प्राप्त हुई कि असम राईफल्स द्वारा जून 2002 में तीन अन्य व्यक्तियों सहित रथजॉय रींग नाम के जनजातीय युवक को अभिरक्षा में लिया गया था। बाद में चारों को छोड़ दिया गया था। कुछ दिनों के बाद रींग को एक बार फिर अभिरक्षा में लिया गया। यह आरोप लगाया गया कि

रींग पर अत्याचार किए गए जिसके कारण दिनांक 25 जून 2002 को उसकी मृत्यु हो गई। कंचनपुर, उत्तरी त्रिपुरा के सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा एक जांच की गई। असम राईफल्स ने स्पष्टीकरण दिया कि हालांकि मृतक को अभिरक्षा में लिया गया था, वो किसी प्रकार भागने में सफल हुआ और इसी प्रक्रिया में नहर में गिर गया और मर गया। पुलिस जांच भी की गई और पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट में असम राईफल्स के दो व्यक्तियों पर विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया है, हालांकि अभियोजन की स्वीकृति प्रतीक्षित है। अतः दोषी लोक सेवकों के खिलाफ निष्पक्ष जांच तथा कार्रवाई के लिए और मृतक के परिवार के लिए मुआवजा दिलाने हेतु आयोग के समक्ष प्रार्थना की गई।

4-86 मामले से संबंधित सभी तथ्यों की जांच के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 23 अगस्त, 2010 की कार्रवाई यह पाया किया कि यह तथ्य कि असम राईफल्स के अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचार के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, को देखते हुए मृतक रथजॉय रींग के निकट संबंधी को आर्थिक राहत की सिफारिश करना पूर्णतः उचित है। तदनुसार, आयोग ने रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से मृतक रथजॉय रींग के निकटत संबंधी को आर्थिक राहत के रुप में 5,00,000/–रु0 का भुगतान करने की सिफारिश की।

4-87 आयोग की सिफारिशों का अनुपालन हो जाने के बाद मामले को बंद कर दिया गया।

[k½ voSèk fxjQ~rkjh rFkk i~rkM+uk

20- उत्तर प्रदेश के जिला चन्दौली में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के कारण एक दलित रमाशंकर राम की मृत्यु (मामला सं0 30182/24/19/2010–ए.डी.)

4-88 शिकायतकर्ता अर्थात ह्यूमन राईट्स इमरजेंसी हेल्पलाईन एसोसिएशन नामक एक गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष ने चन्दौली के थाना सकलदिहा में पुलिस की पिटाई के कारण हुई एक दलित रमाशंकर राम की मृत्यु की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया। शिकायत के अनुसार दिनांक 29 जुलाई, 2010 को रात्रि के लगभग 8:00 बजे उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले में सकलदिहा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा रमाशंकर राम नामक एक दलित व्यक्ति को घर से उठाया गया और पुलिस अभिरक्षा में उसे प्रताड़ित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अगली सुबह अर्थात 30 जुलाई, 2010 को रमाशंकर राम की मृत्यु हो गई। आयोग ने दिनांक 11 अगस्त 2010 को मामले को संज्ञान में लिया और अपने महानिदेशक (अन्वेषण) से एक स्थल जांच–पड़ताल टीम नियुक्त करने का अनुरोध किया।

4-89 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में आयोग के अन्वेषण प्रभाग की एक टीम को मामले के संगत तथ्य एकत्रित करने के लिए नियुक्त किया गया। टीम द्वारा प्रस्तुत की गई एक विस्तृत रिपोर्ट में यह कहा गया कि दिनांक 29 जुलाई 2010 को शाम 7:25 बजे मृतक रमाशंकर राम का भाई अपनी घायल मां के साथ अपने भाई रमाशंकर के खिलाफ एफ0आई0आर0 सं0 2010 का 86 दर्ज कराने के लिए सकलदिहा पुलिस स्टेशन गया था। उप–निरीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस टीम शाम 7:45 बजे घटनास्थल पर पहुंची और रमाशंकर राम को अभिरक्षा में लिया। दुर्भाग्य से पुलिस द्वारा रमाशंकर को प्रताड़ित किया गया। परिणामतः उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सकलदिहा में रात्रि 8:15 बजे बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया। बाद में उसे उपचार के लिए चन्दौली जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत लाया हुआ घोषित कर दिया गया।

4-90 आयोग ने यह देखा कि पुलिस द्वारा मृतक रमाशंकर राम को प्रताड़ित करने का यह बहुत ही असाधारण मामला है। मृतक को पुलिस द्वारा उसके घर से उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां उसे शारीरिक

रूप से प्रताड़ित किया गया जिसके कारण उसकी मौत हुई। आयोग का मानना है कि ''यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि रमाशंकर राम की मृत्यु, पुलिस अभिरक्षा में पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचार के कारण हुई, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है'', आयोग ने निदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 102 के तहत दर्ज मामला सं0 146/2010 की जांच सी0बी0–सी0आई0डी0 द्वारा करवाने और जांच की रिपोर्ट इस आयोग को सौंपने के लिए उत्तर प्रदेश के सचिव (गृह) से कहा जाए। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निदेश दिया कि मृतक के निकट संबंधी को मुआवजे की सिफारिश क्यों न की जाए।

4-91 कारण बताओ नोटिस का उत्तर तथा सी0बी0–सी0आई0डी0 रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित हैं।

20. उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में पुलिस प्रताड़ना के कारण एक अवयस्क की मृत्यु
(मामला सं0 48147/24/7/07–08)

4-92 आयोग को दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन से एक शिकायत प्राप्त हुई कि दिनांक 20 जनवरी 2008 को प्रातः लगभग 10:00 बजे उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला के कोतवाली पुलिस स्टेशन के पुलिस कार्मिकों ने एक चोरी के मामले में ओमशंकर शर्मा के घर पर छापा मारा। बारह साल का दुर्गेश उर्फ संतोष, जो उस समय वहां मौजूद था, को पकड़ लिया गया और बेरहमी से तब तक पीटा गया जब तक वो मर नहीं गया। गुमराह करने के लिए पुलिस द्वारा दुर्गेश के मृत शरीर को रस्सी से लटका दिया गया ताकि आत्महत्या का मामला दिखाई दे। यह भी आरोप लगाया गया कि पुलिस कार्मिकों ने पूरे घर को लूट लिया।

4-93 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक, बदायूं ग्रामीण ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि उप–निरीक्षक सच्चिदानन्द राय तथा अन्य संबंधित पुलिस कार्मिकों के खिलाफ उक्त घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफ0आई0आर0 अपराध मामला सं0 32/08 दर्ज किया गया जिसकी जांच लंबित है।

4-94 रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 28 जनवरी 2009 की कार्रवाई में यह पाया कि पुलिस अपर अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में स्पष्टतः कहा गया है कि अपराध की जांच के दौरान पुलिस कार्मिकों को 12 वर्षीय लड़के की मृत्यु का दोषी पाया गया है। अभियोजन संबंधी आदेश प्राप्त होने पर इन पुलिस कार्मिकों को चार्ज–शीट किया जाए। आयोग ने भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(क)(प) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के निकट संबंधी को मुआवजे की सिफारिश क्यों न की जाए।

4-95 बाद में, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 11 अगस्त 2009 के पत्र के जरिए आयोग को सूचित किया कि उप–निरीक्षक सच्चिदानन्द राय, कांस्टेबल राम नाथ सिंह तथा कांस्टेबल अजय राणा को पहले ही अर्थ–दंड लगाया जा चुका है अर्थात एक वर्ष की अवधि के लिए उनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई है। इसके अतिरिक्त, मामले के चौथे आरोपी उप–निरीक्षक जगदेव सिंह मलिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

4-96 इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव ने अपने दिनांक 8 अक्टूबर 2009 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि इस मामले में चारों पुलिस कार्मिकों को दुर्गेश की मृत्यु का दोषी पाया गया है इसलिए पीड़ित के निकट संबंधी को आर्थिक राहत देना न्यायोचित होगा। मामले के सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आयोग ने दिनांक 19 जून 2010 को हुई अपनी कार्रवाई में उत्तर प्रदेश सरकार से मृतक के निकट संबंधी को 5,00,000/–रु0 की राशि

का भुगतान करने की सिफारिश की। राज्य सरकार को भुगतान के सबूत के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया।

4-97 आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस महानिदेशक को भी उप–निरीक्षक जगदेव सिंह मलिक के खिलाफ शुरु की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिणाम सहित जिला बदायूं के दातागंज पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत पंजीकृत आपराधिक मामला सं0 32/08 की स्थिति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

4-98 भुगतान के सबूत के साथ अनुपालन रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट भी प्रतीक्षित है।

x½ i¡fyl dh T;knfr;k¡

22. पश्चिम बंगाल के जिला नाडिया में हुए पुलिस संघर्ष में अच्छानूर तथा दो अन्यों की मृत्यु
(मामला सं0 11/25/2003–2004–एफ0सी0)

4-99 आयोग को पश्चिम बंगाल के जिला नाडिया के निवासी अब्बास शेख से एक शिकायत प्राप्त हुई कि पकशीपाड़ा क्षेत्र की पुलिस द्वारा उनके पुत्र को दिनांक 30 जनवरी 2002 को एक पूर्व–नियोजित तरीके से मारा गया है, हालांकि मृत्यु को पुलिस के साथ हुए संघर्ष का परिणाम दिखाया गया है।

4-100 आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट से पता चला कि दिनांक 30 जनवरी, 2002 को पकशीपाड़ा पुलिस थाने के एक उप–निरीक्षक को बंगोरिया जंगल में डकैतों की बैठक के बारे में सूचना मिली। उप–निरीक्षक सुमन चटर्जी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों के समूह को बैठे हुए देखा। पुलिस द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उक्त समूह ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी, बम फैंके जिसके कारण उप–निरीक्षक के दोनों घुटने जख्मी हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं तथा इसमें उस समूह के तीन लोग मारे गए जिसमें शिकायकर्ता का बेटा भी शामिल था। पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता का बेटा हत्या तथा गंभीर चोट के दो आपराधिक मामलों में शामिल था। इसके अतिरिक्त, पुलिस को उस जगह, जहां वे एकत्रित हुए थे, से अवैध हथियार एवं गोला–बारूद भी मिला है।

4-101 बाद में डिप्टी मजिस्ट्रेट द्वारा एक मजिस्ट्रेट जांच भी कराई गई। जांच में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग को आत्मरक्षा के अधिकार के मामले में सही ठहराया गया। शिकायतकर्ता, किसी भी रूप में जांच से जुड़ा हुआ नहीं था। सभी शरीरों की पीठ पर गोलियों के निशान पाए गए तथा दो शरीर जलने के कारण काले पड़ गए थे। आयोग को बलिस्टिक एक्स्पर्ट की रिपोर्ट अग्रेषित नहीं की गई थी। आयोग ने पोस्टमॉर्टम जांच की वीडियो कैसेट मांगी तथा इस मामले की बलिस्टिक जांच रिपोर्ट भी मंगाई। आयोग को सूचित किया गया कि पोस्टमॉर्टम के दौरान कोई वीडियोग्राफी नहीं की गई थी। बलिस्टिक रिपोर्ट में यह सिद्ध हो गया कि जब हथियारों को चलाया गया था तब वे चालू हालत में थे। तथापि, मृतकों की उंगलियों के निशान नहीं लिए गए थे। घटना का सुबह 2:00 बजे होना इसका कारण बताया गया, कहा गया कि पुलिस द्वारा उंगलियों के निशान इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि उनके पास अपेक्षित किट नहीं थी।

4-102 प्राप्त रिपोर्टों से मामले के सभी तथ्यों की जांच करने के बाद आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मारे गए तीन व्यक्तियों अर्थात अच्छानूर शेख, नाजू घंघरमर तथा सिराज–उल–शेख के निकट संबंधियों को राहत दिए जाने की सिफारिश क्यों न की जाए। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें जारी किए गए

कारण बताओ नोटिस पर अप्रसन्नता जाहिर की। यह इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य द्वारा की गई मजिस्ट्रेट जांच में कोई भी सार्वजनिक गवाह नहीं था जो इस मामले में कुछ गलत होने की ओर इशारा करता है। यह भी इंगित किया गया कि अच्छानूर शेख के शरीर पर जो निशान थे वो काले नहीं पड़े थे। आयोग ने यह कहते हुए कि मामले का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, शिकायतकर्ता किसी प्रकार की जांच से जुड़ा हुआ नहीं था, घटना के कई घंटों बाद भी मृत व्यक्तियों के उंगलियों के निशान नहीं लिए गए थे, राज्य सरकार के रुख को अस्वीकार किया। यह भी कहा गया कि मृतक अच्छानूर शेख के शरीर पर पाए गए गोलियों के घाव के निशान भी काले नहीं पड़े थे, जो राज्य सरकार के इस बयान को उचित नही ठहराते हैं कि मुठभेड़ वास्तविक थी। इसके अतिरिक्त, अच्छानूर शेख के शरीर पर दो घाव और पाए गए थे – एक घुटने के पास तथा दूसरा पीठ पर। यह सभी तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि पहले उसकी टांग पर गोली मारकर उसे पंगु बनाया गया होगा और उसके बाद थोड़ी दूर से गोली मारी गई होगी ताकि वह भाग न सके। आयेाग ने प्रत्येक मृतक के निकटतम संबंधी को 5,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.103 इसके बाद, आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को इस मामले में आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बुलाया। परिणामतः दिनांक 3 फरवरी 2011 को मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से आए और आयोग को एक लिखित बयान दिया। इसकी जांच के बाद आयोग ने नोट किया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मृतक व्यक्तियों के प्रत्येक निकट संबंधियों को 5,00,000/–रु0 की आर्थिक राहत का भुगतान करने में अपनी अक्षमता जताई है। आयोग ने मामले पर पुनः विचार किया और अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्णय लिया कि :

> ''आयोग अपनी सिफारिशों को अनिवार्य नहीं मान सकता है और न ही मानता है। आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के दायरे में रह कर निर्णय लेता है। आयोग ने पाया है कि जो सरकारें आयोग के तर्कों को नकार नहीं पाती हैं वे सामान्यतः आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करती हैं और उन पर कार्रवाई करती हैं। इस मामले में, आयोग ने माना है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बिना किसी ठोस कारणों के आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने में अपनी अक्षमता व्यक्त की है। राज्य सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई लेकिन इसके चलते आयोग, पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। उप–निरीक्षक को लगी चोटें बहुत ही मामूली हैं तथा पुलिस कार्मिक को अस्पताल ने भर्ती नहीं किया। मृत व्यक्तियों की उंगलियों के निशान न लिए जाने के संबंध में आयोग को अनावश्यक कारण दिए गए। भारत के संविधान में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। अनुच्छेद 21 के अनुसार, 'किसी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं'। भारत के उच्चतम न्यायालय का मत है कि अनुच्छेद 21 में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' संगत, निष्पक्ष एवं न्यायोचित होनी चाहिए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, एक मौलिक अधिकार है जो राज्य के खिलाफ प्रवर्तनीय है तथा न्यायिक निर्णयों ने इसके उपर कई सकारात्मक दायित्व डाल दिए हैं''।

4.104 पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को इस अनुरोध के साथ इन कार्रवाईयों से अवगत कराया गया कि इन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसके संबंध में आयोग को जवाब प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक अर्थात अच्छानूर शेख, नाजु भंगरमर तथा सिराज–उल–शेख के निकट संबंधियों को प्रत्येक को 5,00,000/–रु0 की दर से 15,00,000/–रु0 की राशि के मुआवजे की स्वीकृति दे दी है।

4-105 इस मामले में किए गए भुगतान का सबूत अभी प्रतीक्षित है।

23. उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत में पुलिस की उदासीनता के कारण गिरफ्तार की गई महिला की नवजात कन्या की मृत्यु (मामला सं0 2367/24/8/08–09–ए0डी0)

4-106 आयोग को रतन लाल प्रेमी से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाय गया था कि सुमन नाम की एक महिला को रात्रि में उसकी नवजात पुत्री तथा एक अन्य छोटे बच्चे के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसे उत्तराखंड के हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत में लाया गया। तथापि, उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर–अंदर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस अवधि के दौरान, महिला की तीन महीने की नवजात पुत्री अतिसार से पीड़ित हो गई तथा चिकित्सा सुविधा के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई।

4-107 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पुलिस अधीक्षक, बागपत ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि प्रश्नगत महिला को दिनांक 12 अप्रैल 2008 को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया कि उसे अगले दिन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस बात से इंकार किया गया कि गिरफ्तार की गई महिला की नवजात पुत्री को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में पुलिस असफल रही। रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया कि कोई भी पुलिस कार्मिक लापरवाही का दोषी नहीं है तथा नवजात शिशु की मृत्यु प्राकृतिक थी क्योंकि वह पहले से ही अतिसार से पीड़ित थी।

4-108 रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने दिनांक 29 मार्च 2010 को हुई अपनी कार्रवाई में निम्नलिखित प्रेक्षण किया :

> ''तीन तथ्य बिलकुल स्पष्ट हैं। प्रथमतः, सुमन को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार किया गया था जो कि उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। उसे उसके दो बच्चों के साथ अभिरक्षा में लिया गया। वह महिला कोई अपराधी नहीं थी और ऐसा कोई कारण नहीं आता है कि उसकी गिरफ्तारी को अगली सुबह तक टाला न जा सकता हो। दूसरा, पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 80 की अपेक्षानुसार उस महिला को रुड़की में स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया था। यदि महिला को रुड़की में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता तो संभवतः मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी देखभाल एवं अभिरक्षा के संबंध में कोई यथोचित आदेश जारी किया जाता। तीसरा, महिला को दिनांक 13 अप्रैल 2008 को बड़ौत में मजिस्ट्रेट के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामतः उसे वापिस पुलिस स्टेशन लाया गया और अगले 24 घंटे से भी अधिक समय तक उसे जेल में रहना पड़ा। अंततः, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जो स्पष्ट करे कि बच्चे को उपचार हेतु शिशु चिकित्सक के पास ले जाया गया हो।

4-109 आयोग ने इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातें कहीं–

> ''बड़ौत की स्थानीय पुलिस, नवजात शिशु की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती है। किसी भी हालत में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस द्वारा उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधिदेश को नजरअंदाज किया गया। यह प्रथम दृष्टया मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला है''।

4-110 आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि गिरफ्तार की गई महिला सुमन, जिसने अपनी तीन महीने की नवजात पुत्री को खो दिया है, को आर्थिक राहत का भुगतान क्यों न किया जाए।

4-111 कारण बताओ नोटिस के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया कि अपनी नवजात पुत्री को खो देने वाली पीड़िता को उचित आर्थिक राहत उपलब्ध कराई जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया कि दोषी पुलिस कार्मिकों को पहले ही अर्थदंड लगाया जा चुका है।

4-112 उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्टों तथा कारण बताओ नोटिस के संबंध में प्राप्त हुए उत्तर पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने राज्य से पीड़ित सुमन को आर्थिक राहत के रूप में 1,00,000/–रु0 का भुगतान करने की सिफारिश की।

4-113 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों का पूर्ण अनुपालन करने के बाद मामले को बंद कर दिया गया।

24. छत्तीसगढ़ में पुलिस हिंसा संबंधी प्रेस रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान
(मामला सं0 103/33/3/2011)

4-114 आयोग के समक्ष दिनांक 23 मार्च 2011 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित ''पुलिस हिंसा में जलाए गए छत्तीसगढ़ के गांव'' शीर्षक की प्रेस रिपोर्ट आई। प्रेस रिपोर्ट में कहा गया था कि मार्च, 2011 के पहले सप्ताह में राज्य पुलिस ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी0आर0पी0एफ0) के साथ मिलकर राज्य पुलिस कोया कमांडोज़ तथा सी0आर0पी0एफ0 कोबरा बटालियन द्वारा अंजाम दिए जाने वाले एक ऑपरेशन की योजना बनाई। ऑपरेशन का लक्ष्य मोरपल्ली में माआवादियों द्वारा चलाई जा रही एक कथित हथियार फैक्टरी को नष्ट करना था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन दल के सदस्यों ने मोरपल्ली में 37 घरों को आग लगा दी, कई महिलाओं के साथ यौन हिंसा की तथा तीन व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि कोयाज़ ने तारमेतला को भी घेर लिया था और घरों, अन्न के भंडारों तथा लकड़ी के गोदमों सहित लगभग 200 स्ट्राकचर्स को जला कर खाक कर दिया।

4-115 प्रेस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 28 मार्च 2011 की कार्रवाई में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक के साथ–साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सचिव से मामले से संबंधित रिपोर्ट मंगवाई। संबंधित प्राधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे आयोग को सूचित करें कि जिनके घर जल गए थे उन प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। एक रिपोर्ट भी मांगी गई है कि क्या उन पीड़ितों, जिनके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, को आर्थिक राहत देने पर विचार किया गया है अन्यथा नहीं।

4-116 मामले की रिपोर्ट प्रतीक्षित है तथा मामला आयोग के विचाराधीन है।

25. उत्तर प्रदेश के जिला संत रविदास नगर के कोईराना पुलिस स्टेशन में अवयस्क लड़की का बलात्कार
(मामला सं0 871/24/2006–2007)

4-117 आयोग को दिनांक 30 मार्च 2006 को संत रविदास नगर के पुलिस अधीक्षक से एक सूचना प्राप्त हुई कि जिला आजमगढ़, पुलिस थाना सराय मीर के तहत ग्राम नांदव की निवासी एक 14 वर्षीय लड़की (नाम गोपनीय रखा

गया) अपनी मां द्वारा फटकारने पर घर से भाग गई। बाद में वह तीन बदमाशों के हाथ पड़ गई जिन्होंने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसे पुलिस मदद के लिए ले जाया गया। पुलिस कांस्टेबल ने उसकी मदद करने की बजाय उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित ने बताया कि यह घटना जिला संत रविदास नगर में स्थित कोईरोना पुलिस स्टेशन में हुई जहां दो पुलिस कांस्टेबल, एक चौकीदार तथा तीन अन्यों के नाम भारतीय दंड संहिता की धारा 376/120 के तहत एफ0आई0आर0 सं0 101/2006 दर्ज है। दो पुलिस कांस्टेबल तथा चौकीदार को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया तथा शेष तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।

4-118 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में आयोग को दिनांक 16 मई 2006 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि न्यायालय के आदेशों के अनुसार पीड़िता को उसके पिता की अभिरक्षा में सौंप दिया गया और उसके घर वापिस भेज दिया गया। उसके बाद, परिणामी रिपोर्टों के माध्यम से आयोग को सूचित किया गया कि दोषी पुलिस कांस्टेबलों, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था, को सेवा से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट भी फाईल की गई। तदनुसार, आयोग ने अपनी दिनांक 10 जनवरी 2007 की कार्रवाई के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(3) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उस अभागी लड़की को आर्थिक राहत क्यों नहीं प्रदान की जाए। राज्य सरकार ने अपने दिनांक 3 मई 2007 के पत्र के माध्यम से स्वीकार किया कि पीड़ित को राहत प्रदान किया जाना न्यायोचित है। परिणामस्वरूप, आयोग ने सरकार से पीड़ित को 3,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। हालांकि राज्य सरकार ने सिफारिश की गई राशि के भुगतान की स्वीकृति दे दी थी लेकिन आयोग को सूचित किया गया कि पीड़ित को मौद्रिक राहत का भुगतान इसलिए संभव नहीं हो सका है क्योंकि पीड़िता पिछले तीन सालों से लापता है।

4-119 आयोग ने अपनी दिनांक 22 मार्च 2010 की कार्रवाई में प्रेक्षण किया कि पीड़िता जिन परिस्थितियों में लापता हुई है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तथापि, इस मामले में उसे जबरदस्ती लापता बनाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। परिणामतः उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को निदेश दिया गया कि वे पीड़िता के लापता होने की परिस्थितियों की सी0बी0–सी0आई0डी0 जांच के आदेश दें ।

4-120 सी0बी0–सी0आई0डी0 ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि उक्त मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के तहत रजिस्टर किया जाए जो विधिसम्मत संरक्षण से अपहरण होने से संबंधित है।

4-121 दिनांक 7 फरवरी 2011 की उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को निदेश दिया कि आयोग को सी0बी0–सी0आई0डी0 द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर मामले में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

4-122 मामला आयोग के विचाराधीन है।

26. पुलिस उत्पीड़न के कारण कुमारी जयरानी द्वारा की गई आत्महत्या
(मामला सं0 1092/22/2006–2007)

4-123 आयोग को दिनांक 21 अप्रैल 2005 को तमिलनाडु में सलेम के जिला समाहर्ता से 15 वर्षीय कुमारी जयरानी की मृत्यु के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई।

4-124 आयोग के निदेशों के अनुसरण में तमिलनाडु सरकार ने बताया कि दिनांक 20 जनवरी 2005 को अपराह्न 3:00 बजे करियाकोली पुलिस स्टेशन के दो पुलिसकर्मियों द्वारा कुमारी जयरानी को जबरदस्ती घसीट कर ले जाया

गया। जयरानी के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार दो पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींच कर ले गए। इस घटना से आहत होकर उसने उसी दिन सांय 4:00 बजे से 6:00 बजे के बीच आत्महत्या कर ली। बाद में दिनांक 21 जनवरी 2005 को करियाकोली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 354, 506(1) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(ग) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174(3) के तहत एफ0आई0आर0 सं0 2/2005 से एक मामला दर्ज किया गया।

4.125 राजस्व प्रभागीय अधिकारी द्वारा की गई जांच के दौरान यह सिद्ध हो गया कि मृतक कुमारी जयरानी ने करियाकोली पुलिस स्टेशन के पुलिस उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की। राजस्व प्रभागीय अधिकारी ने कुमारी जयरानी के साथ ज्यादती करने वाले पुलिसकार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी सिफारिश की।

4.126 आयोग द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया कि उसने मृतक कुमारी जयरानी के निकट संबंधी के लिए आर्थिक राहत के रूप में 1,00,000/–रु0 की राशि स्वीकृत कर दी है।

4.127 आयोग ने अपनी दिनांक 15 सितम्बर 2010 की कार्रवाई में मामले की उन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जिसने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित एक व्यक्ति को, पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके साथ किए गए उत्पीड़न के कारण पुलिस अभिरक्षा में ही आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर दिया। तदनुसार, आयोग ने तमिलनाडु सरकार से मृतक के निकटतम संबंधी को भुगतान किए जाने वाले आर्थिक राहत की राशि को 1,00,000/–रु0 से बढ़ाकर 3,00,000/–रु0 करने की सिफारिश की।

4.128 तमिलनाडु सरकार की ओर से भुगतान किए जाने के सबूत की प्राप्ति हो जाने पर आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

27. हरियाणा, पानीपत में हरियाणा एस0टी0एफ0 पुलिस कार्मिकों द्वारा जबरन धन वसूली
(मामला सं0 701/7/15/2010)

4.129 आयोग को दिनांक 29 मार्च 2010 को नन्द लाल शुक्ला से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसके साथ में दिनांक 11 मार्च 2010 के हिन्दुस्तान टाईम्स में ''हरियाणा एस0टी0एफ0 के 8 पुलिसवालों को जबरन धन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया'' शीर्षक के तहत प्रकाशित खबर की कतरन भी संलग्न थी।

4.130 अखबार की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10 मार्च 2010 को सात सशस्त्र व्यक्ति, पानीपत की जगन्नाथ विहार कॉलोनी में रहने वाले एक शेयर ब्रोकर रजत अग्रवाल के कार्यालय में पहुंचे और 10,00,000/–रु0 की मांग की। उन्होंने कहा कि वे क्राईम ब्रांच से हैं और सफेद मारुति बलेनो में फरार होने से पहले जबरदस्ती 6,00,000/–रु0 ले गए। एक अन्य घटना में, एक ज्वैलरी शॉप के मालिक विशंभर कुमार मल्होत्रा ने जबरन धन वसूली की शिकायत दर्ज कराई जिसमें मल्होत्रा जी ने कहा गया था कि जब उन्होंने उन व्यक्यिों से पहचान पत्र प्रदर्शित करने के लिए कहा तो वे हड़बड़ी में चले गए।

4.131 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पुलिस अधीक्षक, पानीपत, हरियाणा ने अपने दिनांक 7 मार्च 2011 के पत्र के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि रजत अग्रवाल सुपुत्र अरविन्द अग्रवल तथा पानीपत की जगन्नाथ विहार कॉलोनी के एक निवासी के बयान के आधार पर पुलिस थाना शहर पानीपत में आठ पुलिसवालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 397, 398, 120–ख तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27–54–59

के तहत दिनांक 11 मार्च 2010 को एक एफ0आई0आर0 मामला सं0 261 रजिस्टर किया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने अपराध में शामिल आठ पुलिस अधिकारियों तथा चार सिविलियनों को गिरफ्तार किया। उक्त मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ एक चार्जशीट भी तैयार की गई तथा यह मामला श्री के0सी0 शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पानीपत की अदालत में विचारण के लिए लम्बित पड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ने सभी आठों पुलिस कार्मिकेां के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए और तदनुसार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक नियमित विभागीय जांच की गई। जहां तक अशोक श्योरान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का संबंध है, अस्थायी तौर पर निलंबित किए गए इस सहायक पुलिस अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु अनुमति लेने के लिए गृह विभाग से अनुरोध किया गया है।

4-132 उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करते हुए आयोग ने दिनांक 17 मार्च 2011 यह पाया कि यह नागरिकों के मानव अधिकारों के उल्लंधन का बहुत ही गंभीर मामला है। इन नागरिकों को उन्हीं पुलिसवालों ने लूटा है जिनके उपर उनके जीवन एवं संपत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी थी। निसंदेह, इससे जबरन धन वसूली के पीड़ितों को व्यापक मानसिक पीड़ा हुई होगी। इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए शक्तियों के दुरुपयोग के कारण उन्हें वित्तीय हानि भी झेलनी पड़ी। लोकसेवकों द्वारा पीड़ितों के संबंध में किए गए ऐसे मानव अधिकार उल्लंघन के लिए हरियाणा राज्य को स्थानापन्न रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तदनुसार, आयोग ने निदेश दिया कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि पीड़ित रजत कुमार और विशंभर कुमार मल्होत्रा को उचित मुआवजे के भुगतान की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

4-133 आयोग ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चलाई जा रही अनुशासनात्मक कार्रवाईयों की स्थिति के बारे में सूचित करने के साथ–साथ आरोपियों के कब्जे से प्राप्त धनराशि के अलावा पीड़ितों द्वारा झेले गए वित्तीय नुकसान की राशि के बारे में भी जानकारी देने का निदेश दिया।

4-134 मामला आयोग के विचाराधीन है।

?k½ ifyl xkyhckjh rFkk eBHkkM+ e eR;

28. उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में पुलिस गोलीबारी में सुख देवी की मृत्यु
(मामला सं0 41956/24/2005–2006)

4-135 आयोग को दिनांक 5 जनवरी 2006 को उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के एक निवासी रामगोपाल की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई। यह शिकायत, फिरोजाबाद की अखिल भारतीय भ्रष्टाचार रोधी समिति के अध्यक्ष द्वारा अग्रेषित की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दिनांक 10 दिसम्बर 2005 को सुख देवी उर्फ कतब श्री पुत्रवधु रामगोपाल को खेत में काम करते समय एक गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। गोली एक पुलिस कार्मिक द्वारा सोफीपुर फायरिंग बैट से चलाई गई थी। मृतक के परिवार द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस ने एफ0आई0आर0 रजिस्टर नहीं की तथा फॉरेन्सिक रिपोर्ट में फेरबदल करके मामले को रफा–दफा करने की कोशिश की। सुख देवी के परिवार के सदस्यों द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच तथा मुआवजे के लिए एक अपील की गई।

4-136 पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा मामले से संबंधित 26 मई 2006 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें सर्किल आफिसर, सदर द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट संलग्न थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर मृतक के शरीर का पोस्टमॉर्टम कराया गया था। जिस गोली से मृतक की मृत्यु हुई थी, की गहन जांच करने पर पता चला कि वह 315 बोर की गोली थी। जांच रिपोर्ट में आगे यह

बताया गया कि चूंकि सोफीपुर फायरिंग वैट से पुलिसकर्मी द्वारा चलाई गोली पर सरकारी निशान नहीं था इसलिए दिनांक 28 दिसम्बर 2006 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध मामला सं0 164/2005 रजिस्टर किया गया। मामले के संबंध में दिनांक 22 अप्रैल 2007 को प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट में आगे बताया गया कि हादसे वाले दिन चांदमारी वैट में फायरिंग प्रेक्टिस चल रही थी तथा अनावश्यक व्यक्तिगत लाभ के लिए शिकायत दर्ज कराई गई। आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक मजिस्ट्रेट जांच की गई जिसमें बताया गया कि पुलिस प्राधिकारी, घटना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में कहा गया कि जांच के लिए फॉरेन्सिक साईन्स लैबोरेटरी, आगरा में भेजी गई मृतक के शरीर से निकाली गई गोली या तो उक्त लैबोरेटरी को प्राप्त नहीं हुई या उसकी रिपोर्ट को दबा दिया गया। प्रथम दृष्टया यह इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि पुलिस ने मामले में उचित जांच नहीं की है।

4.137 पूरी घटना पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 5 जुलाई 2010 की कार्रवाई के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को मानव अधिकार संरक्षण अधिनिमय की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि मृतक सुखदेवी के निकट संबंधी को आर्थिक राहत देने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

4.138 कारण बताओ नोटिस के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पोस्टमॉर्टम तथा आगरा फोरेन्सिक साईंस लैबोरेट्री से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित की मृत्यु 315 बोर की गोली से हुई है। इसके अतिरिक्त, कोई पुलिस कार्मिक दोषी नहीं पाया गया है। इसलिए किसी प्रकार के आर्थिक राहत के भुगतान की मांग का कोई औचित्य नहीं है। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की गहनता से जांच की और पाया कि मृतक सुखदेवी की मृत्यु पुलिस की लापरवाही के कारण हुई है तथा सुखदेवी के निकटतम संबंधी मुआवजे के हकदार हैं। आयोग ने अपनी दिनांक 29 नवम्बर, 2010 की कार्रवाई में राज्य सरकार को मृतक सुखदेवी के निकट संबंधी को 1,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.139 हालांकि राज्य सरकार ने मृतक के निकट संबंधी को 1,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान करने संबंधी अनुमोदन कर दिया है लेकिन इस मामले में भुगतान का सबूत प्रतीक्षित है।

29. झारखंड के जिला पलामू में पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को मारने तथा कई व्यक्तियों को घायल करने का आरोप (मामला सं0 172/34/2003–2004)

4.140 आयोग को दिनांक 9 जून 2003 को झारखंड के जिला पलामू के ग्राम दीपोवा के एक निवासी यशवंत कुमार मेहता से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि दिनांक 30 अप्रैल 2003 को उनका पुत्र मणिकुंडल मेहता खरीदारी के लिए बाजार गया था। पिच रोड पर फॉरेस्ट आफिसर्स ने एक ट्रेक्टर को रोका। पिच रोड पर भीड़–भाड़ को देखकर मणि मेहता तथा एक अन्य व्यक्ति रुक कर मामले को देखने लगे। इसी दौरान पुलिस ने बिना किसी कारण के मणि कुंडल को गाली दी और गोली चला दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ट्रैक्टर के क्लीनर रूप देव यादव को भी पुलिस ने गोली मार दी। इसके बाद पुलिस ने संजय उर्फ विश्वनाथ मेहता को मनजौली ग्राम से उठाया और उसे भी मार डाला। पुलिस ने गांव के अधिसंख्य मासूम लोगों को भी पीटा। शिकायतकर्ता ने आयोग से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तथा मृतकों एवं घायलों के निकट संबंधियों को मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की।

4.141 आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में पुलिस उपमहानिदेशक (मानव अधिकार), झारखंड ने अपने दिनांक 12 फरवरी 2004 के पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, पलामू से प्राप्त दिनांक 19 सितम्बर 2003 की एक रिपोर्ट अग्रेषित की जिसमें कहा गया था कि मृतक विश्वनाथ मेहता तथा मणिकुंडल मेहता के खिलाफ विक्रम सिंह

का अपहरण करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 364 तथा दांडिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 17 के तहत मामला सं0 91/03 दर्ज किया गया था। मृतक विश्वनाथ मेहता तथा मणिकुंडल मेहता तथा 32 अन्य के खिलाफ पुलिस पार्टी पर उन्हें मारने के उद्देश्य से हमला करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/353/307 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25,26,27,35 के तहत एक और मामला सं0 92/03 दर्ज है। जांच के दौरान दोनों मामले सही पाए गए। यह भी रिपोर्ट किया गया कि दिनांक 30 अप्रैल, 2003 को कुछ अन्य पुलिस कार्मिकों सहित पेट्रोलिंग ड्यूटी पर निकले उप–निरीक्षक दिनेश कुमार राणा को विक्रम सिंह नामक एक रेंजर से सूचना प्राप्त हुई कि उसे तथा उसकी कंपनी को आरोपी विश्वनाथ मेहता एवं मणिकुंडल मेहता ने बंधक बना रखा है। पुलिस हरकत में आई और विक्रम सिंह को मुक्त करा लिया गया। उक्त ऑपरेशन के दौरान दो अपराधियों की मौका–ए–वारदात पर ही मृत्यु हो गई तथा उनसे भारी मात्रा में शस्त्र एवं गोला–बारूद बरामद हुआ। आयोग ने उपरोक्त रिपोर्टों पर विचार किया और पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध मे जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सी0बी0–सी0आई0डी0 द्वारा मामले की जांच करने के साथ–साथ मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए।

4.142 सी0बी0–सी0आई0डी0 रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एफ0आई0आर0 सं0 91/2003 तथा 92/2003 की जांच के दौरान विश्वनाथ मेहता के खिलाफ आरोप सही साबित हुए थे लेकिन मणिकुंडल अर्थात शिकायतकर्ता के पुत्र के खिलाफ कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। जहां तक यशवंत कुमार मेहता की शिकायत पर पुलिस के खिलाफ हत्या का मामला रजिस्टर करने का संबंध है, यह सूचित किया गया कि उप–निरीक्षक दिनेश कुमार राणा के खिलाफ साक्ष्य पाए गए हैं।

4.143 मामले पर विचार करते हुए आयोग ने दिनांक 30 जून, 2010 पाया कि राज्य सी0बी0–सी0आई0डी0 द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट नजर आता है कि मणिकुंडल मेहता, न तो किसी रेंजर के अपहरण में लिप्त था और न ही किसी पुलिस पार्टी पर हत्या के उद्देश्य से किए गए हमले में शामिल था इसलिए पुलिस द्वारा आत्म–रक्षा की दलील देते हुए मणिकुंडल मेहता को मारने का कोई कारण नहीं था। आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया कि मृतक के निकट संबंधी को यथोचित मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया जाए।

4.144 झारखंड सरकार ने दिनांक 10 सितम्बर 2010 के पत्राचार के माध्यम से मृतक के निकट संबंधी को किए जाने वाले मुआवजे के भुगतान के संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की। तदनुसार, आयोग ने झारखंड सरकार को मृतक मणिकुंडल मेहता के निकट संबंधी को आर्थिक राहत के रूप में 5,00,000/–रु0 का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.145 मामले के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट तथा किए गए भुगतान का सबूत प्रतीक्षित है।

30. मध्य प्रदेश के जिला सतना में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में गणेश साहू की कथित हत्या (मामला सं0 2138/12/38/07–08)

4.146 आयोग को दिनांक 28 नवम्बर 2007 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पहरुआ–पहल के निदेशक भगवत प्रसाद से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें दिनांक 23 नवम्बर 2007 को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान गणेश साहू की मृत्यु का जिक्र है। उनका कहना था कि मृतक एक निर्दोष व्यक्ति था जिसे स्थानीय पुलिस ने मध्य प्रदेश के जिला सतना में पुलिस स्टेशन नया गांव, ग्राम पलदेव पथरा में दो खूंखार डकैत नामतः ढोकिया तथा दौरी की खोज के दौरान गोली मार दी थी। पुलिस, डकैतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजन से गणेश साहू को उसके घर से खींचकर बाहर लाई और जब गणेश ने किसी प्रकार की जानकारी न होने की बात कही तो उसकी

गोली मारकर हत्या कर दी गई। निष्पक्ष जांच, मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने, दोषी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई तथा परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रार्थना की गई।

4.147 मुठभेड़ के दौरान हुई मृत्यु की जांच करने के संबंध में आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी आयोग के निदेशों के अनुसरण में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रिपोर्ट अग्रेषित की गई। रिपोर्ट में कहा गया था कि सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट, रघुराज नगर, जिला सतना द्वारा की गई जांच में मृतक के पिता से पूछताछ की गई थी जिन्होंने कहा था कि गणेश साहू को डकैतों ने गोली से मारा था। उसने मजिस्ट्रेट को बताया था कि पुलिस और डकैतों के बीच गोलीबारी हुई थी और जब डकैत मुठभेड़ के बाद भाग रहे थे तो उन्होंने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। मजिस्ट्रेट जांच के दौरान किसी भी गवाह ने गणेश साहू की मृत्यु के लिए पुलिस को दोषी नहीं ठहराया था।

4.148 दिनांक 14 जुलाई 2010 को मामले पर विचार करते हुए आयोग ने महसूस किया कि संभवतः गणेश साहू पूरी तरह से निर्दोष हो और बिना किसी कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। वह दुर्भाग्यवश पुलिस और डकैतों के बीच हो रही मुठभेड़ के करीब था और हो सकता है कि मुठभेड़ के बाद भाग रहे डकैतों ने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए उसे गोली मार दी हो। उसका परिवार निसंदेह संवेदना का पात्र है। पुलिस प्रत्यक्ष रूप से उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार न हो लेकिन मामले की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य द्वारा उसके परिवार को अनुकम्पा के आधार पर कुछ वित्तीय सहायता जरूर प्रदान की जानी चाहिए। अतः आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से मृतक गणेश साहू के निकट संबंधी को वित्तीय सहायता के रूप में 2,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की।

4.149 मामले के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से अनुपालन रिपोर्ट के साथ–साथ किए गए भुगतान का सबूत प्रतीक्षित है।

31. दिल्ली पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में रितेश की मृत्यु
(मामला सं0 5280/30/5/08–09)

4.150 आयोग को दिनांक 21 मार्च 2009 को एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि दिनांक 17 मार्च 2009 को कांस्टेबल शक्ति सिंह ने एक 32 वर्षीय रितेश को गोली मारी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। कांस्टेबल शक्ति सिंह, सुरेन्द्र आगा के निजी सुरक्षा अधिकारी के रूप में संबद्ध था। सुरेन्द्र आगा को संदेह था कि रितेश का उसकी पत्नी के साथ नाजायज रिश्ता है। रितेश तथा कांस्टेबल शक्ति सिंह के बीच कुछ विवाद हुआ और कांस्टेबल शक्ति सिंह ने गोली चला दी।

4.151 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पुलिस उपायुक्त, सतर्कता, नई दिल्ली ने दिनांक 1 जुलाई 2009 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि रितेश को दिनांक 17 मार्च 2009 को गुरू तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के स्टॉफ ने उसकी भर्ती की सूचना सीमापुरी पुलिस स्टेशन को दी। इसके बाद, निरीक्षक के0एस0 रावत अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने रितेश के छोटे भाई का बयान दर्ज किया और उसके बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के तहत एफ0आई0आर0 सं0 94/09 दर्ज की गई। रितेश की मृत्यु के बाद मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में तब्दील कर दिया गया। इस मामले में कांस्टेबल शक्ति सिंह को गिरफ्तार किया गया तथा जांच पूरी होने के बाद उसके खिलाफ चार्ज–शीट प्रस्तुत की गई।

4.152 चूंकि पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि पुलिस कांस्टेबल के अविवेक के कारण रितेश को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तथापि, आयोग द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

4.153 दिनांक 19 अगस्त 2010 को मामले पर विचार करते समय आयोग ने यह पाया कि बड़ी आसानी से यह माना जा सकता है कि राज्य, पीड़ित को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक राहत का विरोध नहीं करना चाहता है। यहां तक कि पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि रितेश के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से मृतक रितेश के निकट संबंधी को आर्थिक राहत के रूप में 5,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की है।

4.154 आयोग ने अपनी दिनांक 24 फरवरी 2011 की कार्रवाई में न्यायालय में कांस्टेबल के विरुद्ध चल रहे विचारण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आर्थिक राहत के भुगतान को आस्थगित करने के निर्णय पर विचार किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने मृतक के भाई मुकेश कुमार द्वारा दिए गए उस बयान का आश्रय लिया जिसमें उसने कहा था कि कुछ लड़कों ने विवाद के बाद कांस्टेबल पर गोली चलाई थी और चूंकि कांस्टेबल नीचे झुक गया था इसलिए दुर्घटनावश गोली रितेश को लग गई थी। आयोग ने पाया कि आयोग साक्ष्यों के परिशुद्ध मानकों पर ही सिफारिश करता है, संभाव्यता पर नहीं। पुलिस जांच से उजागर हुए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आयोग ने अपनी सिफारिशों को पुनः दोहराया।

4.155 आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मृतक रितेश की पत्नी को आर्थिक राहत के रूप में 5,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान किया गया। अनुपालन रिपोर्ट तथा किए गए भुगतान का साक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

32. बिहार के औरंगाबाद जिले में हुई पुलिस फायरिंग में महेन्द्र प्रताप सिंह की मृत्यु (मामला सं0 3737/4/2005–2006)

4.156 आयोग ने दिनांक 30 दिसम्बर 2005 को राजकिशोर सिंह से प्राप्त हुई एक शिकायत पर संज्ञान लिया। शिकायत में यह कहा गया था कि दिनांक 18 अक्टूबर 2005 को शिकायतकर्ता के पिता एक पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। बिहार के ओबरा निर्वाचन क्षेत्र में पोलिंग बूथ सं0 96 पर लोगों के एक समूह ने हमला किया और इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। राजकिशोर सिंह के पिताजी अपने घर वापिस लौट रहे थे, वे निर्दोष पीड़ित थे जो पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों के कारण मारे गए।

4.157 आयोग ने अपनी कार्रवाई में पाया कि हालांकि पुलिस ने अपने जवाब में कुछ संशय व्यक्त किया है कि शिकायतकर्ता का पिता अपराध में शामिल था लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो स्पष्ट करे कि वह व्यक्तियों के समूह द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध में शामिल था। बिहार सरकार ने बाद में सूचित किया कि उसने मृतक के निकटतम संबंधी को अंतरिम राहत के रूप में 1,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान करने का आदेश दे दिया है।

4.158 आयोग का मानना है कि पुलिस की ओर से हुई लापरवाही के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई। अतः 1,00,000/–रु0 की राशि की अंतरिम राहत पर्याप्त नहीं है। परिणामतः आयोग ने बिहार सरकार से पूर्व में स्वीकृत राशि को समायोजित करते हुए मृतक के निकट संबंधी को आर्थिक राहत के रूप में 3,00,000/–रु0 की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की।

4-159 बिहार सरकार से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद आयोग द्वारा मामले को बंद कर दिया गया।

33. झारखंड के जिला हजारीबाग में तरुण शाह और मोहम्मद खालिद की मुठभेड़ में मृत्यु (मामला सं0 1466/34/11/07–08)

4-160 आयोग को दिनांक 19 जनवरी 2008 को पुलिस उपाधीक्षक, जिला हजारीबाग, झारखंड से सूचना प्राप्त हुई जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बताया गया कि 17 जनवरी 2008 की रात को बाराचटी के स्टेशन हाउस आफिसर को कुछ अपराधियों के आवागमन के बारे में जानकारी मिली और वे मान्य रिकार्ड में आवश्यक प्रविष्टियां करके एक क्वालिस में बताई हुई दिशा की ओर चले गए। पुलिस कार्मिकों ने अपराधियों को दबोचने के लिए अवरोधक लगाए। जिस गाड़ी में अपराधी यात्रा कर रहे थे, अवरोधक से टकरा कर भागने लगी तो पुलिस ने उनका पीछा किया। अपराधियों ने पुलिस कार्मिकों के उपर गोलीबारी शुरू कर दी और पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं। पुलिस के अनुसार दो अपराधी जंगल में भागने में सफल हो गए। एक अपराधी मौका–ए–वारदात पर ही मारा गया तथा एक अन्य को गंभीर चोटें आईं। उसे सब–डिविजनल अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद, पुलिस के अनुसार मौके से बड़ी मात्रा में हथियार तथा गोलाबारूद बरामद हुआ।

4-161 आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसरण में आयोग को दोनों मृतकों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तथा मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई। मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई को उचित ठहराया। तथापि, जांच करने वाला अधिकारी, चिकित्सा साक्ष्यों तथा जिस तरीके से पूरी घटना घटी, का आकलन करने में पूरी तरह से असफल रहा।

4-162 पुलिस द्वारा वर्णित मुठभेड़ की पृष्ठभूमि के साथ–साथ मजिस्ट्रेट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 4 नवम्बर 2010 को प्रेक्षण किया कि शव–परीक्षा रिपोर्ट के रूप में एक निष्पक्ष साक्ष्य मौजूद है जो वैज्ञानिक प्रकृति का है। दोनों पोस्टमॉर्टम रिपोर्टों ने इंगित किया कि गोली बहुत ही नजदीक से चली थी। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के प्रवेश करने वाले स्थान पर हुए जख्म के कालेपन से साफ हो जाता है कि पुलिस द्वारा बताइ गई कहानी सही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब उन पर गोली चलाई गई थी तो वे बहुत ही नजदीक थे। सामान्यतः 3'' से 6'' की दूरी से चलाई गई गोली के कारण कालापन नजर आता है। यह नोट करना भी जरूरी है कि अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी में किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। इसके अतिरिक्त, यह पता लगाने के लिए कि क्या हथियार चालू हालत में थे या नहीं तथा कारतूस उसी हथियार से चला या नहीं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राक्षेपिक विशेषज्ञों को हथियार एवं कारतूस आदि नहीं सौंपे गए थे। यदि उचित जांच कराइ गई होती तथा विशेषज्ञों की राय ली गई होती तो इन पहलुओं से मामला पकड़ में आ जाता। पुलिस पर गोली चलाने वाले कथित व्यक्तियों की उंगलियों पर कार्बन की मौजूदगी का पता लगाने और इस तथ्य को सुनिश्चित करने कि मृतक ने हथियार चलाया था, उंगलियों के निशान नहीं लिए गए। वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ साक्ष्यों का अभाव यह दर्शाता है कि जांच निष्पक्ष नहीं थी।

4-163 मामले के तथ्यों के मद्देनजर, आयोग ने यह स्वीकार नहीं किया कि गोलीबारी कुछ दूरी से हुई थी। रिकार्ड में मौजूद चिकित्सा साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि गोलीबारी नजदीक से हुई है। तदनुसार, आयोग ने निदेश दिया कि झारखंड सरकार को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से छः सप्ताह के अंदर अंदर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि मृतक तरुण शाह सुपुत्र प्रियोनाथ शाह, पुलिस स्टेशन बेनीपुर, जिला हावड़ा को दी जाने वाली राहत की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

4-164 चूँकी झारखण्ड सरकार से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ इसलिए आयोग ने 10 फरवरी, 2011 की कार्यवाही द्वारा झारखण्ड सरकार को दोनों मृतकों में से प्रत्येक के नजदीकी रिश्तेदार को 5,00,000 रु. का भुगतान करने की सिफारिश की।

4-165 झारखण्ड सरकार से अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

34. उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पुलिस के साथ तथाकथित मुठभेड़ के दौरान सलीम की मौत (मामला सं0 17513/24/08–09)

4-166 आयोग को नाथूराम से दिनांक 11 जुलाई, 2006 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह आरोप लगाया गया था कि 20 मई, 2006 को पुलिस ने उसके पुत्र सलीम को एक फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। यह भी कहा गया था कि मंगल सिंह नामक व्यक्ति ने पुलिस के साथ मिलकर सलीम को नशे की दवा दे दी जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बाद मंगल सिंह ने कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। तत्पश्चात, श्रीनगर थाने के एक पुलिस कर्मचारी, शांति स्वरूप त्रिपाठी ने थाना प्रभारी के निर्देश पर उसे गोली मार दी ताकि मुठभेड़ का सही मामला बनाया जा सके।

4-167 पुलिस अधीक्षक, महोबा जिला ने दिनांक 15 सितम्बर, 2006 के पत्र द्वारा सूचित किया कि सलीम की मौत 20 मई, 2006 की रात 11.30 बजे पुलिस मुठभेड़ में हुई थी।

4-168 प्राप्त रिपोर्टो पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने 3 जून, 2010 को निम्नलिखित टिप्पणी की :

> ''जहाँ तक पुलिस द्वारा मामले को प्रस्तुत करने का संबंध है, यह बताया गया है कि मृतक एक अपराधी था। वह लोगो को मारा–पीटा करता था तथा उनसे जबरन पैसे वसूल करता था। घटना के दिन मंगल सिंह तथा सलीम के बीच लड़ाई भी हुई थी। पुलिस ने सूचना मिलने पर विभिन्न पार्टियों को गठित करते हुए कार्रवाई की तथा मृतक को आत्मसमर्पण करने को कहा जिसने पुलिस बल पर गोली चला दी। पुलिस ने एक पेड़ की शरण लेते हुए हथियार का इस्तेमाल किया तथा गोली लगने से हुए घाव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। गांव वाले भी पहुँच गए तथा मृतक की पहचान सलीम, सुपुत्र नाथू के रूप में हुई। 21 जिंदा तथा खाली कारतूसों के साथ एक कट्टा, 315 राइफलें बरामद की गईं।

4-169 पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए मामले को समझने के लिए जब हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की तो हमने निम्नलिखित जख्म पाए :–

> 'बायीं जांघ पर 1X1 सेंटीमीटर का एक आग्नेयास्त्र जख्म जिसके पास जलने का निशान था तथा बायें घुटने के जोड़ से 28 सेंटीमीटर ऊपर।'

4-170 इस प्रकार, जख्म का वर्णन पढ़ कर यह स्पष्ट है कि हथियार का इस्तेमाल बहुत ही करीब से किया गया था। स्पष्ट है कि घाव के कारण बहुत खून बहता। चिकित्सा अधिकारी ने यह राय दी है कि मृतक की मौत सदमे तथा मृत्यु पूर्व चोटों के कारण खून बहने से हुई। जिस मजिस्ट्रेट ने जांच की उसने मृतक के शरीर पर अन्य चोटों की व्याख्या नहीं की है। यह कहना पर्याप्त होगा कि मृतक के शरीर पर पाए गए जख्म को देखते हुए पुलिस के इस दावे को कि उन्होंने दूर से गोली चलाई, माना नहीं जा सकता। यह स्पष्ट है कि मृतक को मृत्युदण्ड दिया गया था। इसलिए आयोग का यह मानना है कि यह आर्थिक राहत देने के लिए एक उचित मामला है।''

4-171 तदनुसार, आयोग ने निर्देश दिया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत् मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि सलीम के परिजनों को आर्थिक राहत की सिफारिश क्यों न की जाए।

4-172 29 सितम्बर, 2010 की कार्यवाही द्वारा आयोग ने इसके कारण बताओ नोटिस पर उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जवाब पर विचार किया। जिसमें यह कहा गया था कि स्वर्गीय सलीम एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे, तथा जिस समय पुलिस ने मुठभेड़ में उसका सामना किया उस समय वह गांववालों से जबरन पैसे वसूलने में लगा था।

4-173 आयोग ने माना कि यह इतर न्यायिक प्राणदण्ड था तथा इसलिए मानव अधिकारों का सर्वाधिक घृणित उल्लंघन था। भारत में केवल न्यायपालिका को मृत्यु दण्ड सुनाने का अधिकार है। पुलिस वालों को कानून अपने हाथ में लेने अथवा न्यायिक प्रक्रिया को पहले ही शुरू करने की अनुमति नहीं है। इन्हीं कारणों से आयोग का यह मानना था कि इस मामले में मृतक के परिजन को आर्थिक राहत देना चाहिए था।

4-174 तदनुसार, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से मृतक सलीम के नजदीकी रिश्तेदार को 5,00,000 रु0 का भुगतान करने की सिफारिश की।

4-175 इस मामले में भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

35. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के सिरोचा वन क्षेत्र में तथाकथित पुलिस मुठभेड़ में पांच लोगों की मृत्यु (मामला सं0 2103/13/2003–2004)

4-176 आयोग को उड़ीसा राज्य के गंजम जिले के एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता, टी. दुर्योधन रेड्डी से दिनांक 29 नवम्बर, 2003 की एक शिकायत प्राप्त हुई। इस शिकायत के साथ दिनांक 19 नवम्बर, 2003 के 'द हिन्दु' में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में तथाकथित पुलिस मुठभेड़ में पांच व्यक्तियों की मृत्यु से संबंधित छपी खबर की एक प्रति संलग्न की गई थी। खबर के अनुसार, सिरांचा वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध नक्सलवादी दिखाई दिए। उन्होंने पुलिस बल पर गोली चलाई तथा बदले में पुलिस द्वारा गोलीबारी के कारण पांच नक्सलियों की मौत हो गई।

4-177 इस मामले का संज्ञान लेते हुए, आयोग ने उक्त शिकायत से गढ़चिरौली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया तथा इस घटना पर की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट मांगी। जवाब में पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट से पता चला कि नक्सलियों ने जिले में भय का माहौल पैदा कर दिया था तथा दिनांक 28 नवम्बर, 2003 को जब जिंगनूर पुलिस स्टेशन की पुलिस पार्टी कोसागोटा पहाड़ी जंगल में नक्सल–विरोधी आपरेशन चला रही थी, तो जनशक्ति नक्सल दलाम के कुछ अज्ञात हथियारबंद नक्सलियों ने पुलिस पार्टी को मारने तथा गोलाबारूद लूटने के इरादे से उन पर गोली चलाई। पुलिस ने भी अपने बचाव में गोली चलाई तथा जनशक्ति नक्सल दलम की एक महिला सदस्य सहित पांच व्यक्तियों के मुठभेड़ के दौरान गोली मार दी गई। आयोग ने पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र को मुठभेड़ के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पूरे मामले की जांच करने तथा उसके पश्चात् रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। तत्पश्चात् भेजे गए पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि दो लाशों पर जख्म के काले निशान थे जिससे संभवतः यह संकेत मिलता था कि गोली नजदीक से मारी गई थी। तत्पश्चात् आयोग ने यह राय दी कि इस मामले की राज्य सी आई डी द्वारा जांच करने की जरूरत है। राज्य सरकार ने हालांकि इस मामले की सी बी – सी आई डी द्वारा जांच नहीं कराई। उसके बाद

आयोग द्वारा यह निर्देश दिया गया कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में इस्तेमाल किए 'ब्लैकिश' शब्द के संबंध में किसी विशेषज्ञ की राय ली जाए। विशेषज्ञ, जो आयोग के पैनल में एक डाक्टर है, ने कहा कि इस मामले में चोट आनेयास्त्र से लगी होगी। हालांकि सही दूरी जिसके कारण काले जख्म हुए के बारे में इस्तेमाल किए गए आग्नेयास्त्र के प्रकार की जांच करने के बाद बैल्स्टिक विशेषज्ञ द्वारा ही टिप्पणी की जा सकती है। उक्त मामले में पुलिस ने बैलिस्टिक जांच के लिए हथियार नहीं भेजे थे।

4-178 सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि पांचों मृत व्यक्तियों, जिसके नाम चंद्रना, देवेन्द्र, विक्रम सुंग माडे, रमेश तथा समक्का थे, के नजदीकी रिश्तेदारों को आर्थिक राहत की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। चूँकि आयोग द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए दिनांक 5 जनवरी, 2011 की अपनी कार्यवाही द्वारा आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को पांचों मृत व्यक्तियों में से प्रत्येक के नजदीकी रिश्तेदार को 5,00,000 रु0 का भुगतान करने की सिफारिश की।

4-179 भुगतान के साक्ष्य सहित महाराष्ट्र सरकार से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

36. असम के गोलपारा जिले में दोहीकाटा कदलधोवा रिजर्व फोरेस्ट में पांच डकैतों की मौत (मामला सं0 75/3/6/2010–इ डी – एफ सी)

4-180 आयोग को गुवाहाटी में असम पुलिस मुख्यालय के मानव अधिकार प्रकोष्ठ के प्रभारी अपर पुलिस महानिदेशक से पांच डकैतों की मुठभेड़ में मौत के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। यह सूचना दी गई थी कि 28 जून, 2009 को सेना तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ पुलिस पार्टी कुछ डकैतों को पकड़ने के लिए दोहीकाटा कदालधोवा रिजर्व फारेस्ट में घात लगाकर बैठी जिन्होंने डकैती करने के लिए जंगल क्षेत्र में शरण ले रखा था। लगभग 10 बजे रात में पांच से छः डकैतों को जंगल से आते देखा गया। घात दल को देखते ही उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। इसके बाद हुए युद्ध के दौरान अलाउद्दीन एस. के., शाहजमाल हक, प्रोमटोन संगमा, जहाँगीर और सलीम खान नामक पांच डकैतों की गोली लगने से हुए घाव के कारण मौके पर मौत हो गई। तलाशी के दौरान, तीन पिस्तौल, एक रिवाल्वर, 19 जिंदा बारूद, सात खाली कारतूस, एक 0.12 बोर का एस बी बी एल गन, एक ग्रेनेड तथा एक इन्डीका कार बरामद हुई तथा उन्हें जब्त कर लिया गया। असम के गोलपारा जिले में मोरनोई पुलिस स्टेशन में हथियार एक्ट की धारा 25 (1–ए)/27 के साथ पढ़े जाने वाले आई पी सी की धारा 399/307/34 के तहत मामला सं0 65/09 दर्ज किया गया।

4-181 सभी पांच मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला कि –(i) तीन लाशों पर दो प्रवेश जख्म तथा दो निकास जख्म थे; (ii) दो लाशों में से प्रत्येक पर एक एन्ट्री जख्म तथा एक एक्जिट जख्म पाया गया। हालांकि घाव के आस–पास काला पड़ने/गोदने अथवा झुलसने का कोई निशान नहीं था।

4-182 सभी पांच मामलों के पोस्ट मार्टम रिपोर्टों के अनुसार मौत का कारण मृतक को मृत्यु पूर्व लगे गोलियों के घाव से हुए सदमें तथा रक्तस्राव को बताया गया।

4-183 जिस मजिस्ट्रेट ने जांच की उसने पांच मृतकों में से किसी के भी परिवार के सदस्यों को जांच में शामिल नहीं किया क्योंकि वे दूर रहते थे। उसने हालांकि गोलपारा के पुलिस अधीक्षक से पांच मृतकों का आपराधिक ब्यौरा देने

को कहा किन्तु इस संबंध में उससे कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि घटनास्थल से बरामद किए गए हथियारों को बैलिस्टिक जांच के लिए भेजा गया था अथवा नहीं। पुलिस का कहना था कि मुठभेड़ घने अंधेरे में हुई थी। इसलिए यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कैसे घुप्प अंधेरे में आधे घंटे तक जंगल में चले मुठभेड़ में पुलिस बल पांच लोगों पर तो घातक चोट लगाने में कामयाब रही जबकि खुद उसे कोई चोट नहीं आई। जिस प्रकार निशाने पर सही—सही गोली चलाई गई वह भी चौंकानेवाला था। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रत्येक गोली पीछे से चलाई गई थी क्योंकि मारे गए लोगों की पीठ उनकी तरफ थी जिन्होंने उन्हें गोली मारी थी। आयोग ने यह राय दी कि यह प्राणदण्ड था, मुठभेड़ नहीं था तथा मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन था। आयोग ने असम सरकार को कारण बताने को कहा कि सभी पांचों मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को राहत की संस्तुति क्यों नहीं की जाए। ,

4-184 आयोग द्वारा जारी किए गए कारण—बताओ नोटिस के जवाब में असम पुलिस का कहना था कि मृतकों की आपराधिक पृष्ठभूमि थी। आयोग का मानना था कि यदि मृत व्यक्तियों की आपराधिक पृष्ठभूमि थी तो इसकी सूचना जांच मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं दी गई। आयोग ने यह भी कह कि जांच मजिस्ट्रेट ने किसी भी मृतक के परिवार के सदस्यों को इस आधार पर शामिल नहीं किया कि उस समय वे काफी दूर रहते थे। तब अगले ही दिन परिवार के सदस्यों को शव कैसे सौंपे गए। इसके अतिरिक्त आयोग ने इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त की कि राज्य अभिकरणों द्वारा यह सूचित नहीं किया गया था कि परिवार के सदस्यों को घटना की जानकारी कैसे मिली। हथियारों की कोई बैलिस्टिक जांच नहीं की गई थी तथा घटना के बाद फिंगर प्रिंट का कोई निशान नहीं लिया गया था। घने अंधेरे में मृतकों को पीठ में गोली कैसे मारी गई इसका जवाब संबंधित राज्य अभिकरणों द्वारा नहीं दिया गया था। आयोग ने चिंता के साथ यह नोट किया कि इसके द्वारा दिए गए पर्याप्त बिन्दुओं में से किसी का भी समाधान असम सरकार द्वारा नहीं किया गया था। तदनुसार, इसने असम सरकार को पांचों मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को आर्थिक राहत के रूप में 5,00,000 रु0 देने की संस्तुति की।

4-185 इस मामले में भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

37. उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा तथाकथित फर्जी मुठभेड़ में कुलदीप सिंह की मौत
(मामला सं0 16593/24/18/2010—ए एफ इ)

4-186 आयोग ने 3 मई, 2010 के 'द एशियन एज' में ''यू पी पुलिस पर फर्जी हत्या का आरोप'' शीर्षक से छपे एक प्रेस रिपोर्ट का संज्ञान लिया। प्रेस रिपोर्ट में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि राजपूताना राईफल्स के एक जवान, कुलदीप सिंह, उम्र 32 वर्ष, की 1 मई, 2010 को बुलंदशहर जिले में एक फर्जी मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। यह खबर थी कि वह दो महीनों की छुट्टी पर था। 30 अप्रैल, 2010 की सुबह वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में खेरका क्षेत्र के भरारी गांव स्थित अपने घर से कुछ खरीदारी करने के लिए निकला था किन्तु वह घर वापस नहीं लौटा तथा बाद में खबर मिली कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में वह मारा गया।

4-187 आयोग को बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर से पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुलदीप सिंह की मौत के बारे में सूचना मिली। आयोग को कई शिकायतें भी प्राप्त हुईं जिसमें फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगाए गए थे।

4-188 आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश; जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर को मामले की जांच के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया तथा यह भी निर्देश दिया कि जांच आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जानी चाहिए। इसके निर्देशों के अनुसरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जांच रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट तथा एफ आई आर की एक कापी सौंपी।

जांच रिपोर्ट से पता चला कि मृतक की मौत सीने के दाहिनी तरफ तथा बीच में आग्नेयास्त्र की चोट तथा पीठ पर दो घाव के कारण हुई। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि मृतक की मौत मरने से पूर्व गोली लगने से घायल होने के कारण रक्तस्राव की वजह से हुई। इस मामले में मजिस्टेरियल जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

4-189 आयोग ने अपने महानिदेशक (अन्वेषण) को इस मामले में घटनास्थल जांच करने के लिए अधिकारियों की एक टीम भेजने का निर्देश दिया।

4-190 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में इसके अन्वेषण प्रभाग से एक टीम ने घटनास्थल जांच की तथा गवाहों के बयान दर्ज करने तथा संगत दस्तावेज/रिकार्ड एकत्रित करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष दिया :

> ''मृतक कुलदीप सिंह, भारतीय सेना के एक नौजवान सिपाही (32 वर्ष), ने मुठभेड़ से केवल 8 महीने पहले शादी की थी। वह दो महीने की छुट्टी पर था। वह संभवतः पुलिस मुठभेड़ के एक मनगढंत तथा झूठे मामले में मारा गया था। यह संस्तुति की गई कि शिकायतकर्त्ता के फोन का विवरण, डकैती के गवाह तथा सभी शामिल पुलिस अधिकारियों की पूरी जांच की जानी चाहिए ताकि इस मामले की सच्चाई का पता चल सके। यह संस्तुति की गई कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम द्वारा बताए गए अनियमितताओं के संबंध में इस मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा और अधिक जांच की जरूरत हैं।

4-191 उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने कहा कि यह बहुत चिंता की बात है कि मृतक कुलदीप, एक नौजवान सिपाही, एक फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम द्वारा जांच के दौरान पुलिस द्वारा कोई संतोषजनक तर्क नहीं दिया गया।

4-192 आयोग ने मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (अ) के तहत् कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया कि मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक राहत की संस्तुति क्यों नहीं की जाए। आयोग ने गृह राज्य सचिव को संलिप्त पुलिस कर्मचारियों का अपराध तय करने के लिए सी बी – सी आई डी जांच का आदेश देने का भी निर्देश दिया।

4-193 इस मामले में संगत रिपोर्टे प्राप्त नहीं हुई हैं।

38. बिहार के नवादा जिले में पुलिस गोलीबारी में पवन मिश्रा की मौत
(मामला सं0 3609/4/2005–2006)

4-194 उपरोक्त मामले में शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया था कि पवन मिश्रा को 3 नवम्बर, 2005 को बिहार के नवादा जिले में मेसकौर थाने के निरीक्षक किशोर कुमार द्वारा बिना किसी बात के गोली मार दी गई। यह भी कहा गया था कि पवन मिश्रा एक मेधावी छात्र था तथा अपने माता–पिता की इकलौती संतान था। उसने दोषी पुलिसकर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई तथा मृतक के परिवारवालों को मुआवजा दिए जाने की प्रार्थना की। मृतक के परिवार के सदस्यों से भी इसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

4-195 आयोग के नोटिस के जवाब में पुलिस अधीक्षक, जिला नवादा, बिहार ने सूचित किया कि कपिल देव मिश्रा के बयान के आधार पर हथियार अधिनियम की धारा 27 के तहत् सिरदला (मेसकौर) पुलिस स्टेशन में उपनिरीक्षक किशोर कुमार तथा उप हेड कान्स्टेबल लाल राम के विरूद्ध अपराध सं0 145/05 दिनांक 3 नवम्बर, 2005 दर्ज किया गया था तथा दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। यह भी सूचना दी गई थी कि 12 नवम्बर, 2006 को पुलिसकर्मियों के विरूद्ध अदालत में चार्जशीट सौंपी गई थी।

4-196 रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने दिनांक 17 सितम्बर, 2009 की अपनी कार्यवाही द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की :—

> ''आसन्न मामले में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक नौजवान छात्र, जो अपनी शिक्षा पूरी करने वाला था, पुलिस के हाथों मारा गया था। पुलिस को लोगों की सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाते हैं न कि निर्दोष व्यक्तियों को मारने के उद्देश्य से। यदि निर्दोष व्यक्ति इस प्रकार से मारे जाते हैं तो राज्य प्राधिकारियों को इसका विरोध करना चाहिए, मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए तत्काल आगे आना चाहिए। यदि उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता है तो यह भी समझा जाएगा कि राज्य ऐसे पुलिस अधिकारियों का समर्थन करता है। जब उचित जांच के पश्चात् पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है तथा दूसरे पुलिस अधिकारियों द्वारा आयोग को सौंपी गई जांच रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निर्दोष छात्र की मौत पुलिस के हाथों हुई तो राज्य को मुआवजा देना चाहिए था। रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उप हवलदार लाल राम तथा उप निरीक्षक किशोर कुमार को निलंबित किया गया था तथा उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा जांच अधिकारी ने माना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध किए जा चुके हैं।''

4-197 परिणामस्वरूप, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (ग) के तहत् मुख्य सचिव, बिहार राज्य को यह कहते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को उपयुक्त मुआवजे की संस्तुति क्यों नहीं की जानी चाहिए।

4-198 राज्य सरकार के जवाब पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने दिनांक 5 मार्च, 2011 की कार्यवाही द्वारा संस्तुति की कि मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 5,00,000 रु0 का भुगतान किया जाए। मुख्य सचिव, बिहार सरकार को आठ हफ्तों के भीतर आयोग को भुगतान के साक्ष्य भेजने का भी निर्देश दिया गया।

4-199 राज्य सरकार से प्रमाण प्राप्त होने पर इस मामले को बंद कर दिया गया।

c- vkradokn rFkk mxzokn

4-200 आज भारत के सामने आतंकवाद से आम जनता के मानव अधिकारों की रक्षा की साहसिक चुनौती है। निर्दोष एवं निस्सहाय लोगों को अपना निशाना बनाने के आतंकवाद के भयावह परिदृश्य में मानव अधिकारों की रक्षा का काम और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बन गया है।

4-201 एक शांतिपूर्ण समाज न्याय एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के स्तंभों पर टिका रहता है। आतंकवाद के निहित मुद्दे से निपटने में न्याय के लिए चिंता पूर्ण सर्वाधिक महत्व है। आतंकवाद से जुड़े अधिकांश त्रासदियों में बहुधा आम आदमी के मानव अधिकारों का हनन् होता है।

4-202 आतंकवादियों तथा नक्सलियों की गतिविधियों में बढ़ोतरी ने सुरक्षा बलों की भूमिका को और भी अधिक दुरूह कर दिया है। उन्हें नागरिक असंतोष को रोकने, महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने तथा जब कभी आवश्यक हो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा जाता है।

4-203 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसम्बर, 1979 को एक संकल्प 34/169 अंगीकार किया कि सभी सुरक्षा कर्मचारी मानवीय गरिमा का सम्मान करेंगे तथा उसकी रक्षा करेंगे तथा सभी के मानव अधिकारों का समर्थन

करेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे उत्पीड़न तथा अन्य क्रूर दण्डों के विरूद्ध अंतरराष्ट्रीय अभिसमय तथा निरोध, गिरफ्तारी एवं प्रत्यर्पण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के सिद्धान्तों का पालन करेंगे।

4-204 आयोग का यह दृढ़ मत है कि मानव अधिकारों के समुचित पालन से शांति एवं सुरक्षा बहाल करने में कोई बाधा नहीं होती है। बल्कि, शांति एवं सुरक्षा की रक्षा करने तथा आतंकवाद को हराने के लिए किसी भी सार्थक रणनीति में यह एक आवश्यक तत्व है। इसलिए आतंकवाद विरोधी उपायों का उद्देश्य प्रजातंत्र, कानून के शासन तथा मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए जो हमारे समाज के मौलिक मूल्य हैं तथा संविधान के केंद्रीय मूल्य हैं।

> 4.205. आयोग ने समय–समय पर इस बात को दोहराया है कि आतंकवाद एक ऐसा माहौल बनाता है जो भय रहित स्वतंत्र जीवन जीने के लोगों के अधिकार को खत्म करता है। आतंकवाद का लक्ष्य लोकतंत्र के ढ़ांचे को ही तहस–नहस करना है। यह आज मानवता के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर आया है। भारत आतंकवाद के विरूद्ध वैश्विक युद्ध में एक महत्वपूर्ण सहयोगी बना हुआ है। पंद्रह वर्षों से भी अधिक समय से इसने आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई लड़ी है तथा इसकी सफलताओं एवं असफलताओं से काफी कुछ सीखा है। आयोग की कोशिश यह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद से लड़ने में सहयोग करने के लिए अपील करे। साथ ही, आयोग ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा करने में मानवीय, विवेकपूर्ण एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

4-206 आयोग ने सदैव आतंकवाद के कारनामों के शिकार लोगों का मामला उठाया है तथा उन्हें राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। इसका मानना है कि आतंकवाद के कारनामों के लिए जिम्मेवार सभी लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए तथा मौजूदा कानून कुल मिलाकर पर्याप्त हैं। आयोग का यह दृढ़ मत है कि यद्यपि आज हम जिस आतंकी खतरे का सामना कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है, किन्तु आतंकवाद–विरोधी उपायों का तर्काधार मानव अधिकारों तथा लोकतंत्र की रक्षा करना है, इसलिए आतंकवाद विरोधी उपायों में लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, मानव अधिकारों का हनन् नहीं होना चाहिए तथा कानून के शासन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई लड़ते समय राज्य को इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वह अपने रवैये में चयनात्मक हो अथवा खुलेआम लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं पर युद्ध छेड़ दे।

1. जम्मू एवं कश्मीर में उग्रवादियों तथा सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी में अब्दुल रहमान दर की मौत (मामला सं0 55/9/2002–2003)

4-207 आयोग को दिनांक 21 मई, 2002 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सुरक्षा बलों तथा पुलिस द्वारा मानव अधिकारों का दुरूपयोग किया जा रहा था। शिकायत में ऐसी 22 घटनाओं का जिक्र किया गया है। इनमें से 16 राज्य पुलिस से संबंधित थी तथा शेष 6 सेना से संबंधित थी, जो संघ सूची के अन्तर्गत आता है। इनमें से 18 मामलों में राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामला बंद कर दिया गया था।

4-208 इनमें से एक घटना में अब्दुल रहमान दर, जो पेशे से एक दर्जी था, की उग्रवादियों तथा सुरक्षा बलों के बीच आपसी गोलीबारी में मौत हो गई। सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को एक कारण–बताओ नोटिस जारी किया गया। रक्षा मंत्रालय ने यह कहा कि सेना को अब्दुल रहमान दर की मौत के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह उग्रवादियों तथा सेना के बीच परस्पर गोलीबारी का शिकार हुआ था जो वैध उग्रवाद विरोधी आपरेशन में

लगे थे। हालांकि, मंत्रालय मानवतावादी आधार पर ''मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने के लिए'' सहमत हो गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाए गए रवैये को देखते हुए आयोग ने सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को मृतक अब्दुल रहमान दर के परिजनों को रु0 3,00,000 का मुआवजा देने की संस्तुति की। इस मामले में भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

4-209 गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से संबंधित तीन घटनाओं के संबंध में भी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है।

I- Tkyksa dh n'kk,a

4-210 पी एच आर ए के अनुसार आयोग के कार्यों में से एक कार्य राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन जेलों तथा अन्य संस्थानों का दौरा करना है, जहां व्यक्तियों को उपचार, सुधार अथवा संरक्षण के उद्देश्य से कैद अथवा बंद रखा जाता गया है, ताकि वहां पर व्याप्त जीवन यापन की दशाओं का पता लगाया जा सके तथा सरकार को उनके विषय में सिफारिशें की जा सकें।

d- Tkyksa ds nkSjs

4-211 तद्नुसार, वर्ष 2010—2011 के दौरान आयोग के एक सदस्य तथा दो विशेष संपर्ककर्त्ताओं ने उत्तर प्रदेश के बाराबकी, लखनऊ तथा फैजाबाद; उड़ीसा के भुवनेश्वर; हिमाचल प्रदेश के शिमला तथा पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में स्थित सात जेलों का दौरा किया। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य इन जेलों की कार्य प्रणाली की निगरानी करने के साथ—साथ वहां रहने वाले कैदियों के मानव अधिकार स्थितियों का अध्ययन करना था। इसके अतिरिक्त अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों ने इलाहाबाद के नैनी जेल (उत्तर प्रदेश); गाजियाबाद में डासना जेल (उत्तर प्रदेश); इन्दौर के केंद्रीय कारागार (मध्य प्रदेश); ग्वालियर के केंद्रीय कारागार (मध्य प्रदेश); देहरादून के जिला जेल (उत्तराखंड); बंगलोर के कोरामंगला ओपेन एयर जेल (कर्नाटक); रांची में बिरसा मुण्डा केंद्रीय कारागार; झारखण्ड के केंद्रीय कारागार; केरल के त्रिशूर जेल; पटना में बेऊर जेल (बिहार); भुवनेश्वर के जिला जेल झरपदा (उड़ीसा); गुड़गांव के केंद्रीय कारागार (हरियाणा) तथा मदुरै के केंद्रीय कारागार (तमिलनाडु) का दौरा किया। अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों ने किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में बॉयज — II के लिए प्रेक्षण गृह तथा मजनू का टीला, दिल्ली में बॉयज—I के लिए विशेष गृह का भी दौरा किया।

[k- Tksy tula[;k dk fo'ys"k.k

4-212 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश में जेल जनसंख्या संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र—वार आंकड़े संकलित एवं विश्लेषित करता है ताकि जेलों में भीड़—भाड़ की वास्तविक स्थिति का पता चल सके तथा तद्नुसार इसको कम करने के लिए उपाय सुझाए जा सकें। इस कार्य को प्रत्येक छः महीनों में निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के जेल मुख्यालयों से डाटा एकत्र करके किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने 30 जून, 2009 तक प्राप्त सूचना के आधार पर जेल आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया।

4-213 यह जानना उत्साहवर्द्धक है कि जेलों में भीड़—भाड़ जो जेलों के भीतर कैदियों के जीवन—यापन की दशाओं को तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, उसमें जून, 2005 (42.9%) से जून, 2009 (27.4%) तक निरंतर एवं महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, गुजरात, उत्तराखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, पंजाब, असम, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां भीड़—भाड़ का प्रतिशत अत्यधिक है जो पूरे भारत के 27.4% से अधिक है, उन्हें अपनी जेलों

में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर इसे और कम करने का अनुरोध किया जा सकता है। दिल्ली, गुजरात तथा झारखण्ड अपनी जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए उनके उदाहरण का अनुकरण कर सकते हैं। उड़ीसा एवं त्रिपुरा भी अपनी जेलों में भीड़भाड़ कम करने में सफल रहे हैं।

4-214 जेलों में जीवन यापन के अन्य पैरामीटर के संबंध में भी इसी प्रकार की गिरावट देखी गई। विचाराधीन कैदियों के प्रतिशत में हल्की अधोमुखी प्रवृत्ति देखी गई क्योंकि यह जून, 2008 में 68.3% से घटकर जून, 2009 में 67.9% हो गई। इस गिरावट को बनाए रखना जरूरी है तथा इसमें और अधिक तेजी लाने की जरूरत है। निरंतर जेल अदालत लगाने (जेलों के भीतर कैम्प कोर्ट), गरीब एवं जरूरतमंद कैदियों को विधिक सहायता का प्रावधान, पैरोल की अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल बनाना, शीघ्र ट्रायल तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग करने आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जेलों में भीड़भाड़ तथा विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।

4-215 जून, 2008 की पिछली अवधि के साथ विचाराधीन कैदियों के प्रतिशत की तुलना करने पर यह दर्शाता है कि 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसमें कमी आई है, 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसमें बढ़ोत्तरी हुई है तथा 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि/गिरावट नहीं हुई है।

4-216 महिला कैदियों के प्रतिशत के संबंध में यथास्थिति बनी हुई है। महिलाकैदियों का प्रतिशत मिजोरम, दमन एवं दीव, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में उच्च दर्ज की गई।

****

अध्याय - 5

LokLF; dk vf/kdkj

5-1 इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्यों द्वारा जिन अधिकारों को संजो कर रखा जाता है उनमें स्वास्थ्य के अधिकार से अधिक मौलिक कोई नहीं है। यह अधिकार अन्य मानव अधिकारों के प्रयोग के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक मनुष्य को उच्चतम स्वास्थ्य स्तर के उपभोग का अधिकार है जो गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए सहायक हो। स्वास्थ्य के मानव अधिकार को कई अंतरराष्ट्रीय प्रपत्रों में स्वीकार किया गया है। उनमें से आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून में स्वास्थ्य के अधिकार पर सर्वाधिक व्यापक अनुच्छेद का प्रावधान है। इस प्रसंविदा का अनुच्छेद 12.1 इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य पक्षकारों को ''प्रत्येक व्यक्ति के उच्चतम प्राप्त शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के स्तर के उपभोग के अधिकार'' को अवश्य मान्यता देनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 12.2 में उदाहरण के तौर पर ''राज्य पक्षकारों द्वारा इस अधिकार की पूर्ण प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कई कदमों'' को बताया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के अधिकार को अन्य बातों के साथ–साथ सभी प्रकार के नस्लीय भेद–भाव के उन्मूलन संबंधी अंतराष्ट्रीय प्रसंविदा 1965 के अनुच्छेद 5(च), (iv)महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेद–भाव के उन्मूलन संबंधी प्रसंविदा, 1979 (सीडॉ) के अनुच्छेद 11.1 (छ) तथा 12 एवं बच्चों के अधिकार संबंधी प्रसंविदा, 1989 (सी आर सी) के अनुच्छेद 24 में मान्यता दी गई है।

5-2 स्वास्थ्य के अधिकार को वियना घोषणपत्र तथा कार्य योजना 1993 में भी घोषित किया गया है। साथ ही, 1994 में कैरो में जनसंख्या एवं विकास पर आयोजित किए गए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के कार्य योजना तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों यथा बीजिंग में 1995 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन के घोषणा पत्र तथा कार्य योजना में भी घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन, आवास, काम, शिक्षा, मानवीय गरिमा, जीवन, भेद–भाव न होना, समानता, निजता तथा सूचना तक पहुँच के अधिकार सहित अन्य मानव अधिकारों की प्राप्ति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है तथा उस पर निर्भर हैं। ये अधिकार तथा अन्य अधिकार एवं आजादी स्वास्थ्य के अधिकार के अभिन्न घटक हैं।

5-3 भारत इन सभी अभिसमयों, घोषणापत्रों तथा कार्य योजना का राज्य पक्षकार है। भारत का संविधान भी अनुच्छेद 21 के तहत् 'स्वास्थ्य के अधिकार' को एक मौलिक अधिकार के रूप में समर्थन देता है। तदनुसार, आयोग ने स्वास्थ्य के अधिकार के संबंध में एक सक्रिय भूमिका अपनाई है तथा सदैव यह दृष्टिकोण अपनाया है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के लोग, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों, को बेहतर तथा और अधिक व्यापक स्वास्थ्य देख रेख सुविधाओं तक पहुँच हो।

5-4 वर्ष 2009–2010 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मुख्यतः जनजातीय इलाकों में बेहतर चिकित्सा सेवा तथा स्वास्थ्य देख रेख सुविधाएँ प्रदान करने; मानसिक स्वास्थ्य देखरेख में गुणवत्ता सुनिश्चित करने; सिलिकासिस से प्रभावित सभी व्यक्तिगत मामलों पर विचार करने तथा साथ ही पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए संबंधित राज्य

सरकारों को निर्देश देने के साथ–साथ सिलिकॉसिस की समस्या से निपटने के लिए निवारक, पुनर्स्थापन तथा उपचारात्मक उपाय तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

¼d½ tutkrh; bykdk e cgrj fpfdRlk O;oLkk; rFkk LokLF; n[kj[k lfoèkk

5-5 वर्ष 2009–2010 के वर्षिक रिपोर्ट में यह सूचना दी गई थी कि देश में जनजातीय इलाकों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखरेख तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 29 जनवरी, 2010 को आयोग ने ''अवैध चिकित्सा व्यवसाय तथा जनजातीय इलाकों में स्वास्थ्य देखरेख सुविधा'' पर सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों की एक दिवसीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के अधिकारियों, विशेषज्ञों तथा सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने ऐसे कई उपायों की सिफारिश की/सुझाव दिया जिसे सभी संबंधित साझेदारों द्वारा किए जाने की जरूरत है ताकि जनजातीय इलाकों में रहने वाले लोगों की बेहतर स्वास्थ्य देखरेख की गारंटी हो सके।

5-6 इस बैठक में हुए विचार–विमर्श से उभर कर आए महत्वपूर्ण सिफारिशें/सुझाव निम्नलिखित हैंः–

(i) मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य देख रेख प्रणाली में एकसमान, मानवीय तथा भेद–भाव रहित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि समाज के आदिवासी, ग्रामीण तथा वंचित वर्ग देश में मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं तथा स्वास्थ्य देख–रेख से वंचित न रहें। इस तरह के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य देख–रेख में असमानता दूर होगी तथा यह सुनिश्चित होगा कि स्वास्थ्य देख–रेख सभी को उपलब्ध है तथा इस तक सबकी पहुँच है।

(ii) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवैध चिकित्सा व्यवसायिकों तथा नीम हकीमों के विरूद्ध मौजूदा कानूनों, नियमों तथा विनियमों के तहत मुकदमा चलाकर उन पर कार्रवाई करने के लिए अपनी मशीनरी को तैयार करना चाहिए। जहाँ यह नहीं है वहाँ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवैध चिकित्सा व्यावसायिकों/नीम हकीमों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए वैधानिक ढ़ांचा तैयार करना चाहिए।

(iii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नीम हकीमों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए एक निगरानी प्रणाली गठित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उनके पास इस मामले पर समय–समय पर की गई कार्रवाई की आवधिक समीक्षा की प्रणाली होनी चाहिए।

(iv) अवैध चिकित्सा व्यावसायिकों तथा नीम हकीमों के खतरे को रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक झोला छाप विरोधी विधेयक लाना चाहिए जिसमें ऐसे चिकित्सा अपराधों में लिप्त लोगों के लिए कड़े दण्ड का प्रावधान हो।

(v) स्वास्थ्य देख रेख में, विशेष रूप से जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेशेवर लोगों की भूमिका को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। गैरकानूनी प्रैक्टिस करने वालों/झोला छाप डाक्टरों को अपने कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने तथा ग्रामीण तथा जनजातीय इलाकों में डाक्टरों की जगह पर तैनात करने के लिए अलग–अलग योग्यता रखने वाले डाक्टरों को रखने की कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली मौजूदा प्रवृति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह भेद–भाव पूर्ण कार्रवाई है।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य डाक्टरों तथा पैरा–मेडिकल कर्मचारियों की कमी से झोला छाप डाक्टरों को लोगों का शोषण करने का अवसर मिलता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य डाक्टर तथा पैरामेडिकल कर्मचारी उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(vii) केंद्र सरकार द्वारा मौजूदा अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली में कदाचार के विरूद्ध प्रभावी एवं शीघ्र कार्रवाई के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए इसमें यथोचित सुधार लाना चाहिए।

(viii) जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख तक पहुँच नहीं होना ही एक समस्या नहीं है क्योंकि भिन्न–भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न जनजातीय लोगों की अपने पर्यावरण से संबंधित अनोखी तथा विशिष्ट समस्याएँ होती हैं। अलग–अलग भौगोलिक क्षेत्रों में फैले विभिन्न जनजातीयों की इन समस्याओं का समाधान उन्हें मूलभूत स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करते समय क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ करने की जरूरत है। स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली को स्थानीय क्षेत्र की स्थिति से मेल खाने के लिए उसके अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

(ix) देश के जनजातीय क्षेत्रों में मौजूदा स्वास्थ्य देखरेख सुविधा में सुधार लाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा एक बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

(x) देश के जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देख रेख प्रणाली बहाल करने यथा – पेयजल आपूर्ति, पर्याप्त स्वच्छता एवं सफाई, स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन, आदि के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा मिलकर प्रयास करने की जरूरत है।

(xi) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजातीय इलाकों में उपलब्ध मानकीकृत स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में अच्छे/उत्तम पद्धतियों को दूसरे जनजातीय क्षेत्रों में दोहराने की जरूरत है। केंद्र सरकार में संबंधित मंत्रालयों को इस प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।

(xii) डाक्टरों तथा पैरा मेडिकल कर्मचारियों को जनजातीय इलाकों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को एक प्रोत्साहन पद्धति शुरू करनी चाहिए। इसमें वित्तीय तथा वृतिका उन्नति से संबंधित प्रोत्साहन दोनों को शामिल किया जा सकता है।

(xiii) जनसाधारण तथा स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने वालों के बीच नियमित आधार पर जागरूकता उत्पन्न करने की जरूरत है।

(xiv) देश में नकली/जाली दवाओं के उत्पादन तथा आपूर्ति को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

(xv) देश में दवा निरीक्षण प्रणाली को भी मजबूत तथा व्यवस्थित किए जाने की जरूरत है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में औषध निरीक्षकों की नियुक्ति फार्मेसी की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए जिनकी संख्या में दिन–प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है।

(xvi) इस बात की सिफारिश की गई थी कि औषध परीक्षण करने वाले प्रयोगशालाओं के लिए सुविधाओं में अत्याधुनिक तकनीकों तथा साधनों वाले नए प्रयोगशालाओं के गठन के साथ बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इससे समयबद्ध तरीके से नमूनों के परीक्षण में आसानी होगी।

(xvii) दवाओं की गुणवता तथा उनकी कारगरता का आकलन करने के लिए कन्सलटेंट/चिकित्सा व्यावसायिकों की प्रतिक्रिया माँगने की पद्धति शुरू किए जाने की जरूरत है तथा ऐसे आकलन के नतीजे को जनसाधारण की सामान्य जानकारी के लिए सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखा जा सकता है।

(xviii) नकली/जाली दवाओं की आपूर्ति के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जरूरी कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।

(xix) मौजूदा सार्वनजनिक दवा विक्रय पद्धति की जांच करने की जरूरत है। प्रतिष्ठित दवा निर्माता से दवा खरी. दने की पद्धति को सभी राज्यों/संघ राज्यों द्वारा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। दवा की कीमत के बजाए उसकी गुणवत्ता पर जोर दिया जाना चाहिए।

(xx) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा देश में फार्मेसी की समग्र कार्य प्रणाली की निगरानी करने की तत्काल आवश्यकता है।

5-7 इस संस्तुतियों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी साझेदारों को अनुपालन हेतु भेजा गया।

¼[k½ ekufld LokLF;

5-8 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे दिए गए अधिदेश के भाग के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आगरा, ग्वालियर तथा रांची में तीन मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों की कार्यप्रणाली की निगरानी कर रहा है। चन्नावासवना रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसने स्वयं देश में सभी मानसिक अस्पतालों की निगरानी का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। इस संदर्भ में अध्यक्ष, सदस्य, विशेष संपर्ककर्त्ता तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मानसिक अस्पतालों की कार्यप्रणाली को जानने के साथ–साथ इलाज के लिए वहां भर्ती किए गए मानसिक रोगियों की दशा का पता लगाने के लिए देश भर में मानसिक अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं।

5-9 वर्ष 2009–2010 के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में यह सूचना दी गई थी कि मानसिक स्वास्थ्य में गुणवत्ता आश्वासन पर इसकी सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति का पता लगाने तथा मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के लिए आयोग ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी तथा उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों को शामिल करते हुए देश में मानसिक स्वास्थ्य पर चार क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की। उन बैठकों के क्रम में वर्ष 2010–2011 के दौरान इसने उत्तरी क्षेत्र के लिए मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल संस्थान के सहयोग से आगरा में 9 अप्रैल, 2010 को अपनी पाँचवीं क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया उनमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं राजस्थान शामिल थे। इस बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में मानसिक अस्पतालों में व्याप्त दशाओं का आकलन करना, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाना तथा मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लंबित मानसिक अस्पतालों तथा जिला अस्पताओं के प्रस्तावों की समग्र स्थिति को जानना था।

5-10 समीक्षा बैठक में क्षेत्र में मानसिक अस्पतालों के निदेशकों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में मानसिक स्वास्थ्य से निपटने वाले वरिष्ठ अधिकारियों; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी, क्षेत्र में स्थित मेडिकल कालेजों में मनोरोग विज्ञान शिक्षा के प्रोफेसर तथा भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रतिनिधि ने भाग लिया। क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों से जो सिफारिशें उभर कर आईं उन्हें सभी साझेदारों को भेज दिया गया है तथा उनका पालन किया जा रहा है।

¼l½ flfydkfll

5-11 आयोग सिलिकॉसिस, जो एक व्यवसायिक रोग है, से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के प्रति गंभीर रूप से चिंतित है। सिलिकॉसिस फेफड़े का एक असाध्य रोग है जो क्रिस्टलाइन सिलिका से युक्त धूल को सांस के रूप में खींचने पर होती है। क्रिस्टलाइन सिलिका या सिलिकान डाइआक्साइड स्फटिक, बलूआपत्थर, चकमक, स्लेट, बहुत से खनिज अयस्कों तथा ईंट, कंक्रीट, मोर्टार एवं टाइलों सहित कई निर्माण पदार्थों में पाया जाता है। सिलिका धूल से खतरे वाले व्यवसायों में खनन; सुरंग बनाना; पत्थर का काम तथा पत्थर कटाई शामिल हैं। इन सभी व्यवसाओं में कामगार काटने, चूरा करने, फोड़ने, पीसने, छेद करने, उड़ाने अथवा सुरंग बनाने से हवा में छोड़े गए छोटी सिलिका के कणों को सांस द्वारा अंदर लेते हैं तथा इस प्रक्रिया में वे सिलिकॉसिस के शिकार हो जाते हैं। सेरामिक, शीशा तथा अपघर्षक पाउडर के उत्पादन में लगे सभी मजदूरों को भी सिलिका धूल से खतरा है।

5-12 उन क्षेत्रों की सफाई में लगे मजदूर जहां बलूआ पत्थर तथा चट्टानों को तोड़ा जाता है अथवा उसे चूरा जाता है या वे मजदूर जो पत्थर को गाड़ी में चढ़ाने, उसे उतारने तथा पत्थर या कंक्रीट को पाटने या निर्माण सामग्री की सफाई में लगे हैं, उन सभी को सिलिकॉसिस होने का खतरा है क्योंकि इन प्रक्रियाओं में बड़ी मात्रा में धूल के बादल उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें क्रिस्टलाइन सिलिका धूल मौजूद है, खतरनाक हो सकती है चाहे उसे खुली हवा में क्यों न किया जाए। सांस द्वारा खीची गई सिलिका के कण इतने छोटे होते है कि उन्हें केवल किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। साथ ही वे इतने हल्के होते हैं कि काफी लम्बे समय तक वे वायुवाहित रहते हैं। जिसके परिणामस्वरूप सिलिका हवा में लम्बी दूरी तक जा सकता है तथा ऐसी आबादी को भी प्रभावित कर सकता है जिसे अन्यथा खतरे का विचार नहीं किया जा सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय व्यावसायगत स्वास्थ्य संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययनों में समय–समय पर यह तथ्य उभर कर आया है कि सिलिकॉसिस न केवल उन सभी लोगों के स्वास्थ्य के प्रति एक गंभीर खतरा है जो क्रिस्टलाईन सिलिका धूल के खतरों वाले व्यावसायों में लगे है बल्कि जहां यह काम हो रहे हैं उसके आस–पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए भी सदैव एक स्वास्थ्य खतरा है। कम समय के लिए भी क्रिस्टलाईन धूल के संपर्क में आने से सिलिकॉसिस हो सकती है तथा इससे धीरे–धीरे कुछ वर्षों में फेफड़ों की दुर्बलता के साथ–साथ क्षणिक या स्थायी अशक्तता हो सकती है और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। अन्य बीमारियों के विपरीत इसके ऐसे कोई लक्षण नहीं है जिससे आरंभिक चरणों में इस बीमारी की शुरूआत के बारे में पता लगाया जा सके। सिलिकॉसिस से ग्रस्त व्यक्तियों में मृत्यु का एक कारण सिलिको तपैदिक अथवा फेफड़े का केंसर है। अत्यधिक तंतु शोध तथा ह्रदय का काम करना बंद करने के कारण सांस लेने में तकलीफ मौत के अन्य कारणों में है। फिर भी जानकारी की कमी के कारण डॉक्टरों के बीच भी सिलिकॉसिस गलती से अन्य बीमारी समझ ली जाती है। भारत में सिलिकॉसिस से मरने वाले लोगों की संख्या अधिक है किन्तु इन मौतों के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इस बात की भी पुष्टि हुई है कि सिलिकॉसिस के लिए कोई चिकित्सा उपचार नहीं है। इस प्रकार सिलिकॉसिस एक अशक्त करने वाला अनिवर्त्य, घातक बीमारी है तथा सिलिका से संपर्क खत्म होने के बाद भी यह बीमारी बढ़ती रहती है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इससे मजदूरों, उनके परिवारों एवं आश्रितों की उत्पादन क्षमता तथा आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

5-13 सिलिकॉसिस एक मानव अधिकार का मुद्दा तथा स्वास्थ्य से जुड़ा मसला दोनों है क्योंति यह न केवल जीने के अधिकार को प्रभावित करता है बल्कि सभी प्रभावित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के गरिमा के साथ जीने के अधिकार को भी प्रभावित करता है। इस मामले की जांच पड़ताल करने की दृष्टि से आयोग ने 2009–2010 के दौरान अपने सदस्य श्री पी. सी. शर्मा की अध्यक्षता में सिलिकॉसिस संबंधी विशेषज्ञ समूह का गठन किया। जैसा कि आयोग की वर्ष 2009–2010 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में जनवरी, 2010 में आयोजित की गई थी। इसने सिलिकॉसिस – प्रवण उद्योगों की पहचान की तथा सिलिकॉसिस की समस्या का समाधान करने के लिए निवारक, उपचारी एवं पुनर्वासात्मक उपायों को शामिल करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त इसने प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवजे का भुगतान करने का सुझाव दिया। तद्नुसार आयोग ने सिलिकॉसिस की समस्या का समाधान करने के लिए दो तरफा दृष्टिकोण अपनाया। एक ओर जहां इसने व्यक्तिगत मामलों में विचार कर पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए संबद्ध राज्य सरकारों को निर्देश दिया वहीं दूसरी ओर सिलिकॉसिस की समस्या का समाधान करने के लिए निवारक, पुनर्वासात्मक एवं उपचारी उपाय किए। ये उपाय इस प्रकार हैं :–

निवारक उपायः

(i) संदिग्ध जोखिमपूर्ण उद्योगों में छःमाही आधार पर व्यावयायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा धूल सर्वेक्षण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। रोजगार में लेने से पूर्व सभी भर्ती किए गए मजदूरों की चिकित्सीय जाँच की जानी चाहिए। श्वसन संबंधी किसी भी गड़बड़ी की आशंका को दूर करने के लिए श्रमिकों के सीने की रेडियोग्राफी तथा फुफ्फुस के कार्य की चिकित्सीय जाँच की जानी चाहिए।

(ii) जिन प्रक्रियाओं अथवा काम में सिलिका शामिल है उनकी निगरानी के जरिए सिलिका धूल को नियंत्रित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों को विभिन्न लागत–प्रभावी इंजीनियरिंग नियंत्रण उपायों के विकास तथा उसे बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(iii) सिलिकॉसिस प्रवण उद्योगों के कामगारों के लिए सुरक्षात्मक उपस्कर सहित एहतियाती उपायों को लागू किए जाने को संबंधित प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

(iv) कार्यस्थल पर धूल उत्पादन को कम करने के लिए धूल नियंत्रण यन्त्र लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (एन. आई. ओ. एच) ने गोमेद, घिसाई तथा स्फटिक चूरने वाले उद्योगों के लिए स्थानीय निकास संवातन के सिद्धान्त पर नियंत्रण यंत्र तैयार किया है। वेट ड्रिलिंग तथा धूल निष्कर्षक के इस्तेमाल को संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

(v) जिन श्रमिकों को सिलिकॉसिस का खतरा है उन्हें इलैक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया के उपयोग द्वारा व्यापक प्रचार अभियान के जरिए इस बीमारी से अवगत कराया जाना चाहिए। इससे मामलों में स्वंय प्रतिक्रिया दिखाने में सुधार होगा तथा शीघ्र पहचान करने में भी मदद मिलेगी।

(vi) सिलिकॉसिस खान अधिनियम, 1952 तथा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत् एक अधिसूचित रोग है। सिलिकॉसिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत् भी एक अधिसूचित रोग बनाया जा सकता है। इस प्रकार, देश के सभी जिला/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/अस्पतालों को सिलिकॉसिस के मामलों/संदिग्ध मामलों की सूचना सरकार को देनी होगी।

(vii) सिलिकॉसिस के शीघ्र निदान तथा पहचान के लिए सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य डाक्टरों/पैरामैडिक्स को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार करने की आवश्यकता है।

(viii) सिलिका की अपेक्षा कम जोखिमपूर्ण धूल का पता लगाया जाना चाहिए ताकि सिलिका की जगह उसका इस्तेमाल किया जा सके।

(ix) सिलिका प्रवण औद्योगिक इकाइयों की एक व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा समिति होनी चाहिए जिसमें श्रमिकों तथा स्वास्थ्य देखभाल का प्रबंध करने वालों के प्रतिनिधि शामिल हों।

(x) सिलिकॉसिस नियंत्रण कार्यक्रम को मौजूदा संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी) के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

(xi) सिलिकॉसिस तथा तपेदिक की दोहरी समस्या से निपटने के लिए एक उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, महानिदेशालय कारखाना परामर्श सेवा, श्रम संस्थान, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संगठन, भारतीय तपेदिक संघ तथा सिविल सोसायटी संगठनों जैसे विभागों के बीच केंद्र तथा राज्य स्तर पर आपसी समन्वय के लिए एक तंत्र स्थापित किया जा सकता है।

उपचारी उपायः

(i) प्रत्येक ऐसे जिले में जहाँ सिलिकॉसिस प्रवण उद्योग, खनन या कोई बड़ी निर्माण परियोजना चल रही है, वहाँ सिलिकॉसिस की पहचान के लिए एक सुविधा का पता लगाने की आवश्यकता है।

(ii) जिला तपेदिक अधिकारी को सिलिका के खतरे वाले कार्यस्थलों एवं मजदूरों की संख्या के संबंध में सही सूचना इकट्ठी करनी चाहिए तथा प्रलेखन का रखरखाव करना चाहिए।

(iii) कानून के नियमों तथा विनियम के कार्यान्वयन तथा उस पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व की समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

(iv) असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत् गठित राष्ट्रीय/राज्य सुरक्षा सलाहकार बोर्ड को वैसे असंगठित श्रमिकों जिन्हें सिलिकॉसिस होने का खतरा है साथ ही जो इससे प्रभावित हो चुके हैं तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए बनाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करनी चाहिए।

(v) केन्द्र सरकार को बी पी एल परिवारों तथा कुछ अन्य कमजोर समूहों के लिए लागू किए गए स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को, कुछ अन्य कमजोर समूहों, उन श्रमिकों, जिन्हें सिलिकॉसिस होने का खतरा है तथा उनके परिवारों पर लागू करने पर विचार करना चाहिए।

पुनर्वास के उपायः

(i) स्थायी, अस्थाई अथवा अनुबंध वाले श्रमिक सहित सिलिका प्रभावित व्यक्ति के उपचार लागत को नियोक्ता द्वारा वहन किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन को इसका कार्यान्वयन तथा उपचार सुनिश्चित करना चाहिए।

(ii) सिलिकॉसिस के पीड़ित यदि काम करने में असमर्थ हैं तो उन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार देकर अथवा निर्वाह पेंशन देकर उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए।

(iii) सिलिका के खतरे जिन श्रमिकों को हैं उनके फायदे के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों की निगरानी तथा कार्यान्वयन में गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।

(iv) सिलिकॉसिस से प्रभावित व्यक्तियों को उपयुक्त सलाह दी जानी चाहिए।

मुआवजाः

(i) सिलिका प्रभावित व्यक्ति को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(ii) सिलिकॉसिस इ एस आई अधिनियम तथा कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत् सूचीबद्ध एक मुआवजा योग्य चोट है। इसलिए उड़ीसा सरकार द्वारा गठित एक पृथक सिलिकॉसिस बोर्ड के समान प्रत्येक राज्य में इसका गठन किया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों तथा मुआवजे के आदर्श परिकलन को इ.एस.आई अधिनियम तथा कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत् तैयार किया जाए।

(iii) मुआवजा तथा पुनर्वास के लिए बोर्ड सिलिकॉसिस के मामलों की निगरानी तथा इस बीमारी के परिणामस्वरूप हुई अशक्तता/कमाई की क्षमता में कमी का आकलन कर सकता है।

(iv) मुआवजे की गणना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार किए गए अशक्तता समायोजित जीवन वर्ष (डेली) के आधार पर की जा सकती है।

5-14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने इन सिफारिशों को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों को अग्रेषित किया है तथा उन्हें यह भी अनुरोध किया है कि वे संबद्ध विभागों को यथायोग्य निर्देश जारी करें ताकि इन सभी सिफारिशों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

flfydkfll fo"k; ij jk"Vªh; lEesyu dk vk;kstu

5-15 दिसम्बर, 2010 में आयोग द्वारा संस्तुत किए गए निवारक, पुनर्वासात्मक एवं उपचारी उपायों के संबध में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन करने के उद्देश्य से आयोग ने 1 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में सिलिकोसिस विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के माध्यम से आयोग सिलिकोसिस के संबंध में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों, तकनीकी संगठनों तथा नागरिक समाज के साथ विचार–विमर्श भी करना चाहता था। सम्मेलन में संबद्ध अधिकारियों/केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा सिलिकॉसिस की समस्या पर कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों, तकनीकी संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

5-16 सम्मेलन में उभर कर आए महत्वपूर्ण निर्णयों एवं सुझाावों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है :–

- सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 6 महीनों के भीतर अपने उद्योगों का एक विस्तृत सर्वेक्षण पूरा करना चाहिए, जब तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा एक विशिष्ट समय–सीमा नहीं दर्शायी जाती जैसा कि कुछ राज्यों के मामले में है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रत्येक 2 महीने में कुछ राज्यों के संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित करेगा।
- सिलिका का पता लगाने वाले उपकरण को कारखाना–निरीक्षणालय को प्रदान किया जाना चाहिए ताकि सिलिका उत्पन्न करने वाले उद्योगों की पहचान हो सके।
- सर्वेक्षण को दो भागों में विभक्त किया जाना चाहिए। सिलिका उत्पन्न करने वाले कारखानों, खदानों आदि में काम करने वाले श्रमिकों के अतिरिक्त भूतपूर्व श्रमिकों के सर्वेक्षण की भी जरूरत है।
- मदंसौर पद्धति के सिलिकॉसिस बोर्ड को सभी राज्यों के प्रभावित जिलों में लागू किया जाना चाहिए।
- राहत तथा मुआवजे के बीच अंतर करने की आवश्यकता है।
- मध्य प्रदेश में पीड़ितों की स्थिति काफी दयनीय है। इसलिए निर्वाह पेंशन देने की राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिश को तत्काल लागू किया जाना चाहिए।
- सिलिकॉसिस से पीड़ित सभी व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे का परिवार माना जाना चाहिए।
- विशेष रूप से सिलिकॉसिस के पीड़ितों को लक्षित करने वाले अलग कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए तथा इसमें स्वास्थ्य शिक्षा के साथ–साथ आजीविका/सामाजिक सुरक्षा को शामिल किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कहने पर सी पी सी बी तथा डी जी एफ ए एस एल आई द्वारा पूर्व में की गई सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।
- जब किसी व्यावसायिक बीमारी से पीड़ित रोगी की मौत हो जाती है तो अंतिम संस्कार करने से पूर्व ईएसआईसी को सूचना देनी होती है ताकि मौत के कारण का पताया लगाया जा सके। वे चाहते हैं कि पोस्टमार्टम भी किया जाए। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पुलिस को शामिल करने वाली प्रक्रिया का पालन करना कठिन है। साथ ही दाह संस्कार से पूर्व लंबे समय तक शव को रखना हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप भी नहीं है। इसलिए इस अनुबंध में बदलाव की आवश्यकता है।
- निदान के तरीके में यह शामिल होना चाहिए : प्रथम चरण – उन व्यक्तियों की जांच जिन्होंने सिलिका धूल उत्पन्न करने वाले कारखानों में काम किया है तथा जिन्हें कफ–सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण हों। तीन सरल प्रश्न – (क) क्या आप हांफते हैं? (ख) क्या आपने "बहुत अधिक खतरे वाले उद्योग" में काम किया है; (ग) क्या काम शुरू करने से पहले आपमें ये लक्षण थे? द्वितीय चरण – नामित ''एक्स–रे'' केन्द्र पर डॉक्टर

द्वारा चिकित्सीय जांच तथा सीने का एक्स–रे। तृतीय चरण – अंतिम राय हेतु एक्स–रे को विशेषज्ञ रीडरों के पास भेजना।

- पलायन को रोकने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जानी चाहिए जिसमें और अधिक संख्या में मजदूरी के दिनों के पैसे देने हेतु मनरेगा योजना में संशोधन शामिल हो।
- कई खतरनाक उद्योग अभी भी चल रहे हैं, उन्हें बंद किया जाना चाहिए।
- राज्य को उन फैक्टरियों के विरूद्ध उसमें भारतीय दंड संहिता तथा कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत फैक्टरी मालिकों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करनी चाहिए जहां मजदूर सिलिकॉसिस के संपर्क में आए हैं।
- डीजीएफएएसएलआई को सभी राज्यों को मानक प्रश्नावली देनी चाहिए। इसमें मजदूरों के नाम, पता आदि, कार्य का पूर्व ब्यौरा – जहां काम किया है/काम कर रहा है, कार्य अवधि, प्रतिदिन काम करने के घंटे, किए गए काम का प्रकार, धूल के प्रभाव का स्तर, प्राप्त की गई मजदूरी, सीने से जुड़े लक्षण, क्षय, वजन में कमी, रोजगार का रिकार्ड आदि शामिल होना चाहिए।
- सिलिकॉसिस एक लोक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है तथा इसे राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाना चाहिए।
- मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से हटाकर औद्योगिक क्षेत्रों में उन्हें सफलतापूर्वक पुनः स्थापित किया है। इस उदाहरण को दूसरे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भी दोहराया जाना चाहिए।
- गुजरात उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है कि सिलिकॉसिस से प्रभावित सभी मामलों को 100% अपंगता माना जाए। इसे कानून बनाने के लिए ई एस आई सी को प्रस्ताव लाना चाहिए।
- सभी राज्य फैक्ट्री निदेशालयों में कम से कम एक औद्योगिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होना चाहिए।
- ई एस आई अधिनियम मंदसौर में उन यूनिटों के लिए लागू है जिसमें 10 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं। मंदसौर में अपनायी गई पद्धति को पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए।
- सभी सिविल अस्पतालों में व्यावसायिक बीमारियों के लिए पृथक ओ पी डी होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त जब कोई श्रमिक उस रोजगार से बाहर निकल जाता है तो उसके पास अपने रोजगार के समर्थन में पहचान पत्र अथवा उपस्थिति कार्ड अथवा पे स्लीप जैसे अपेक्षित कानूनी दस्तावेज नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस अनुबंध में बदलाव की आवश्यकता है।
- एनआरएचएम/राज्य स्वास्थ्य विभाग के तहत पृथक सेल के काम–काज को शुरू किया जाना चाहिए।
- जुनियर डॉक्टरों तथा इंटर्नस के लिए "पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य" का विशेष पाठ्यक्रम शुरू करना जिसे राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाना है।
- प्रमाणित सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट तथा चेस्ट स्पेशलिस्ट की तत्काल भर्ती तथा डब्ल्यू एच ओ एवं आई एल ओ मानक के अनुसार धूल जनित बीमारियों के संबंध में उनका क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण प्रबंध।
- जिला स्तर इएसआई, सरकारी अस्पतालों तथा विभिन्न स्थानों पर एनआरएचएम केन्द्रों पर व्यावसायिक रोग निदान केंद्र (ओडीडीसी) का गठन।
- सिलिकॉसिस की रोकथाम करने के संभव उपाय के रूप में धूल उत्पादन को नियंत्रित कर, धूल के कणों को छान कर अथवा उसे नियंत्रित कर, ताजी हवा के साथ इसके संग्रहण को कम कर तथा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक श्वसन संबंधी यंत्र के उपयोग से हानिकारक धूल के खतरे को सीमित किया जा सकता है।
- सभी श्रमिकों, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते है, को पहचान–पत्र दिया जाना चाहिए ताकि उनका इलाज करने वाले डॉक्टर के लिए उनके कार्य स्थान का पूर्व ब्यौरा, सिलिका धूल का उन पर प्रभाव, कार्य स्थिति तथा श्रमिकों की स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी हो सके।

5-17 इन संस्तुतियों को आयोग द्वारा सभी साझेदारों को भेज दिया गया था।

,.Mk l yQku

5-18 आयोग ने केरल के कसारगोड़ जिले में स्थानीय लोगों पर एन्डोसल्फान कीटनाशक के हवा में छिड़काव से होने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया। आयोग ने एक स्वतंत्र जांच हेतु अपनी टीम भी नियुक्त की, जिसने लोगों के बीच चिकित्सीय विकारों के अनेक घटनाओं की पुष्टि की तथा यह कहा कि केरल सरकार द्वारा दी गई राहत का बहुत ही कम सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। परिणाम स्वरूप इस विषय पर विशेषज्ञ सलाह लेने की दृष्टि से 24 दिसम्बर, 2010 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह की एक तत्काल बैठक बुलाई गई थी। कोर परामर्शी समूह ने सुझाव दिया था कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आयोग को एण्डोसलफान के उपयोग पर रोक लगाने की संस्तुति करनी चाहिए। इसने यह सुझाव भी दिया था कि प्रभावित लोगों को तत्काल मुआवजा दिया जाए तथा पुनर्वासात्मक प्रयासों में प्रभावित व्यक्तियों के लिए संपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधानों सहित सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए।

5-19 आयोग ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 की अपनी कार्यवाही में स्वास्थ्य संबंधी कोर सलाहकार समूह के मतों पर विचार किया तथा केंद्र सरकार एवं केरल सरकार को विस्तृत सिफारिशें की जिसमें एन्डोसल्फान के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाई करने हेतु भारत सरकार को सिफारिश करना, इस समस्या का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करना तथा केरल के कसारगोड जिले में प्रशासक देखरेख केन्द्र/अस्पताल की स्थापना करना शामिल था। इसके अतिरिक्त इसने सिफारिश की कि केरल सरकार को एण्डोसल्फान से मरने वाले लोगों के परिजनों के साथ–साथ उन लोगों के परिजनों को कम–से–कम 5,00,000 रु0 का भुगतान करना चाहिए जो पूरी तरह शय्याग्रस्त थे अथवा मंदबुद्धि के थे तथा उन लोगों को 3,00,000 रु0 का भुगतान करना चाहिए जिन्हें एण्डोसल्फान के कारण किसी अन्य प्रकार की अशक्तता थी।

5-20 इसके अतिरिक्त, सभी संबंधितों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करने के उद्देश्य से आयोग ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों तथा केरल सरकार के मुख्य सचिव के साथ बैठकों की श्रृंखला आयोजित की। इन बैठकों में केरल सरकार को मौत के 178 पक्के मामलों में और अधिक मुआवजा देने की आवश्यकता बताई गई जिनमें प्रत्येक को केवल 50,000 रु0 का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त केरल सरकार को आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार शेष 5,000 प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए। कीटनाशकों के प्रयोग के सुरक्षित तरीके पर व्यापक मीडिया अभियान के जरिए जनता को अत्यधिक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया।

5-21 प्रभावित आबादी को राहत प्रदान करने हेतु सभी संबंधितों द्वारा उठाए गए कदमों की आयोग निरन्तर निगरानी कर रहा है।

¼M-½ jk"Vªh; ekuo vfèkdkj vk;ksx }kjk fuiVk, x, LokLF; lacaèkh n"VkUr ekeys

1. *आंध्र प्रदेश के हैदराबाद अस्पताल में चिकित्सा में लापरवाही के कारण 13 बच्चों की मौत (मामला सं0 1103/1/7/07–08)*

5-22 'इगैलिटेरियन फार्टनाइटलि' के संपादक, यू. के. शारदा ने दिनांक 24 दिसम्बर, 2007 की अपनी शिकायत में आयोग का ध्यान हैदराबाद के नीलोफर हास्पिटल में 13 बच्चों की मौत की तरफ दिलाया जिन्हें डाक्टरों के

आकस्मिक हड़ताल के कारण समुचित चिकित्सा देखभाल नहीं मिली। आयोग ने इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी। इस बात की पुष्टि हुई कि दिसम्बर, 2007 में नीलोफर अस्पताल में 13 बच्चों की मौत हुई थी।

5.23 राज्य सरकार ने इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया कि इस घटना की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की गई थी जिसमें पांच वरिष्ठ डाक्टरों को शामिल किया गया था। उनकी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख था कि अधिकांश शिशु नवजात थे तथा जन्म के समय उनका वजन काफी कम था। इन शिशुओं को श्वसन संबंधी गंभीर समस्याएँ भी थी, पेट में मरोड़ हो रहा था तथा वे दूध नहीं पी रहे थे। उन्हें दूसरे अस्पतालों से मरणासन स्थिति में लाया गया था।

5.24 रिपोर्ट में कहा गया था कि इन शिशुओं की गहन एवं समुचित इलेक्ट्रानिक निगरानी की जानी चाहिए थी तथा उस समय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उन्हें और अधिक गहन देखरेख एवं सहारा दिया जाना चाहिए था।

5.25 आयोग ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2010 की अपनी कार्यवाही द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को दिसम्बर, 2007 में हुए हादसे जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए समुचित कदम उठाने तथा नीलोफर अस्पताल में समग्र स्थिति में सुधार लाने का निर्देश दिया। इन टिप्पणियों के साथ आयोग ने मामला बंद कर दिया।

2. दिल्ली में जाली प्रमाणपत्रों पर प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों का भण्डाफोड़
(मामला सं0 3606/30/2/08–09)

5.26 आयोग को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी श्री वी के अरोड़ा से दिनांक 23 अक्टूबर, 2008 को नवभारत टाइम्स में छपे समाचार पत्र क्लिपिंग की कापी सहित एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह कहा गया था कि 14 जुलाई, 2008 को शांति मुकुंद अस्पताल में नियुक्त आठ डाक्टरों के पंजीकरण का सत्यापन करने पर यह खुलासा हुआ कि उनमें से केवल एक दिल्ली चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत था तथा शेष डाक्टरों के पास नकली प्रमाण ापत्र थे। इस प्रकार, शिकायतकर्त्ता ने इलाज के लिए वहाँ आने वाले निर्दोष रोगियों की जान बचाने के लिए इस मामले में आयोग से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।

5.27 आयोग द्वारा जारी किए नोटिस का अनुसरण करते हुए, संयुक्त सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 10 फरवरी, 2009 के पत्र द्वारा नकली डाक्टरों के विरूद्ध दर्ज की गई एफ आई आर की कापी सहित एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि शांति मुकुंद अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक ने अस्पताल में नियुक्त किए गए आठ डाक्टरों के पंजीकरण का सत्यापन करने के लिए 14 जुलाई, 2008 को दिल्ली चिकित्सा परिषद को एक पत्र लिखा था। दिल्ली चिकित्सा परिषद द्वारा रिकार्डों का सत्यापन करने पर आठ डाक्टरों में से केवल एक परिषद के साथ पंजीकृत पाया गया। इसलिए डी एम सी ने नई दिल्ली के आई. पी. इस्टेट पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी के पास सात व्यक्तियों के विरूद्ध एक एफ आई आर दर्ज की जब उसे यह पता लगा कि उन्होंने नकली प्रमाणपत्र प्राप्त किए थे। डी एम सी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में स्थित तथा काम कर रहे सभी अस्पतालों को उनके साथ नियुक्त दवा के आधुनिक वैज्ञानिक तंत्र की प्रैक्टिस में जुटे तथा सभी डॉक्टरों के दिल्ली चिकित्सा परिषद से पंजीकरण की जांच करने के लिए एक परामर्शी भेजा।

5.28 उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने 23 अप्रैल, 2009 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव तथा पुलिस आयुक्त, दिल्ली को निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया:

(अ) नकली डाक्टरों के विरूद्ध मामला दर्ज करने के पश्चात् पुलिस द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

(ब) वे अस्पताल में कब से काम कर रहे हैं तथा उनमें से प्रत्येक को कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

(स) इन डाक्टरों की ओर से उनके कार्यालयीन डयूटी के दौरान क्या लापरवाही/दुर्व्यवहार का कोई मामला दर्ज किया गया? यदि हाँ तो उसका विवरण दें।

5-29 आयोग के उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में पुलिस उपायुक्त, सतर्कता, दिल्ली ने 19 जून, 2009 के पत्र द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें यह कहा गया था कि गिरीश त्यागी, सचिव, डी एम सी की शिकायत पर उन सभी 7 नकली डाक्टरों के खिलाफ आई. पी. इस्टेट पुलिस स्टेशन में आई पी सी की धारा 420/468/471 के तहत् एफ आई आर सं0 189/08 दिनांक 18 जुलाई, 2008 दर्ज की गई थी जिनके पंजीकरण प्रमाण पत्र नकली पाए गए थे। कुमार गुंजन, सुरेन्द्र प्रसाद, दीपक रस्तोगी, राजीव रस्तोगी तथा अमजद निजाम नामक पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था तथा वे अदालत से नियमित जमानत पर थे। नीतू रानी को गर्भवती होने के कारण उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई थी तथा बार–बार निर्देश देने के बावजूद वह जांच के लिए नहीं आई है। एक अन्य आरोपी विनय कुमार फरार था क्योंकि उसकी अग्रिम जमानत दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। उनकी भी गिरफ्तारी हो तथा उन्हें सजा मिले यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहे थे। उनके द्वारा हासिल किए गए डिप्लोमा/डिग्री के नकली प्रमाण पत्रों की कापियाँ संबंधित जारी करने वाले प्राधिकारियों को उनकी प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए भेज दिए गए थे।

5-30 मामले से संबंधित सभी सूचना पर विचार करने पर आयोग ने दिल्ली के आई.पी.इस्टेट पुलिस स्टेशन में आई पी सी की धारा 420/468/471 के तहत् दर्ज किए गए मामला 189/08 दिनांक 18 जुलाई, 2008 की स्टेटस रिपोर्ट मांगी जिसकी जांच चल रही थी।

5-31 दिनांक 28 फरवरी, 2011 की कार्यवाही द्वारा आयोग ने अपर पुलिस उपायुक्त, सेंट्रल जिला, दिल्ली द्वारा किए गए निवेदन पर विचार किया। जिनका कहना था कि आपराधिक मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए वे एफ एस एल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि एफ एस एल रिपोर्ट के बिना भी वे इस मामले में कार्रवाई कर सकते थे तथा अदालत के समक्ष एक केस दर्ज कर सकते थे। इसने इस मामले में अपर पुलिस उपायुक्त, सेंट्रल जिला, दिल्ली से एक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी।

5-32 यह मामला अभी भी आयोग के विचाराधीन है।

3. कोलकाता, प0 बंगाल के शंभुनाथ पंडित हास्पिटल में स्टाफ नर्सों की लापरवाही के कारण एक रोगी की मौत (मामला सं0 120/25/2006–2007)

5-33 शिकायतकर्त्ता ने सहारा न्यूज में ''महिला मरीज की आंखें चींटियाँ कुतर गई'' नामक खबर की तरफ आयोग का ध्यान आकृष्ट किया जिसमें यह खबर थी कि 5 नवम्बर, 2005 को गौरी चक्रवर्ती को शंभुनाथ पंडित हास्पिटल, कोलकाता में आंख के इलाज के लिए भर्ती किया गया था किन्तु अस्पताल अधिकारियों की लापरवाही के कारण रोगी को आंखों में कीड़े काटने की पीड़ा सहनी पड़ी तथा 13 नवम्बर, 2005 को उसकी मृत्यु हो गई। शिकायतकर्त्ता ने आयोग से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया।

5-34 आयोग के निर्देशों के अनुसरण में यह सूचना दी गई कि उक्त घटना 6 स्टाफ नर्सों की लापरवाही के कारण हुई तथा उन पर ''सेन्सर'' का दण्ड लगाया गया था।

5-35 पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने दिनांक 14 सितम्बर, 2011 की अपनी कार्यवाही द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की तथा यह निर्देश दिया :–

> "रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई है कि नर्सिंग स्टाफ अपनी ड्यूटी में लापरवाह था जिसके कारण इस प्रकार की भयानक घटना हुई जिसमें एक रोगी को अपनी जान गंवानी पड़ी। अस्पताल किसी रोगी का इलाज करने के लिए होते हैं न कि उन्हें इस तरह की अमानवीय दशाओं में रखने के लिए। कोई रोगी अस्पताल से कम–कम–से–कम यथोचित देखभाल की उम्मीद तो करता ही है। नर्सिंग स्टाफ रोगी की पर्याप्त देखरेख करने में असफल रहा।"

5-36 राज्य अपने कर्मचारियों के लापरवाह कृत्यों के लिए उत्तरदायी है। एक बार अस्पताल में लापरवाही से मौत सिद्ध हो जाने पर, जैसा कि इस मामले में है, राज्य क्षति का भुगतान करने के लिए जिम्मेवार है। आयोग इसे पी एच आर ए के प्रावधानों के अनुसार अंतरिम राहत के भुगतान की सिफारिश करने के लिए एक सही मामला मानता है।

5-37 पश्चिम बंगाल सरकार को पी एच आर अधिनियम, 1993 की धारा 18(स) के तहत् बराकपुर, उत्तर 24 परगना निवासी के मृतक 50 वर्षीय गौरी चक्रवर्ती, परिजनों को अंतरिम राहत के रूप में 1,00,000 रु0 का भुगतान करने तथा 6 हफ्तों के भीतर भुगतान की प्राप्ति दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है।

5-38 आयोग के निर्देशों का पालन किया गया है तथा यह मामला बंद कर दिया गया।

4. बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत (मामला सं0 1565/4/39/09–10)

5-39 आयोग को कमली देवी से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि 20 अगस्त, 2009 को वह अपनी गर्भवती पुत्री संगीता देवी की जांच के लिए वैशाली जिले के भगवानपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गई थी। किन्तु वहाँ कोई डाक्टर नहीं था। बहरहाल, उस अस्पताल की स्टाफ नर्स तथा कम्पांउडर उसकी पुत्री को जबरदस्ती जांच के लिए ले गए तथा बाद में उसका आपरेशन कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि संगीता को काफी खून बहने लगा तथा इसके कारण नवजात बच्चे सहित उसकी मौत हो गई। उसने इसके अतिरिक्त यह आरोप लगाया कि दोषी अस्पताल कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

5-40 16 अक्तूबर, 2009 को आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में बिहार के वैशाली जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सूचना दी कि 20 अगस्त, 2009 को संगीता देवी भगवानपुर में पी एच सी आई थी तथा ड्यूटी पर तैनात डाक्टर जयशंकर प्रसाद तथा फार्मेसिस्ट/ए एन एम ने उसे आवश्यक उपचार मुहैया कराया। प्रसव के बाद, संगीता को अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हाजीपुर के सदर हास्पिटल में भेज दिया गया। हालांकि अस्पताल जाने के रास्ते में संगीता तथा उसके बच्चे की मौत हो गई।

5-41 रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने दिनांक 13 अगस्त, 2010 की अपनी कार्यवाही में कहा कि संगीता देवी तथा उसके नवजात बच्चे की मृत्यु सरकारी डॉक्टरों/कर्मचारियों की ओर से लापरवाही के कारण हुई थी तथा यह माना कि लोक सेवकों ने पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया था। इस प्रकार, आयोग ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार को स्पष्टीकरण मांगते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (अ) (i) के तहत् मृतक के परिजन को अंतरिम राहत की संस्तुति क्यों नहीं

की जाए। हाजीपुर, वैशाली के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को भी दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की मौजूदा स्थिति बताने का निर्देश दिया गया।

5.42 वैशाली के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने सूचित किया कि फार्मेसिस्ट, ललन सिंह तथा ए एन एम सरोज कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि तत्कालीन चिकित्सा प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भगवानपुर, डॉ0 विमलेश कुमार सिंह; ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर डॉ0 जयशंकर प्रसाद तथा डॉ0 (श्रीमती) रश्मिरंजन, डॉ0 कुमारी अर्चना तथा डॉ0 मधु अर्चना नामक तीन अन्य महिला डॉक्टरों जो उस दिन गैर हाजिर थे, के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है।

5.43 कारण बताओ नोटिस के जवाब में, अवर सचिव, बिहार सरकार गृह (विशेष) विभाग ने सूचित किया कि राज्य सरकार मृतक संगीता देवी के परिजनों को अंतरिम राहत प्रदान करने के संबंध में आयोग की सिफारिशों का पालन करेगी।

5.44 प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने दिनांक 11 जनवरी, 2011 की अपनी कार्यवाही द्वारा सिफारिश की कि मृतक संगीता देवी, पत्नी शिवचरण दास के परिजनों को रु0 3,00,000/– की राशि का भुगतान किया जाए। आयोग ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार को भी 6 हफ्तों के भीतर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, इसने सिविल सर्जन–सह–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वैशाली को दोषी चिकित्सा अधिकारियों के संबंध में विभागीय कार्यवाही की स्थिति के बारे में आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया।

5.45 भुगतान के प्रमाण तथा यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि उन दो चिकित्सा पदाधिकारियों, के विरूद्ध कार्यवाही चल रही थी, तथा यह सच्चाई जानने पर कि अन्य कर्मचारियों को पहले ही दण्डित किया जा चुका था, आयोग ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ इस मामले को बंद कर दिया।

****

अध्याय - 6

Hkkstu dk vf/kdkj

6-1 भोजन के अधिकार के विकास की उत्पति मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र (यू डी एच आर) 1948 में निहित पर्याप्त जीवन स्तर के वृहत्तर मानव अधिकार से हुई है। यू डी एच आर का अनुच्छेद 25 यह कहता है कि "प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार प्राप्त है जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास तथा चिकित्सा देखरेख एवं आवश्यक सामाजिक सेवाएं शामिल हैं"......। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (1966) ने 'प्रत्येक व्यक्ति के ... पर्याप्त भोजन के अधिकार' पर जोर देते हुए तथा 'प्रत्येक व्यक्ति के भूख से रहित होने के मौलिक अधिकार' को विशेष रूप से उल्लेख करते हुए इन अवधारणाओं का अत्यधिक विकास किया।

6-2 भारत संयुक्त राष्ट्र का एक सक्रिय सदस्य है तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (आइ सी इ एस सी आर) का एक राज्य पक्षकार है। अतः भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए भोजन के अधिकार का सम्मान करने, उसकी रक्षा करने तथा उसकी पूर्ति करने का दायित्व है।

6-3 भारत के संविधान में ऐसा कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है जो भोजन के मूलभूत अधिकार को मान्यता प्रदान करता हो। हालांकि, मौलिक अधिकारों तथा राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अनुच्छेदों में इससे मेल खाते मानव अधिकार के उपबन्ध मिलते हैं। उनमें से एक अनुच्छेद 21 है। यह जीवन की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है। कथित अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के जीवन का अधिकार सुनिश्चित करने का आदेश देता है। इसमें एक दिन में कम–से–कम दो बार अच्छे भोजन सहित गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। इस प्रकार, भोजन का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रतिष्ठाापित 'जीने के मौलिक अधिकार' का एक सहज तात्पर्य है।

6-4 संविधान इस अधिकार की प्राप्ति सुनिश्चित करने के प्रति राज्य की जिम्मेवारी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलूओं पर भी प्रकाश डालता है। राज्य नीति का एक निर्देशक सिद्धान्त, अनुच्छेद 38, राज्य के लिए यह अपेक्षित करता है कि वह लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करे, जिसमें न्याय – सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक – राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को अनुप्राणित करेगा। संविधान का दूसरा निर्देशक सिद्धान्त, अनुच्छे 39 (अ) राज्य के लिए यह अपेक्षित करता है कि वह अपने सभी नागरिकों के लिए जीविका का पर्याप्त साधन सुरक्षित करने की दिशा में अपनी नीतियाँ बनाए। एक अन्य निर्देशक सिद्धान्त, अनुच्छेद 47, कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार सहित अपने नागरिकों के पोषण का स्तर तथा जीवन स्तर उठाए। अनुच्छेद 21, को जब अनुच्छेद 38, 39 (अ) तथा 47, द्वारा राज्य पर डाले गए दायित्वों के साथ पढ़ा जाए तो यह भोजन के अधिकार के महत्व को संपूर्ण तरीके से रेखांकित करता है जिसमें जीविका सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा तथा खाद्य सुरक्षा सम्मिलित है।

6-5 इस प्रकार आयोग ने यह व्याख्या की है कि राज्य का यह दायित्व है कि वह भोजन का अधिकार सुरक्षित

करे। इसने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि भारतीय संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 21 के उपबंधों की व्याख्या भोजन के अधिकार को शामिल करते हुए तथा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत् प्रदत्त उपचार के आधार पर उसे एक गारंटित मौलिक अधिकार बनाते हुए जीवन के अधिकार के अर्थ एवं क्षेत्र का विस्तार करते हुए निष्पक्ष रूप से की गई है।

6-6 इस आलोक में आयोग 1997 से उड़ीसा के कालाहांडी, बोलांगीर तथा कोरापुट जिलों तथा देश के अन्य जगहों में भूखमरी से बाार–बार होने वाली मौत के आरोपों की स्थिति की निगरानी कर रहा है जिसमें किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), समन्वित बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस), प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन (एम डी एम) तथा "मानव अधिकार जागरूकता तथा भारत के 28 चयनित जिलों में मानव अधिकार कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं प्रवर्तन को सुकर बनाना" नामक अपने एक कार्यक्रम के तहत् सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) जैसे योजनाओं की निगरानी कर रहा है।

¼v½ ekuo vf/kdkj tkx:drk rFkk Hkkjr d 28 p;fur ftyk e ekuo vf/kdkj dk;Øek d eY;kdu rFkk iorlu dk l|dj cukuk

6-7 पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के 'पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि' का लाभ उठाने वाले चिह्नित जिलों की सूची में से 28 जिलों को चुना गया है जिसमें प्रत्येक राज्य से एक जिला शामिल है। जिन मानकों पर इन पिछड़े जिलों को चिह्नित किया गया है, वे हैं – निरक्षरता दर, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आाबादी का प्रतिशत, शिशु मृत्यु दर आदि। आयोग द्वारा जिन 28 जिलों की पहचान की गई है उनके नाम नीचे दिए गए हैं :

Øe l0	jkT;	/kkjk ı- ftyk
1.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद
2.	अरुणाचल प्रदेश	अपर सुबनसिरि
3.	असम	करबी एंगलोंग
4.	बिहार	जमुई
5.	छत्तीसगढ़	दंतेवाडा
6.	गुजरात	डेंग
7.	गोआ	दक्षिणी गोवा
8.	हरियाणा	अम्बाला
9.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा
10.	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा
11.	झारखंड	चतरा
12.	कर्नाटक	बिदर
13.	केरल	वयनाड
14.	मध्य प्रदेश	झबुआ
15.	महाराष्ट्र	गढचिरौली

16.	मणिपुर	तमेंगलोंग
17.	मेघालय	दक्षिणी गारो हिल्स
18.	मिज़ोरम	सेहा
19.	नागालैंड	मोन
20.	उड़ीसा	कालाहांडी
21.	पंजाब	होशियारपुर
22.	राजस्थान	बांसवारा
23.	सिक्किम	उत्तरी सिक्कम
24.	तमिलनाडु	तिरूवन्नामलाई
25.	त्रिपुरा	धलाई
26.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
27.	उत्तराखण्ड	चंपावत
28.	पश्चिम बंगाल	जलपाई गुड़ी

6-8 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, पुलिस स्टेशनों, जेलों, पंचायतों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् काम करने वाले राशन की दुकानों, जिला खाद्य कार्यालय, बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले विभिन्न विभागों का क्षेत्र दौरा करके केंद्रित मानव अधिकार के मुद्दों यथा खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, हिरासतीय न्याय, स्वास्थ्य, सफाई एवं स्वच्छता आदि पर चिह्नित जिलों में लोगों के बीच जागरू कता फैलाना है तथा उसके बाद "मानव अधिकार जागरूकता तथा जिला स्तर प्रशासन पर मानव अधिकार कार्यक्रम के मूल्यांकन तथा प्रवर्तन को सुकर बनाना" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन करना है। प्रत्येक चयनित जिले में किसी कार्यशाला के आयोजन का मूल उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के साथ–साथ विशिष्ट मानव अधिकारों के मुद्दों पर समय–समय पर आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।

6-9 2008 से 2010 तक आयोग ने 14 जिलों का दौरा किया है। ये जिले हैं – चंबा (हिमाचल प्रदेश), अम्बाला (हरियाणा), उतरी सिक्किम (सिक्किम), जलपाईगुरी (पश्चिमी बंगाल), धलाई (त्रिपुरा), दक्षिणी गारो पहाड़ियाँ (मेघालय), सोनभद्र (उत्तर प्रदेश), दांग (गुजरात), दक्षिणी गोवा (गोवा) वयनाड (केरल), जमुई (बिहार), होशियारपुर (पंजाब), कालाहांडी (उड़ीसा) तथा सैहा (मिजोरम)।

6-10 समीक्षाधीन अवधि के दौरान देश में चिह्नित किए गए 28 जिलों में से मानव अधिकार जागरूकता तथा मानव अधिकार कार्यक्रम के आकलन एवं प्रवर्तन को सुकर बनाने के भाग के रूप में निम्नलिखित दो जिलों का आयोग द्वारा दौरा किया गया :

Øe l0	ftyk	jkT;	dk;Øe
1.	चतरा	झारखण्ड	22–23 सितम्बर, 2010
2.	तिरूवन्नामलाई	तमिलनाडु	26–28 अक्टूबर, 2010

Pkrjk ftyk

6-11 चतरा जिला झारखण्ड राज्य के बिल्कुल उत्तरी–पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यह उतर में गया जिले (बिहार राज्य) से घिरा हुआ है, पूर्व में हजारीबाग जिले से, दक्षिण में पलामू तथा रांची जिले से एवं पश्चिम में गया (बिहार राज्य) तथा पलामू जिले से घिरा हुआ है। यह जिला वर्ष 1991 में अस्तित्व में आया, क्योंकि इससे पहले यह हजारी बाग जिले का हिस्सा था। जिला मुख्यालय चतरा में स्थित है। इसमें एक उप–प्रमंडल, तीन विकास ब्लाक/अंचल, 125 पंचायतें तथा 1,479 राजस्व गांव शामिल हैं। यहां केवल एक नगरपालिका है – जो चतरा के जिला मुख्यालय में है। चतरा जिले में 9 थाना है। वर्तमान में चतरा प्रतिबंधित नक्सल उग्रवादी एम सी सी (माओवादी कम्यूनिस्ट केंद्र) द्वारा चरम हिंसा के अत्यंत गंभीर दौर से गुजर रहा है।

6-12 श्री सत्यब्रत पाल, सदस्य की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने चतरा जिले में स्थानीय पुलिस स्टेशनों, स्कूलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अस्पतालों, पंचायतों तथा वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे विभिन्न अन्य विभागों का दौरा किया। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था। इन दौरों के बाद जिले में एक दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई। इस कार्यशाला में कुल मिलाकर स्थानीय विधायकों, जिला अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा सिविल सोसायटी ने भाग लिया।

6-13 चतरा कार्यशाला में हुए विचार–विमर्श में जो सिफारिशें/सुझाव उभर कर आईं उनमें से कुछ निम्नलिखित है :

- लोक सेवकों को प्रोत्साहन देने पर विचार करना ताकि उन्हें चतरा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके न कि उन्हें सजा देना।
- उन सभी लोगों विशेष रूप से गैर हाजिर डाक्टरों तथा शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करना जिन्होंने चतरा में अपना पद छोड़ दिया है।
- विशेष रूप से डाक्टरों तथा शिक्षकों तथा पुलिस के सभी स्वीकृत पदो को तत्काल आधार पर भरना।
- लड़कियों की शिक्षा तथा महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ विशेष ध्यान देना।
- नक्सलियों द्वारा तहस–नहस किए गए आधारभूत संरचना की तत्काल मरम्मत करना अथवा उसका पुनर्निर्माण करना। नष्ट किए गए स्कूलों के पुनर्निर्माण को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। पुलिस को किसी भी तरह से स्कूलों को अपने कैम्पों (छावनियों) के रूप में हथियाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- प्राथमिकता के विषय के रूप में अस्पतालों तथा स्कूलों में मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।
- जिले में सड़कों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी करना तथा साथ ही उनकी गुणवत्ता में सुधार करना।
- बिजली आपूर्ति में सुधार, जो जिले की आवश्यकताओं के लिए काफी अपर्याप्त है।
- पेयजल की गुणवत्ता तथा उपलब्धता में सुधार लाने की आवश्यकता।
- बड़ी संख्या में उन लोगों की जरूरतों तथा मांगों पर विचार करना जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, किन्तु मौजूदा सूचियों में सूचीबद्ध नहीं किए जानें के कारण जिनकी सुध नहीं ली जाती है।

fr : oUukeykbl ftyk

6-14 तमिलनाडु के तिरूवन्नामलाई जिले को भगवान अरूणाचलेश्वर के पवित्र मंदिर के कारण तीर्थयात्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है। इसने 30 सितम्बर, 1989 को उत्तरी आर्कोट जिले के बंटवारे के बाद एक अलग जिले के रूप में काम करना शुरू किया। यह जिला उत्तर तथा पश्चिम में बेल्लोर जिले से घिरा हुआ है, दक्षिण पश्चिम में धर्मापुरी जिले से, दक्षिण में विल्लूपूरम जिले से तथा पूर्व में कांचीपुरम जिले से घिरा हुआ है।

6-15 तिरूवन्नामलाई जिलें में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम की अगुवाई सदस्य, श्री पी. सी. शर्मा ने की। इस दौरे का उद्देश्य जिले में उपलब्ध सुविधाओं तथा सिविल, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई राज्य तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन का जायजा लेना था। इस टीम ने विभिन्न अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, उप जेलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों तथा उचित मूल्य की दुकानों का दौरा किया। क्षेत्र दौरे के बाद राज्य तथा जिले के सभी संबंधित अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों तथा सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के साथ मानव अधिकार की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए जिले में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में आयुक्त, सामाजिक कल्याण एवं उपसचिव, तमिलनाडु सरकार; राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, कृषि, पुलिस, जेल तथा लोक निर्माण विभागों के जिला अधिकारियों सहित 150 से अधिक राज्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। लोक प्रतिनिधियों यथा स्थानीय विधायक, नगरपालिका तथा जिला पंचायत के सदस्यों तथा स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कार्यशाला में भाग लिया।

6-16 उक्त कार्यशाला की कुछ मुख्य सिफारिशें/सुझाव निम्नलिखित हैं:

- यह पाया गया कि तिरूवन्नामलाई जिले में जन वितरण प्रणाली काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था। जिले में भूखमरी से मौत की कोई खबर नहीं थी। 'भोजन के अधिकार' से संबंधित मुद्दे का समाधान अपने जन वितरण प्रणाली के जरिए करने में तमिलनाडु राज्य के उदाहरण को देश के सभी राज्यों के लिए एक रोल मॉडेल के रूप में दोहराने की जरूरत है।
- समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों के भाग के रूप में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए राज्य छात्रावास चला रहा था। यह सिफारिश की गई थी कि इन संस्थाओं के नाम जाति सूचक नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे भेदभावपूर्ण आचरण का संकेत मिलता है।
- यह सिफारिश की गई कि जिला प्राधिकारियों को विशेष रूप से दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच राज्य कल्याण के सभी उपायों तथा विकास के कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना चाहिए ताकि वे इन कार्यक्रमों तथा कल्याणकारी उपायों का लाभ उठा सकें।
- जिले में न जोती जाने वाली भूमि (21039 हेक्टेयर) का काफी बड़ा हिस्सा है। यह सिफारिश की गई कि जमीन को जोत योग्य बनाने तथा इसके बाद समाज के अत्यधिक गरीब वर्ग की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से उनके बीच उसे बांटने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

¼c½ Hkkstu ds vf/kdkj laca/kh dksj xzqi dh cSBd

6-17 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भोजन के अधिकार पर 11 सदस्यों से युक्त एक कोर समूह भी गठित की है जो भोजन के अधिकार से संबंधित मुद्दों पर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों पर आयोग की सहायता करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कथित कोर समूह के सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर अगस्त, 2010 में 18 कर दी गई। आयोग में भोजन के अधिकार संबंधी कोर समूह में निम्नलिखित सदस्य हैं:

1. प्रो0 एम. एस. स्वामीनाथन, अध्यक्ष, एम. एस. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन, चेन्नई, तमिलनाडु।
2. श्री के. आर. वेणुगोपाल, आई ए एस (सेवानिवृत्त), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
3. डॉ0 एस. एम. झरवाल, अध्यक्ष, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग आथोरिटी, नई दिल्ली
4. डॉ0 (श्रीमती) प्रेमा रामचंद्रन, निदेशक, न्यूट्रिशन फाउंडेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली।
5. डॉ0 के. एम. बुजारबरूआ, कुलपति, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जोरहाट, असम।
6. डॉ0 पी. के. जोशी, निदेशक, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
7. डॉ0 आर. एस. देशपांडे, निदेशक, इन्सटीटयूट फार सोशल एण्ड इकॉनामिक चेंज, बेंगलुरू, कर्नाटक।
8. डॉ0 वी. प्रकाश, निदेशक, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर, कर्नाटक
9. प्रो0 एस. परशुरामन, निदेशक टाटा इंन्स्टीटयूट ऑफ सोशल साइन्सेज, मुम्बई, महाराष्ट्र।
10. प्रो0 रवि श्रीवास्तव, सेंटर फार द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, स्कूल ऑफ सोशल सांइसेज, जे एन यू, नई दिल्ली।
11. डॉ0 अमृता रंगास्वामी, सेंटर फार द स्टडी आफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ रिलीफ, नई दिल्ली
12. डॉ0 (श्रीमती) रमा मेल्कोते, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश
13. श्रीमती अल्का सिरोही, सचिव, खाद्य एवं जन वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
14. श्री राजीव अग्रवाल, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. श्री पी. के. बसु, सचिव, कृषि एवं सहयोग विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
16. श्री एम. एफ. फारूकी, अपर सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, तथा अध्यक्ष, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, नई दिल्ली।
17. श्री सिराज हुसैन, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
18. श्री ए. के. के. मीणा, आयुक्त – सह–सचिव एवं निदेशक, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर।

6-18 18 सदस्यीय कोर समूह की बैठक श्री पी. सी. शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता में 2 नवम्बर, 2010 को नई दिल्ली में हुई।

6-19 उक्त बैठक में भोजन के अधिकार से संबंधित कई मुद्दे चर्चा के लिए उठाए गए। उनमें से एक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के विषय में था। गरीबों के बीच निम्न तथा बंधी हुई आय का मतलब है कि खरीदने की निम्न शक्ति घरेलू भोजन तथा पोषण सुरक्षा के लिए एक गंभीर बाधा बनी हुई है, तब जब कृषि में हस्तक्षेप तथा ग्रामीण आधारभूत ढ़ांचे के निर्माण के कारण भोजन की पैदावार में उछाल आई है। उक्त बैठक में जिन अन्य बातों पर चिंता व्यक्त की गई उनमें बाल कुपोषण, मातृत्व रक्ताल्पता, भूख से मौत तथा देश के विभिन्न राज्यों से किसानों की आत्महत्या की खबरें, खाद्य प्रबन्ध नीति, सतत् खाद्य सुरक्षा तथा जन वितरण प्रणाली शामिल थे।

¼l½ jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx }kjk fuiVk, x, Hkkstu ds vf/kdkj lEcU/kh n"VkUr ekeys

1. एथेंक्स से तथाकथित संक्रमण तथा भूखमरी के कारण तीन वयस्कों तथा तीन बच्चों की मौत
(मामला सं0 979/18/8/2010)

6-20 यह शिकायत उड़ीसा के कोरापुट जिले के सेमीलीगुड़ा ब्लॉक में बिलीगुड़ा गांव में 1–15 जून, 2010 की अवधि के दौरान सड़े हुए मांस खाने के कारण एथ्रेंक्स वायरस से ग्रसित होने पर तीन लोगों की तथाकथित मौत

से संबंधित है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि 15 जून, 2010 के बाद कोरापुट जिले के दसमंथपुर ब्लॉक में भूख से तीन बच्चों की मौत हो गई थी।

6-21 कथित मामले में आयोग ने दिनांक 28 जून, 2010 की अपनी कार्यवाही द्वारा सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ–साथ मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार को चार हफ्तों के भीतर रिपोर्ट मांगते हुए नोटिस जारी किया था।

6-22 अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार की क्रमशः दिनांक 28 जुलाई, 2010 तथा 5 अगस्त, 2010 की रिपोर्ट के अनुसार यह खुलासा हुआ कि एक व्यक्ति की मौत एथ्रेंक्स से हुई थी। शिकायत में उल्लिखित तीन वयस्क तथा तीन बच्चों की मौत एथ्रेंक्स तथा भूख के अतिरिक्त अन्य कारणों से हुई थी। तद्नुसार ये रिपोर्टें टिप्पणी के लिए शिकायतकर्त्ता को भेज दी गई।

6-23 शिकायतकर्त्ता श्री सुहास चकमा, निदेशक, एशियन सेंटर फार ह्यूमन राईटस, नई दिल्ली ने दिनांक 3 नवम्बर, 2010 की अपनी टिप्पणी में कहा कि इस मामले का निर्णय करने में मरने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में मेडिकल रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण सूचना थी।

6-24 दिनांक 9 दिसम्बर, 2010 की कार्यवाही द्वारा आयोग ने एक बार फिर मुख्य सचिव, उड़ीसा सरकार को शिकायत में उल्लिखित 6 मृतकों के संबंध में चार हफ्तों के भीतर मेडिकल रिपोर्ट आयोग को भेजने का निर्देश दिया।

6-25 बार–बार अनुस्मारक देने के बावजूद शिकायत में वर्णित 6 मृतकों के संबंध में चिकित्सा रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। यह मामला अभी भी आयोग के विचाराधीन है।

****

अध्याय - 7

f'k{kk dk vf/kdkj

7-1 सामाजिक एवं आर्थिक तरक्की आसान बनाने में शिक्षा की भूमिका को भली–भांति स्वीकार किया गया है। यह अवसरों के द्वार खोलता है जिससे व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों स्तर पर उपलब्धियाँ हासिल होती हैं। शिक्षा, अपने व्यापक अर्थ में, लोगों को क्षमता एवं ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण निवेश है तथा भविष्य में उनके लिए आयसृजक उपजाऊ रोजगार के रास्ते खोलता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरक्की से न केवल क्षमता में बढ़ोतरी होती है बल्कि जीवन की समग्र गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। इसलिए शिक्षा सभी का मूलभूत अधिकार है।

7-2 शिक्षा के अधिकार के लिए आयोग का समर्थन महत्वपूर्ण संविधानिक, वैधानिक तथा न्यायिक उद्घोषणाओं पर आधारित है जो इस अधिकार से संबंधित हैं। यह शिक्षा के अधिकार के लिए 1994 से वकालत कर रहा है। आयोग शिक्षा की समानता तथा गुणवत्ता के विषय में भी गंभीर रूप से चिंतित है क्योंकि शहरी, ग्रामीण एवं आदिवासी इलाकों में स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के बीच महत्वपूर्ण अंतर है।

7-3 आयोग ने वर्ष 2007–2008 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह जिक्र किया था कि वर्ष 2002 के 86 वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 21 ए, 51 ए (के) को शामिल करते हुए तथा अनुच्छेद 45 में संशोधन करते हुए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया है। जोड़ा गया अनुच्छेद 21 ए यह घोषणा करता है कि ''राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उस तरीके से प्रदान करेगा जैसा राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे''। अनुच्छेद 51 ए (के) में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक ''जो माता–पिता अथवा अभिभावक हैं का यह कर्त्तव्य होगा कि वह 6 तथा 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे, अथवा जैसा मामला हो, वार्ड को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें।'' इसके अनुरूप संशोधित अनुच्छेद 45 ''बचपन के शुरूआती वर्षों में देखभाल तथा 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा'' का प्रावधान करता है।

7-4 इसके अतिरिक्त इसमें यह भी कहा गया कि वैश्विक रूप से स्वीकार किए गए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के आलोक में तथा बच्चों के अधिकारों संबंधी प्रसंविदा सहित अन्तरराष्ट्रीय अभिसमयों से निकलने वाले सांविधानिक अधिदेश तथा दायित्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित बातों की आवश्यकता है :

- इसे लागू किए जाने की तिथि के संबंध में सरकारी राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना; तथा
- एक कानून बनाना जो वह पद्धति निर्धारित करेगा जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।

7-5 आयोग को यह जानकर खुशी है कि कानून एवं न्याय मंत्रालय के वैधानिक विभाग ने ''निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार अधिनियम, 2009'' (आर टी इ अधिनियम) बनाया है ताकि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जा सके। उक्त अधिनियम अप्रैल 2010 में लागू हुआ। अधिनियम के आधार पर सरकार ने इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश के रूप में मॉडल नियम बनाए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को देश में इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नाडल प्राधिकरण के रूप में मनोनीत किया गया है।

7-6 आर टी इ अधिनियम अवसर की समानता के आधार पर तथा किसी भी आधार पर भेद–भाव के बिना बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है जो उसे उसकी क्षमता पूरी करने योग्य बना सके, जिससे उसे रोजगार के लिए अवसर मिले, उसके जीवन कौशल का विकास हो, तथा उसकी सहज गरिमा के लिए सम्मान का अधिकार हो।

7-7 आर टी इ अधिनियम का कार्यान्वयन हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। एक राष्ट्र के रूप में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, स्कूल जाएँ, दिन–प्रतिदिन की शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लें, अपनी क्षमताओं का निर्माण करें, अपनी शिक्षा पूरी करें तथा एक आश्वस्त एवं आत्मनिर्भर मनुष्य बनें।

d- f'k{kk e HknHkko d fo:) ;uLdk lEeyu] 1960

7-8 शिक्षा का अधिकार एक आधारभूत मानव अधिकार है तथा दूसरे मानव अधिकारों के प्रयोग के लिए आवश्यक है। व्यक्ति तथा समाज दोनों इसके लाभार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार न केवल किसी देश के संवैधानिक प्रावधानों तथा कानूनों द्वारा बल्कि अन्तरराष्टीय दस्तावेजों के समर्थन से भी सिद्ध होता है। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के अधिकार को शिक्षा में भेदभाव के विरूद्ध यूनेस्को के सम्मेलन, 1960, जिसमें शिक्षा के अधिकार को व्यापक रूप से शामिल किया गया है तथा जिसे सभी के लिए शिक्षा के एक मुख्य स्तंभ के रूप में स्वीकार किया जाता है, में निर्धारित किया गया है।

7-9 संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संधियों में से, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966 का अनुच्छेद 13 (आइ सी इ एस सी आर) बड़े पैमाने पर शिक्षा में भेदभाव के विरूद्ध यूनेस्को अभिसमय, 1960 पर आधारित है, तथा इसी तरह यह अभिसमय, शिक्षा के अधिकार को व्यापक रूप से शामिल करता है। आइ सी इ एस सी आर का अनुच्छेद 13 जिसे आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा यूनेस्को के सहयोग से विस्तार किया गया है, शिक्षा के अधिकार के क्षेत्र तथा स्वरूप को स्पष्ट करता है।

7-10 शिक्षा के अधिकार के विशिष्ट आयामों को भी बच्चों के अधिकारों संबंधी अभिसमय, 1989 (अनुच्छेद 28–30); महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय, 1979 (अनुच्छेद 10); सभी प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1990 (अनुच्छेद 12, 30, तथा 45); एवं अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी सम्मेलन, 2006 (अनुच्छेद 24) द्वारा विशेष रूप से शामिल किया गया है।

7-11 यूनेस्को सम्मेलन के समग्र महत्व तथा इस तथ्य को देखते हुए कि 2006 में एशिया प्रशांत मंच की न्यायविदों की परामर्शदात्री परिषद ने भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत से सिफारिश की थी वह भारत सरकार से उक्त अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के लिए विचार करने का आग्रह करे, आयोग ने जुलाई, 2010 में विदेश मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया कि वे भारत सरकार द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने अथवा इसका अनुसमर्थन करने की स्थिति के बारे में इसे सूचित करें। आयोग को अभी तक अनुस्मारक के बावजूद विदेश मंत्रालय से कोई उतर प्राप्त नहीं हुआ है।

c- jk"Vh; ekuo vf/kdkj vk;kx nokjk fuiVk, x, f'k{kk d vf/kdkj lc/kh n"VkUr ekey

1. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा तथा बस्तर जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित करना (मामला सं0 468/33/2005–2006)

7-12 आयोग को श्री सुभाष मोहपात्र, निदेशक, रेजिस्ट इनिशिएटिव इंटरनेशनल, भुवनेश्वर से दिनांक 19 जनवरी, 2006 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा तथा बस्तर जिलों में नक्सलवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तथा सशस्त्र बलों द्वारा प्राथमिक स्कूल परिसरों का इस्तेमाल करने के कारण आदिवासी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित किया जा रहा था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि इन दो जिलों में अधिकांश प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त गांव वाले तथा बच्चे नक्सलियों द्वारा फैलाए गए आतंक के कारण बहुत अमानवीय स्थितियों में जी रहे थे। इसलिए आयोग से गुहार की गई थी कि वह : (i) नक्सल प्रभावित जिलों में स्कूल तथा शिक्षा पद्धति की स्थिति रिपोर्ट की मांग करे; (ii) सभी स्कूलों के परिसरों से पुलिस बल का नियंत्रण तथा अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दे; तथा (iii) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करे।

7-13 इस मामले पर 28 जून, 2010 को विचार करते हुए आयोग ने मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार को स्थिति का गंभीर आकलन करने तथा स्कूलों को बंद किए जाने से संबंधित व्याप्त स्थिति के बारे में एक तथ्यान्वेषी रिपोर्ट देने तथा दंतेवाड़ा एवं बस्तर जिलों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों की उपलब्धता के बारे में बताने का निर्देश दिया।

7-14 मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार से दिनांक 9 सितम्बर, 2010 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि राज्य में 5 जिले नक्सल प्रभावित थे जिनके नाम बस्तर, नारायणपुर दंतेवाड़ा, बीजापुर तथा कंकेर थे। इन जिलों में 6,894 प्राथमिक स्कूल, 2,088 माध्यमिक स्कूल, 130 हाई स्कूल तथा 196 उच्च माध्यमिक स्कूल राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, 520 प्राथमिक आश्रम स्कूल तथा 55 माध्यमिक आश्रम स्कूल थे। नक्सलवादी गतिविधियाँ बढ़ने के कारण राज्य में बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ी थी तथा उनके ठहरने के इंतजाम इन स्कूलों में किए गए थे जिनमें निर्माणाधीन स्कूल तथा आश्रम भवन भी शामिल थे। फिर भी, राज्य ने वैकल्पिक स्थानों पर बच्चों की शिक्षा के लिए प्रबन्ध किए थे। मुख्य सचिव द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि लगभग 292 स्कूल भवनों को नक्सलियों ने तोड़फोड़ दिया था अथवा क्षतिग्रस्त कर दिया था।

7-15 29 नवम्बर, 2010 को इस मामले पर पुनः सुनवाई करते हुए आयोग ने कहा कि नक्सलियों द्वारा स्कूल तोड़ने का एक कारण यह था कि स्कूलों का इस्तेमाल पुलिस तथा अर्द्धसैनिक बलों द्वारा कब्जे के लिए किया जा रहा था। सरकार को उन्हें वैकल्पिक स्थान देने पर विचार करना चाहिए था तथा इसके लिए कदम उठाना चाहिए था।

7-16 मुख्य सचिव, छत्तीगढ़ सरकार को तत्पश्चात् इस मामले में राज्य द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तृत सूचना देने का निर्देश दिया गया था।

7-17 इस मामले की आयोग जांच कर रहा है।

2. *ट्राई–वैली यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के टखनों पर रेडियो मानीटरिंग डिवाइस लगाने के संबंध में मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान (मामला सं0 17/99/4/2011)*

7-18 आयोग ने 7 फरवरी, 2011 को एक न्यूज रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया जिसका शीर्षक था "रेडियो – टैगिंग 'जाली विश्वविद्यालय : कसूरवार कौन एजेंसी अथवा छात्र" यह खबर एन डी टी वी.काम पर 3 फरवरी, 2011 को दिखाई गई थी।

7-19 न्यूज रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि ट्राई वैली यूनिवर्सिटी में लगभग 1,555 छात्र थे जिसमें से 95 फीसदी छात्र भारतीय थे। उनमें से अधिकांश आंध्र प्रदेश से थे। उन छात्रों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे तथा उनके टखनों पर मार्गनिर्देशन उपकरण (नेभिगेशन डिवाइस) लगाए गए थे ताकि प्राधिकारियों को यह पता चल सके कि किसी निश्चित समय पर कोई छात्र कहाँ था।

7-20 7 फरवरी, 2011 को आयोग के निर्देशों के अनुसरण में सुश्री, निरूपमा राव, विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 3 मार्च, 2011 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि संयुक्त राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को फरवरी, 2009 में केवल एक सीमित संख्या में विदेशी छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी क्योंकि इसे राज्य से मान्यता प्राप्त नहीं थी। किन्तु विदेशी छात्र बड़ी संख्या में इस विश्वविद्यालय में आते थे क्योंकि यह बहुत कम शुल्क लेती थी, कक्षा में उपस्थिति आवश्यक नहीं थी, तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश के तुरंत बाद छात्रों को काम करने का परमिट जारी करती थी। जिस समय यह यूनिवर्सिटी बंद हुई उस समय इसके उपस्थिति रजिस्टर में लगभग 1,550 छात्र थे जिसमें से 95 फीसदी छात्र भारत–मुख्यतः आंध्र प्रदेश से थे। संयुक्त राज्य प्रवासी तथा कस्टम प्रवर्तन अधिकारियों ने कई भारतीय छात्रों से पूछताछ की तथा उनमें से 18 छात्रों को शुरू में रोक कर रखा गया तथा बाद में उनके टखनों पर रेडियो मानीटरिंग डिवाइस लगाने के बाद छोड़ दिया गया, जिसके कारण इन अनियमितताओं में उनके शामिल होने की जांच पूरी नहीं हो सकी। बाद में यह सूचित किया गया कि 18 छात्रों में से 12 के रेडियो कालर हटा दिए गए थे।

7-21 इसके अतिरिक्त, उन्होंने सूचित किया कि भारत सरकार ने इस विषय पर कई उपाय किए थे जिनमें निम्नलिखित शामिल है :

(i) इस मुद्दे का शीघ्र समाधान करने के लिए संबंधित संयुक्त राज्य अभिकरणों के साथ–साथ होमलैण्ड सुरक्षा विभाग के साथ संयुक्त राज्य अमेरीका में भारतीय दूतावास के वाणिज्य दूतावास की बैठक।

(ii) विदेश मंत्री, भारत सरकार ने 12 फरवरी, 2011 को न्यूयार्क की अपनी यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य सचिव हिलेरी क्लिंटन से बात की।

(iii) विदेश सचिव ने 14–15 फरवरी, 2011 को संयुक्त राज्य की अपनी यात्रा के दौरान राजनीतिक मामलों के लिए राज्य अवर सचिव, विलियम बर्न'स के साथ भारत की चिंताएँ व्यक्त की।

(iv) भारतीय दूतावास के अधिकारियों द्वारा भारतीय छात्रों तक पहुंचना तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना।

7-22 उन्होंने यह भी सूचित किया कि भारत सरकार द्वारा संयुक्त राज्य सरकार को लगातार जो संदेश दिया गया वह यह था कि "जबकि हम प्रत्येक सरकार के जांच करने तथा जालसाजी पर मुकदमा चलाने के अधिकार को स्वीकार करते हैं, छात्रों, जिनमें से अधिकांश स्वयं धोखाधड़ी के शिकार हैं, को दूसरे विश्वविद्यालयों में अपने नामांकन के लिए पर्याप्त समय एवं अवसर दिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने रेडियो कॉलर से असहमति जताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है।"

7-23 सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को उन शेष 6 छात्रों, जिनका रेडियो कॉलर नहीं हटाया गया था, के संबंध में आगे की रिपोर्ट भेजने को कहा गया।

7-24 इस मामले की आयोग द्वारा निगरानी की जा रही है।

3. केरल में स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर द्वारा एक छात्र को शिक्षा ऋण से वंचित करना (मामला सं0 363/11/4/2010)

7-25 इस मामले में आयोग को एक व्यक्ति से शिकायत प्राप्त हुई जिसकी पुत्री को स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर कूटिकल ब्रांच, कोटयम जिला, केरल द्वारा शिक्षा ऋण देने से मना कर दिया गया था। शिकायतकर्त्ता की पुत्री ने ह्यूमेनिटिज में 12 वीं की परीक्षा पास की थी तथा नर्सिंग का कोर्स करने की उसकी इच्छा थी।

7-26 22 सितम्बर, 2011 को आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में जिला समाहर्ता, कोटयम ने सूचना दी कि बैंक द्वारा दिए गए अनुदेश के अनुसार, नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा ऋण की मंजूरी केवल उन्हीं छात्रों के लिए दी जाती है जिन्होंने विज्ञान संकाय के साथ प्लस टू कोर्स पूरा कर लिया हो।

7-27 रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने अपनी कार्यवाही में यह टिप्पणी की कि यह स्पष्ट नहीं था कि शिकायतकर्त्ता की पुत्री को ह्यूमेनिटीज में 'प्लस टू' परीक्षा पास करने के बावजूद किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश की पेशकश की गई थी या नहीं। जिला समाहर्ता की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट नहीं था कि स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा ऋण देने के लिए जो मानदण्ड अपनाया जा रहा था वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा–निर्देशों के अनुरुप था कि नहीं।

7-28 आयोग ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक रिपोर्ट मांगी है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर द्वारा नर्सिंग के छात्रों के शिक्षा ऋण देने के लिए जो मानदण्ड अपनाया जा रहा था वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा–निर्देशों के अनुरुप है या नहीं।

7-29 रिपोर्ट आर बी आई से अभी प्राप्त नहीं हुई है।

4. पंजाब के पटियाला जिले में भद्रपुर गांव में स्कूलों का न होना (मामला सं0 436/19/15/2010)

7-30 शिकायतकर्त्ता ने पंजाब के पटियाला जिले के एक गांव भद्रपुर की स्थिति के बारे में आयोग को जानकारी दी जहां स्कूल की सुविधा नहीं है। उसने समाचार पत्र की कटिंग भी लगाई जिसमें खबर थी कि हमारे देश की स्वतंत्रता के 62 वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त गांव में कोई स्कूल नहीं था।

7-31 आयोग की नोटिस के जवाब में जिला परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, पटियाला ने दिनांक 30 अगस्त, 2010 के अपने पत्र द्वारा यह कहा कि इस गांव में केवल 23 बच्चे हैं तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बुनियादी मानक यह निर्धारित करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत किसी गांव में स्कूल खोलने के लिए कम–से–कम 40 बच्चे होने चाहिए।

7-32 परियोजना निदेशक ने आगे यह भी कहा कि नजदीक के स्कूल में ले जाने तथा वापस लाने की सुविधा दी जा सकती है किन्तु गांव वाले इस सुविधा का विरोध करते थे क्योंकि वहां यातायात का कोई साधन नहीं था। जब विभाग ने यह सुझाव दिया कि परिवहन तथा उस पर होने वाले लागत का वहन प्रशासन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान

के तहत् किया जाएगा तो गांव वालों से कोई उतर नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि वार्षिक कार्य योजना के तहत तथा 2011–2012 बजट में लोगों की मांग पर विचार किया जा सकता है।

7-33 रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने दिनांक 11 फरवरी, 2011 की अपनी कार्यवाही द्वारा यह कहा तथा निम्नलिखित निर्देश दिया :

> "रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् जिला परियोजना निदेशक ने संभवतः सुझाया है कि अपने गांव में स्कूल की सुविधा न होने के लिए गांव वाले खुद जिम्मेवार हैं।"
>
> शिक्षा एक मूलभूत मानव अधिकार है तथा संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़ने से पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामले में कहा है कि शिक्षा "जीने के अधिकार" का एक आवश्यक पहलू है जिसके बिना गरिमा पूर्ण जीवन नहीं जिया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 21 ए के अनुसरण में लागू किए गए शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के वैसे बच्चे जो स्कूल के बाहर हैं, उन्हें स्कूल में लाया जाए तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।
>
> राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करे तथा अभिभावकों से अपने बच्चों को स्कूल भिजवाए। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार को अपने सचिव (शिक्षा) के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने का निर्देश दिया जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाएं जिसमें राज्य के सभी बच्चे बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें चाहे वह सर्वशिक्षा अभियान के तहत हो अथवा किसी अन्य कार्यक्रम के तहत हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र से भदुरपुर, पटियाला के ग्रामीणों को स्कूल की सभी सुविधाएँ देगी।"

7-34 उक्त मामले में राज्य सरकार के जवाब की प्रतीक्षा है।

****

अध्याय – 8

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर समूहों के अधिकार

8-1 आयोग अपनी स्थापना के समय से ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। इसने एक "समकारी" के रूप में अपनी भूमिका को देखा है, ताकि न्याय तथा समानता के पैमाने उनके लिए और अधिक निष्पक्ष रूप से संतुलित हो सके तथा यह सुनिश्चित हो कि उन सभी के विरूद्ध देश के संवैधानिक अपेक्षाओं, इसके कानूनों तथा संधि दायित्वों के अनुसार कार्रवाई की जाती है जो उनके अधिकारों का हनन करते हैं।

8-2 समानता तथा गैर भेदभाव लाने के इस काम ने आयोग के लिए एक ऐसी राजव्यवस्था के लिए प्रयत्न करने का एक अतिरिक्त आयाम जोड़ दिया है जो सचमुच प्रजातांत्रिक है तथा जिसका चरित्र "समावेशी" है। जैसा कि अन्य मानव अधिकारों के सरोकारों के साथ है, जो विगत 17 वर्षों से आयोग के विश्वास के केंद्र में रहे हैं, उसी प्रकार, अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर समूहों के अधिकारों के मामले में जिस प्रकार आयोग ने अपने विचारों को व्यक्त किया है, तथा अपने कार्यक्रमों एवं कार्यों में उन्हें व्यावहारिक रूप से अभिव्यक्त किया है, उसमें विकास हुआ है। यहां भी, मानव अधिकार तथा गरिमा के आपस में गूंथे हुए विषयों में मानव विकास तथा सुशासन का विषय उनके अनिवार्य सहयोगी के रूप में रहा है।

8-3 अपने शुरुआती वर्षों से ही आयोग ने "प्राचीन सामाजिक अत्याचारों" जिनकी वजह से कुछ भारतीय अन्यों की अपेक्षा कम समान बने तथा धर्म अथवा रीति रिवाज पर आधारित चिरकालिक बर्ताव के दुराग्रह – जो देश के सभी व्यक्तियों के अधिकारों के लिए समुचित सम्मान के लिए सहायक नहीं थे, को ध्यान में रखा। आयोग ने उन पूर्वाग्रहों से लड़ने को अपना मिशन बनाया जिसके कारण संविधान की मांगों तथा कई कानूनों के बावजूद ऐसी स्थिति कायम हुई थी।

8-4 आयोग ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त होने वाली शिकायतों, जिनमें भेदभाव के कारनामों, "अस्पृश्यता", मनुष्य के विरूद्ध हिंसा, लोक सेवकों तथा अन्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के अत्याचार तथा दादागीरी के आरोप थे, पर अधिक ध्यान दिया। प्राप्त होने वाली शिकायतों पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त, इसने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के मानव अधिकार हनन के मामलों को सुलझाने के लिए कई मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग पीड़ितों अथवा उनके परिजनों को आर्थिक राहत की संस्तुति कर तथा जहां उचित हो वहां लापरवाह लोक सेवकों के विरूद्ध कार्रवाई के द्वारा अत्याचार की व्यक्तिगत शिकायतों का समाधान करता रहा है। इसके अतिरिक्त, आयोग केन्द्र तथा राज्य सरकारों को निरंतर पुलिस बल को संवेदनशील बनाने की सिफारिश करता रहा है ताकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह निष्पक्ष रूप से तथा निडर होकर काम करे। साथ–साथ यह अस्पृश्यता की दुर्भावनापूर्ण प्रथा तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य सुविधावंचित समूहों के प्रति लक्ष्य किए गए अन्याय के विरूद्ध आम जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न कर रहा है।

8-5 इसने विशेष रूप से दो हानिकारक तथा अपमानजनक प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया है जिसने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बहुत अधिक प्रभावित किया है : सिर पर मैला ढुलाई तथा बंधुआ मजदूरी। सिर पर मैला ढुलाई के मुद्दे को सर्वप्रथम आयोग द्वारा 1996—1997 में उठाया गया था। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया। दूसरा मुद्दा, बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन आयोग की स्थापना के पहले वर्ष से ही इसकी चिंता का "मुख्य" विषय रहा है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय के 1997 परिहार के द्वारा यह विशेष रूप से इसे सौंपा गया एक दायित्व भी है।

,- flj ij eSyk <ykbZ rFkk lQkbZ ij jk"Vªh; dk;Z'kkyk dk vk;kstu

8-6 आयोग ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 11 मार्च, 2011 को तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली में सिर पर मैला ढुलाई तथा सफाई पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन, शहरी विकास तथा रेलवे मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों; हुडको जैसे तकनीकी संस्थानों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों आदि ने एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला में निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

1. सिर पर मैला ढोने वालों को रोजगार तथा शुष्क शौचालय के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए तथा मैला ढुलाई की प्रथा के उन्मूलन को राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाना चाहिए।
2. राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शुष्क शौचालयों की समाप्ति तथा सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के संबंध में उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के डाटा से मेल खाते है। किसी भी विसंगति के पाए जाने पर राज्य सरकारों को इस मामले को मंत्रालय के समक्ष रखना चाहिए ताकि डाटा को सुधारा जा सके।
3. सिर पर मैला ढुलाई के उन्मूलन के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ अपने डाटा को मिलाने के पश्चात् प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को इस संबंध में एक घोषणा पत्र/अधिसूचना जारी करना चाहिए कि उनका क्षेत्र सिर पर मैला ढुलाई तथा शुष्क शौचालयों से मुक्त है। इसकी एक कॉपी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजी जानी चाहिए।
4. अभी तक सिर पर मैला ढ़ोने वालों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई सिंगल विंडो नहीं है। प्रत्येक ऐसे जिले में एक सिंगल विन्डो की स्थापना की जानी चाहिए तथा एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए जहाँ सिर पर मैला ढ़ोने वालों की पहचान की गई हो, ताकि पुनर्वास की प्रक्रिया आसान हो सके तथा उसमें तेजी लाई जा सके। राज्य स्तर पर सिर पर मैला ढुलाई पर एक नोडल एजेंसी की भी स्थापना की जानी चाहिए।
5. हाथ से मैला सफाई की पद्धति को खत्म करने के लिए सेप्टीक टैंक को यंत्र चालित बनाया जाना चाहिए। मैनहोल ऑपरेशन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय तथा दक्ष प्रशिक्षण सहित तकनीक/यांत्रिक प्रणाली को अपनाने की जरूरत है।
6. हाथ से काम करने की संभावना को कम—से—कम करने के लिए रेलवे को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सफाई सुविधाओं की एक अत्याधुनिक तकनीक विकसित करनी चाहिए।
7. सफाई/मैनहोल ऑपरेशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय (गुजरात) द्वारा दिए गए दिशा—निर्देशों को संबंधित एजेंसियों/नियोक्ता द्वारा लागू किया जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य संबंधी खतरों से सफाई

कर्मचारियों की रक्षा की जा सके।

8. गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियोक्ताओं को मैन होल में काम करने वाले मजदूरों/मैला ढ़ोने वालों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण, पोशाक, तथा अन्य सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना चाहिए। मजदूरी का ढाँचा पूरे देश में सफाई कर्मियों के लिए एक समान होना चाहिए।
9. सभी सफाई कर्मचारियों, चाहे वे स्थाई, पार्ट टाइम अथवा अनुबंध पर हों, तथा सभी हरिजन बस्तियों के आवासीय क्षेत्र में मोबाइल वाहनों के जरिए विशेष स्वास्थ्य जाँच की जानी चाहिए जिसके पश्चात् चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
10. सफाई कर्मचारी की मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में उसके आश्रित को उनकी योग्यता के अनुसार तत्काल रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। मृतक के परिवार को कम–से–कम 3 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
11. सिर पर मैला ढ़ोने वालों को स्वरोजगार (एस आर एम एस), सर्व शिक्षा अभियान, (एस एस ए), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–2005 (नरेग्स) आदि जैसी योजनाओं में जनसंख्या के इस वर्ग को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। इन योजनाओं की सफलता को सिर पर मैला ढ़ोने वालों तथा सफाई कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में इन योजनाओं के कारण आने वाले बदलाव से आंका जाना चाहिए।
12. इस वर्ग के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा इसे आसान बनाने हेतु अच्छे गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए जहाँ उन्हें निःशुल्क शिक्षा तथा अध्ययन सामग्री, आवास एवं भोजन आदि उपलब्ध हो। सिर पर मैला ढ़ोने वालों के बच्चों के लिए वित्तीय अवयव को पर्याप्त रूप से बढ़ाये जाने की जरूरत है क्योंकि वे बहुत पीछे रह गए हैं तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए नियमित रूप से सहायता की जरूरत है।
13. ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ सफाई के काम के लिए नियुक्त किए गए लोग पूर्व में मैला ढ़ोने वाले किसी अन्य सफाई कर्मचारी को यह काम सौंप देते हैं। इस प्रकार यह शोषण अप्रत्यक्ष रूप में ही सही, जारी रहता है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसे अपराध मानते हुए इसके लिए जिम्मेवार लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
14. इस मुद्दे के लिंग घटक के समाधान के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मामलों जैसी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने हेतु व्यापक उपाय किए जाने चाहिए।
15. मेहतरों के बच्चों को छात्रवृत्ति तथा उनकी विधवाओं को पेंशन के साथ–साथ पुनर्वास किए गए मेहतरों को बी पी एल कार्ड दिया जाना चाहिए।
16. मेहतरों के पुनर्वास के लिए मौजूदा व्यवस्था में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसे और अधिक व्यावहारिक एवं यथार्थ बनाया जा सके।

8-7 इन संस्तुतियों को केंद्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी संबंधितों को उस पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेज दिया गया।

C- cèkqvk etnjh dk mUewyu

8-8 दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में रिट याचिका (सिविल नं0 3922) 1985, में आयोग देश के विभिन्न भागों में बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है।

8-9 देश में बंधुआ मजदूरी – प्रवण जिलों, उद्योगों तथा व्यवसायों की पहचान के लिए, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास

के लिए मौजूदा योजनाओं की स्थिति का आकलन करने तथा बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन से निपटने वाले कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने डॉ0 एस. आर. शंकरन, आई ए एस (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में 2000 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन भी किया था। विशेषज्ञ समूह ने 2001 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सौंपी गयी अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया कि हालांकि श्रम मंत्रालय ने 13 राज्यों तथा 172 जिलों की पहचान बंधुआ मजदूरी प्रवण के रूप में की थी, तथापि यह प्रथा लगभग सभी राज्यों में व्याप्त है। विशेषज्ञ समूह ने यह भी निष्कर्ष दिया कि कृषि में बंधुआ मजदूरी की अधिक घटनाएं आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब तथा तमिलनाडु राज्यों में है। गैर कृषिगत क्षेत्रों में, बंधुआ मजदूरी ईंट भट्ठों, पत्थर की खदानों, बीड़ी के उत्पादन, दरी बुनाई तथा निर्माण में प्रचलित है तथा बंधुआ बाल मजदूरी रेशम उद्योग में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा जैसे राज्यों में प्रवासी बंधुआ मजदूर वंचन तथा शोषण के बदतर स्वरूप को पेश करते हैं।

8-10 इस समूह ने यह महसूस किया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा इसके विशेष संपर्ककर्त्ता व्यवस्था के जरिए किए गए प्रयासों के कारण बंधुआ मजदूरों की पहचान, उनकी रिहाई तथा पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला था। आयोग द्वारा की गई विशेष संपर्ककर्त्ता की व्यवस्था बंधुआ मजदूरी के मामले के साथ–साथ देश के दूरदराज के हिस्सों में प्रचलित बंधुआ बाल मजदूरी के मामलों को आयोग की जानकारी में लाने में सहायक रहा है। इसके अतिरिक्त, आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों ने विशेष संपर्ककर्त्ताओं तथा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से दौरे किए हैं तथा देश में बंधुआ मजदूरी तथा बंधुआ बाल मजदूरी की स्थिति के राज्य स्तर तथा जिला स्तर की समीक्षाओं में भाग लिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कृषि, ईंट भट्ठों तथा अन्य क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी के सभी मामलों के पीछे मनोयोगपूर्वक लगा हुआ हैं तथा यह सुनिश्चित किया है कि चिह्नित मजदूरों को रिहा कराया गया तथा उनका पुनर्वास किया गया।

8-11 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित चार कार्यशालाओं का आयोजन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किया गया। इन कार्यशालाओं के आयोजन के लिए समग्र निर्देश न्यायमूर्ति श्री बी. सी. पटेल, सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिया गया। सभी कार्यशालाएं संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से आयोजित की गईं। उनका विवरण निम्न प्रकार है:

Øe la0	ftyk@jkT;	dk;Z'kkyk dh frfFk
1.	चेन्नई (तमिलनाडु)	26 अक्टूबर, 2010
2.	शिमला (हिमाचल प्रदेश)	18 नवम्बर, 2010
3.	पुणे (महाराष्ट्र)	28 जनवरी, 2011
4.	जयपुर (राजस्थान)	11 फरवरी, 2011

8-12 इन कार्यशालाओं का उद्‌देश्य जिला मजिस्ट्रेटों, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों, सतर्कता समितियों के सदस्यों तथा राज्य श्रम विभाग के अधिकारियों को बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई तथा पुनर्वास की प्रक्रिया तथा बी एल एस ए तथा अन्य संबंधित कानूनों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाना था। इन कार्यशालाओं की अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री बी. सी. पटेल, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने की। जिन अन्य लोगों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया उनमें डॉ0 एल मिश्रा, विशेष संपर्ककर्त्ता, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग; श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी; राज्य श्रम विभाग के अधिकारी तथा अन्य जिला स्तर के अधिकारी शामिल थे।

U;ure etnjh vfèkfu;e lcèkh tkuy dk;'kkyk,

8-13 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ईंट भट्ठा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम भत्ता न दिए जाने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई। फलस्वरूप, आयोग ने ईंट के भट्ठों को अनुसूचित रोजगार के रूप में अधिसूचित करने, सभी श्रेणियों के लिए निर्धारित मजदूरी की दरों, मजदूरी की दरों में संशोधन, भुगतान का तरीका, साप्ताहिक अवकाश, रिकार्ड का रखरखाव तथा दावों का निपटान आदि के संबंध में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना मांगी।

8-14 आयोग में कुछेक राज्यों से प्राप्त जवाबों की जांच की गई। जवाबों से असंतुष्ट आयोग ने देश में न्यूनतम भत्तों के संबंध में पांच जोन कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्णय लिया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तीन जोन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया:

dk;'kkykvk dk LFkku	dk;'kkykvk dh rkjh[k	Hkkx yu okys jkT;
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) (दक्षिणी राज्यों के लिए)	09.09.2010	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुद्दुचेरी तथा कर्नाटक
अहमदाबाद (गुजरात) (पश्चिमी राज्यों के लिए)	29.10.2010	राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा तथा गुजरात
भुवनेश्वर (उड़ीसा) (पूर्वी राज्यों के लिए)	07.01.2011	उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिम बंगाल

x- cèkvk etnjh ¼mUeyu½ iFkk vfèkfu;e] 1976 dh èkkjk 11 dh iujh{kk rFkk l'kkèku

8-15 देश में बंधुआ मजदूरी की स्थिति की मॉनीटरिंग में इसके अनुभव के आधार पर आयोग ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव से बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) प्रथा अधिनियम, 1976 की धारा 11 की पुनरीक्षा तथा उसमें संशोधन करने का अनुरोध किया। मंत्रालय द्वारा संशोधन को अधिसूचित किया जाना बाकी है। आयोग ने एक बार फिर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) प्रथा अधिनियम की धारा 11 में संशोधन करने और उसे जल्दी से जल्दी अधिसूचित करने का अनुरोध किया।

?k- ckyJe mUeyu

8-16 बालश्रम की समस्या सर्वविदित है। भिन्न–भिन्न अवधारणाओं तथा अनुमान के भिन्न तरीकों के कारण देश में काम करने वाले बच्चों (बाल श्रमिकों) की संख्या के अनुमान में भिन्नता है। वर्ष 2001 की राष्ट्रीय जनगणना अनुमान के अनुसार कार्य करने वाले बच्चों की कुल संख्या 210 मिलियन है जिसमें से 12.6 मिलियन* बच्चे 5–14 वर्ष के हैं, जिनमें से 5.77 मिलियन को 'मुख्य मजदूर'** की श्रेणी में रखा गया है, तथा 6.88 मिलियन को 'मार्जिनल'*** मजदूरों की श्रेणी में रखा गया है। देश के कुल बाल श्रमिकों में से 5–14 वर्ष की आयु के बीच के मजदूरों की हिस्सेदारी 3.15 प्रतिशत**** है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 11.3 मिलियन थी।

1. 2001 की जनगणना का विश्लेषण दर्शाता है कि 6.8 मिलियन लड़के तथा 5.8 मिलियन लड़कियां, बाल मजदूरों की तरह कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि लड़के 'मुख्य' मजदूर हैं जबकि अधिसंख्य लड़कियां 'मार्जिनल' मजदूर हैं;

2. कई बच्चे ऐसे रोजगारों में लगे हुए हैं जिन्हें 'जोखिम भरे कार्य' की श्रेणी में रखा जाता है अर्थात जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक या नैतिक कल्याण के लिए हानिकारक हैं;

3. हालांकि भारत में अंतर्राज्यीय तथा अंतरक्षेत्रीय भिन्नताएं हैं; बाल श्रम विशेषतः जोखिमपूर्ण बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले कारकों में पारिवारिक निर्धनता एवं निरक्षरता; सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां; जागरुकता की कमी; मौलिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा एवं कौशल की सुलभता का अभाव; बेरोजगारी तथा बेगारी की उंची दरें, तथा परिवार एवं समाज के सांस्कृतिक मूल्य शामिल हैं।

8-17 अधिकांश बाल मजदूर; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य संवेदनशील वर्गों से संबंधित हैं। बेहतर भत्तों, कार्य की बेहतर परिस्थितियों तथा संबंधित श्रम अधिकारों के लिए सौदेबाजी करने में इनकी सहज कमजोरी के कारण, उत्पादन लागत को कम करने के लिए इनकी भर्ती की जाती है। इसी कारण से वयस्कों की बेरोजगारी के उच्च स्तर के बीच बाल श्रमिकों की एक बड़ी तादात का विरोधाभास नजर आता है।

8-18 निपुणता की आवश्यकता वाले कार्य अकसर बाल मजदूरों द्वारा किए जाते हैं। मजदूरों की भर्ती करने वाले अकसर निर्धन क्षेत्रों से या ऐसे क्षेत्र जहां सूखा पड़ा हो या बाढ़ आई हो या जहां कृषि बेकार हो गई हो, जैसे क्षेत्रों से बाल श्रमिकों को लाते हैं। अब यह सर्वविदित तथ्य है कि सस्ती मजदूरी के प्रयोजनार्थ इन क्षेत्रों से कई बच्चों का अवैध व्यापार किया जाता है। हाल ही में, इनमें से कई बच्चे निर्माण उद्योग, पत्थर तोड़ने, खदानों, ईंट के भट्ठे तथा लघु उद्योगों (असंगठित क्षेत्र) में कार्य कर रहे हैं। इन्हें घरों में काम करते हुए, सड़क पर चल रहे रेस्त्रां में तथा जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्य करते हुए देखा जा सकता है।

8-19 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई0एल0ओ0) अभिसमय द्वारा परिभाषित बाल श्रम तथा बाल श्रम का सबसे निकृष्टतम स्वरूप, बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, उनकी शिक्षा को जोखिम में डालता है तथा भावी शोषण एवं दुरुपयोग की ओर ले जाता है। बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय(1989) का अनुच्छेद 32(1) – आर्थिक शोषण और जोखिम भरे अथवा बच्चे की शिक्षा में बाधा डालने वाले अथवा बच्चे के स्वास्थ्य अथवा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक कार्यों के संबंध में बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने को मान्यता देता है। इसलिए, बाल श्रम उन्मूलन, विशेषतः मिलेनियम डॅवलेपमेंट गोल्स (एम0डी0जी0)1 (परम निर्धनता तथा क्षुधा का उन्मूलन), (एम0डी0जी0)2 (सभी लड़कों तथा लड़कियों द्वारा प्राईमरी शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करना) तथा (एम0डी0जी0)6 (एच0आई0वी0/एडस, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से लड़ना) को प्राप्त करने के संबंध में प्रासंगिक है। एम0डी0जी0 7, जिसका लक्ष्य पर्यावरणीय स्रोतों की हानि पूर्णतया बदल देना है, को प्राप्त करने से परिवारों को तबाह करने वाले तथा बाल श्रम के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करने वाली पर्यावरणीय आपदाओं को कम करने में मदद मिलेगी।

3- jk0ek0v0vk0 }kjk fuiVk, x, vuqlfpr tkfr;ksa vuqlfpr tutkfr;ksa rFkk vU; laosnu'khy oxksZa ls lacaf/kr n"Vkar ekeys

1. हरियाणा के कैथल जिले में पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय राहत का भुगतान न होना (मामला सं0 602/7/9/08–09)

8-20 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत पीड़ित के परिवार के एक सदस्य को रोजगार सहित वित्तीय राहत का भुगतान न किए जाने संबंधित शिकायत – हरियाणा के जिला कैथल में हबारी गांव के उंची जाति के लोगों ने राजेन्द्र बाल्मिकी की बेरहमी से पिटाई की। बाद में पीड़ित की मृत्यु

हो गई। जब वह घायल अवस्था में पड़ा हुआ था तो पुलिस ने मौका–ए–वारदात पर पहुंच कर भी उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया और उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया।

8-21 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पुलिस अधीक्षक, कैथल ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302/342/34 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 के तहत पुलिस स्टेशन पुंडरी में आपराधिक मामला सं0 79/08 दर्ज किया गया और मामले की जांच के बाद आरोपी व्यक्तियों को चार्जशीट किया गया। कैथल के जिला मजिस्ट्रेट ने अपने दिनांक 8 मार्च, 2010 के पत्राचार के माध्यम से सूचित किया कि आरोपी को न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। तथापि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के प्रावधानों के तहत मृतक के निकट संबंधी को 1.5 लाख रु0 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

8-22 रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 29 अक्टूबर 2010 की कार्रवाई में निम्नलिखित प्रेक्षण कियाः

> ''प्रश्न यह है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमों के तहत दी गई वित्तीय सहायता के अतिरिक्त मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत मृतक के परिवार को कुछ और आर्थिक राहत दी जानी चाहिए। यह कहना अनावश्यक नहीं होगा कि ये दोनों राहत एक दूसरे से भिन्न हैं। पुलिस अधीक्षक, कैथल ने अपनी 19.8.08 की रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि ए0एस0आई0 उदयवीर सिंह तथा हैडकांस्टेबल शमशेर सिंह घटना की रात को मौके पर गए थे लेकिन वे घायल व्यक्ति को अस्पताल नहीं ले गए और वापिस पुलिस स्टेशन आ गए। पुलिस के इस व्यवहार के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता। पुलिस अधीक्षक, कैथल ने अपने दिनांक 23.6.09 के पत्र में यह उल्लेख किया है कि ड्यूटी के निष्पादन में लापरवाही बरतने के कारण दोनों दोषी पुलिस कार्मिकों की दंड स्वरुप पांच वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी गई। पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के परिणामस्वरुप घायल व्यक्ति को समय पर उपचार नहीं मिल सका और संभवतः इसी विलम्ब के कारण उसकी अकाल मृत्यु हो गई। राज्य, पुलिस कार्मिकों की गलती का आर्थिक राहत देते हुए सुधारे।''

8-23 आयोग ने हरियाणा सरकार से मृतक राजेन्द्र बाल्मिकी के निकट संबंधी को 2,00,000/–रु0 की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। हरियाणा सरकार की ओर से अनुपालन रिपोर्ट तथा किए गए भुगतान का सबूत प्रतीक्षित है।

2. आंध्र प्रदेश के जिला विजयनगरम के पार्वतीपुरम क्षेत्र में जनजातीय स्कूलों की शोचनीय स्थिति (मामला सं0 543/1/22/07–08)

8-24 अगस्त 2007 में आयोग को डॉ0 डी.वी.जी. शंकर राव से जिला विजयनगरम के पार्वतीपुरम क्षेत्र में जनजातीय स्कूलों की शोचनीय स्थिति के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई। आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी। कई नोटिस भेजने के बाद आयोग को प्रधान सचिव, समाज कल्याण के दिनांक 5 अगस्त 2009 के पत्र के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें शिकायत को खारिज किया गया था और यह सूचना दी गई थी कि क्षेत्र में जनजातीय स्कूलों के सभी विद्यार्थियों तथा आवासियों के लिए पूर्ण स्वच्छता, खान–पान तथा चिकित्सा सुविधाओं के पर्याप्त प्रबंध हैं। डॉ0 डी.वी.जी. शंकर राव को राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट अग्रेषित की गईं और उन्होंने इन रिपोर्टों पर आपत्ति व्यक्त की। आयोग ने अपने ही किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के माध्यम से इन स्कूलों की परिस्थितियों से संबंधित

वास्तविक तथ्यों का पता लगाने का निर्णय लिया।

8-25 आयोग के अन्वेषण प्रभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई निरीक्षण रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई कि स्कूलों की परिस्थितियां बदतर थीं। अधिकांश भवन रहने के लायक नहीं थे तथा शौचालय की कोई सुविधा नहीं थीं या पानी के अभाव में इस्तेमाल की जाने वाली कोई सुविधा नहीं थी। वहां कोई पलंग नहीं था, कोई मच्छरदानी नहीं थी, कोई फर्नीचर नहीं था। हालांकि बच्चों के लिए तैयार किया जाने वाला खाना पर्याप्त था लेकिन रसोईघर में साफ–सफाई की स्थिति दयनीय थी।

8-26 नियुक्त किए गए अधिकारी द्वारा बताए गए तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आयोग ने पाया कि प्रधान सचिव द्वारा भेजी गई रिपोर्ट भ्रामक थी और यह इंगित किया कि मानव अधिकार अधिनियम की धारा 13(5) के तहत ''दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 तथा अध्याय XXVI के सभी प्रयोजनों के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के साथ–साथ धारा 193 और 228 में संशोधन सहित आयोग की प्रत्येक कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई माना जाएगा''। तदनुसार, आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को राज्य द्वारा किए गए गंभीर भूल पर ध्यान देने और जैसा ठीक समझे वैसा उपचारी कदम उठाने, तथा उठाए गए सुधारात्मक कदम के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया क्योंकि आयोग के अधिकारी द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण में मानव अधिकारों की समग्र श्रृंखला का गंभीर उल्लंघन पाया गया था।

8-27 मामला, आयोग की जांच के अधीन है।

3. उड़ीसा में अनुसूचित जातियों से संबंधित परिवारों का उत्पीड़न
(मामला सं0 228/18/12/07–08)

8-28 आयोग को दिनांक 4 जून 2007 को उड़ीसा के अनुसूचित जातियों के छः परिवारों से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि उन्हें उंची जाति के परिवारों द्वारा गांव के देवी–देवताओं के आगे बिना किसी पारिश्रमिक के ढोल बजाने के लिए कहा गया और जब दिनांक 1 जून 2007 को उन्होंने ढोल बजाने से मना किया तो उंची जाति के सदस्यों ने उन पर आक्रमण किया, उनके घरों में लूटपाट की और कोरे कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, (पुरी) के पास शिकायत की लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

8-29 आयोग के निदेशों के अनुसरण में तथा अनेकों अनुस्मारकों के बाद पुरी के समाहर्ता ने दिनांक 5 नवम्बर, 2009 को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें कहा गया था कि मुख्य आरोपियों के खिलाफ आरोप दर्ज कर दिए गए हैं तथा कोई अन्य अप्रिय घटना की खबर दर्ज नहीं की गई।

8-30 आयोग के भावी निदेशों पर पुरी के समाहर्ता ने अपने दिनांक 29 नवम्बर 2010 के पत्र में कहा कि तीनों पीड़ितों को 25,000/–रु0 की दर से भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा, जिला प्रशासन ने पीड़ितों को उनकी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिला रेड क्रॉस कोश से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई। इन्दिरा आवास योजना के तहत पांच घर अनुमोदित किए गए तथा दिनांक 24 अक्टूबर 2009 को वर्क आर्डर जारी किया गया।

8-31 आयोग को भी सूचित किया गया कि ग्रामीणों, जो अपने आप को ग्रामी देवी–देवताओं के अनुयायी समझते हैं, द्वारा शिकायतकर्ताओं के खिलाफ एक सिविल वाद दायर किया है। अतः मामला विचारणाधीन है।

8-32 मामले को दिनांक 18 जनवरी 2011 को भुवनेश्वर में आयोग की शिविर बैठक में उठाया गया। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, पुरी ने बताया कि आगे कोई समस्या नहीं है। एक मानव अधिकार संरक्षक श्री बघम्बर पटनॉयक, जो शिकायतकर्ता की ओर से बोले थे ने बताया कि समस्या जारी है तथा अनुसूचित जातियों से संबंधित परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है जिसके कारण वे अपने दैनिक जरूरतों की चीजों को खरीदने के लिए 5 कि0मी0 तक पैदल चलने के लिए मजबूर हैं।

8-33 तथापि, पुरी के समाहर्ता ने बिना कोई संगत कारण दिए इस आरोप का खंडन किया। पुलिस अधीक्षक ने स्वीकार किया कि श्री पटनायक हाल ही में कुछ पीड़ितों को उनके कार्यालय में लाए थे और उन्होंने समस्याओं के बारे में शिकायत की थी। तथापि, एक निरीक्षक द्वारा इसकी जांच करवाई गई और निरीक्षक ने रिपोर्ट किया कि कोई सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जा रहा है। चूंकि शिकायतकर्ताओं का मानना अलग था इसलिए आयोग ने पुलिस अधीक्षक को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नए सिरे से जांच कराने और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं गांव का दौरा करने का निदेश दिया।

8-34 आयोग ने यह पाया और निम्नानुसार निदेश दिया :

> आयोग ने आश्चर्य एवं खेद के साथ नोट किया कि समाहर्ता से प्राप्त रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया यह सिद्ध हो जाता है कि अनुसूचित जाति के परिवारों को बंधुआ मजदूरों की तरह कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, समाहर्ता ने उसे कानून द्वारा निर्रिष्ट कर्तव्यों का निष्पादन नहीं किया है। आयोग, उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता है।
>
> आयोग, समाहर्ता से तत्काल ही बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 21 के तहत एक जांच और कानून द्वारा अपेक्षित अन्य कदम उठाए जाने की आशा करता है।
>
> समाहर्ता तथा पुलिस अधीक्षक, आयोग के समक्ष अपने द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दिनांक 19 अप्रैल 2011 तक प्रस्तुत करेंगे।''

8-35 vif{kr fjikV: vHkh i:rhf{kr gA

4. *उड़ीसा के जिला मलकानगिरी में 11 बंधुआ मजदूरों की मुक्ति*
   (मामला सं0 431/18/29/08–09(एम–1)

8-36 यह मामला 15 मजदूरों से संबंधित है जिन्हें उनके मालिकों द्वारा जिला मलकानगिरी, उड़ीसा में बंधक बनाकर रखा गया था। आयोग ने अपनी दिनांक 29 सितम्बर 2008 की कार्रवाई के दौरान मामले को संज्ञान में लिया और मलकानगिरी के जिला मजिस्ट्रेट को बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसरण में मामले की उचित जांच करने का निदेश दिया गया।

8-37 मामले की जांच करने वाले मलकानगिरी के उप–समाहर्ता ने कहा कि बंधक बनाए गए मजदूरों में से कोई भी मजदूर निम्नलिखित कारणों की वजह से 'बंधुआ मजदूर' की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है :

1. वो सभी भूमिहीन दैनिक भत्ता मजदूर थे जो बुवाई के दिनों में अन्य लोगों के खेतों में कृषि मजदूरों के रूप में काम करते थे तथा 7–8 महीनों तक उनके पशुओं की देखभाल करते थे।
2. अपने नियोक्ता के पास साल के कुछ समय काम करते समय इन मजदूरों को हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी।

3. कई मामलों में नियोक्ता तथा मजदूर आपस में रिश्तेदार भी थे।

8-38 इस मुद्दे पर कानून का हवाला देते हुए आयोग ने यह प्रेक्षण किया – ''बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 की उपधारा (एफ),(जी),(आई),(जी)(पअ),(प) को एक साथ पढ़ने पर यह समझ आ जाता है कि किसे बंधुआ मजदूर माना जा सकता है।''

8-39 एक ''बंधुआ मजदूर'' का आशय ऐसे मजदूर से है जिसके उपर ''बंधत्व ऋण'' है अर्थात उसने बंधुआ मजदूरी प्रथा के अनुसरण में अग्रिम लिया हुआ है या माना जाता है कि उसने अपने अंतर्गत ऐसा कोई ऋण लिया हुआ है। ''बंधुआ मजदूरी प्रथा'' का अर्थ है बलात् मजदूरी की प्रथा जिसके तहत ऋण लेने वाला साहूकार के साथ एक ऐसे समझौते में फंस जाता है कि किसी भी प्रकार के अग्रिम या किसी आर्थिक लेनदेन के एवज में वह साहूकार को किसी सीमित अवधि या असीमित अवधि के लिए बिना किसी भत्ते के या मामूल भत्ते अर्थात सरकार द्वारा नियत किए गए भत्तों से कम भत्तों पर अपनी मजदूरी या सेवाएं प्रदान करेगा।

8-40 ''बंधुआ मजदूरी'' के घटक निम्नानुसार हैं :

- बंधत्व ऋण की मौजूदगी अर्थात मजदूर द्वारा साहूकार से लिया गया कोई अग्रिम या परिकल्पित ऋण।
- मजदूर द्वारा लिए गए अग्रिम या किसी आर्थिक लेनेदेन के एवज में बलात मजदूरी।
- उधार देने वाले के लिए किसी सीमित या असीमित अवधि तक भत्तों के बिना या मामूली भत्तों पर अर्थात सरकार द्वारा निर्धारित भत्तों से भी कम पारिश्रमिक पर काम करना।

8-41 राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आयोग ने अपनी दिनांक 17 मार्च 2011 की कार्रवाई में निर्णय लेते हुए 15 में से 11 मजदूरों को ''बंधुआ मजदूरों'' की परिभाषा के दायरे में माना।

8-42 आयोग ने आगे पाया कि जिला मजिस्ट्रेट, मलकानगिरी, उड़ीसा द्वारा जल्दी से जल्दी रिहाई प्रमाणपत्र जारी किया जाना तथा उन्हें पुनर्वास पैकेज उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है क्योंकि इन मजदूरों ने अपने मालिकों के लिए काम करना पहले से ही बंद कर दिया है। जिला समाहर्ता को आठ महीनों के भीतर आयोग को की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत का भी निदेश दिया गया।

8-43 जिला समाहर्ता ने अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट में आयोग को सूचित किया कि सभी 11 बंधुआ मजदूरों को रिहाई प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं; ब्लॉक डॅवलेपमेंट आफिसर, कोरूकोंडा ने रिहा किए गए सभी मजदूरों को पुनर्वास पैकेज के एक भाग के रूप में 20,000/–रु0 की दर से प्रत्येक मजदूर को भुगतान अनुमोदित किया; उन्हें कृषि उपकरणों के साथ बैलों का एक जोड़ा उपलब्ध कराया गया; 10 मजदूरों को 'मो–कुदिया' नामक निम्न लागत आवासीय योजना में कवर किया गया तथा एक को इन्दिरा आवास योजना के तहत कवर किया गया; और इन्हें पट्टा जारी करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु उपसमाहर्ता, मलकानगिरी को एक प्रस्ताव भी भेजा गया है।

8-44 रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु जिला समहर्ता द्वारा उठाए गए उचित कदमों की सराहना करते हुए आयोग ने रिहा किए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर को पट्टा सहित 20,000/–रु0 के भुगतान में तेजी लाने का भी निदेश दिया।

8-45 राज्य सरकार से रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

5. उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में एक ईंट के भठ्ठे से 79 बंधुआ मजदूरों की मुक्ति (मामला सं0 34351/24/31/09–10–बी.एल.(एम–3)

8-46 आयोग को शुकर अली सुपुत्र नूर हसन निवासी बेसमणि पठार, पुलिस स्टेशन डालगांव, असम तथा अन्य से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि उसे तथा उसके परिवार के सदस्यों तथा 79 अन्य व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन साहिबाबाद के क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव अफजलपुर निस्तौली में स्थित चौधरी मांगे राम गुर्जर के ए0बी0आई0 ईंट के भठ्ठे में बंधुआ मजदूरों की तरह रखा गया था। यह भी कहा गया कि भठ्ठे का मालिक ने न तो उन्हें भत्ते दिए और न ही बाहर जाने दिया। उसने आयोग से उक्त भठ्ठा मालिक द्वारा बंधुआ मजदूरों की तरह रखे गए सभी व्यक्तियों को मुक्त कराने तथा उनके भत्तों के भुगतान को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

8-47 महानिदेशक (अन्वेषण), आयोग से मामले में तत्काल एवं उचित कार्रवाई करने के लिए अपने अधिकारियों को तैनात करने का अनुरोध किया गया तथा इसके साथ–साथ गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को भी बंधुआ मजदूरों, यदि कोई है, की पहचान के लिए मौका–ए–जांच हेतु एक उपयुक्त अधिकारी नियुक्त करने का निदेश दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट को निदेश दिए गए कि यदि जांच के दौरान कोई बंधुआ मजदूर पाया जाता है तो बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 11 के तहत उसकी रिहाई के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट से सकारात्मक दो सप्ताह के अंदर–अंदर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

8-48 आयोग द्वारा जिला समाहर्ता को शिकायत अग्रेषित करने के परिप्रेक्ष्य में ऐसा प्रतीत होता है कि सहायक श्रम आयुक्त, गाजियाबाद ने श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 26 नवम्बर, 2009 को उक्त ईंट के भठ्ठे का दौरा किया। उस दिन, आयोग को शिकायत अग्रेषित करने वाला शिकायतकर्ता ईंट के भठ्ठे पर मौजूद था। वहां पर मौजूद मजदूरों से की गई पूछताछ से जांच अधिकारी को पता चला कि मजदूर अपनी मर्जी से वहां पर काम कर रहे थे तथा उन्हें सभी भत्तों का भुगतान किया जा रहा था। उन्होंने उसी दिन अपने पैतृक स्थान असम जाने के लिए भठ्ठे को छोड़ दिया। यह भी पता चला कि न तो भठ्ठे के मालिक ने और न ही उसके किसी प्रतिनिधि ने किसी मजदूर के साथ कभी भी दुर्वव्यवहार नहीं किया। इसके अतिरिक्त, किसी भी मजदूर को बंधुआ मजदूर की तरह नहीं रखा गया।

8-49 आयोग के अन्वेषण विभाग के अधिकारी ने भी गाजियाबाद का दौरा किया और सहायक श्रम आयुक्त, गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट प्राप्त की। जांच रिपोर्ट से यह पता चलता है कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी, गाजियाबाद जो जांच करने के लिए गए थे, ने बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम के प्रावधानों को देखना मुनासिब नहीं समझा और एक दोषपूर्ण जांच की तथा सभी मजदूरों को उनके पैतृक स्थान असम भेज दिया। यह बहुत ही शर्मनाक है कि एक राज्य अधिकारी, जो जांच करने गया था, ने यह जांच करना मुनासिब नहीं समझा कि क्या नियोक्ता द्वारा संगत श्रम विधायन के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।

8-50 उपरोक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 26 नवम्बर 2009 को राज्य के अधिकारी द्वारा किए गए ईंट के भठ्ठे के दौरे के दौरान समायोजित किए गए लेखों सहित नियोक्ता द्वारा विभिन्न कानूनों के तहत सभी रजिस्टर, लेखा पुस्तिकाएं, भत्ता स्लिप तथा अन्य प्रासंगिक रिकार्ड नहीं रखा गया है और यह दर्शाता है कि वहां कार्य करने वाले व्यक्ति बंधुआ मजदूर थे तथा उन्हें कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी।

8-51 मामले की गहराई से जांच के दौरान आयोग ने नोट किया कि कानून के अनुसार नियोक्ता को अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले काम, उन्हें दिए जाने वाले भत्ते तथा उनके द्वारा दी जाने वाली रसीद संबंधी विवरण के संबंध में रजिस्टर तथा रिकार्ड रखे जाने चाहिए। कानून, नियोक्ता से एक निर्धारित प्रारूप में संगत जानकारी दर्शाने वाले नोटिस प्रदर्शित करने की भी अपेक्षा करता है। जब कोई नियोक्ता यह दावा करता है कि उसने न्यूनतम भत्ता अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम भत्ते का भुगतान किया है, तो यह दिखाने कि उसने कानून के अनुसरण में भुगतान किया है, के लिए सूबत के रूप में दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करना उसका दायित्व है। इसी प्रयोजन के लिए नियोक्ता को मस्टर रोल तथा अन्य रिकार्ड रखने पड़ते हैं जो दर्शाते हैं कि कर्मचारी ने कितना काम किया है। नियोक्ता को पता होता है कि उसने कितनी राशि मजदूरों की दी है क्योंकि अनपढ़ एवं गरीब मजदूरों इन पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है और इसलिए कानून ने नियोक्ता को ऐसा अधिदेश दिया है कि वे इस प्रकार के रिकार्ड रखें जिसमें दर्शाया गया हो कि उसने कानून के अनुसार भत्तों का भुगतान किया है। यदि वह संगत रिकार्ड प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है तो अधिकारी को यह परिकल्पित करना चाहिए कि उसने ऐसे रिकार्ड संभाल कर नहीं रखे हैं और कानून के अनुसार भुगतान नहीं किया है।

8-52 इन परिस्थितियों के तहत आयोग ने निर्णय लिया कि यह एक ऐसा स्पष्ट मामला है जिसमें प्राधिकारी, कानून के अनुसार बंधुआ मजदूर संबंधी प्रश्नों की जांच करने में असफल रहे और अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाया गया। अतः जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम के तहत उचित प्रमाणपत्र जारी करने और यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि पहचाने गए सभी बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया जाए तथा कानून के अनुसरण में मामले की जांच करके उनका पुनर्वास किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई।

8-53 आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के जवाब में जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद का दिनांक 25 नवम्बर 2010 के एक पत्र के साथ मजदूरों के नाम पर जारी रिहाई प्रमाणपत्रों की एक–एक प्रति भी प्राप्त हुई जिसमें उन्हें बंधुआ मजदूर घोषित कर रखा था। उक्त रिहाई प्रमाणपत्रों को असम के दोरांग जिले के जिला मजिस्ट्रेट को इस निदेश के साथ अग्रेषित किया गया कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए असम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में आयोग को अवगत कराया जाए।

8-54 आयोग, असम सरकार के जवाब की प्रतीक्षा में है।

6. उत्तर प्रदेश में ईंट के भट्ठों में काम करने वालों को न्यूनतम भत्तों का भुगतान न करना
(मामला सं0 47148/24/2006–2007)

8-55 आयोग को दिनांक 15 फरवरी 2007 को गाजियाबाद के जिला मुरादनगर में बहादुरपुर पुलिस चौकी के निकट जय हनुमान ब्रिकफील्ड में काम करने वाले सोरान सिंह तथा अन्य मजदूरों से शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि उन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह रखा जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है।

8-56 मामले की जांच के दौरान आयोग ने कई न्यायिक अभिलेखों में दिए गए 'न्यूनतम भत्ता' शब्दों की व्याख्या की जांच की। आयोग ने न्यूनतम भत्ता अधिनियम, भत्ता भुगतान अधिनियम तथा साप्ताहिक अवकाश अधिनियम के प्रावधानों की भी जांच की। आयोग ने पाया कि प्रश्नगत मुद्दा उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ईंट के भट्टों पर कार्य करने वाले मजदूरों के संबंध में न्यूनतम भत्तों के निर्धारण, पुनरीक्षा तथा संशोधन से संबंधित है। न्यूनतम भत्ता अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसरण में न्यूनतम भत्तों की पांच साल में पुनरीक्षा की जानी अपेक्षित है। यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा 8 अगस्त 1990 को नियत किए गए भत्ते बहुत कम हैं तथा देशभर में कहीं भी

ईंट बनाने वालों के विद्यमान भत्तों के समनुरूप नहीं हैं। वर्ष 2006 में सोलह वर्षों के बाद भत्तों में संशोधन किया गया। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 16 जून 2006 के आदेशों/अधिसूचना (जिसके माध्यम से न्यूनतम भत्तों की पुनरीक्षा एवं संशोधन किया गया था) को लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय, मजदूरों के हित में नहीं था।

8-57 उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आयोग ने एक जनहित याचिका दायर करके संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के रिट् क्षेत्राधिकार की सहायता लेना आवश्यक एवं वांछनीय समझा। तदनुसार, मार्च 2011 में एक रिट् याचिका दायर की गई तथा उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया।

7. उड़ीसा के पुरी जिले में 'बरतन' प्रथा का प्रचलन
(मामला सं0 13/18/2006–2007)

8-58 आयोग को दिनांक 10 अप्रैल 2006 को एक मानव अधिकार कार्यकर्ता श्री भगम्बर पटनायक से एक शिकायत प्राप्त हुई कि उड़ीसा के पुरी जिले के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित 'बरतन' प्रथा बंधुआ मजदूरी के दायरे में आती है। उक्त प्रथा के तहत उंची जाति के परिवार वर्ष में विशेष समय पर प्रत्येक विवाहित पुरुष को 15 कि0ग्रा0 धान अग्रिम रूप में देते हैं तथा उस अग्रिम के एवज में 'सेवक' पूरे वर्ष परिवार के सभी सदस्यों को बिना किसी पारिश्रमिक अपनी सेवाएं प्रदान करता है जिसमें अविवाहित पुरूष भी शामिल हैं। इसके अलावा 'सेवक' को परिवार में आने वाले मेहमानों के चरण धोने होते हैं तथा परिवार में हुई मृत्यु या विवाह जैसे मौकों पर बहुत से अन्य छोटे–मोटे कार्य करने होते हैं। इसके अतिरिक्त उसे सामुदायिक सेवा जैसे कि सामुदायिक भोज के दौरान केले के पत्ते बिछाना तथा बचे हुए भोजन वाले पत्ते उठाना आदि भी करना होता है। शिकायतकर्ता श्री भंगम्बर पटनायक ने कहा कि 'बरतन' की यह प्रथा, दासता का ही एक अन्य रूप है।

8-59 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पुरी के जिला समाहर्ता ने दिनांक 30 अप्रैल 2007 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि चरण धोना, सामूहिक भोग के बाद झूठे पत्तों को उठाने जैसी परम्परागत गतिविधियों के मुद्दे पर नाईयों तथा धोबियों के समूह एक ओर थे तथा उंची जाति का समुदाय दूसरी ओर, तथा यह बहुत ही लम्बे समय से चला आ रहा विवाद है। इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने कई समन्वय बैठकों का आयोजन किया तथा तहसीलदारों एवं पुलिस अधिकारियों के ग्रामीण दौरे भी आयोजित करवाए। राज्य सरकार से भी स्पष्टीकरण मांगा गया। पंचायती राज विभाग ने अपने दिनांक 8 अप्रैल 2004 के पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे नाईयों तथा धोबियों को बंधुआ मजदूरों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। जिला समाहर्ता ने भी आयोग को सूचित किया है कि बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों की एक सूची सतर्कता समिति से प्राप्त कर ली गई है तथा जांच एवं उचित कार्रवाई हेतु निदेशक, डी0आर0डी0ए0 को भेज दी गई है।

8-60 जिला समाहर्ता, पुरी की रिपोर्ट को टिप्पणी हेतु शिकायतकर्ता श्री भगम्बर पटनायक के पास भेजा गया। उन्होंने जवाब दिया कि जिला प्रशासन बीमारी का उपचार करने की बजाय लक्षणों का उपचार करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि नाईयों और धोबियों को बंधुआ मजदूरों के रूप में क्यों पहचाना जाए, के मुद्दे पर समाहर्ता ने बिना कोई कारण बताए पंचायती राज विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों की एक सूची वर्ष 2004 में सतर्कता समिति द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी लेकिन जिला प्रशासन ने तीन वर्षों में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की।

8-61 जिला समाहर्ता, पुरी की रिपोर्ट तथा उस पर शिकायतकर्ता द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए आयोग ने मामले पर अपनी न्यायालय सुनवाई करने का निर्णय लिया और शिकायतकर्ता के साथ–साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुना।

8-62 सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता ने कहा कि उड़ीसा के कई भागों में 'बरतन' प्रथा अभी भी प्रचलित है। इसके अतिरिक्त, इस प्रथा का विरोध करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया गया और ग्राम नलीबस्तान्ता में रहने वाले कुछेक लोगों को मारा–पीटा भी गया। राज्य ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में प्रभावी कदम नहीं उठाए। श्री पटनायक ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारी इस अनैतिक सामाजिक प्रथा के बारे में आयोग को भ्रमित कर रहे हैं तथा पुरी, कटक, खुरदा एवं जगतसिंहपुर के जिला समाहर्ताओं के पास लंबित पड़ी कुछ शिकायतों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

8-63 आयोग द्वारा किए गए हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप उड़ीसा सरकार ने दिनांक 17 फरवरी 2011 को जारी एक अधिसूचना में 'बरतन' तथा ऐसी अन्य प्रथाओं को बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत बंधत्व ऋण एवं बंधुआ मजदूर की परिभाषाओं के अंतर्गत आने वाली प्रथाएं बताया है। अधिनियम के तहत नाईयों/धोबियों को परम्परागत सेवाऐं प्रदान करने के लिए बाध्य करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। आयोग ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए दिनांक 21 मार्च 2011 को पाया कि राज्य सरकार ने सतर्कता समिति द्वार जिला पुरी में पहचाने गए बंधुआ मजदूरों के 17 मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को सूचित नहीं किया है। अतः, उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को बंधुआ मजदूरों के सभी 17 मामलों के संबंध में उनकी रिहाई तथा पुनर्वास संबंधी की गई कारवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। उन्हें, पुलिस स्टेशन सत्यबाड़ी के प्रभारी अधिकारी श्री मृत्युंजय सवाईं के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच तथा दिनांक 20 नवम्बर 2008 को गांव नलीबस्तान्ता के उलाश चन्द्र बारिक तथा सुदर्शन बारिक पर हमला करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई के परिणाम के बारे में भी सूचित करने का निदेश दिया गया।

मामला अभी भी आयोग के विचाराधीन है।

****

अध्याय - 9

efgykvks vkSj cPpksa ds vf/kdkj

9-1 भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से महिलाओं तथा बच्चों, दोनों के अधिकारों को संरक्षण एवं संवर्धन मिलता है। यह उन्हें न केवल समान अवसर प्रदान करते हैं बल्कि समर्थकारी उपायों को आत्मसात करने के लिए राज्य को शक्ति प्रदान करते हैं। भारत ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा मानव अधिकार संबंधी दस्तावेजों की अभिपुष्टि की है। इनमें से वर्ष 1993 में महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव के निरसन संबंधी अभिसयम तथा वर्ष 1992 में बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय की अभिपुष्टि काफी महत्वपूर्ण है।

9-2 जबसे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया है तबसे महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी इसके प्रयास पिछले 17 वर्षों से अधिक समय से परस्पर संबद्ध के विभिन्न रूपों में विकसित हुए हैं। इनमे से हिंसा के कारण महिलाओं एवं बच्चों के साथ हुए भेदभाव से संबंधित मुद्दे मुख्य हैं। महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी विचार किया गया। आयोग, गर्भवती महिलाओं तथा उनके नवजात शिशुओं को लौह एवं आयोडीन की कमी के कारण बड़े पैमाने होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति गंभीर है जिसके कारण शिशु की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर वह मानसिक विकार के साथ जन्म लेता है। आयोग का मानना है कि इस प्रकार की परिस्थितियों के प्रति असंवेदनशील होने के कारण गरिमापूर्ण एवं स्वस्थ जीवन के अधिकार की अवहेलना होती है। आयोग ने लिंग–निर्धारण परीक्षणों, जिसके कारण प्रसव–पूर्व लिंग चयन की कुप्रथा को बढ़ावा मिला है, जो जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और संभवतः लिंग आधारित भेदभाव का सबसे बदतर स्वरूप है, के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए संगठित प्रयास करने का अनुरोध किया है।

9-3 वर्ष 2000–2001 में आयोग ने अपने एक सदस्य को अवैध व्यापार संबंधी मामलों सहित महिलाओं के मानव अधिकारों संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में पदनामित किया था। इसका परिणाम ''भारत में महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार पर कार्य अनुसंधान'' के रूप में सामने आया जो वर्ष 2002 में शुरू किया गया था और वर्ष 2004 में पूरा हुआ। कार्य अनुसंधान ने पूरे देश में अवैध व्यापार के संबंध में नोडल आफिसर का एक नेटवर्क तैयार किया। कार्य अनुसंधान की सिफारिशों को आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अग्रेषित किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विशेषतः बच्चों और महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मानव अवैध व्यापार को रोकने तथा उससे लड़ने के लिए गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से एक प्रारूप राष्ट्रीय एकीकृत कार्ययोजना तैयार की। अनुमोदन के पश्चात महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार तथा व्यापारिक यौन शोषण से लड़ने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना 1998 को एकीकृत योजना प्रतिस्थापित करेगी।

9-4 वर्ष 2002 में आयोग ने महिला विभाग तथा बाल विभाग द्वारा विधि मंत्रालय, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार किए गए घरेलू हिंसा विधेयक से संरक्षण के प्रावधानों की जांच की और जब तक प्रस्तावित

विधायन लागू नहीं हो गया तब तक उसका अनुगमन करता रहा। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम, 2005 में आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया गया। इसी प्रकार आयोग ने बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 की जांच की और उसमें उपयुक्त संशोधन का सुझाव दिया। बाद में इन संशोधनों को ''बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006'' नामक नए अधिनियम में शामिल किया गया।

9-5 आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने तथा लड़ने (ए.आई.आर. 1997 एस0सी0 3011) के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं मानदंडों, जिन्हें विशाका दिशानिर्देश के नाम से जाना जाता है, के कार्यान्वयन में गहन रुचि दिखाई। आयोग की सतत गंभीरता तथा निरीक्षण के कारण सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों ने अपने कर्मचारियों के लिए शिकायत तंत्र के गठन तथा आचार नियमों में अपेक्षित संशोधन की पुष्टि करते हुए आयोग को अपनी–अपनी अनुपालन रिपोर्ट अग्रेषित की। अन्य बातों के साथ–साथ महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित जिन अधिसंख्य कार्यक्रमों तथा मुद्दों पर कार्रवाई की गई उनमें – राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की जनसंख्या नीतियों में प्रोत्साहन/निरुत्साहन की तुलना में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, किशोर न्याय, गुमशुदा बच्चे, बाल श्रम, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मुद्दे तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यथोचित संसाधनों का आबंटन – शामिल थे।

9-6 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां की :

d- egRoi.kZ jkT;ksa esa xHkkZèkkj.k&iwoZ rFkk izlo&iwoZ uSnkfud rduhd ¼fyax p;u izfrcaèk½ vfèkfu;e ds dk;kZUo;u dks etcwr cukus ds fy, vuqlèkku rFkk iqujh{kk

9-7 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने गिरते हुए महिला लिंग अनुपात एवं विशेषतः प्रसव पूर्व लिंग चयन, लड़कियों के मानव अधिकारों पर इसके प्रभाव तथा इसके सामाजिक प्रभाव और इसके साथ–साथ गर्भाधान–पूर्व तथा प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता से संबंधित उपरोक्त अनुसंधान परियोजना को पूरा किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू0एन0एफ0पी0ए0) के सहयोग से इस अनुसंधान परियोजना का बीड़ा उठाया। परियोजना के लिए आयोग ने फील्ड से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के प्रयोजन से नई दिल्ली के पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पी.एच.एफ.आई.) की सेवाओं का अनुरोध करने के अलावा अध्ययन की सुविधा के लिए चार बुनियादी गैर सरकारी संगठनों नामतः प्रयत्न (जयपुर), सेंटर फॉर यूथ डॅवलपमेंट एण्ड एक्टीविटीज़ (पुणे), अदिथी (बिहार) तथा विमोचन (कर्नाटक) की पहचान की है।

9-8 अनुसंधान परियोजना का मुख्य उद्देश्य गर्भाधान–पूर्व तथा प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन प्रतिबंध) अधिनियम के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रजिस्टर किए गए मामलों के साथ–साथ ऐसे मामलों को दर्ज कराने में आई बाधाओं, अर्थात वह समग्र प्रक्रिया जिसके द्वारा मामला दोषसिद्धि के अंतिम स्तर अर्थात न्यायालय कार्रवाईयों और इन मामलों में पारित आदेशों पर पहुंचता है की पुनरीक्षा करते हुए अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों पर ध्यान केन्द्रित करना था। अनुसंधान भी राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यान्वयन मशीनरी पर केन्द्रित था।

9-9 अनुसंधान के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित थे :

- अधिनियम के विरोध में की गई गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में हुई परेशानियों तथा मामले दर्ज कराने में हुई परेशानियों की पहचान करना;

- मामलों को दर्ज कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया की समझ का सृजन करना; ऐसा करने में आने वाली समस्याओं को दूर करना तथा दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना;
- दायर किए गए मामलों की पुनरीक्षा तथा विश्लेषण और परिणामी मामला कानून के माध्यम से कानून के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं की पहचान करना;
- दोषसिद्धि को निष्फल करने में सहायक रही साक्ष्य एवं अभियोजन पक्ष की मुख्य कमजोरियों की पहचान करना;
- सफल दोषसिद्धि का परिणाम देने वाली कार्रवाईयां तथा प्रक्रियाओं की पहचान करना; तथा
- उचित प्राधिकारियों तथा न्यायिक प्राधिकारियों का क्षमता निर्माण करना और पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाना।

9-10 अनुसंधान में 18 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को कवर किया गया। इन राज्यों को चुनने का मापदंड तीन चीजों पर आधारित था अर्थात (1) कुछ राज्यों ने पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रखे थे तथा कुछ मामलों में दोषसिद्धि सहित अंतिम निर्णय भी पारित किया जा चुका था; (2) कुछ राज्यों ने पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रखे थे लेकिन कोई निर्णय पारित नहीं हुआ था; तथा (3) इनमें से कुछ राज्यों में आज तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

9-11 भारत में गर्भाधान पूर्व लिंग चयन : मुद्दे एवं चिंताएं संबंधी एकदिवसीय सम्मेलन में अनुसंधान परियोजना के निष्कर्ष परिणामों का आदान प्रदान किया गया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अनुसंधान अध्ययन का संपूर्ण पाठ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाईट www.nhrc.nic.in पर भी उपलब्ध है।

[k- Hkkjr esa xHkkZèkku&iwoZ fyax p;u % eqíns] fpark,a rFkk dkjZokbZ;k

9-12 एन0एच0आर0सी0 ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से दिनांक 12 अक्टूबर 2010 को नई दिल्ली में 'भारत में गर्भाधान–पूर्व लिंग चयन : मुद्दे, चिंताएं तथा कार्रवाईयां' विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया।

9-13 सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :

- ग र्भाधान–पूर्व लिंग चयन की विद्यमान समस्या तथा भारत में लड़कियों की गिरती हुई संख्या का आलोचनात्मक विश्लेषण करना;
- मुख्य पणधारियों के बीच संबंधित मुद्दों, चिंताओं तथा कार्रवाई से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरुकता फैलाना;
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा यू0एन0एफ0पी0ए0 द्वारा संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में गर्भाधान पूर्व तथा पूर्व प्रसव नैदानिक तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान एवं पुनरीक्षा नामक अध्ययन के निष्कर्षों का आदान प्रदान करना तथा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए रणनीति बनाने पर विचार–विमर्श करना।

9-14 सम्मेलन में राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्षों, सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों; शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों,

सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभागों/मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

9.15 देश में प्रसव–पूर्व लिंग चयन की प्रथा को रोकने के लिए प्रतिभागियों द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें/सुझाव दिए गए :–

- रा0मा0अ0आ0 ने प्रसव–पूर्व लिंग चयन को लिंग भेदभाव का अस्वीकार्य स्वरूप माना है जिसके परिणामस्वरूप जीवित लड़कियों तथा महिलाओं के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के गैर–संचालन की पुनरीक्षा करेगा और तदनुरूप अपनी कार्रवाईयों की योजना बनाएगा। आयोग, संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा इस मुद्दे पर की गई कार्रवाई की पुनरीक्षा भी करेगा।
- पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के कार्यान्वित न होने की स्थिति में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
- सभी स्तरों पर पी0सी0पी0एन0डी0टी0 तथा एम0टी0पी0 अधिनियमों के सख्त कार्यान्वयन संबंधी पुनरीक्षा एवं कार्रवाई के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जन्म पंजीकरण में सुधार करना चाहिए ताकि जन्म संबंधी आंकड़ों की उप. लब्धता से आवधिक आधार पर लिंग अनुपात का पता लगाया जा सके।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, लड़कियों तथा महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव को दूर करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्देशित करेगा।
- अधिनियम के तहत क्लीनिक को पंजीकृत करने में कदाचार को रोकने तथा सुविधाओं के पंजीकरण के लिए संवीक्षा आधारित नवीनीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्र एवं राज्य स्तरों पर कानून द्वारा अधिशासित तंत्र मौजूद हों।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मेडिकल काउंसिल्स के साथ साझेदारी में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा तथा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले मैडिकल प्रेक्टिशनर के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लिंग संबंधी मुद्दे उसके पाठ्यक्रमें में शामिल हैं, मेडिकल कॉलेज तथा टीचर्स एजूकेशन प्रोग्राम के साथ कार्य करेगा।
- पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम तथा इसके कार्यान्वयन के बारे में न्यायपालिका तथा अन्य पणधारियों को सुग्राही बनाने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ विचार–विमर्श करते हुए सुनिश्चित करेगा कि राज्य जनसंख्या तथा अन्य नीतियों एवं स्कीमों में पुत्रियों की कीमत पर दो बच्चों के मापदंड स्थापित न हो सकें।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महत्वपूर्ण राज्यों में लम्बित पड़े मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायपालिका के साथ विचार–विमर्श करेगा। इस मुद्दे पर विशेष अनौपचारिक न्यायिक बैठक भी बुलाई जा सकती है।

x- i:tuu lcaèkh vfèkdkj rFkk jk"Vªh; ekuo vfèkdkj l:LFkku

9.16 जुलाई 2008 में क्वालालम्पुर, मलेशिया में हुई एशिया पेसेफिक फोरम (ए0पी0एफ0) की 13वीं वार्षिक बैठक में ए0पी0एफ0 फोरम पार्षदों ने प्रजनन संबंधी अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू0एन0एफ0पी0ए0)

के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करने के प्रस्ताव पर विचार किया और उसे औपचारिक रूप से अनुमोदित किया। ए0पी0एफ0 सदस्य संस्थानों के कार्य में एकीकृत प्रजनन अधिकार विषय पर मुद्रण के विकास के संबंध में ए0पी0एफ0 तथा यू0एन0एफ0पी0ए0 के बीच में एक मुख्य गतिविधि पर सहमति हुई। इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई विस्तृत प्रश्नावली को 2010–2011 के दौरान तैयार किया गया और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत सहित सभी ए0पी0एफ0 सदस्य संस्थानों में वितरित किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी में समस्याओं तथा उन तरीकों जिनसे प्रजनन अधिकारों को और प्रभावी तरीके से आयोग के कार्यों में एकीकृत किया जा सके; के साथ आयोग द्वारा प्रजनन अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी निपटाए गए मुद्दों को कवर किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत तथा अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ए0पी0एफ0 तथा यू0एन0एफ0पी0ए0 ने ''इंटीग्रेटिंग रिप्रोडक्टिव राईट्स इन टू दि वर्क ऑफ नेशनल ह्यूमन राईट्स इंस्टीट्यूशन्स ऑफ दि एशिया पेसिफिक रीजन'' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि प्रजनन संबंधी अधिकार, पहले से विद्यमान अधिकारों पर आधारित होत हैं तथा उन्हें ही कवर करते हैं। अतः ''प्रजनन संबंधी अधिकारों'' की कोई मानक परिभाषा नहीं है। वर्ष 1994 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन में इसकी निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है –

> ''प्रजनन संबंधी अधिकारों में कुछेक ऐसे मानव अधिकारों को समाविष्ट किया गया है जिन्हें राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दस्तावेजों तथा अन्य संगत संयुक्त राष्ट्र सहमति दस्तावेजों में मान्यता दी गई है। यह अधिकार, सभी दम्पतियों तथा व्यक्तियों के उस मूल अधिकार की मान्यता पर आधारित हैं जिसके तहत वे स्वतंत्र एवं जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों की संख्या, उनके बीच अंतर तथा समय के बारे में निर्णय लेते हैं और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के परम स्तर को प्राप्त करते हैं। इसमें भेदभाव, दबाव तथा हिंसा मुक्त प्रजनन संबंधी निर्णय लेने संबंधी अधिकार भी शामिल है, जैसा कि मानव अधिकार दस्तावेजों में अभिव्यक्त है।''

9-17 संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार पद्धति ने प्रजनन अधिकारों को अन्य अधिकारों के साथ जोड़ दिया है– जैसे कि, स्वस्थ रहने का अधिकार। वर्ष 2003 में तत्कालीन मानव अधिकार आयोग ने नोट किया कि ''यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के चरम प्राप्य स्तर का आन्नद लेने संबंधी अधिकार के अनिवार्य तत्व हैं''।

9-18 आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी समिति तथा स्वास्थ्य के अधिकार संबंधी विशेष प्रतिवेदक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वास्थ्य के अधिकार में, स्वतंत्रता तथा हक दोनों शामिल हैं। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में, स्वतंत्रता में अपने स्वास्थ्य एवं शरीर को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है। इसमें, किसी प्रकार की यौन हिंसा, हानिकारक प्रथा, बलात् गर्भधारण तथा असहमति–जन्य गर्भनिरोधक तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है। हक में, परिवार नियोजन, प्रसव पूर्व तथा बाद में देखभाल तथा माता संबंधी अन्य आवश्यकताओं सहित स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली की सुलभता तथा सेवाओं की सार्वभौमिक सुलभता शामिल है। एक अन्य महत्वपूर्ण हक है – प्रजनन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार, जिसमें विवाह संबंधी, परिवार निर्माण तथा बच्चों की संख्या, समय अंतराल संबंधी स्वैच्छिक पसंद; तथा स्वैच्छिक पसंद का इस्तेमाल करने के लिए जानकारी तथा माध्यमों की सुलभता का अधिकार शामिल है। इस संदर्भ में राष्ट्र के कर्तव्यों में, गर्भनिरोधकों की सुलभता को सीमित करने से बचना, तथा हानिकारक या पारम्परिक प्रथाओं को प्रजनन संबंधी अधिकारों में हस्तक्षेप करने से रोकना शामिल हैं। प्रजनन संबंधी अधिकार का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है – भेदभाव न होना। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के

अधिकार का आनन्द सुनिश्चित करने के लिए लिंग, आयु, यौन–उन्मुखी, नृजातीयता, भाषा, धर्म, संस्कृति, शारीरिक और मानसिक निःशक्तता सहित किसी भी आधार पर किए जाने वाले भेदभाव से मुक्ति अनिवार्य है।

9-19 यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जा सकता हैः

- प्रजनन संबंधी निर्णय लेने का अधिकार, जिसमें विवाह संबंधी, परिवार निर्माण तथा बच्चों की संख्या, समय अंतराल संबंधी स्वैच्छिक पसंद; तथा स्वैच्छिक पसंद का इस्तेमाल करने के लिए जानकारी तथा माध्यमों की सुलभता का अधिकार शामिल हो।
- परिवार नियोजन सहित प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक सुलभता।
- किशोर युवतियों एवं युवकों को प्रजनन संबंधी उचित शिक्षा, जानकारी तथा सेवाएं।
- हानिकारक प्रथाओं जैसे कि बाल विवाह, विवाह के माध्यम से बेचा जाना, महिलाओं के जननांगों को भंग करना, लिंग चयन (जन्म से पूर्व तथा बाद में) से मुक्ति।
- गैर–हानिकारक सांस्कृतिक प्रजनन प्रथाओं की सुलभता तथा उनके प्रति सम्मान जैसे कि घर पर ही सुरक्षित जन्म देने का अधिकार, महिला चिकित्सक चुनने का अधिकार।
- यौन हिंसा से मुक्ति।
- बलात् वंध्यीकरण, बलात् गर्भपात, बलात् गर्भनिरोध से मुक्ति।
- प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार का आनन्द सुनिश्चित करने के लिए लिंग, आयु, यौन–उन्मुखी, नृजातीयता, भाषा, धर्म, संस्कृति, शारीरिक और मानसिक निःशक्तता, एच0आई0वी0 हालत सहित किसी भी आधार पर किए जाने वाले भेदभाव से मुक्ति।
- माता के स्वास्थ्य को सवंर्धित करने तथा मातृत्व रुगण्ता (बीमारी/खराब तबीयत) तथा मृत्यु को कम करने के लिए जन्म से पूर्व तथा जम्न उपरांत स्वास्थ्य देखभाल सहित मातृत्व स्वास्थ्य सेवा।
- प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी तथा सेवाओं के संबंध में गोपनीयता का अधिकार।
- कार्य के अधिकार तथा समुदाय में भागीदारी के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ प्रजनन अधिकार।

?k- jk"Vªh; ekuo vfèkdkj vk;kx }kjk fuiVk, x, efgykvk rFkk cPpk d vfèkdkjk lcèkh n"Vkr ekey

1. मैरी इम्मेक्यूलेट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तिरुपत्तूर, जिला वेल्लोर, तमिलनाडु के प्रशासनिक स्टॉफ द्वारा किए गए अपमान के कारण दो छात्राओं की मृत्यु
(मामला सं0 912/22/42/07–08–डब्ल्यू.सी.)

9-20 आयोग को मदुरै, तमिलनाडु में स्थित पीपल्स वॉच नामक एक गैर सरकारी संगठन के कार्यकारी निदेशक हेनरी तिफांगे से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि जिसमें कहा गया कि मैरी इम्मेक्यूलेट टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तिरुपत्तूर, जिला वेल्लोर, तमिलनाडु में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहीं दो लड़कियों ने दिनांक 21 अप्रैल 2007 को तिरुपत्तूर रेलवे स्टेशन के निकट चलती हुई ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली। संस्थान के प्रशासन ने दोनों पीड़ितों को समलैंगिक होने के कारण अपमानित किया था।

9-21 आयोग के निदेशों के अनुसरण में पुलिस अधीक्षक, वेल्लोर ने सूचित किया कि रेलवे स्टेशन मास्टर, तिरुपत्तूर की शिकायत पर, शीबा गेत्सियल, आयु 23 वर्ष तथा शोभा मैरी, आयु लगभग 22 वर्ष जिन्होंने 21 अप्रैल, 2007 को प्रातः 09:27 बजे चलती हुई ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर ली थी, की मृत्यु के संबंध में दिनांक 21 अप्रैल 2007 को जोलरपेट रेलवे पुलिस स्टेशन में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत एक आपराधिक मामला सं0

226/07 दर्ज किया गया था। जांच के दौरान भारतीय दंड संहिता की धारा 306 लगाई गई तथा संस्थान के प्राध्यापक मिशेल क्रूज; हॉस्टल वार्डन सिस्टर हिल्डा; तथा संवाददाता, सिस्टर सुपीरियर जोसफीन को आरोपी के रूप में शामिल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ितों ने भी आत्महत्या से पहले लिखे एक नोट में तीनों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

9-22 तमिलनाडु सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने मैरी इम्मेक्यूलेट टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तिरुपत्तूर के वरिष्ठ लैक्चरार तथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जिला संस्थान, रानीपेट के प्राध्यापक से प्राप्त रिपोर्टों को अग्रेषित किया। दोनों रिपोर्टों का निष्कर्ष था कि दोनों लड़कियों को अपमान के कारण बहुत ग्लानि जिसके कारण वे आत्महत्या करने के लिए उत्तेजित हो गईं। सचिव ने टिप्पणी की कि दोनों लड़कियों की दोस्ती को गलत समझा गया। दोनों लड़कियां, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधन तथा सहपाठियों द्वारा किए गए अपमान का बोझ सह नहीं सकीं और इतना बड़ा कदम उठा लिया।

9-23 आयोग ने सितम्बर 2010 में बंगलूरू में अपने कैम्प शिविर में इस मामले को उठाया जहां उप–समाहर्ता, कुद्दालोर उपस्थित हुए। राज्य सरकार इस बात से सहमत थी कि टीचिंग स्टाफ के सदस्यों द्वारा उनके साथ किए गए अमानवीय व्यवहार के कारण इंस्टीट्यूट के दो विद्यार्थी आत्महत्या के लिए बाध्य हो गए।

9-24 अतः आयोग ने तमिलनाडु सरकार से दोनों महिला विद्यार्थियों शीबा गेत्सियल तथा शोभा मैरी के निकटतम संबंधियों को 1,00,000/–रु0 प्रत्येक की दर से भुगतान करने की सिफारिश की।

9-25 तमिलनाडु सरकार की ओर से अनुपालन रिपोर्ट तथा किए गए भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है।

2. दिल्ली में हजारों बच्चों के गुमशुदा होने संबंधी न्यूज़ रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान
(मामला सं0 1059/30/0/2011(एम–1)

9-26 आयोग ने दिनांक 23 मार्च 2011 को बिजनेस लाईन नामक दिल्ली के एक अखबार में छपी ''दिल्ली में 2300 बच्चे लापता'' शीर्षक से छपी एक खबर का स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 और 2010 के बीच कुल 17,305 बच्चे लापता हुए थे तथा 2366 बच्चों का पता लगाना अभी बाकी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि पिछले तीन वर्षों में 4300 से भी अधिक बच्चों का अपहरण किया गया।

9-27 आयोग ने दिनांक 23 मार्च, 2011 को हिन्दुस्तान टाईम्स, दिल्ली में प्रकाशित ''लापता बच्चों के पीछे संगठित अपराध : सी0बी0आई0'' शीर्षक एक अन्य खबर का भी संज्ञान लिया। रिपोर्ट के अनुसार, सी0बी0आई0 ने बाल अवैध व्यापार में लिप्त 800 से अधिक गिरोहों की पहचान की। सी0बी0आई0 स्रोतों को उद्धृत करने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति तथा फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण करने के कार्य में 815 गिरोह शामिल थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत में वर्ष 2009 में 60,000 से भी अधिक बच्चे लापता थे।

9-28 आयोग ने सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

9-29 रिपोर्ट प्रतीक्षित है तथा मामला आयोग के विचाराधीन है।

3. उड़ीसा के जिला बालेश्वर के माझीसाही अपर प्राईमरी स्कूल में कक्षा–1 के दलित विद्यार्थी को दिया गया शारीरिक दंड (मामला सं0 1141/18/1/2010)

9-30 आयोग को दिनांक 19 जुलाई 2010 को एक शिकायत प्राप्त हुई कि उड़ीसा के जिला बालेश्वर के बाहानागा ब्लॉक में स्थित माझीसाही अपर प्राईमरी स्कूल की पहली कक्षा के एक दलित छात्र, लक्ष्मीकांत माझी को उसके अध्यापक ने दिनांक 8 जुलाई 2010 को शारीरिक दंड दिया।

9-31 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पुलिस अधीक्षक, बालासोर ने दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें इस बात की पुष्टि की गई कि स्कूल के सहायक शिक्षक ने लक्ष्मीकांत माझी को बेंत से पीटा था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि शिक्षक किसी अन्य छात्र को मारना चाहता था लेकिन उस छात्र ने अपने आप को बचा लिया लेकिन बेंत लक्ष्मीकांत माझी को लग गई। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि छात्र के अंकल द्वारा दर्ज कराई गई एफ0आई0आर0 की जांच की गई।

9-32 दिनांक 18 जनवरी 2011 को भुवनेश्वर में हुई आयोग की शिविर बैठक में मामले को उठाया गया। पुलिस अधीक्षक, बालासोर ने अपनी लिखित रिपोर्ट को पुनः दोहराया। उन्हें इंगित किया गया कि पुलिस जिस निष्कर्ष पर पहुंची है वह गलत है। पुलिस जांच से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत शिक्षक ने छात्र को बेंत से पुरी तरह मारते हुए उसे चोट पहुंचाई है।

9-33 आयोग ने यह पाया और निम्नानुसार निदेश दिया :

''यह तथ्य कि जिस छात्र की पिटाई की जानी थी उसकी नहीं हुई लेकिन किसी अन्य छात्र की पिटाई हो गई, पूर्णतः महत्वहीन था। शिक्षकों को स्कूल के बच्चों की पिटाई करने की इजाजत नहीं है और इस शिक्षक ने तो बेंत का प्रयोग करते हुए अपराध को बढ़ा दिया है, जिसके कारण और अधिक गंभीर चोट लग सकती थी।

इसलिए आयोग ने उड़ीसा सरकार से इस शिक्षक के खिलाफ तत्काल एवं ऐसी सख्त विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की जो अन्य शिक्षकों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करे।

पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आए कि एक अनुसूचित जाति के लड़के की एक लोकसेवक द्वारा पिटाई की गई। इसलिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनिवार्य आर्थिक राहत उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उड़ीसा सरकार से भुगतान करने – यदि अभी तक नहीं किया गया है तो – इसके लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा गया है।

अंततः उपरोक्त अधिनियम के तहत अनिवार्य अपेक्षताओं के अलावा आयोग का मानना है कि प्रथम दृष्टया शिक्षक की बर्बरता के कारण उस लड़के तथा उसके परिवार, दोनों के मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ तथा पुलिस, जिसने उन्हें कानून के तहत उन्हें मिलने वाली मदद से वंचित रखा, के उदासीन रवैये से यह उल्लंघन और गंभीर हो गया। इसलिए आयोग ने उड़ीसा सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीड़ित तथा उसके परिवार को इन आधारों पर राहत की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।''

राज्य सरकार से प्राप्त जवाब, आयोग के विचाराधीन है।

4. सोलह वर्ष की आयु की एक लड़की के पोस्टमॉर्टम संबंधी न्यूज़ रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान (मामला सं0 55/12/0/2011)

9-34 आयोग ने दिनांक 11 जनवरी, 2011 को एक अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस में ''पुत्री के शरीर के पोस्टमॉर्टम हेतु पिता 14 किलोमीटर तक चला'' शीर्षक से प्रकाशित खबर पर स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के दुधमुनिया गांव की रहने वाली एक 16 वर्षीय लड़की ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। स्थानीय पुलिस ने पंचनामा किया और लड़की के पिता से शव–परीक्षा करवाने के लिए कहा। निर्धन किसान अपनी पुत्री के मृत शरीर को अपनी साईकिल के कैरियर पर बांध कर शव–परीक्षण के लिए 14 किलोमीटर दूर अनूपपुर तक चला। उसका यह कटु अनुभव शव–परीक्षण केन्द्र से 3 किलोमीटर पहले समाप्त हुआ जब अनूपपुर के कुछ निवासियों ने स्थानीय एम0एल0ए0 को बुलवाया जो मृतक लड़की के पिता को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय लेकर गए। इसके बाद, जिला समाहर्ता ने शव वाहन का प्रबंध किया।

9-35 आयोग के दिनांक 12 जनवरी 2011 के निदेशों के अनुसरण में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने रिपोर्ट किया कि ए0एस0आई0 सुंदर लाल तिवारी, जिसने जांच–पड़ताल की कार्रवाई की थी, ने लड़की के मृत शरीर को शव–परीक्षण केन्द्र तक ले जाने के लिए किसी वाहन का प्रबंध करने के प्रयास किए थे। तथापि, उसे इस प्रयोजन के लिए बैलगाड़ी भी नहीं मिली और मृतक के पिता को अनूपपुर तक अपनी साईकिल पर ही शव को ले जाना पड़ा। यह भी रिपोर्ट किया गया कि ए0एस0आई0 सुंदर तिवारी को संस्पेंड और चार्ज शीट किया गया। राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावर्ती न हो।

9-36 रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने प्रेक्षण किया कि इस घटन में मृत्यु के बाद गरिमा संबंधी मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है और राज्य को मृतक के निकट संबंधी को इस संबंध में मुआवजा देना ही होगा।

9-37 आयोग ने अपनी दिनांक 1 मार्च 2011 की कार्रवाई में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(क)(प) के तहत मुख्यसचिव के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक कुमारी सोहागा के निकट संबंधियों को आर्थिक राहत की सिफारिश क्यों नहीं की जाए।

आयोग द्वारा दिए गए नोटिस का उत्तर प्रतीक्षित है।

****

अध्याय - 10

o`)ksa ds vf/kdkj

10-1 भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या में नियमित रूप से वृद्धि हुई है अर्थात वर्ष 1951 के 19.8 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2001 में 76 मिलियन हुई है तथा भावी प्रक्षेपण दर्शाते हैं कि भारत में 60 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2013 में 100 मिलियन तथा वर्ष 2030 में 198 मिलियन हो जाएगी। वृद्ध व्यक्तियों की संख्या में होने वाली सतत बढ़ोत्तरी के साथ–साथ उनकी समस्याओं के परिमाण में भी वृद्धि हो रही है। वृद्धों के प्रति होने वाली हिंसा तथा दुर्व्यवहार के रूप में समस्याएं साफ दिखाई दे रही हैं। दि इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर दि प्रिवेन्शन आफ एल्डर एब्यूज़ (आई0एन0पी0ई0ए0) ने वृद्धों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को 'वृद्धों की उपेक्षा, उनके मानवीय विधिक एवं चिकित्सीय अधिकारों के उल्लंघन तथा वंचना' के रूप में परिभाषित किया है। यहां हिंसा का आशय केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक भी है।

10-2 संयुक्त परिवारों की जगह पर मूल परिवारों का अस्तित्व में आना, भारत में वृद्धों के पार्श्वीकरण का एक मुख्य कारण रहा है। आज के परिवार का आकार बहुत सारे सदस्यों से घट कर केवल अभिभावकों तथा बच्चों तक सीमित हो गया है। युवावर्ग आज की तेज रफ्तार जिंदगी के साथ सामंजस्य स्थापित करने तथा इसके साथ साथ चलने में सक्षम है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति पारम्परिक समाज से आधुनिक समाज की ओर हुए इस आकस्मिक बदलाव के कारण पीछे रह जाते हैं। इस परिवर्तन के कारण वे अपनी देखभाल करने के लिए अकेले रह गए हैं। संयुक्त परिवारों के विघटन से इस देश में वृद्ध लोग न केवल अकेले रह गए हैं बल्कि यह अकेलापन उनके मूल मानव अधिकारों के उल्लंघन के मुख्य कारण के रूप में भी उभर रहा है।

10-3 वृद्ध व्यक्तियों को न केवल मुख्यधारा से बाहर कर दिया गया है बल्कि उनके पास कोई संसाधन भी शेष नहीं हैं और युवा वर्ग द्वारा उन्हें एक भार के रूप में देखा जाता है। यह देखा गया है कि प्रवासन की दर में बढ़ोत्तरी हुई है तथा अधिक से अधिक युवा, वृद्धों को घरों में अकेला तथा असहाय पीछे छोड़कर शहरों या विदेशों की ओर जा रहे हैं। हाल ही में आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के कारण शहरों में जगह की कमी होने लगी है जिसके कारण एक ही घर में ज्यादा लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस प्रक्रिया में, युवा वर्ग वृद्धों को एक भार समझता है और अपने जीवनशैली के अपेक्षित स्तर को बनाए रखने के जुनून में वृद्धों के प्रति अपने दायित्वों को भूल जाता है।

10-4 भारत में शहरी ढांचे में रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों में से अधिकांश उपेक्षा, अकेलेपन तथा आर्थिक असुरक्षा के डर में जी रहे हैं। उनकी संवेदनशीलता उन्हें अपराधियों का आसान लक्ष्य बना देती है। संयुक्त परिवारों में रहते हुए उन्हें जो सुरक्षा मिलती थी वह सुरक्षा आज नदारद है। इनके प्रति होने वाले विविध प्रकार के अपराध जैसे कि हिंसक अपराध जिसमें हत्या तथा लूट–पाट शामिल है; वित्तीय अपराध जैसे कि संपत्ति हड़पना तथा धोखेबाजी; और दुर्व्यवहार, शारीरिक तथा भावात्मक, दोनों– इनके जीवन को और अधिक जटिल बनाते हैं। भावात्मक दुर्व्यवहार में खाने–पीने तथा चिकित्सा से वंचित रखना, मौखिक दुर्व्यवहार या बातचीत न करना, उन्हें कुछ कठिन कार्य करने के लिए बाध्य करना या घर में बंद कर देना शामिल हैं। दिल्ली में स्थित हेल्प ऐज इंडिया नामक एक गैर सरकारी

संगठन द्वारा किए गए हाल ही के अध्ययन में पता चला है कि अधिकांश वृद्धों के साथ उनके बच्चों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, जो इस तरह के व्यवहार के मामले में 47.3 प्रतिशत के साथ सबसे बड़े समूह के रूप में उभर कर सामने आए हैं। वृद्ध व्यक्तियों की हत्या, अकसर एक घरेलू नौकर, चौकीदार या ड्राईवर या किसी जान पहचान वाले व्यक्ति द्वारा वृद्ध व्यक्तियों की हत्या करना – वृद्धों के प्रति सबसे अधिक किया जाने वाला अपराध है।

10-5 सार्वभौमिक प्रकृति का होने के कारण सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों सहित सभी मानव अधिकार हर मनुष्य के लिए हैं और उनमें वृद्ध भी शामिल हैं। वृद्धों के मानव अधिकारों को विशेषरूप से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा; सिविल एवं राजनीतिक तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की दो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं; महिलाओं प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने संबंधी अभिसमय तथा व्यापक रूप से अनुपालित की जाने वाली अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों एवं घोषणाओं में निर्दिष्ट किया गया है।

10-6 नीचे वृद्ध व्यक्तियों के मानव अधिकार दिए गए हैं जिन पर सभी संबंधितों द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये अविभाज्य, अन्योन्याश्रित तथा परस्पर संबद्ध हैं :

- यथोचित खान–पान, आश्रय तथा परिधान सहित यथोचित जीवन स्तर संबंधी मानव अधिकार।
- यथोचित सामाजिक सुरक्षा, सहायता तथा संरक्षण संबंधी मानव अधिकार।
- रोजगार सहित जीवन के हर पहलू में आयु या किसी अन्य स्तर पर आधारित भेदभाव से मुक्ति तथा आवास, स्वास्थ्य देखभाल तथा सामाजिक सेवा की अभिगम्यता संबंधी मानव अधिकार।
- स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर संबंधी मानव अधिकार।
- गरिमापूर्ण व्यवहार संबंधी मानव अधिकार।
- उपेक्षा तथा हर प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक दुर्व्यवहार से संरक्षण संबंधी मानव अधिकार।
- समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सभी पहलुओं में सक्रिय एवं पूर्ण भागीदारी संबंधी मानव अधिकार।
- स्वयं के कल्याण संबंधी निर्णय लेने में पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी संबंधी मानव अधिकार।

10-7 वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में आयोग का हस्तक्षेप सर्वप्रथम वृद्धों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के संबंध में कार्रवाई करने से शुरू हुआ। तथापि, वर्ष 2000 में आयोग का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया जब आयोग ने संबंधित मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति परिषद के कार्य में भाग लिया और कार्ययोजना (2003–2005) पर टिप्पणी की। उस वर्ष के बाद से आयोग ने वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित समूहों से निकट संपर्क रखना शुरू कर दिया और जब कभी भी आवश्यक हुआ तो केन्द्र सरकार को अपने सुझाव अग्रेषित किए।

d- o) 0;fDr;k d fy, dkj x|i dk xBu

10-8 वृद्ध व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गहन चिंता के साथ तथा उनके मूल मानव अधिकारों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने संबंध दृष्टिकोण के साथ–साथ वृद्ध व्यक्तियों द्वारा उन अधिकारों का आनन्द उठाना सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने पहली बार नवम्बर 2010 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए 13 सदस्यों वाले एक कोर ग्रुप का गठन किया। ये 13 सदस्य हैं :

1. श्री मैथ्यू चेरियन, मुख्य कार्यकारी, हेल्पऐज इंडिया, नई दिल्ली।
2. डॉ0 एस. शिवा राजू, प्रोफेसर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंस (टी.आई.एस.एस.), मुम्बई।

3. श्री एम0एम0 सभरवाल, अवकाशप्राप्त अध्यक्ष, हेल्पऐज इंडिया, नई दिल्ली।
4. डॉ0 विनोद कुमार, प्रोफेसर, सेंट स्टीफंस अस्पताल, दिल्ली।
5. डॉ0 माला कपूर शंकरदास, प्रबंधन न्यासी एवं अध्यक्ष, विकास, कल्याण एवं अनुसंघान फाउंडेशन (डी.डब्ल्यू. ए.आर.एफ.), नई दिल्ली।
6. डॉ0 एस.पी. किंजावाडेकर, अध्यक्ष, आल इंडिया सीनियर सिटिजन्स कन्फेडरेशन, मुम्बई।
7. प्रो0 सुगन भाटिया, अध्यक्ष, इंडियन यूनीवर्सिटी एसोसिएशन फॉर कॉन्टिन्यूइंग एजूकेशन, नई दिल्ली।
8. डॉ0 ए.डी. गोखले, अध्यक्ष, इंटरनेशनल लांजेविटी सेंटर, पुणे।
9. डॉ0 आभा चौधरी, अध्यक्ष, अनुग्रह, नई दिल्ली।
10. प्रो0 पी.वी. रामामूर्ती, निदेशक, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एजिंग, मनोविज्ञान विभाग, श्री वेंकटेश्वरा यूनीवर्सिटी, तिरुपति।
11. श्री आर.एन. मित्तल, अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश सीनियर सिटिजन्स कन्फेडरेशन, सिकन्दराबाद।
12. प्रो0 पी.के.बी. नायर, अध्यक्ष, सेंटर फॉर गेरॉन्टोलॉजिकल स्टडीज, थिरुवनंथपुरम।
13. श्री के.आर. गंगाधरन, निदेशक, हेरिटेज हॉस्पिटल फाउंडेशन, हैदराबाद।

[k- o`)k d ekuo vf/kdkjk dk l jf{kr dju l c/kh jk"Vh; l feukj

10-9 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिल्ली में स्थित अनुग्रह नामक एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से दिनांक 20 जनवरी 2011 को देहरादून, उत्तराखंड में ''वृद्ध व्यक्तियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा'' विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड ने इस सेमिनार का समर्थन किया। श्रीमती मार्गरेट अल्वा, उत्तराखंड की राज्यपाल इस सेमिनार के आरंभिक सत्र की मुख्य अतिथि थीं। इस सत्र के अध्यक्ष श्री पी0सी0 शर्मा, सदस्य, एन0एच0आर0सी0 थे।

10-10 सभा को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि आधुनिक समाज की सबसे बड़ी दुःखद बात यह है कि लोग अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं और युवा एवं वृद्ध पीढ़ियों के बीच मतभेद बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारो को संरक्षित करने तथा उनकी आवश्यकताओं एवं संवेदनाओं को समझने तथा पहचानने की दिशा में किए जाने वाले किसी प्रयास का समर्थन करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा भारत का संविधान, वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देता है। भारत सरकार ने अभिभावकों तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007 भी लागू किया। तथापि, यह चिंता का विषय है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया। श्री शर्मा ने वरिष्ठ नागरिकों को आदर एवं सम्मान देने, इसे केवल कुछेक समारोह तक ही सीमित न रखने, संबंधी अपनी संस्कृति को एक आदत के रूप में पुनः जागृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वृद्ध लोगों को बच्चों से वित्तीय सहायता की तुलना अपनी देखभाल, चिन्ता तथा सान्निध्य की हमेशा जरूरत होती है। श्री जे0पी0 मीणा, संयुक्त सचिव (पी एण्ड ए), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी सेमिनार में भाग लिया जिसे चौदह प्रख्यात वक्ताओं ने संबोधित किया था। लगभग 500 वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थी स्वयंसेवकों ने इस सेमिनार में भाग लिया।

x- jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;kx }kjk fuiVk, x, o')k l: lcf/kr n"Vkr ekey:

1. दिल्ली में आवासहीनता की समस्या
(मामला सं0 3712/30/2005–2006)

10-11 हाउसिंग एवं लैण्ड राईट्स नेटवर्क – दक्षिण ऐशिया क्षेत्रीय कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर श्री मिलून कोठारी ने अपनी दिनांक 18 जनवरी 2006 की याचिका के माध्यम से दिल्ली की आवासहीनता की समस्या की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया। आयोग ने भी दिनांक 22 दिसम्बर 2010 के हिन्दुस्तान टाईम्स समाचार पत्र में 'यंग, कोल्ड एण्ड होमलैस' शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट को स्वतः संज्ञान लिया।

10-12 आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में निदेशक (आश्रय), मलिन एवं झुग्गी–झोंपड़ी विभाग, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन दिल्ली (एम0सी0डी0) ने एक स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि दिल्ली में वर्ष 2004–2005 के दौरान 41 स्थायी तथा अस्थायी रात्रि आश्रालय थे तथा वर्ष 2005–2006 में आश्रालयों की संख्या बढ़कर 56 हो गई थी। आगे यह भी कहा गया कि एक व्यापक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 13 दिसम्बर 2006 के पत्राचार के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सामाजिक कल्याण विभाग के सचिव ने सूचित किया कि सर्वेक्षण का कार्य मानव विकास संस्थान को दिया गया है तथा सर्वेक्षण का कार्य तीन महीनों में पूरा हो जाने की संभावना है।

10-13 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के गृह विभाग के उप–सचिव के दिनांक 26 नवम्बर, 2007 के पत्र के माध्यम से मानव विकास संस्थान द्वारा तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट आयोग को अग्रेषित की गई इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि दिल्ली में 46,788 लोग आश्रयहीन थे तथा उनमें से 84.35 प्रतिशत पुरुष थे तथा 15.65 प्रतिशत महिलाएं थीं। उनमें से लगभग 3.16 प्रतिशत 11–14 आयुवर्ग के बच्चे थे। उनमें से केवल एक–तिहाई को ही रात्रि आश्रालय संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी थी। इनमें से अधिकांश लोग पुलिस की प्रताड़ना से पीड़ित थे।

10-14 सर्वेक्षण एजेंसी ने भी आश्रालयों के निर्माण, आश्रालयों में सुविधाओं के रखरखाव, तथा में मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं का हस्तक्षेप, परिचय पत्र जारी करना, आवासहीन लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रचारित करने के लिए यथोचित पहल करने की सिफारिश की।

10-15 आयोग ने सर्वेक्षण रिपोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को इस निदेश के साथ अग्रेषित की कि आवासहीन व्यक्तियों की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए की गई कार्रवाई संबंधी एक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए।

10-16 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में आयेाग को दिनांक 24 अगस्त 2009 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समाज कल्याण विभाग से स्टेट्स रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने अपने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेषाधिकार समिति का गठन किया है तथा यह समिति– आश्रालयों के निर्माण, आश्रालयों में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्ययोजना तैया करने, रात्रि आश्रालयों में रखरखाव तथा पर्यवेक्षण के कार्य में मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को शामिल करते हुए रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा आवासहीन स्रोत केन्द्रों आदि के चयन जैसे विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में है। दिनांक 8 सितम्बर 2009 को मामले पर विचार करते हुए आयोग ने विशेषाधिकार समिति के सदस्यों को निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया में

तेजी लाने तथा आवासहीन व्यक्तियों के लाभ के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कहा। आयोग ने विशेषाधिकार समिति द्वारा लिए गए निर्णयों तथा उन पर की गई कार्रवाईयों संबंधी विवरण वाली एक स्टेट्स रिपोर्ट भी मांगी।

10.17 मामले की जांच करते हुए आयोग को सूचित किया गया कि दिल्ली में आवासहीनता के विषय पर वर्ष 2007 की रिट् याचिका (सिविल) 6698 प्रतिभा चोपड़ा बनाम भारत संघ एवं अन्य के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली ने भी आवासहीन बच्चों के लिए दिल्ली में आश्रय/ड्रॉप–इन–सेंटर/ओपन शेल्टर के लिए एक योजना तैयार की है।

मामला अभी भी आयोग के विचाराधीन है।

****

अध्याय – 11

fu%'kDr 0;fDr;ksa ds vf/kdkj

11-1 हालांकि अनुमानों में भिन्नता है लेकिन पर्याप्त साक्ष्य हैं कि भारत की जनसंख्या में 4 से 8 प्रतिशत निःशक्त व्यक्ति (लगभग 40–90 मिलियन व्यक्ति) शामिल हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 21.91 मिलियन व्यक्ति निःशक्त थे (जनसंख्या का 2.13 प्रतिशत), जबकि वर्ष 2002 के एन0एस0एस0 के अनुसार जनसंख्या का 1.8 प्रतिशत भाग* निःशक्त था। एन0एस0एस0 के अनुमान से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निःशक्त व्यक्तियों वाले 'परिवारों' का प्रतिशत क्रमशः 8.4 तथा 6.1 था।

11-2 भारत में निःशक्तता के चिकित्सीय कारण तेजी से बदल रहे हैं – अर्थात संक्रामक बीमारियों से गैर–संक्रामक बीमारियां तथा दुर्घटनाएं। कुछ निःशक्तताओं (जैसे कि वाक शक्ति तथा श्रवण शक्ति) के मुख्य कारण रोग या बीमारियां होती हैं जबकि कुछ अन्य निःशक्तताओं जैसे कि दृष्टि संबंधी निःशक्तता के लिए आयु मुख्य कारण है। गतिशीलता संबंधी निःशक्तता का कभी मुख्य कारण पोलियो होता था लेकिन आज विविध अन्य कारण सामने आ रहे हैं। कई अन्य निःशक्तताओं, विशेषतः मानसिक निःशक्तता तथा मानसिक मन्दन के मामले में निःशक्तता का कारण अकसर पता नहीं चल पाता है, जो निःशक्तता के संबंध में वर्तमान अनुसंधानों के अधूरे ज्ञान को दर्शाता है। कम शिक्षा या अशिक्षा के कारण शारीरिक तथा मानसिक निःशक्तता संयोजित हो जाती है, अन्य बच्चों के मुकाबले निःशक्त बच्चों द्वारा स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर काफी अधिक है। किसी अन्य समूह की तरह ही, निःशक्त व्यक्तियों के जीवन की संभावनाओं को विकसित करने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। निःशक्त व्यक्तियों में शिक्षा प्राप्ति की दर बहुत कम है। निःशक्तता के सभी वर्गों में निरक्षरता की दर काफी ज्यादा है तथा दृष्टि संबंधी, बहु तथा मानसिक निःशक्तता (सभी श्रेणियों के गंभीर रूप से निःशक्त बच्चों) के मामले में तो यह और भी अधिक है। इसी प्रकार, स्कूल से बाहर निःशक्त बच्चों की हिस्सेदारी सामान्य दर का साढ़े पांच गुना है तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का लगभग चार गुना है। यहां तक कि सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले मुख्य राज्यों में भी स्कूल से बाहर निःशक्त बच्चों की हिस्सेदारी काफी अधिक है : (केरल में 27 प्रतिशत, तमिलनाडु में 33 प्रतिशत से अधिक)। आधुनिक राज्यों से प्राप्त साक्ष्य यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्यतः नामांकन दर अधिक होने के बावजूद भी शिक्षा के दायरे में सबसे कम तादात में आने वाले समूहों में संभवतः निःशक्त बच्चे सबसे अधिक होते हैं। हर स्तर पर सख्ती होने के बावजूद भी निःशक्त बच्चे प्राईमरी स्कूल के स्तर से उपर बहुत ही कम पहुंचते हैं। यदि भारत को शिक्षा एम0डी0जी0 प्राप्त करना है तो स्कूलों में निःशक्त बच्चों के दाखिले को महत्व देना होगा।

11-3 औसत व्यक्तियों के मुकाबले निःशक्त व्यक्तियों की रोजगार दर काफी कम होती है और पिछले 15 वर्षों से इस अंतर में बढ़ोत्तरी हो रही है। भारत में निःशक्त व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादक कार्य करने में सक्षम है। इस तथ्य के बावजूद, सामान्य जनसंख्या के मुकाबले निःशक्त जनसंख्या की रोजगार दर (औसतन 60 प्रतिशत) कम है जिसका अंतर 1990 के दशक से बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में काम करने वाले निःशक्त व्यक्तियों की रोजगार दर में प्रतिकूल परिवर्तन हुआ है, यह 1991 के 42.7 प्रतिशत से गिर कर वर्ष 2002 में 37.6 प्रतिशत हो गई

*उल्लेखनीय है कि दोनों का अंतर अक्षमता के स्वरूप को लेकर अक्षम व्यक्तियो की जनसंख्या की गणना करने के कारण है। एन0एस0एस0 तथा जनगणना में अक्षमता की विभिन्न परिभाषाओं द्वारा भिन्नताओं की व्याख्या की गई है।

है। यह गिरावट पूरे देश में लगभग समान थी लेकिन राज्यों के बीच में इसका परिमाण भिन्न–भिन्न रहा। 1990 के दशक के दौरान सामान्य जनसंख्या तथा निःशक्त जनसंख्या रोजगार दरों के बीच का अंतर भी शिक्षा के सभी स्तरों पर अधिक था तथा कम शिक्षा प्राप्त निःशक्त व्यक्ति रोजगार से कोसो दूर रहे। तथापि, निःशक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा की गई पहल का भी केवल आंशिक प्रभाव पड़ा है।

11-4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति बेहद चिन्तित और सक्रिय है। आयोग का यह मानना है कि निःशक्त व्यक्तियों को भी अन्य व्यक्तियों की तरह समान रूप से सभी मानव अधिकारों का आनन्द उठाने का हक है। इस उद्देश्य के लिए आयोग ने सबसे पहले निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को आत्मसात करने और उसके यथोचित कार्यान्वयन का पुरजोर समर्थन किया है। इसके अलावा वर्ष 2001–2002 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस अधिनियम में अधिसंख्य विस्तृत संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। आयोग ने कई मामलों में निःशक्तता के आधार पर प्रताड़ना, अनुदारता या भेदभाव का अनुभव करने वाले व्यक्तियों की सहायता करने में भी हस्तक्षेप किया। वर्ष 2001–2002 में निःशक्तता संबंधी एक कोर ग्रुप का गठन किया गया तथा आयोग को अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से निभाने में मदद करने के लिए एक विशेष प्रतिवेदक नियुक्त किया गया।

11-5 रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोग ने निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित विषयों से निपटने के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण अपनाया जिसमें व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान, विधायी एवं नीतिगत सुधार, उनके अधिकारों के संबंध में जागरुकता का प्रसार करना शामिल है।

d- Hkkjr esa fu%'kDrrk lca/kh dkuuksa dk ;w0,u0lh0vkj0ih0Mh0 ds lkFk lkeatL;

11-6 आयोग, भारतीय कानूनों का संयुक्त राष्ट्र निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी अभिसमय (यू0एन0सी0आर0 पी0डी0) के साथ सामन्जस्य बनाने की पुरजोर वकालत करता रहा है। इस संदर्भ में आयोग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से सिफारिश की है कि विद्यमान विधायन अर्थात निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की जगह एक नया विधायन तैयार किया जाए जिसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए :

1. नए विधेयक की प्रस्तावना या संशोधित विधेयक, जैसा भी मामला हो, में अन्य बातों के साथ–साथ यह स्पष्ट हो कि अधिनियम का आशय यू0एन0सी0आर0पी0डी0, जिसकी भारत द्वारा अभिपुष्टि की जा चुकी है, के प्रावधानों को लागू करना है।
2. ''निःशक्त व्यक्ति'' की परिभाषा, निःशक्तता के मॉडल पर आधारित मानव अधिकारों के अनुरूप व्यापक एवं सम्मिलित, दोनों होनी चाहिए।
3. नए अधिनियम या संशोधित अधिनियम, जैसा भी मामला हो, में निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के अलावा सिविल तथा राजनीतिक अधिकार भी स्पष्ट रूप से शामिल होने चाहिए।
4. नए विधान या संशोधित कानून में क्षमता तथा संपत्ति अधिकारों से संबंधित स्पष्ट प्रावधान भी शामिल होने चाहिए।
5. नए अधिनियम या संशोधित अधिनियम, जैसा भी मामला हो में अधिरोहण संबंधी निम्नलिखित खंड शामिल किए जाने चाहिए :
   (1) इस समय प्रवृत्त किसी कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के प्रयोजन, भावना तथा मूल्यों, जिनका भारत एक पक्षकार है, के विरुद्ध किया गया कोई कृत्य या चूक अवैधानिक होगा।

(2) इस समय प्रवृत्त कोई कानून जो यू0एन0सी0आर0पी0डी0, जिसका भारत एक पक्षकार है, के संगत नहीं है, उसे असंगतता की हद तक अवैधानिक माना जाएगा।

6 सकारात्मक कार्रवाई साधनों का विषय–क्षेत्र, व्यापक एवं विविध, दोनों होना चाहिए।

7 समानता तथा गैर–भेदभाव पर एक अलग अध्याय होना चाहिए तथा सुलभता एवं व्यक्तिगत गतिशीलता विषय पर एक पृथक अध्याय होना चाहिए।

8 नए अधिनियम या संशोधित अधिनियम में उन सभी सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के अनुच्छेद 3 में दिए गए हैं।

11-7 इसके अलावा, आयोग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए निःशक्त व्यक्ति विधेयक, 2011 के मसौदे की भी पुनरीक्षा की। यह समिति विद्यमान पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट, 1995 की जगह एक नया कानून प्रतिस्थापित करने के लिए कार्य कर रही है। आयोग ने पाया कि हालांकि प्रारूप विधायन का भाग III कानूनी क्षमता तो उपलब्ध कराता है लेकिन पूर्ववर्ती आयोग द्वारा संस्तुत किए गए संपत्ति अधिकारों का स्पष्ट रूप से हवाला नहीं दे रहा है। आयोग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्रारूप विधायन में निःशक्त व्यक्तियों के लिए संपत्ति अधिकारों संबंधी स्पष्ट प्रावधान समाविष्ट करने के लिए कहा।

[k- fu%'kDr 0;fDr;k d vf/kdkjk lc/kh jk"V'h; fjikV dh ekuhVfjx dh r;kjh

11-8 यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के तहत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति के समक्ष अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत करे। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आयोग ने यह पता लगाने के लिए कि केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय रिपोर्ट को कब प्रस्तुत कर रहा है और क्या राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार करने में निःशक्त व्यक्तियों से विचार–विमर्श किया गया है या उनका सक्रिय सहयोग लिया गया है, मंत्रालय के साथ बातचीत की गई। मंत्रालय का जवाब प्रतीक्षित है।

x- fu%'kDr 0;fDr;k d fy, dkih jkbV ¼l'kk/ku½ fo/k;d] 2010 dh iqujh{kk

11-9 आयोग के संज्ञान में यह लाया गया कि मानव संसाधन विभाग की विभागीय संसदीय स्थायी समिति ''कॉपी राईट (संशोधन) विधेयक, 2010'' के बारे में विचार कर रही है और उसने प्रस्तावित विधेयक पर सुझाव भी मांगे हैं। आयोग ने मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से कॉपी राईट (संशोधन) विधेयक, 2010 की पुनरीक्षा की और यह नोट किया कि इसमें निःशक्त व्यक्तियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। अतः आयोग ने निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रस्तावित विधेयक में संशोधन की सिफारिश की।

11-10 आयोग ने निःशक्त व्यक्तियों के हित में ''कॉपी राईट (संशोधन) विधेयक, 2010'' में प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने के लिए इन सिफारिशों को मानव संसाधन विभाग की विभागीय संसदीय स्थायी समिति के साथ–साथ मानव संसाधन विभाग मंत्रालय को अग्रेषित किया।

?k- fu%'kDrrk lc/kh vU; fpUrk,

11-11 आयोग ने पाया कि निःशक्त व्यक्तियों को अपनी दैनिक गतिविधियों को प्रभावी रूप से करने के लिए उपकरणों, चिकित्सा, परिवहन तथा अन्य खर्चों के रूप में सामान्य से अधिक व्यय करना पड़ता है। इन सबका उनकी आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिणामतः, आयोग ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से सिफारिश की है कि निःशक्त

व्यक्तियों के संबंध में आयकर कानून में उन्हें उच्च छूट सीमा या अन्य लाभ जैसे कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं ताकि वे अन्य करदाताओं की तरह बेहतर जीवन निर्वाह कर सकें।

11-12 आयोग के संज्ञान में आया है कि बीमा कंपनियां निःशक्त व्यक्तियों से कुछेक स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पालिसियों के संबंध में अतिरिक्त प्रीमियम की मांग कर रही हैं। आयोग की चिन्ताओं को सम्प्रेषित करते हुए मामले को केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया। आयोग का यह मानना है कि निःशक्त व्यक्ति से अतिरिक्त प्रीमियम की मांग करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है तथा यह यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के अनुच्छेद 10 तथा 25 के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के विपरीत है। आयोग ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह सभी राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों/कॉरपोरेशनों को आवश्यक निर्देश जारी करें कि निःशक्त व्यक्तियों से कोई अतिरिक्त प्रीमियम या प्रीमियम की अधिक दर न मांगी जाए।

11-13 आयोग के संज्ञान में लाया गया कि कई राज्यों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए नियुक्त किया गया आयुक्त दोहरी भूमिकाएं अर्थात निःशक्तता आयुक्त के साथ–साथ राज्य सरकार के सचिव की भूमिका भी निभा रहा है। आयोग ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट, 1995 के तहत परिकल्पित, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बिना किसी अतिरिक्त जिम्मेदारियों के एक पूर्ण कालिक निःशक्तता आयुक्त नियुक्त करने की सिफारिश की।

³- fu%'kDr 0;fDr;k d vf/kdkjk l lcf/kr idk'ku

11-14 भारत सरकार द्वारा की गई यू0एन0सी0आर0पी0डी0 की अभिपुष्टी के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा ''अपने अधिकार जानें'' नामक श्रृंखला के तहत पूर्व में तैयार की गई 'निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार' नामक पुस्तिका को संशोधित किया गया और पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने वाले दिन अर्थात दिनांक 10 दिसम्बर 2010 को पुनः रिलीज़ किया गया।

11-15 यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने और पणधारियों को सुग्राही बनाने के लिए राष्ट्रमंडल सचिवालय ने 'निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी अभिसमय–राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा तैयार की गई निर्देशिका' शीर्षक की एक पुस्तिका प्रकाशित की गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायविद श्री के0जी0 बालाकृष्णन ने दिनांक 3 सितम्बर, 2010 को आयोग के परिसर में आयोजित एक समारोह में इस पुस्तिका का विमोचन किया।

p- jk"VeMy e fu%'kDr 0;fDr;k d vf/kdkjk ij lEeyu

11-16 आयोग ने राष्ट्रमंडल सचिवालय के सहयोग से दिनांक 14 जनवरी 2011 को नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री मुकुल वासनिक ने सेमिनार का उद्घाटन किया तथा निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार के मुद्दे पर कार्य करने वाले राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के निःशक्तता संबंधी विशेष प्रतिवेदक मि0 शुऐब चॉकलेन ने भी सेमिनार में भाग लिया। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद यू0एन0सी0आर0पी0डी0 की अभिपुष्टि को बढ़ाने, रोजगार एवं शिक्षा के क्षेत्रों को संबोधित करने तथा समर्थन नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया गया।

N- jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;kx }kjk fuiVk, x, fu%'kDr 0;fDr;k d vf/kdkjk l lcaf/kr n"Vkr ekey

1. प्रमस्तिष्क घात से पीड़ित निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन (मामला सं0 563/12/22/2010)

11-17 आयोग को दिनांक 5 अप्रैल 2010 को प्रमस्तिष्क घात से 70 प्रतिशत पीड़ित आदित्य वरदे नामक एक मरीज की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत में आदित्य ने कहा कि उसने बी–कॉम की पढ़ाई पूरी की है तथा टैली–9 के पाठ्यक्रम से अवगत है लेकिन भारत सरकार के भेदभावपूर्ण प्रावधानों के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। उसने यह भी कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं में प्रमस्तिष्क घात से प्रभावित व्यक्ति को नेत्रहीन या बधिर एवं मूक व्यक्ति के समकक्ष समझा जाता है। अतः पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है क्योंकि उन्हें 1 प्रतिशत का पृथक आरक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया है। आदित्य ने न्याय के लिए आयोग द्वारा हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया क्योंकि प्रमस्तिष्क घात से प्रभावित व्यक्ति अन्य के साथ मुकाबला नहीं कर सकते।

11-18 शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने अपनी दिनांक 15 अप्रैल 2010 की कार्रवाई में सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग; कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशंन मंत्रालय; भारत सरकार, नई दिल्ली तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया कि आयोग को संबंधित रिपोर्ट अग्रेषित की जाए।

11-19 आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशंन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 14 मई, 2010 के पत्र द्वारा सूचित किया कि ''पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट, 1995 की धारा 33 में प्रावधान है कि ''प्रत्येक समुचित सरकार, प्रत्येक स्थापन में निःशक्त व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए उतनी प्रतिशत रिक्तियां नियत करेंगी जो तीन प्रतिशत से कम न हो, जिसमें से प्रत्येक निःशक्तता के लिए पता लगाए गए पदों में से एक प्रतिशत निम्नलिखित से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, अर्थात (i) अंधता या कम दृष्टि; (ii) श्रवण शक्ति का ह्रास; (iii) चलन निःशक्तता या प्रमस्तिष्क घात''। उन्होंने आगे सूचित किया कि विभाग ने तदनुसार निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण संबंधी निर्देश जारी किए थे तथा इन निर्देशों में चलन निःशक्तता या प्रमस्तिष्क घात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

11-20 आयोग ने उपरोक्त रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता की टिप्पणियां मांगी। अपने जवाब में, शिकायतकर्ता ने दिनांक 9 अगस्त 2010 के पत्र में कहा कि प्रचलित प्रावधान उसके जैसे व्यक्ति द्वारा झेली जा रही समस्याओं को संबोधित नहीं करते हैं।

11-21 आयोग ने अपनी दिनांक 31 सितम्बर 2010 की कार्रवाई में निदेश दिया कि शिकायतकर्ता की टिप्पणियों को, उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव, भारत सरकार के पास अग्रेषित किए जाएं।

11-22 अवर सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अपने दिनांक 6 अक्टूबर, 2010 के पत्राचार के माध्यम से अपनी रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए सूचित किया कि विशेषरूप से प्रमस्तिष्क घात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के लिए पी0डब्ल्यू0डी0 एक्ट 1995 में संशोधन करना होगा। उन्होंने यह भी सूचित किया कि मंत्रालय ने अधिनियम में संशोधन करने संबंधी प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है

जिसके लिए विचार—विमर्श किए गए और प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियां देने के लिए प्रारूप संशोधित अधिनियम को सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को परिचालित किया गया तथा मंत्रालय की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया। विभिन्न गैर—सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों सहित कई अन्य स्रोतों से सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों के अध्ययन करने तथा संशोधित प्रारूप विधायन में उन्हें शामिल करने तथा इसे यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के प्रावधानों के अनुकूल बनाने हेतु मंत्रालय में विभिन्न पणधारियों, विशेषज्ञों आदि के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया गया।

11-23 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 4 नवम्बर 2010 के पत्र द्वारा सूचित किया कि शिकायतकर्ता की निम्नलिखित शिकायतों का निपटान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा :

1) प्रमस्तिष्क घात के लिए आरक्षण केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होना चाहिए जो इस श्रेणी में आते हों तथा चलन निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए।
2) प्रमस्तिष्क घात से प्रभावित व्यक्तियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभागीय परीक्षाओं में विशिष्ट नियम बनाए जाने चाहिए।
3) इस तरह के व्यक्तियों के लिए परीक्षा के अलग तरीके इजाद किए जाने चाहिए।

11-24 आयोग ने संबंधित मंत्रालयों को निदेश दिया कि वे प्रमस्तिष्क घात से प्रभावित अभ्यर्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय देने की अनुमति दें और परीक्षा देने के संबंध में यथोचित तरीके अपनाएं। इसके अतिरिक्त आयोग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को निदेश दिया कि वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव के साथ मिलकर आवश्यक कार्रवाई करें। सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से यू0एन0सी0आर0पी0डी0 के अनुरूप निःशक्त व्यक्तियों के संबंध में नए विधायन को तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है।

इस मामले में भावी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

****

अध्याय - 12

ekuo vf/kdkj f'k{kk] izf'k{k.k rFkk tkx#drk

12-1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12(ज) आयोग के समक्ष ''समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार माध्यमों गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरुकता का संवर्धन करने'' का दायित्व है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 29 के अनुसार राज्यों में संबंधित राज्य मानव अधिकार आयोगों को इसी प्रकार का दायित्व सौंपा गया है।

12-2 दिनांक 12 अक्टूबर 1993 अर्थात अपने गठन के समय से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का लक्ष्य देश में ''मानव अधिकारों की संस्कृति'' का सृजन करना रहा है। आयोग ने पिछले सत्रह वर्षों में पूरे देश में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जागरुकता का सृजन करने के लिए विशेषरूप से कई कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ स्कूल के सभी स्तरों के लिए शैक्षणिक सामग्री तैयार करने हेतु मानव संसाधन विभाग मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के साथ मिलकर कार्य करना; प्रत्येक वर्ष स्कूलों में 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाना; विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रमों के विकास हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ कार्य करना; बंगलौर में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में मानव अधिकारों के संबंध में प्राध्यापक पद सृजित करना; लोकसेवकों, पुलिस, अर्ध सैनिक बलों तथा सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में मानव अधिकारों संबंधी पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करना; विभिन्न पणधारियों को सुग्राही बनाने के लिए साहित्य प्रकाशन करना; विद्यार्थियों, अध्यापकों, मेडिकल प्रेक्टीशनरों, लोक सेवकों, न्यायिक अधिकारियों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं जैसे विविध समूहों से विचार–विमर्श करना और मानव अधिकारों के मुद्दे को उनकी संबंधित कार्यसूची में शामिल करना; तथा देश में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण तथा संवर्धन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका में गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित एवं समर्थित करना शामिल रहा।

12-3 पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने देश में मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जागरुकता सृजन के लिए अधिसंख्य कार्य किए।

d- jk"Vªh; ekuo vfèkdkj vk;ksx }kjk vk;ksftr izf'k{k.k dk;Øe

12-4 आयोग ने वर्ष 2010–2011 के दौरान अपने अधिदेश के भाग के रूप में मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 123 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुमोदित किया। इनमें से 70 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का 57 संस्थानों/विश्वविद्यालयों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा सफल आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक 9 पर है।

[k- xzh"edkyhu ,oa 'khrdkyhu baVuZf'ki dk;Øe

12-5 विश्वविद्यालय/कॉलेज के विद्यार्थियों को विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों के प्रति सुग्राही बनाने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रतिवर्ष नियमित रूप से एक महीने की अवधि के दो इंटर्नशिप कार्यक्रमों का आयोजन

कर रहा है। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 17 मई से 15 जून 2010 तक ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भारत के 22 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से 34 विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के 48 विद्यार्थियों ने भाग लिया। दिनांक 22 दिसम्बर 2010 से 20 जनवरी 2011 तक शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भारत के 13 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से 25 विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के 46 विद्यार्थियों ने भाग लिया। दोनों इंटर्नशिप कार्यक्रमों के इंटर्न को बेहतर अनुभव प्रदान कराने के उद्देश्य से उन्हें गैर सरकारी संगठनों तथा जिला कारावासों के फील्ड निरीक्षण पर ले जाया गया। इंटर्न को आयोग के विभिन्न प्रभागों के साथ संबद्ध भी किया गया तथा देश में मानव अधिकारों के विविध पहलुओं पर परियोजना कार्य भी दिया गया, जिन पर उन्होंने काम किया और रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। दोनों इंटर्नशिप कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों के दौरान विद्यार्थियों की समग्र उपलब्धियों के आधार पर तीन विद्यार्थियों को ग्रीष्म इंटर्नशिप कार्यक्रम में तथा चार विद्यार्थियों को शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम में 'बेस्ट इंटर्न' का पुरस्कार दिया गया।

x- Hkkjrh; fons'k lsok ifjohf{kk/khu vf/kdkfj;ksa ds fy, izf'k{k.k dk;Øe

12-6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्ष 2006 से विदेश मंत्रालय के विदेशी सेवा संस्थान के साथ मिलकर भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन के लिए दो–दिवसीय 'अटेचमेंट प्रोग्राम' आयोजित करवा रहा है। इस अटेचमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य परिवीक्षाधीन को मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों के बारे में सुग्राही बनाना है। वर्ष 2010–2011 के दौरान 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा के 19 परिवीक्षाधीन को दिनांक 26 एवं 27 अक्टूबर 2010 को एन0एच0आर0सी0 के साथ सम्बद्ध किया गया था। प्रोबेशनर्स को शिकायत प्रबंधन प्रणाली के बारे में एक अभिविन्यास सहित आयोग के विभिन्न प्रभागों की कार्यप्रणाली के बारे में समग्र रूप से बताया गया। उन्होंने एन0एच0आर0सी0 के सदस्यों तथा महासचिव से भी बातचीत की।

?k- jsyos lqj{kk cy ds lgk;d lqj{kk vk;qDrksa ¼ifjohf{kk/khu½ ds fy, izf'k{k.k dk;Øe

12-7 रेलवे सुरक्षा बल के वर्ष 2005 तथा 2009 बैच के पांच सहायक सुरक्षा आयुक्तों (प्रोबेशनर्स) को दिनांक 24 एवं 25 मार्च, 2011 को दो दिन के लिए एन0एच0आर0सी0 के साथ सम्बद्ध किया गया। इस अटेचमेंट प्रोग्राम के दौरान प्रोबेशनर्स को एन0एच0आर0सी0 के शिकायत प्रबंधन प्रणाली सहित विभिन्न प्रभागों की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराया।

M- bu&gkml izf'k{k.k dk;Øe

12-8 दिनांक 26 एवं 27 अगस्त 2010 को आयोग के नए अधिकारियों तथा स्टाफ के लिए दो–दिवसीय इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य उन्हें आयोग की समग्र कार्यप्रणाली तथा आयोग के विभिन्न प्रभागों द्वारा निपटाए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों से अवगत कराना था। इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर 30 अधिकारियों तथा स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया।

p- Hkkjr ds fofHkUu dkystksa@fo'ofo|ky;ksa ls vkus okys fo|kfFk;ksa@izf'k{kqvksa ds lkFk ckrphr

12-9 आयोग ने वर्ष 2010–2011 के दौरान देश के सभी भागों से आयोग का दौरा करने वाले 33 विभिन्न विधि कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, स्कूलों के 1070 विद्यार्थियों/प्रशिक्षुओं के साथ–साथ उनके प्राध्यापकों से भी वार्तालाप किया।

N- ifyl dkfeldk d fy, ekuo vfèkdkj lcèkh vku ykbu dk;Øe

12-10 एन0एच0आर0सी0 ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 1 फरवरी, 2011 को पुलिस कार्मिकों के लिए मानव अधिकार संबंधी एक ऑन लाईन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विशेषरूप से ऐसे पुलिस कार्मिकों जो कांस्टेबल और उप–निरीक्षक स्तर के हैं, के बीच विविध मानव अधिकार मुद्दों के प्रति तथा दिन प्रतिदिन के कार्य में आम जनता पर उसे लागू करने के संबंध में जागरुकता पैदा करना है। इस ऑन–लाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि पांच दिन है।

12-11 ऑन–लाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के तीन पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में इसका पूर्व–परीक्षण किया जा चुका था।

t- vk;kx e fgUnh fcl @fgUnh i[kokMk

12-12 आयोग के दैनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 14 सितम्बर से 28 सितम्बर 2010 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का वार्षिक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। एन0एच0आर0सी0 के अधिकारियों तथा स्टॉफ ने वाद–विवाद, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तथा निबंध प्रतियोगिता के साथ–साथ हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार के लिए इस अवसर पर आयोजित किए गए अन्य कार्यक्रमों में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया।

>- LFkkiuk fnol lekjkg

12-13 दिनांक 12 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपने सत्रह वर्ष पूरे किए। स्थापना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में अपराह्न में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में 'भारत में प्रसवपूर्व लिंग चयन : मुद्दे, चिंताएं तथा कार्रवाईयां' विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके बाद फिक्की गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम में शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में एन0एच0आर0सी0 के अधिकारियों तथा कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों, बवाना के एस0ओ0एस0 गांव के बच्चों तथा अन्य कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायविद श्री के0जी0 बालाकृष्णन, कार्यक्रम के अध्यक्ष थे।

12-14 दिन भर के समारोह के दौरान न्यायविद के0जी0 बालकृष्न ने अखिल भारतीय रेडियो तथा दूरदर्शन के नेशलन नेटवर्क पर एक संदेश जारी किया। एन0एच0आर0सी0 के सदस्य श्री पी0सी0 शर्मा तथा एन0एच0आर0सी0 के रजिस्ट्रार (विधि) ने दूरदर्शन तथा अखिल भारतीय रेडियो पर विभिन्न विशेष कार्यक्रमों में भी भाग लिया। इसके अलावा, आयोग ने मानव अधिकार दिवस पर मोबाईल फोन नेटवर्क के द्वारा भी छोटे–छोटे संदेश परिचालित किए।

M½ ekuo vfèkdkj fnol lekjkg

12-15 आयोग ने दिनांक 10 दिसम्बर 2010 को तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मानव अधिकार दिवस मनाया। इस मौके पर श्रीमती मीरा कुमार, स्पीकर, लोकसभा मुख्य अतिथि थीं।

12-16 इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा की स्पीकर तथा मुख्य अतिथि श्रीमती मीरा कुमार ने कहा कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकृत होने के साथ ही मानव अधिकारों ने एक वैश्विक आयाम प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ–साथ मानव अधिकारों का दायरा बढ़ा है। मानव अधिकार तथा लोकतंत्र एक–दूसरे से निकट रूप से जुड़े हुए हैं। यदि लोकतंत्र में धर्म, नृजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के

होते हुए, सभी नागरिकों को उनके मानव अधिकार सुनिश्चित नहीं हो पाते हैं तो लोकतंत्र अर्थहीन है। लोकसभा के स्पीकर ने लोगों के मानव अधिकारों के संवर्धन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने सिर पर मैला ढोने, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम तथा महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के उन्मूलन में आयोग द्वारा की गई पहलों की भी प्रशंसा की और कहा कि इनके दूरगामी परिणाम होंगे।

12-17 इस अवसर पर बोलते हुए न्यायविद श्री के0जी0 बालकृष्णन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कहा कि एक प्रतिक्रियाशील एवं मानवोचित शासन सुनिश्चित करने के लिए आयोग की भूमिका एक उत्प्रेरक एवं सुकारक की होती है। आयोग इस दिशा में अनवरत कार्य कर रहा है। मानव अधिकार संरक्षक जिन्हें इस वर्ष का मानव अधिकार दिवस समर्पित किया गया है, की भूमिका का हवाला देते हुए न्यायविद श्री बालाकृष्णन ने कहा कि यह आयोग का प्रयास है कि वह विशेषरूप से पिछड़े क्षेत्रों में केवल सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर ही नहीं बल्कि लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों पर भी ध्यान केन्द्रित करे। उन्होंने इंगित किया कि मानव अधिकार संरक्षकों की चिन्ताओं तथा अन्य लोगों के मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में उन्हें न्याय दिलवाने के कार्य में उनके जोखिम को देखते हुए आयोग ने एक केन्द्र बिन्दु स्थापित किया है जिस तक उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई को सुलभ बनाने के लिए किसी भी समय पहुंचा जा सके। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने आयोग की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव मि0 बन की मून का मानव अधिकार दिवस संदेश भी पढ़ा गया। आयोग के भूतपूर्व सदस्यों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों तथा सिविल समाज के सदस्यों सहित कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में उपस्थित हुए।

12-18 इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्ष 2011 के वाद तथा डेस्क कलैंडरों के साथ–साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंग्रेजी (खंड सं0 9, 2010) तथा हिन्दी (नई दिशाएं, खंड सं0 7, 2010) में मासिक समाचार पत्र भी जारी किए गए। दोनों कलैंडरों का विषय विविध अधिकारों अर्थात सिविल एवं राजनीतिक के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर आधारित था। इसके अतिरिक्त, मुख्य अतिथि ने 'पुलिस कार्मिकों के लिए विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर दिशानिर्देश' (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) तथा 'पुलिस कार्मिकों के लिए मानव अधिकार विषय पर ऑन लाईन प्रशिक्षण – उपनिरीक्षक तथा कांस्टेबल के लिए मूल पाठ्यक्रम' शीर्षक की दो पुस्तिकाएं भी जारी कीं। अपने अधिकारों को जाने श्रृंखला के 'बंधुआ मजदूरी', 'निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार' के संशोधित संस्करण तथा 'संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संरक्षक घोषणा' विषय पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में एक पुस्तिका भी जारी की गई।

d- vrj fo'ofo|ky; okn&fookn ifr;kfxrk

12-19 दिनांक 10 दिसम्बर 2010 को मानव अधिकार दिवस के महत्व को समझाने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा यूनीवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एण्ड लीगल स्टडीज़, गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनीवर्सिटी, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 9 मार्च 2011 को एक अंतर विश्वविद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस उद्देश्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच मानव अधिकारों के संबंध में जागरुकता का सृजन करना था। वाद–विवाद प्रतियोगिता का विषय था ''सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अति उपयोग तथा दुरुपयोग ने नागरिकों के सूचना प्राप्त करने संबंधी अधिकार का एक अहस्तांतरणीय मानव अधिकार के रूप में यथोचित प्रवर्तन निष्फल कर दिया है''। भारत के विभिन्न विधि स्कूलों/विधि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने अंतर विश्वविद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता मे जीत हासिल की।

,y- vkrj vèkl&lSfud cy okn&fookn izfr;ksfxrk

12-20 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के सहयोग से स्कोप कॉम्पलेक्स, स्कोप कन्वेंशन सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली में दिनांक 16 नवम्बर 2010 को हिन्दी एवं अंगेजी भाषा में एक अंतर केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल अखिल भारतीय वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। वाद–विवाद प्रतियोगिता का विषय था ''सुरक्षा बलों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विषयों के साथ समझौता किए बिना मानव अधिकारों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए''।

12-21 हिन्दी में हुई वाद–विवाद प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार श्री ओम प्रकाश, कांस्टेबल, सीमा सुरक्षा बल को तथा अंग्रेजी में हुई वाद–विवाद प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार श्री अविनाश कुमार, सहायक कमाडेंट को दिया गया। हिन्दी भाषा में दूसरा पुरस्कार श्री पूरन सिंह, कांस्टेबल, असम राईफल्स को दिया गया तथा अंग्रेजी में दूसरा पुरस्कार श्री बी0 मुरुगन, कांस्टेबल, सीमा सुरक्षा बल को दिया गया। हिन्दी भाषा में तीसरा पुरस्कार श्री एस0के0 मलिक, डिप्टी कमांडेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद को दिया गया तथा अंग्रेजी भाषा में सीमा सुरक्षा बल के असिस्टेंट कमांडेंट श्री सचिन कुमार को तीसरा पुरस्कार दिया गया। बेहतरीन टीम प्रदर्शन के लिए सीमा सुरक्षा बल को ट्रॉफी प्रदान

> तीन सदस्यों की ज्यूरी जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री के0जी0 बालाकृष्णन जी थे तथा दि वीक पत्रिका के स्थानीय संपादक श्री के0एस0 सच्चिदानन्द मूर्ति तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो भूतपूर्व महानिदेशक श्री एन0सी0 जोशी, सदस्य थे ने विजेताओं का चयन किया था।

12-22 वाद–विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई देते हुए न्यायविद श्री के0जी0 बालाकृष्णन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अटल एवं सतत रूप से चलती रहेगी। आज हिंसा और आतंकवाद के बढ़ते हुए परिदृश्य में व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में सुरक्षा बलों की भूमिका बहुत ही चुनौतीपूर्ण है।

12-23 न्यायमूर्ति श्री बालाकृष्णन ने कहा कि यह याद रखना चाहिए कि आंतकवाद–विरोधी उपायों का बुनियादी तर्काधार, मानव अधिकारों तथा लोकतंत्र की सुरक्षा होना चाहिए। इसलिए, आतंकवाद–रोधी उपायों में लोकतांत्रिक मूल्यों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, मानव अधिकारों का या विधि के कानून का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दायित्वों तथा विधि के कानून के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को लड़ा जाना चाहिए। यदि आतंकवाद से लड़ने की प्रक्रिया में मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यह लड़ाई निष्फल हो जाएगी।

12-24 इससे पहले, प्रतिभागियों तथा अतिथियों का स्वागत करते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक श्री आर0के0 भाटिया ने कहा कि यह वाद–विवाद प्रतियोगिता केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों को मानव अधिकारों के प्रति सुग्राही बनाने में सहायक होगी।

12-25 अंत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महानिदेशक (अन्वेषण) श्री सुनील कृष्णा ने प्रतिभागियों द्वारा दिए गए सुझावों की सराहना की तथा विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज्यूरी तथा आई0टी0बी0पी0 को भी धन्यवाद दिया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्ष 1996 से इस वाद–विवाद प्रतियोगिता का हिन्दी एवं अंग्रेजी में आयोजन करता आ रहा है। शुरुआत में वाद–विवाद प्रतियोगिता को आठ जोनल स्तर पर आयोजित किया गया तथा सेमिफाईनल तथा फाईनल राउंड्स नई दिल्ली में आयोजित किए गए। सेमिफाईनल तथा फाईनल राउंड आयोजित करने की जिम्मेदारी रोटेशन आधार पर अर्ध सैनिक बलों को दी गई। इस वर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के तत्वावधान में वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने की जिम्मेदारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी गई थी।

****

अध्याय - 13

ekuo vf/kdkj leFkd

13-1 'मानव अधिकार समर्थक' वाक्य का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जो व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य लोगों के साथ मिलकर मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण को कार्य करते हैं। सार्वभौमिक रूप से मान्य अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु व्यक्ति, समूह एवं समाज के अंगों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा (सामान्यतः मानव अधिकार समर्थकों संबंधी घोषणा के रूप में जाना जाता है), मानव अधिकार समर्थकों के विषय में एक मुख्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे 14 वर्षों की संधिवार्ता के बाद दिसम्बर, 1998 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था।

13-2 यह घोषणा विश्व में मानव अधिकार समर्थकों की गतिविधि का संरक्षण करने वाले अंतरराष्ट्रीय मानकों को सुव्यवस्थित करती है। यह घोषणा मानव अधिकार गतिविधि एवं इसकी आवश्यकता तथा जो व्यक्ति इसे करते है, उनके संरक्षण के औचित्य को मान्यता देती है। इस घोषणा के अंतर्गत, मानव अधिकार समर्थक वह व्यक्ति है जो मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु कार्यरत् है। इस व्यापक व्याख्या में व्यावसायिकता के साथ–साथ गैर–व्यवसायिक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता, स्वयंसेवक, पत्रकार, वकील तथा वे सभी व्यक्ति जो मानव अधिकारों से संबंधी गतिविधियाँ, चाहे कभी–कभी ही, करते हैं, सम्मिलित हैं।

13-3 इस घोषणा में विद्यमान अधिकारों का इस प्रकार से उल्लेख किया गया है जो मानव अधिकार समर्थकों की स्थिति के लिए आसानी से प्रयुक्त हो सकते हैं। यह स्पष्ट करता है कि बड़े मानव अधिकार दस्तावेजों, जिसमें अभिव्यक्ति, संगठन एवं सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, को समर्थकों के लिए कैसे प्रयुक्त किया जाए। यह घोषणा मानव अधिकारों के समर्थन हेतु राज्यों के कर्त्तव्यों के साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी को भी विशेष रूप से रेखांकित करती है। मानव अधिकार समर्थकों के लिए भी यह समान रूप से महत्वपूर्ण है कि मानव अधिकार समर्थकों संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अंतर्गत संरक्षण का आह्वान करने के लिए सार्वभौमिकता एवं अहिंसा के दो सिद्धांतों का समर्थन करें।

13-4 अपने स्थापना काल से ही आयोग ने देश में मानव अधिकार दशाओं को सुधारने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी, दोनों ही संगठनों एवं व्यक्तियों के साथ कार्य करने के साथ–साथ मानव अधिकार समर्थकों को सहयोग एवं संरक्षण दिया है। आयोग ने मानव अधिकार समर्थकों संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा को मान्यता एवं अनुपालन किया है तथा देश में मानव अधिकार समर्थकों के लिए रक्षात्मक तंत्र का विकास करने को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। अपनी योजना के एक भाग के रूप में आयोग मानव अधिकार समर्थकों एवं उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु गैर सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज संगठनों; राष्ट्रीय एवं राज्य आयोगों, जिसमें राज्य मानव अधिकार आयोग तथा अन्य प्रमुख कार्यकर्त्ता शामिल हैं, के साथ कार्य करता है।

d- jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;kx e ekuo vf/kdkj leFkdk d fy, Qkdy lokbV

13-5 नई दिल्ली में 12 अक्टूबर, 2009 को आयोग द्वारा आयोजित मानव अधिकार समर्थकों संबंधी कार्यशाला की संस्तुतियों में से एक पर कार्य करते हुए आयोग में मानव अधिकार समर्थकों हेतु एक फोकल प्वाइंट की स्थापना की गई थी जिसका कार्य लोक प्राधिकारियों द्वारा अथवा उनके इशारे पर मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करना है। श्री ए. के. पराशर, संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) द्वारा फोकल प्वाइंट के नामित प्रभारी हैं। मानव अधिकार समर्थकों के लिए चौबीसों घंटे (i) मोबाइल नं0 – 9810298900 (ii) फैक्स नं0 – 23384012 तथा (iii) ई मेल : hrd-nhrc@nic.in के माध्यम से फोकल प्वाइंट सुनिश्चित करता है कि मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न के प्रत्येक मामले पर प्राथमिकता से विचार हो तथा संबद्ध मानव अधिकार समर्थक को भी इस विषय में सूचित किया जाए। मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न की शिकायतों की जानकारी को आयोग की वेबसाइट पर भी दिया गया है।

[k- ekuo vf/kdkj leFkdk lca/kh l;Dr jk"V d fo'k"k liddÙkk u jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;kx dk nkjk fd;kA

13-6 सुश्री मार्गेट सेकाग्गया, संयुक्त राष्ट्र विशेष संपर्ककर्त्ता, मानव अधिकार समर्थक ने 15 जनवरी, 2011 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया, जहां उन्होंने सांविधिक पूर्ण आयोग के सदस्यों तथा इसके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने विशेष अतिथि के रूप में इस चर्चा में भाग लिया। सुश्री मार्गेट सेकाग्गया ने बताया कि वे उन मानव अधिकार समर्थकों की दुर्दशा पर विशेष रूप से चिंतित हैं जो सीमांत व्यक्तियों जैसे, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों, जो अपनी गतिविधियों के कारण विशेष जोखिम एवं बहिष्कार का सामना करते हैं। उन्होंने मानव अधिकार समर्थकों तथा उनके परिवारों, जो मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने में मारे गए, सताए गए, दुर्व्यवहार किया गया, धमकाया गया, मनमाने ढंग से गिरफ्तार एवं कैद किया गया, झूठे आरोप लगाए गए तथा निगरानी रखी जाती है, के विषय में प्राप्त प्रमाणों को रेखांकित किया।

13-7 आयोग ने मानव अधिकार समर्थकों, जो दूसरे व्यक्तियों के मानव अधिकारों के हनन के मामलों पर कार्य करते हुए, अपनी सुरक्षा का खतरा उठाते हैं, के प्रति चिंता व्यक्त की। यह भी बताया गया था कि मानव अधिकार समर्थकों के हितों की रक्षा करने के लिए आयोग द्वारा सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बाद में विशेष संपर्ककर्त्ता ने गैर–सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज के साथ चर्चा की।

x- ekuo vf/kdkj leFkdk l lcf/kr jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;kx nokjk fuiVk, x, ekeyk d mnkgj.k

13-8 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न से संबंधित 69 शिकायतें प्राप्त की। इन 69 मामलों में से 20 मामलों का आयोग द्वारा अंतिम रूप से निपटान किया गया था। आयोग द्वारा की गई कार्रवाई सहित लंबित मामलों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा इसे नियिमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

1. *संतरविदास नगर, (उत्तर प्रदेश) में मानव अधिकार समर्थक के विरूद्ध पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग (मामला सं0 11939/24/73/2010)*

13-9 जो शिकायतकर्त्ता एक मानव अधिकार समर्थक है, ने अपनी दिनांक 1 अप्रैल, 2010 की शिकायत में सूचित किया था कि उसने गोपीगंज पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध आयोग में एक शिकायत की

थी जिसे केस सं0 224/24/73/09–10 के रूप में दर्ज किया गया था। उस मामले में आयोग ने संबद्ध जिला प्राधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया था कि अपर पुलिस अधीक्षक, संत रविदास नगर, (उत्तर प्रदेश) ने उसे बुलाया तथा शिकायत वापस लेने को कहा था। शिकायतकर्त्ता ने यह आरोप भी लगाया कि जब उसने ऐसा करने से मना किया तो अपर पुलिस अधीक्षक, संतरविदास नगर ने उसे धमकाया कि चूंकि जांच प्रक्रियाधीन है, उसके अंगों को तोड़ दिया जाएगा। शिकायतकर्त्ता ने आशंका व्यक्त की कि अपर पुलिस अधीक्षक, संतरविदास नगर उसे झूठे मामले में फंसा सकता है अथवा फर्जी मुठभेड़ में उसे मार सकता है।

13-10 आयोग ने दिनांक 9 अप्रैल, 2010 को शिकायत का संज्ञान लिया। आयोग के निदेशों के अनुपालन में उपमहानिरीक्षक पुलिस, (विन्ध्यांचल रेंज), मिर्जापुर ने रिपोर्ट भेजी जिसमें इन आरोपों से इंकार किया गया था। रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्त्ता को उसकी टिप्पणियां देने हेतु भेजी गई थी। अपनी टिप्पणियों में शिकायतकर्त्ता ने आयोग की टीम अथवा सी बी – सी आई डी द्वारा जांच करवाने की मांग की, क्योंकि उपमहानिरीक्षक पुलिस की रिपोर्ट से वह संतुष्ट नहीं था।

13-11 आयोग ने इस मामले पर 24 मार्च, 2011 को विचार किया तथा निम्नांकित निर्देश दिया :–

> "रिकॉर्ड में दिए गए मामले पर आयोग ने विचार किया तथा यह पाया कि शिकायतकर्त्ता, जो एक मानव अधिकार समर्थक है, को पुलिस द्वारा उत्पीड़ित किया गया प्रतीत होता है क्योंकि वह पुलिस से संबंधित मामलों/शिकायतों पर कार्य कर रहा है। यह भी संगत है कि उसे सुश्री रूचिता चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक, संतरविदास नगर के समक्ष, श्री मंगला प्रसाद चतुर्वेदी, तत्कालीन थाना प्रभारी, गोपीगंज, जिनके विरूद्ध, विनोद कुमार नामक व्यक्ति से 5000/– की रिश्वत लेने के बाद रिहाई करने के लिए विभागीय जांच आरंभ की गई थी, की शिकायत पर, बुलाया गया था। यह मामला शिकायतकर्त्ता श्री नंदलाल शुक्ला ने उठाया था तथा इसे केस संख्या 224/24/73/09–10 के रूप में दर्ज किया गया था, जिसमें दोषी पुलिसकर्मी के विरूद्ध कार्रवाई के अलावा 25,000/– रुपये की वित्तीय राहत की संस्वीकृति की गई थी। पूछताछ में सुश्री रूचिता चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक, भदोही ने पुष्टि की कि शिकायतकर्त्ता के विरूद्ध कुछ भी प्रमाणित करने हेतु रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। अतः यह चिंता का विषय है कि एक मानव अधिकार समर्थक को अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा केवल इसलिए शोषित एवं उत्पीड़ित किया जा रहा है क्योंकि उसने पुलिस कदाचार की कलई खोली। चूंकि उसे अभी भी धमकियां मिल रही हैं। यह उचित होगा कि इस मामले की जांच करने के लिए आयोग की टीम भेजी जाए।
>
> महानिदेशक (अन्वेषण) से अनुरोध किया गया कि वह आयोग की उनकी टीम को तैनात करके इस मामले की जांच करवाएं तथा 6 सप्ताहों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।"

आयोग द्वारा मामले की मॉनीटरिंग की जा रही है।

2. इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश) में मानव अधिकार समर्थक के विरूद्ध पुलिस की कथित निरंकुशता (केस सं0 42087/24/4/2010)

13-12 सुश्री मंजु पाठक, सचिव, जागृति महिला सेवा संस्थान, इलाहाबद ने अपनी दिनांक 8 अक्टूबर, 2010 की शिकायत में यह आरोप लगाया था कि दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शाम को लगभग 6.30 बजे सब्जी मंडी पुलिस चौकी, खुलदाबाद, (इलाहाबाद), उत्तर प्रदेश में तैनात पुलिस कांस्टेबल श्री मेहराज खान द्वारा उसके साथ दुर्व्यहार

किया गया, उसे अपमानित किया गया तथा उसकी पिटाई की गई, क्योंकि उसने कांस्टेबल के विरूद्ध एक महिला पीड़ित की शिकायत को आगे बढ़ाया था। आयोग ने अपनी दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 की कार्यवाही के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, इलाहाबद को चार सप्ताहों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया। अनुस्मारक देने के बावजूद भी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई।

3. गुजरात में मानव अधिकार समर्थक के विरूद्ध पुलिस द्वारा शक्ति का दुरूपयोग (केस सं0 4/6/0/2011)

13-13 उक्त मामले में शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया था कि मानव अधिकार समर्थकों एवं सुश्री तीस्ता सीतलवाड को विशेष रूप से निशाना बनाया गया तथा उनके विरूद्ध "झूठा साक्ष्य" का झूठा आंदोलन चलाया गया।

13-14 आयोग ने दिनांक 12 जनवरी, 2011 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से निर्देश दिया कि इस शिकायत की एक प्रति मुख्य सचिव, गुजरात सरकार को चार सप्ताहों के भीतर इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया। तद्नुसार, आयोग के नोटिस दिनांक 12 जनवरी, 2011 के माध्यम से मुख्य सचिव, गुजरात को शिकायत की एक प्रति भेजी गई थी। अनेक अनुस्मारको के बावजूद भी राज्य सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया।

4. तमिलनाडु के तिरूनलवेली जिले में अभिकथित झूठे आरोपों में पांच मानव अधिकार समर्थकों की गिरफ्तारी (केस सं0 896/22/37/2010)

13-15 आयोग को वर्किंग ग्रुप ह्यूमन राइट्स इंडिया तथा संयुक्त राष्ट्र के संयोजन श्री मिलन कोठारी से 17 अगस्त, 2010 को ई–मेल के माध्यम से एक शिकातय प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप था कि 15 अगस्त, 2010 की रात को तमिलनाडु के तिरूनलवेली जिले में पांच मानव अधिकार समर्थकों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। आयोग के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण प्रमाण से एक टीम को तिरूनलवेली जिले में वीरावनाल्लुर पुलिस स्टेशन में स्थल जांच के लिए तैनात की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस के विरूद्ध लगाए गए आरोप सही थे।

13-16 उनकी रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि रोजलिन नामक एक महिला उप–निरीक्षक की लिखित शिकायत पर वी रावनाल्लुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 170/353/416/506 (प) के अंतर्गत पांच मानव अधिकार समर्थकों के विरूद्ध दिनांक 15 अगस्त, 2010 को एफ आई आर सं0 161/10 दर्ज की गई थी। हालांकि एफ आई आर के अनुसार भारतीय दंड संहिता की सभी चारों धाराओं के अंश लागू नहीं होते थे।

13-17 यह पाया गया था कि मदुरै, तमिलनाडु में पांच मानव अधिकार समर्थक 63 अन्य समर्थकों के साथ वास्तविक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे थे तथा वे तथ्यान्वेषण हेतु फील्ड दौरे पर थे। तमिलनाडु स्थित कार्यक्रम के आयोजक पीपुल्स वाच एण्ड दलित फाउंडेशन द्वारा तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में इसी प्रकार के दौरों के लिए तेरह टीमें भेजी गई थी।

13-18 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम को यह भी पता चला कि पांच आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध लगाए गए आरोप, कि उन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कर्मचारियों के रूप में बताया था, झूठे थे। पांच आरोपी व्यक्तियों द्वारा महिला उप–निरीक्षक रोजलिन पर हमले अथवा किसी प्रकार के प्रहार का कोई सबूत भी नहीं मिला। 19 अगस्त, 2010 के जमानत आदेश में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लिखा कि "जैसा कि एफ आई आर में दिए गए आरोपों से कोई आहत नहीं हुआ था।"

13-19 इसके अलावा पांच प्रशिक्षुओं द्वारा महिला उप–निरीक्षक को ड्यूटी करने से रोकने का आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ था। जांच से यह खुलासा भी हुआ कि पांचों आरोपी व्यक्तियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी। आपराधिक डांट–डपट के आरोप की किसी विश्वसनीय सबूत द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी, पूछताछ, केस के पंजीकरण आदि के संबंध में डायरी प्रविष्टियाँ भी जाली तथा विरोधाभासी थीं।

13-20 इन तथ्यों के आधार पर आयोग की टीम ने पुलिस केस ने विरोधाभासों को स्पष्ट रूप से उजागर किया तथा यह साबित किया कि इन प्रशिक्षुओं को इस मामले में झूठा फंसाया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में दर्ज रिट याचिका तथा उस पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में तमिलनाडु सरकार द्वारा सी बी – सी आई डी से स्वतंत्र जांच करवाने का आदेश दिया गया था जो कि प्रक्रियाधीन है। सी बी –सी आई डी की जांच के परिणामों की प्रतीक्षा है।

****

अध्याय – 14

vUrjjk"Vªh; lg;ksx

d- ,u ,p vkj vkbZ dh ,f'k;k iz'kkar eap dh 15 oha okf"kZd cSBd

14.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एन एच आर आई) की एशिया प्रशांत मंच की 15 वीं वार्षिक बैठक 3–5 अगस्त 2010 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी 17 ए पी एफ सदस्य संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री बालाकृष्णन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में श्री सत्यब्रत पाल, सदस्य तथा श्री के. एस. मणि, महासचिव शामिल थे। 2 अगस्त, 2010 को श्री के. एस. मणि तथा कीरेन फिटज़पैट्रिक, निदेशक, ए पी एफ द्वारा ए पी एफ के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 1,00,000 यू एस डॉलर की सहयोग राशि के विषय में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वार्षिक बैठक में अन्य विषयों के साथ–साथ ए पी एफ की नीतिगत योजना 2011–115 का मसौदा; आई सी सी विश्वसनीयता की समीक्षा तथा सामान्य टिप्पणियां; ए पी एफ सदस्यों के लिए सामान्य चिंता के विषयपरक मामलों पर चर्चा की गई थी।

14-2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री सत्यब्रत पाल तथा महासचिव श्री के. एस. मणि ने बाली में 1–2 अगस्त को आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (ए एन एन आई) संबंधी एशियन एन जी ओ नेटवर्क के सम्मेलन में भी भाग लिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत विषय पर ए एन एन आई रिपोर्ट तथा इसी विषय पर तमिलनाडु स्थित पीपुल्स वाच इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री हेनरी तिफागने द्वारा तैयार किए गए प्रस्तुतिकरण का जवाब देते हुए श्री पाल ने ध्यान दिलाया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के संबंध में ए एन एन आई का वक्तव्य तथ्यात्मक रूप से गलत था। उन्होंने यह भी कहा कि जबकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत नागरिक समाज के साथ चर्चा को महत्व देता है, इस बात की भी आवश्यकता है कि गैर–सरकारी संगठन तथा बड़ी संख्या में नागरिक समाज संगठन भी अपनी विश्वसनीयता स्थापित करें।

[k- ekuo vf/kdkj ifj"kn~

14-3 मानव अधिकार परिषद् द्वारा उठाए गए मानव अधिकारों संबंधी विषयों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत अत्यधिक महत्व देता है। इनमें से अनेक विषय, इनमें दी गई सूचना की प्रमाणिकता का पता लगाने हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को रैफर भी किए गए थे। रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने उत्पादक अधिकारों, अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों, बच्चों के अधिकारों तथा महिलाओं से संबंधित अन्य विषयों संबंधी व्यापक प्रश्नावली का जवाब दिया था।

x- jk"Vªh; ekuo vf/kdkj laLFkkuksa dh vUrjjk"Vªh; leUo; lfefr dh xfrfof/k;ksa esa lgHkkfxrk

14-4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति (आई सी सी) के संस्थापक सदस्यों में से एक है तथा प्रतिवर्ष आई सी

सी की बैठक में भाग लेता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 'ए' स्तर का मान्यता प्राप्त आई सी सी का सदस्य है, जिसे 2006 में पुनः मान्यता दी गई थी तथा मई, 2011 में दोबारा मान्यता दिया जाना है।

14-5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने आई सी सी द्वारा अग्रेषित अनेकों प्रश्नावलियों का उत्तर भी दिया जैसे कि व्यवसाय एवं मानव अधिकार संबंधी आई सी सी वर्किंग ग्रुप हेतु एन एच आर आई से संबंधित बेसलाइन मूल्यांकन सर्वेक्षण प्रश्नावली, व्यवसाय एवं मानव अधिकार संबंधी आई सी सी का द्वैवार्षिक सम्मेलन तथा मसौदा कांसेप्ट पेपर पर इसकी टिप्पणियाँ, ए–स्तर के एन एच आर आई की प्रतिभागिता का आई सी सी सर्वेक्षण तथा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के लिए सहयोग तथा व्यवसाय एवं 2010–2011 हेतु मानव अधिकार संबंधी आई सी सी वर्किंग ग्रुप इसका तंत्र, नीतिगत कार्य योजना पर टिप्पणियाँ तथा कोष नीति।

& jk"Vªh; ekuo vfèkdkj lLFkkuk dh vrjjk"Vªh; leUo; lfefr dk 10 ok }okf"kd lEeyu

14-6 दिनांक 7 से 10 अक्टूबर, 2010 को एडनबर्ग, स्कॉटलैण्ड में आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति के 10 वें द्वैवार्षिक सम्मेलन में एन एच आर सी, भारत के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक उच्च–स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया। सम्मेलन का विषय था 'मानव अधिकार एवं व्यवसायः राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका'।

14-7 द्वैवार्षिक सम्मेलन के दौरान 'एशिया प्रशांत – अवैध मानव व्यापार' संबंधी सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि वैश्वीकरण ने करोड़ों व्यक्तियों को गरीबी से निकाला है, परन्तु आज मानव अधिकारों एवं वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के बीच प्रत्यक्ष तनाव बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण बहु–राष्ट्रीय कंपनियां हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जिनसे व्यवसाय एवं मानव अधिकारों के बीच इस असहज रिश्ते को समझा जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने दिसम्बर, 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस लीक त्रासदी का उदाहरण दिया, जिसने करीब 20 हजार लोगों की जान ले ली थी तथा हजारों अन्य व्यक्तियों को गंभीर हानि पहुंचाई थी। उन्होंने उड़ीसा में एक व्यावासायिक घराने के बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट के विषय में भी बताया जिसने पर्यावरण तथा वहां के स्थानीय लोगों के हितों पर प्रभाव डाला है। उन्होंने काजू की फसल पर एण्डोसल्फान के छिड़काव का भी जिक्र किया, जिसके कारण उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि बढ़ती ठेकेदारी व्यवस्था ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर उदारवादिता के अंतर्गत श्रमिक अधिकारों के समझौते की तरफ अग्रसर किया है। इसके अलावा कई मामलों में कुछ विकास प्रक्रियाएं अनेक उद्योगों में जबरन/बंधुआ मजदूरी की दशाओं का कारण बना है। उन्होंने सस्ती मजदूरी की उपलब्धता हेतु तीसरे विश्व के देशों में आउट सोर्सिंग उत्पादन की बढ़ती प्रवृत्ति तथा माइनिंग, पत्थर घिसने तथा पीसने वाले उद्योगों, जिससे सिलिका को सांस से खींचने के कारण सिलिकोसिस होता है, का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने तथा आस–पास रहने वाले लोगों के मानव अधिकारों के हनन को नजर–अंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का यह मत रहा है कि व्यवस्था में विश्वसनीयता की संस्कृति स्थापित करने में राष्ट्रीस मानव अधिकार संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

¼?k-½ vrjjk"Vªh; cBdk] lxkf"B;k ,o dk;'kkykvk e jk"Vªh; ekuo vfèkdkj vk;kx] Hkkjr dh Hkkxhnkjh

14-8 वर्ष 2010–2011 के दौरान आयोग एवं इसके अधिकारियों ने निम्नलिखित बैठकों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भाग लिया :–

(i) 30 मई, 2010 से 3 जून, 2010 को मालदीव में आयोजित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों एवं अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार व्यवस्था संबंधी उप–क्षेत्रीय कार्यशाला में 5 अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का फोकस अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार व्यवस्था के साथ समझ एवं संलग्नता पर था।

(ii) 22 से 23 नवम्बर, 2010 को बैंकाक, थाइलैण्ड में आयोजित 'अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों एवं नागरिक समाज संगठनों की संलग्नता : एशिया में मानव अधिकारों के संरक्षण को बढ़ाना' संबंधी क्षेत्रीय परामर्श में आयोग के सदस्य एवं उप रजिस्ट्रार (विधि) ने भाग लिया।

(iii) 21 से 26 सितम्बर 2010 को लोमबोक, इंडोनेशिया में आयोजित 'प्रवासी मजदूरों के अधिकार एवं समर्थन संबंधी क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रवासी मजदूरों के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करने के लिए व्यावहारिक नीति का विकास करने में मिलकर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों एवं गैर सरकारी संगठनों/सी एस ओ से आए प्रतिभागियों को सहायता देना था।

(iv) 4–6 नवम्बर, 2010 को यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी के परामात्ता कैम्पस; आस्ट्रेलिया में 'मानव अधिकार, शांति एवं अन्तर–सांस्कृतिक संवाद हेतु शिक्षित करना' विषय पर आयोजित मानव अधिकार शिक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ने भाग लिया।

(v) 13 तथा 14 नवम्बर, 2010 को ढाका, बांग्लादेश में 'मानव अधिकार : अनुभव एवं चुनौतियां' विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अध्यक्ष ने भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से किया था। सम्मेलन में इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, फिलिपीन्स तथा न्यूजीलैण्ड से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(vi) काठमांडू, (नेपाल) में 24 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 2010 को आयोजित "अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून संबंधी 17 वां दक्षिण एशियाई शिक्षण सत्र" में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनुभाग अधिकारी ने भाग लिया।

(vii) काठमांडू, नेपाल में 15 और 16 दिसम्बर, 2010 को "गवाह एवं पीड़ित का संरक्षण" संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के विकास एवं सुदृढ़िकरण की ओर क्षेत्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भाग लिया।

(viii) 9 एवं 10 फरवरी, 2011 को ढाका, बांग्लादेश में "यू पी आर–फोलोअप तथा एशिया एवं यूरोप के लिए क्रियान्वयन" संबंधी राष्ट्रमण्डल क्षेत्रीय सम्मेलन में भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव ने भाग लिया।

(ix) 15 से 18 मार्च, 2011 को वेलिंगटन, न्यूजीलैण्ड में आयोजित "योगयाकार्टा प्रिंसिपल फोरम एण्ड एशिया पैसेफिक आउट गेम्स ह्यूमन राइट्स कांफ्रेंस" में भी संयुक्त सचिव ने भाग लिया।

(x) 28–30 मार्च, 2011 को बैंकॉक, (थाइलैण्ड) में "क्वांटिटेटिव कैथडोलॉजी" संबंधी प्रशिक्षण कार्यशाला में अवर सचिव (समन्वय) ने भाग लिया।

M- vk;kx e: fon'kh ifrfufèk;k d: lkFk fopkj&foe'k

14-11 वर्ष 2010–2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत में निम्नलिखित व्यक्तियों/प्रतिनिधिमंडलों ने दौरा किया :–

(i) 27 अप्रैल, 2010 को अफगानिस्तान सरकार के वुमेन्स अफैयर्स मंत्रालय के अधिकारियों वाले 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का दौरा किया तथा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों

के साथ विचार–विमर्श किया। भारत में उनके दौरे का उद्देश्य देश में उन बेहतर प्रणालियों की जानकारी प्राप्त करना था जो समाज–राजनैतिक तथा विधिक आधार हैं।

(ii) 11 मई, 2010 को दक्षिण एशियाई, एमनेस्टी इंटरनेश्नल के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आयोग का दौरा किया तथा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ मुलाकात की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नियमगिरी हिल्स में बाक्साइट माइन खोलने तथा दक्षिण–पश्चिम उड़ीसा में लांजीगढ़ के नजदीक विद्यमान एलूमीनियम रिफाइनरी, जिसके कारण मानव अधिकारों का हनन तथा पर्यावरण को हानि हो रही है, के संचालन को बढ़ाने के लिए यू. के. स्थित वेदांता रिसोर्सेस सब्सीडरी कंपनी के संबंध में "डोन्ट माइन असआउट ऑफ एग्जिस्टेंस : बॉक्साइट माइन एण्ड रिफाइनरी डिवास्टे्सलाइवस इन इंडिया" रिपोर्ट तैयार की थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में उनकी बैठक का उद्देश्य अपनी रिपोर्ट के अंशो पर चर्चा करना था।

(iii) राष्ट्रमंडल सचिवालय की उपमहासचिव श्रीमती मासरी एम वाम्बा ने 5 अक्टूबर, 2010 को आयोग का दौरा किया तथा आयोग के अध्यक्ष के साथ मुलाकात की। बैठक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संस्थानों के राष्ट्रमंडल फोरम, भारत के लिए सार्वभौम आवधिक समीक्षा तथा अशक्त व्यक्तियों के अधिकार विषय पर चर्चा की गई।

(iv) 21 दिसम्बर, 2010 को आयोग में यूनाइटेड नेशन्स इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन मानॉरिटी इश्यूज़ की सुश्री गेमेक डोगल ने दौरा किया तथा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भेंट की। उनके दौरे का उद्देश्य आयोग द्वारा अनुसरण की जा रही बेहतर प्रणाली के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना था।

(v) श्री जॉन वाघम, लीगल ग्रुप डायरेक्टर, इक्वेलिटी एण्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन, यू. के. तथा श्री इयान ट्विग, सेकेन्ड सेक्रेटरी, पाॅलिटिकल एण्ड बाइलेटरल अफेयर, ब्रिटिश हाई कमीशन, नई दिल्ली ने 11 फरवरी, 2011 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया। उन्होंने आयोग के कार्यों, शिकायत निपटान प्रणाली, शिकायतों पर जांच प्रक्रिया, हिरासतीय मौतों से संबंधित मामलों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था, आयोग की स्वायत्तता एवं संबंधित विषयों पर विधि अनुभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की।

(vi) डॉ0 मेट एज़ाबो, पार्लियामेंटरी कमीशनर फॉर सिविल राइट्स इन हंगेरियन नेशनल पार्लियामेंट ने 22 मार्च, 2011 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया तथा सदस्य न्यायमूर्ति श्री बी. सी. पटेल के साथ भेंट की। डॉ0 एज़ाबो ने आयोग की संरचना तथा कार्यों की सराहना की।

****

अध्याय - 15

राज्य मानव अधिकार आयोग

15-1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, यथासंशोधित 2006 की धारा 21, सभी राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों (एस एच आर सी) के गठन का अनुबंध करती है। सभी राज्यों में मानव अधिकार आयोग के निर्माण से निश्चित रूप से मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण एवं संवर्द्धन करने में सहायता मिलेगी। यह अब एक स्वीकार्य प्रस्ताव है कि सुशासन एवं मानव अधिकार साथ–साथ चलते हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान दो राज्यों झारखंड एवं सिक्किम में एस एच आर सी का गठन किया गया था, इस प्रकार देश में कुल 20 एस एच आर हो गए हैं। वे 18 राज्य जिनमें पहले से ही एस एच आर सी हैं – आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग में केवल सचिव हैं, वहां कोई अध्यक्ष एवं सदस्य नहीं हैं।

15-2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इच्छा है कि देश के प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन हो ताकि उसके निवासियों को आसानी से मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण एवं न्याय उपलब्ध हो। आयोग ने मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण एवं संवर्द्धन के हित में शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए अब तक एस एच आर सी का गठन नहीं करने वाले सभी राज्यों से एक बार फिर गंभारतापूर्वक अपील की है। इसके अलावा आयोग निरंतर सभी एस एच आर सी के साथ संपर्क में है तथा उन्हें जब कभी सहयोग की अपेक्षा होती है, उन्हें तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।

15-3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एस एच आर सी एवं उन राज्यों के नोडल अधिकारियों, जहां अब तक एस एच आर सी का गठन नहीं हुआ है, की एक बैठक 17 अगस्त, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में चर्चा किए गए विषयों में एस एच आर सी की वित्तीय, क्रियात्मक एवं प्रशासनिक स्वायत्तया; एस एच आर सी द्वारा शिकायत निपटान – स्टाफिंग संरचना; मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एन एच आर सी से वित्तीय सहायता; संगोष्ठियां एवं कार्यशालाएं; राज्यों में आयोग की बैठकें; पी एच आर ए के संशोधन; शिकायत निपटान प्रणाली (सी एम एस) तथा जिला मानव अधिकार न्यायालयों का सुदृढ़िकरण शामिल हैं।

15-4 इस बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था, जो एस एच आर सी की आधारभूत संरचना, न्यूनतम मानव शक्ति एवं वित्तीय आवश्यकताओं को व्यक्त करने वाले विषयों पर विचार करें ताकि वे पी एच आर ए के अंतर्गत दिए गए अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम हो पाएं। इसके अलावा यह राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा शिकायतों के निपटान हेतु दिशा–निर्देश विकसित करेगी। तद्नुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री जी. पी. माथुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति के अन्य सदस्य हैं कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सुब्रय रामानायक तथा बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एस.एन. झा। समिति के समन्वयक हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव (का0 एवं प्रशा0) श्री जे. पी. मीणा।

अध्याय – 16

vU; lajpuk,a

d- fo'k"k lidkdÙkk

16-1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सौंपी गई जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए विशेष संपर्ककर्त्ता की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान भी यह व्यवस्था थी। ये ऐसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो महानिदेशक/सचिवों के रूप में अथवा मानव अधिकारों से संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवा प्रदान कर चुके होते हैं। इन्हें या तो विशिष्ट विषयों जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, हिरासतीय न्याय, अशक्तता आदि का कार्य सौंपा जाता है अथवा मानव अधिकारों एवं इनके हनन के विषयों संबंधी कार्य करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल कर जोन का कार्य सौंपा जाता है।

16-2 रिपोर्ट की अवधि के दौरान डॉ0 एल. डी. मिश्रा ने बंधुआ मजदूरी एवं बाल मजदूरी की दशाओं की समीक्षा करने के लिए गुजरात में अहमदाबाद तथा मेहसाना का दौरा किया। उन्होंने जुलाई, 2010 में वाराणसी (उ0 प्र0) में मानसिक अस्पताल, 19 एवं 20 जुलाई, 2010 को हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान; 26–29 जुलाई तथा 29–30 नवम्बर, 2010 को कटक (उड़ीसा) में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, एस सी बी मेडिकल कॉलेज; 13 अगस्त, 2011 को दिल्ली में मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान; 26 नवम्बर, 2010 को कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में मानसिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार संसाधन केन्द्र; 6–9 दिसम्बर, 2011 को गोवा में मनोचिकित्सा एवं मानव व्यवहार संस्थान; 29 जनवरी से 1 फरवरी 2011 को ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में मानसिक आरोग्यशाला तथा 24–26 फरवरी, 2011 को रांची में तंत्रिका–मनोरोग एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान का भी दौरा किया।

16-3 इसी प्रकार अशक्तता संबंधी विशेष संपर्ककर्त्ता श्री पी. के. पिंचा ने अशक्ततता अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए नवम्बर और दिसम्बर, 2010 में मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु का दौरा किया। आयोग के अन्य विशेष संपर्ककर्त्ता श्री एस. के. तिवारी ने समग्र बाल विकास सेवा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए 21 फरवरी से 1 मार्च, 2011 को गोरखपुर, उ0 प्र0 का दौरा किया। उनके उक्त दौरों की रिपोर्ट राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट ('रिपोर्ट एण्ड मिनट्स' शीर्षक के अंतर्गत www.nhrc.nic.in) पर देखी जा सकती है।

[k- dkj ,o fo'k"kK leg

16-4 कोर एवं विशेषज्ञ समूहों में विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो स्वेच्छा से, अनैतनिक रूप से, इन समूहों के सदस्यों के रूप में सेवा करने के लिए तैयार होते हैं। ये समूह आयोग को विशेषज्ञ राय देते हैं। आयोग में गठित कुछ महत्वपूर्ण कोर एवं विशेषज्ञ समूह इस प्रकार हैं :–

- स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह
- अशक्तता संबंधी कोर समूह

- गैर सरकारी संगठनों संबंधी कोर समूह
- विधिक संबंधी कोर समूह
- भोजन का अधिकार संबंधी कोर समूह
- वृद्धजनों के अधिकारों संबंधी कोर समूह
- आपातकालीन चिकित्सा देखरेख संबंधी कोर समूह
- शरणार्थियों संबंधी कोर समूह
- सिलिकोसिस संबंधी कोर समूह
- असुरक्षित दवाएं एवं चिकित्सा उपकरण संबंधी विशेषज्ञ समूह

16-5 उक्त कोर एवं विशेषज्ञ समूहों में से कुछ की बैठकों का विवरण संबंधित मानव अधिकार विषयों वाले शीर्षकों में वार्षिक रिपोर्ट के पूर्ववर्ती अध्यायों में दिया गया है।

x- xj&l jdkjh lxBu

16-6 पी एच आर ए 1993 यथा संशोधित 2006 की धारा 12 (i) के अनुपालन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने स्थापना काल से मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों तथा नागरिक समाज संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देता आ रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रम सहित अनेक परियोजनाओं पर कार्य किया। आयोग का मत है कि मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य को आयोग, गैर सरकारी संगठनों तथा नागरिक समाज संगठनों के बीच नजदीक सहयोग के बिना बल नहीं मिल सकता। आयोग उन्हें अपना मित्र तथा ईमानदार आलोचक मानता है। यह आयोग तथा गैर सरकारी संगठनों को एक दूसरे के विचारों को बेहतर तरीके से समझने तथा देश में मानव अधिकारों को आगे ले जाने में एक साथ कार्य करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। आयोग द्वारा नियुक्त विशेष संपर्ककर्त्ताओं के साथ–साथ गैर सरकारी संगठन भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को एक उच्च दृष्टि एवं बेहतर जन सराहना देने के लिए इसके प्रयासों को "बहुविध प्रभाव" प्रदान करते हैं।

16-7 आयोग ने गैर सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज संगठनों के साथ अपने संपर्क को आगे बढ़ाने की दिशा में जुलाई 2001 में गैर सरकारी संगठनों के कोर समूह का गठन किया। इस कोर समूह का अक्टूबर, 2006 में पुनर्गठन किया गया तथा बाद में इसमें नवम्बर, 2006 अगस्त, 2008 तथा सितम्बर, 2008 में दो बार कुछ और सदस्यों को शामिल किया गया। कोर समूह के सदस्य उन गैर सरकारी संगठनों तथा नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं जो मानव अधिकारों के क्षेत्र में मुख्य रूप से कार्यरत् हैं।

16-8 रिपोर्ट लिखने के वर्ष के दौरान आयोग में 20 मई, 2010 और 26 नवम्बर, 2011 को गैर सरकारी संगठनों के कोर समूह की दो बैठकें हुई थी। इन दोनों बैठकों में कोर समूह के सदस्यों ने दोनों के बीच सहयोग एवं सामंजस्य को सुधारने तथा चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए सुझाव दिए, जिन्हें आयोग द्वारा स्वीकार किया गया था।

16-9 गैर सरकारी संगठनों के कोर समूह द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर रिपोर्ट लिखने की अवधि के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित कुछ कदम उठाए गए थे :–

(i) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को भारत के लिए मानव अधिकार समर्थकों के संबंध में यू एन विशेष संपर्ककर्त्ता के दौरे को सुगम बनाने हेतु पत्र लिखा। तद्नुसार, मानव अधिकार समर्थकों संबंधी यू एन विशेष संपर्ककर्त्ता ने जनवरी, 2011 को भारत का दौरा किया।

(ii) आयोग ने मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वाइंट का गठन किया जो चौबीस घंटे सुलभ होता है।

(iii) आयोग द्वारा आयोजित सभी सम्मेलनों/संगोष्ठियों की संस्तुतियों को गैर सरकारी संगठनों के कोर समूह के साथ साझा किया गया था।

(iv) आयोग ने मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में विद्यमान दिशा–निर्देशों की समीक्षा की तथा इनको संशोधित किया।

(v) गैर सरकारी संगठनों के कोर समूह के सदस्यों को महत्वपूर्ण मानव अधिकार विषयों पर उनके सुझाव/राय देने के लिए आग्रह किया गया था।

****

अध्याय – 17

i`'kklu ,oa lHkkj r=

d- LVkQ

17-1 31 मार्च, 2011 तक आयोग में विभिन्न श्रेणियों को शामिल कर कुल 343 कर्मचारियों की कुल स्वीकृत क्षमता के विपरीत 302 व्यक्ति आयोग में पदासीन थे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पिछले वर्षों में अपना स्वयं का कैडर विकसित करने एवं बनाने के लिए कर्मचारियों के चयन हेतु विभिन्न तरीके अपनाए हैं। इन तरीकों में सीधी भर्ती, पुनः नियोजन, प्रतिनियुक्ति तथा अनुबंधात्मक नियुक्तियां शामिल हैं।

[k- jktHkk"kk dk iz;ksx

17-2 आयोग के राजभाषा अनुभाग को मासिक न्यूज़ लेटर, वार्षिक रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट, बजट दस्तावेजों, आर टी आई आवेदनों के साथ–साथ आयोग द्वारा प्रकाशित बुकलेट तथा आयोग में परिचालित अन्य दैनिक परिपत्रों, नोटिसों आदि के अनुवाद का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा आयोग का हिंदी अनुभाग, राजभाषा हिंदी के माध्यम से मानव अधिकारों की जागरूकता हेतु अनेक अन्य कार्य भी करता है।

x- jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx dh ykbczsjh

17-3 आयोग की लाइब्रेरी की स्थापना वर्ष 1994 में मुख्य रूप से अनुसंधान एवं संदर्भ के उद्देश्य से आयोग के सदस्यों, अधिकारियों एवं स्टॉफ हेतु की गई थी। समय बीतने के साथ आयोग ने अपनी लाइब्रेरी को कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग से डॉक्यूमेंटेशन सेन्टर बना कर योग्य बनाया है। पाठकों के उपयोग हेतु इंटरनेट/इंटरानेट पर पुस्तकों/दस्तावेजों का डाटाबेस उपलब्ध है। वर्तमान में इसका प्रयोग अंतःशिक्षुओं, विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों तथा मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत् अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है।

17-4 लाइब्रेरी में करीब 20,000 पुस्तकें/पत्रिकाओं के अंक हैं। इसमें 307 सी डी/डी बी डी/कैसेट का भी संग्रह है। यह भारतीय एवं विदेशी भाषा के 51 पत्रिकाओं, 102 श्रृंखला प्रकाशनों, 30 पत्रिकाओं तथा 23 राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों का ग्राहक है। इस प्रकार इसमें मानव अधिकारों एवं संबंद्ध विषयों के व्यापक श्रेणी को कवर करने वाली पुस्तकों एवं दस्तावेजों का विशाल संग्रह है।

17-5 वर्ष 2010–11 के दौरान लाइब्रेरी के संग्रह में मानव अधिकार संबंधी 1402 पुस्तकों को संग्रहित किया गया था। पुस्तकों के नए संग्रह में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है जैसे मानव अधिकार, महिलाओं एंव बच्चों के अधिकार, बंधुआ मजदूरी तथा बाल मजदूरी, आतंकवाद, अत्याचार, उत्पादक अधिकार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, गरीबी, विस्थापित व्यक्ति एवं उनका पुनर्वास तथा अन्य संबद्ध विषय।

17-6 लाइब्रेरी में एस सी सी ऑनलाइन (सर्वोच्च न्यायालय केस) फाइंडर सी डी रोम, ए आई आर सर्वोच्च न्यायालय केस (1950–2010); ए आई आर इंफोटेक ए आई आर उच्च न्यायालय केस (1950–2010); ए आई आर

प्राइवी काउंसिल (1914–1950), दाण्डिक कानून जर्नल (1950–2010) तथा एन आई सी, नई दिल्ली द्वारा विकसित लाइब्रेरी प्रबंधन व्यवस्था साफ्टवेयर पैकेज (ई–ग्रन्थालय) भी उपलब्ध हैं।

17-7 लाइब्रेरी में उपलब्ध किसी भी पुस्तक/दस्तावेज की उपलब्धता एवं स्थान का लेखक, शीर्षक, विषय, मुख्य शब्द एवं प्रकाशक जैसे किसी प्वाइंट के माध्यम से शीघ्रता से पता लगाने के लिए ओ पी ए सी विशेष रूप से तैयार किया गया था।

17-8 आयोग की लाइब्रेरी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी तथा डेलनेट (डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्किंग, नई दिल्ली) की संस्थागत सदस्य है, जो लाइब्रेरियों के बीच स्रोत को साझा करने को प्रोत्साहित करता है। यह लाइब्रेरी इन्टर लाइब्रेरी लोन सुविधा के माध्यम से अन्य लाइब्रेरियों के साथ निकट संपर्क भी बनाए रखती है ताकि पुस्तकों/दस्तावेजों तथा पत्रिकाओं को प्राप्त कर सकें एवं उधार ले सके।

17-9 लाइब्रेरी में प्राप्त जर्नल से लेखों के "करंट कंटेंट्स" नाम से वर्ष 2007–2008 में एक नई इंडेक्सिंग सेवा प्रारंभ की गई थी। इसके डाटा को डी ओ सी एल आई बी नाम के साफ्टवेयर में डाला गया था। लेखें की सामग्री में प्रयुक्त व्यापक विषय के शीर्षकों एवं मुख्य शब्द के अंतर्गत लेखों को व्यवस्थित किया गया है तथा लेखक एवं शीर्षक का पता लगाना भी उपलब्ध है। यह सामाजिक विज्ञान एवं मानव अधिकारों के संबद्ध शैक्षिक नियमों में प्रकाशित होने वाले बढ़ते साहित्य के संबंध में जानकारी देने में सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा शोधकर्त्ताओं को सहायता प्रदान करता है।

17-10 हाल ही में बाइबलियोग्राफिक सेवा भी प्रारंभ की गई थी जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं/दस्तावेजों, केन्द्र/राज्य विधायनों, न्यायिक मामलों (सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मामले एवं दिशा निर्देश, पुस्तकों एंव विषय से संबंधित लेखों को शामिल किया गया था। आयोग के वेब पेज में पाठकों के लिए संबंधित लिंक सहित बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, अशक्तता एवं मानसिक स्वास्थ्य, किशोर अपराध, प्रवासी मजदूरी, सिर पर मैला ढोने, वृद्ध/वृद्धावस्था/वृद्धजन; जेल/कैदी, शरणार्थियों, उत्पादक अधिकार, भोजन का अधिकार, विकास का अधिकार, आतंकवाद, अतयाचार, महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार तथा मानव अंगों का प्रत्यारोपण संबंधी बाइबलियोग्राफी तैयार कर जारी की गई थी।

?k- lpuk dk vf/kdkj

17-11 वर्ष, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपना आर टी आई यूनिट स्थापित किया है। आयोग के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, इसके जन सूचना अधिकारी हैं तथा संयुक्त सचिव (का0 एवं प्रशा0) अपीलीय प्राधिकारी हैं।

17-12 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक के वर्ष के दौरान आर टी आई के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों का विवरण नीचे दिया गया है :–

1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	2097
2.	30 दिनों के भीतर निपटाए गए आवेदनों की संख्या	2097
3.	लंबित परन्तु एक माह के बाद निपटाए गए आवेदनों की संख्या	–
4.	लंबित परन्तु एक माह के भीतर निपटाए गए आवेदनों की संख्या	–
5.	अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को हस्तांतरित आवेदनों की संख्या	152

Ikgyh vihyk dk fooj.k

1.	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अपीलों की संख्या	71
2.	एक माह के भीतर निपटाई गई इन अपीलों की संख्या	71
3.	लंबित अपीलों की संख्या	–

Lkh vkbZ lh ds ikl nwljh vihyk dk fooj.k

1.	सी आई सी से प्राप्त नोटिसों की संख्या	22
2.	सी पी आई ओ/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा	22
	की गई सुनवाइयों की संख्या	
3.	उन सुनवाइयों की संख्या जिनमें सी सी आई	22
	को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई	
4.	उन सुनवाइयों की संख्या जिनमें सी सी आई	शून्य
	को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई	

17-13 वर्ष 2010–2011 के दौरान आयोग ने आर टी आई आवेदनों के लिए पंजीकरण हेतु 8020/– रुपये तथा आवेदकों को दस्तावेज मुहैया करवाने के लिए फोटोप्रतियों हेतु 2,612.00 रुपये प्राप्त किए गए।

****

अध्याय - 18

egRoi.k lLrfr;k ,o fVIif.k;k dk lkj

18.1 वर्ष 2010–2011 के दौरान आयोग ने अपना ध्यान नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर केन्द्रित रखा था। उदाहरण के लिए आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ नागरिक स्वतंत्रता के विषयों, जिनमें आतंकवाद एवं उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मानव अधिकारों का संरक्षण शामिल हैं; हिरासतीय हिंसा तथा उत्पीड़न जिसमें हिरासत एवं मुठभेड़ में हुई मौतें तथा जेलों में दशाएं शामिल हैं, के व्यापक विषयों पर कार्य किया। आयोग ने अन्य विषयों में भी कार्य किया जैसे स्वास्थ्य का अधिकार; भोजन का अधिकार; शिक्षा का अधिकार; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के अधिकार; महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार; वृद्धजनों के अधिकार, पर्यावरण का अधिकार; लोगों के बीच मानव अधिकार जागरूकता एवं जानकारी का प्रसार तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त आयोग ने मानव अधिकार समर्थकों के मामलों पर कार्य किया ताकि उनके सरक्षण से संबंधित आयोग को भेजी गई शिकायतों पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। (पैरा 1.6)

18-2 पी एच आर ए का स्वरूप आयोग एवं केन्द्र तथा राज्यों की सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के मजबूत आपसी व्यवहार पर आधारित है। अतः सभी संबंधितों की 'एक सोच' यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि देश में मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण हो रहा है। आयोग का मिशन है कि इस वार्षिक रिपोर्ट को भारत के लोगों को समर्पित करे तथा इसे पी एच आर ए की धारा 20 (2) के अनुसार केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को संसद के प्रत्येक हाउस तथा संबद्ध विधान सभाओं के समक्ष प्रस्तुत करें। (पैरा 1.7)

18-3 पूर्व की भांति आयोग ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में मानव अधिकारों के हनन संबंधी शिकायतें प्राप्त की इन शिकायतों में शामिल हैं – कथित हिरासतीय मौतों, उत्पीड़न, फर्जी मुठभेड़, पुलिस की निरंकुशता, सुरक्षा बलों द्वारा मानव अधिकारों का हनन, जेलों से संबंधित दशाएं, महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों पर किए गए अत्याचार, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, लोग प्राधिकारियों द्वारा लापरवाही आदि। आयोग ने प्रिंट एंव इलैक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टों के साथ–साथ इसके अध्यक्ष, सदस्यों एवं विशेष संपर्ककर्त्ताओं द्वारा किए गए दौरों की रिपोर्टों के आधार पर मानव अधिकार हनन संबंधी अनेक घटनाओं पर स्वतः संज्ञान भी लिया। (पैरा 2.6)

Ekkuo vfèkdkjk d guu d ekey

18-4 1 अप्रैल, 2010 को आयोग के समक्ष कुल 14,580 मामले लंबित थे (अनुलग्नक–1)। 2010–2011 के दौरान आयोग में 84,605 मामले दर्ज किए गए थे (अनुलग्नक – 2)। आयेाग ने इनमें से 87,568 मामले निपटा लिए थे। कुल 9,254 मामलों को पी एच आर ए के उपबंधों के अनुरूप निपटान हेतु राज्य मानव अधिकार आयोगों को हस्तांतरित किया गया था। वर्ष 2010–2011 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए कुल (87568) मामलों में से 54,676 को 'प्रारंभ में' खारिज किया गया था जबकि 15,813 मामलों को उपचारी उपायों हेतु संबद्ध प्राधिकारियों को निर्देश सहित निपटान किया गया था। वर्ष 2010–2011 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक –3 में दर्शाया गया है। रिपोर्ट लिखने की अंतिम अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2011 तक आयोग

के पास कुल 11,617 मामले लंबित थे, जिसमें प्रारंभिक विचारण के लिए प्रतीक्षारत् 1856 मामले थे तथा 9761 ऐसे मामले थे जिनमें संबद्ध प्राधिकारियों से या तो रिपोर्टें प्राप्त होनी थी अथवा रिपोर्टें प्राप्त हो गई थी परन्तु आयोग द्वारा आगे के विचारण हेतु लंबित थे (अनुलग्नक –4) (पैरा 2.7)।

fgjklrh; fgalk dh jkdFkke

18-5 समीक्षाधीन अवधि के दौरान एन एच आर सी ने न्यायिक हिरासत में मौत के विषय में 1426 सूचनाएं, पुलिस हिरासत में मौत से संबंधित 146 सूचनाएं तथा अर्द्ध–सैनिक/सैन्य बलों की हिरासत में मौतों से संबंधित 2 सूचनाएं प्राप्त की थीं। आयोग ने हिरासतीय मौतों के 1944 मामलों को निपटाया, जिसमें शामिल हैं – 1753 न्यायिक हिरासत में मौत के मामले, 189 पुलिस हिरासत में मौत के मामले तथा अर्द्ध सैनिक/ सैन्य बलों की हिरासत में मौतों के दो मामले। इन आंकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल थे (पैरा 2.10)

tsyksa dk fujh{k.k

18-6 आयोग के एक सदस्य तथा दो विशेष संपर्ककर्त्ताओं ने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, लखनऊ एवं फैज़ाबाद; उड़ीसा में भुवनेश्वर; हिमाचल प्रदेश में शिमला तथा पश्चिम बंगाल में मिदनापुर स्थित सात जेलों का दौरा किया था। इन दौरों का मुख्य उद्‌देश्य इन संस्थानों के कार्यों को देखने के साथ–साथ कैदियों की मानव अधिकार दशाओं का अध्ययन करना था। इसके अलावा, आयोग के अन्वेषण अनुभाग के अधिकारियों ने केरल, त्रिचूर में केन्द्रीय जेल; उत्तरांचल में देहरादून जिला जेल तथा मध्य प्रदेश इंदौर में केन्द्रीय एवं जिला जेल का भी दौरा किया। (पैरा 2.11)

LFky vUos"k.k

18-7 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने अपने अन्वेषण प्रमाण को नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के कथित हनन के 64 मामलों में स्थल अन्वेषण करने का निर्देश दिया। ये मामलें हिरासतीय मौतों/बलात्कारों, पुलिसकर्मियों द्‌वारा उत्पीड़न; हिरासतीय उत्पीड़न, झूठे फंसाया जाना; अवैध हिरासत; बंधुआ एवं बाल मजदूरी; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों पर अत्याचार; सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा मे लापरवाही तथा उचित चिकित्सा सुविधाओं की कमी, विभिन्न राज्य प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण मौतें; जेलों तथा बाल गृहों में अमानवीय दशाओं से संबंधित थे (पैरा 2.12)।

fgjklrh; fgalk ,oa mRihMu

18-8 हिरासतीय हिंसा, मानव गरिमा पर जानबूझकर किया जाने वाला आघात है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग हिरासतीय मौतों का कारण बनने वाले मानव अधिकारों के घोर हनन को समाप्त करने के अपने प्रयासों में सक्रियता से संलिप्त रहा। हिरासतीय हिंसा को नियंत्रित करने के लिए संगठित प्रयास करना, आयोग की महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही। समय–समय पर जारी इसके दिशा–निर्देशों के अनुसार किसी भी हिरासतीय हिंसा के घटित होने के 24 घंटों के भीतर आयोग को सूचित करने में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अभिकरण तत्पर पाए गए थे। हालांकि, कई मामलों में अनुवर्ती रिपोर्टें जैसे इनक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट, मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट आदि शीघ्रता से प्राप्त नहीं हुई। (पैरा 4.1)

18-9 यह बताना उल्लेखनीय है कि हिरासतीय मौतों के सभी मामले हिरासतीय हिंसा को नहीं दर्शाते। इनमें से अनेक मौतों का प्रमुख कारण प्राकृतिक होता है जैसे लंबे समय से बीमारी, वृद्धावस्था तथा अन्य दुर्बल करने

वाले कारकों से होता है। अन्य कारण कैदियों के बीच हिंसा, आत्महत्या तथा चिकित्सा में लापरवाही हो सकते हैं (4.2)।

18-10 जैसा कि अध्याय – 4 में उल्लेख है समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग को हिरासतीय मौतों के 1574 मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी। इनमें से 1426 मामले हिरासतीय मौतों, 146 मामले पुलिस हिरासत में मौतों तथा दो मामले सैन्य/अर्द्ध सैनिक बलों की हिरासत में हुई मौतों से संबंधित थे। (पैरा 4.3)

Tkyk dk nkSjk

18-11 पी एच आर ए के अनुसार उन जेलों तथा राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन अन्य संस्थानों का दौरा करना आयोग के कार्यों में से एक है, जहां लोगों को इलाज सुधार अथवा संरक्षण हेतु बंद किया जाता है ताकि इनके जीवन–यापन की दशाओं का पता चल सके तथा सरकार के लिए इन पर संस्तुतियां दी जा सकें। (पैरा 4.211)

18-12 तद्नुसार वर्ष 2010–2011 के दौरान आयोग के एक सदस्य तथा दो विशेष संपर्ककर्त्ताओं ने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, लखनऊ एवं फैजाबाद; उड़ीसा में भुवनेश्वर; हिमाचल प्रदेश में शिमला तथा पश्चिम बंगाल में मिदनापुर स्थित सात जेलों का दौरा किया। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य इन संस्थानों के कार्यों को देखने के साथ–साथ वहां रहने वाले कैदियों के मानव अधिकार दशाओं का अध्ययन करना था। इसके अलावा अन्वेषण अनुभाग के अधिकारियों ने इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में नैनी जेल; गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में डासना जेल; इंदौर (मध्य प्रदेश) में केन्द्रीय जेल; ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में केन्द्रीय जेल; देहरादून (उत्तराखण्ड) में जिला जेल; बंगलौर (कर्नाटक) में कोरामंगला ओपन एयर जेल; रांची में बिसरा मुंडा केन्द्रीय जेल; झारखण्ड में केन्द्रीय जेल; केरल में त्रिसूर जेल; पटना (बिहार) में बेडर जेल; भुवनेश्वर (उड़ीसा) में झारपदा जिला जेल; गुड़गांव (हरियाणा) में केन्द्रीय जेल तथा मदुरै (तमिलनाडु) में केन्द्रीय जेल का दौरा किया। अन्वेषण अनुभाग के अधिकारियों ने किंगसवे कैम्प, दिल्ली में लड़कों के लिए सुधार गृह – II तथा मजनू का टीला, दिल्ली में लडकों के लिए स्पेशल होम – I का दौरा भी किया।

Tky tul[;k dk fo'ys"k.k

18-13 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश में जेलों में भीड़भाड़ की वास्तविक स्थिति का पता लगाने तथा तद्नुसार इसमें भीड़भाड़ को कम करने के लिए उपाय सुझाने हेतु जेल जनसंख्या संबंधी आंकड़े संकलित करता है तथा उनका विश्लेषण करता है। इस कार्य को प्रति छः माह में निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के जेल मुख्यालयों से डाटा एकत्रित करके सम्पन्न किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने 30 जून 2009 तक प्राप्त सूचना के आधार पर जेल आंकड़ों को एकत्रित एवं विश्लेषण किया था। (पैरा 4.213)

18-14 यह जानना उत्साहवर्द्धक है कि भीड़भाड़, जो जेलों के भीतर कैदियों की जीवन यापन की दशाओं का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, में जून 2005 (42.9ः) की अपेक्षा जून, 2009 (27.4ः) में 15.5ः की लगातार एवं सार्थक गिरावट देखी गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जैसे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जिनमें अखिल भारतीय स्तर के 27.4ः से अधिक भीड़भाड़ का उच्च प्रतिशत है, से आग्रह किया जा सकता है कि वे अपनी जेलों की अतिरिक्त क्षमता निर्माण करके भीड़भाड़ को कम करें। दिल्ली, गुजरात तथा झारखण्ड अपनी जेलों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। उड़ीसा और त्रिपुरा भी अपनी जेलों में भीड़भाड़ कम करने में सफल हुए हैं (पैरा 4.214)।

18-15 जेलों में जीवन यापन की दशाओं के अन्य मानकों में भी इसी प्रकार की गिरती प्रवृत्ति को देखा गया था। विचाराधीन कैदियों के प्रतिशत में हल्की सी गिरावट पाई गई थी इस प्रकार जून, 2008 के 68.3ः से यह गिरकर जून, 2009 में 67.9ः हो गई थी। इस गिरावट को बनाए रखने तथा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। निरंतर जेल अदालतें (जेलों के अंदर कैम्प कोर्ट) लगाने, गरीब एवं जरूरतमंद कैदियों के लिए विधिक सहायता का प्रावधान करके, पैरोल स्वीकृत करने की प्रक्रिया को सरल बनाकर, त्वरित विचारण एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग आदि करना, कुछ ऐसे उपाय हैं जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी जेलों में भीड़भाड़ कम करने में सक्षम कर सकते हैं (पैरा 4.215)।

18-16 विचाराधीन कैदियों का प्रतिशत यदि जून, 2008 की पिछली अवधि के साथ तुलना की जाए तो यह दर्शाता है कि इसमें 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गिरावट आई थी, 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई थी तथा 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसमें कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी/गिरावट दर्ज नहीं की गई थी (पैरा 4.216)।

18-17 जहां तक महिला कैदियों के प्रतिशत का संबंध है, यह यथावत् थी। मिजोरम, दमन एवं दीव, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में महिला कैदियों का उच्च प्रतिशत था (पैरा 4.217)।

Tkutkrh; {k=k e cgrj fpfdRlk 0;olk; ,o LokLF; n[kj[k lfoèkk,

18-18 वर्ष 2009–2010 की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि आयोग ने 29 जनवरी, 2010 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ "जनजातीय क्षेत्रों में अवैध चिकित्सा व्यवसाय एवं स्वास्थ्य देख रेख सुविधाएं" विषय पर एक–दिवसीय बैठक का आयोजन किया ताकि देश में जनजातीय क्षेत्रों को गुणवत्ता स्वास्थ्य देखरेख सुनिश्चित किया जा सके। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने अनेक उपायों की संस्तुति/सुझााव दिए थे, जिन्हें सभी संबद्ध पक्षकारों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है ताकि जनजातीय क्षेत्रों में रहने वालों को बेहतर स्वास्थ्य देखरेख की गारंटी दी जाए (पैरा 5.5)।

18-19 बैठक में विचार–विमर्श से उभर कर आई महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ/सुझाव नीचे दिए गए हैं :–

(i) वर्तमान लोक स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था में एक समान, मानवीय एवं भेदभाव विहीन सोच अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि देश में जनजातीय, ग्रामीण तथा समाज के उपेक्षित वर्गों के लोग मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं तथा स्वास्थ्य देखरेख से वंचित न रहें। इस प्रकार की सोच स्वास्थ्य देखरेख में असमानता को समाप्त करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि स्वास्थ्य देखरेख सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध एवं सुगम है।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवैध चिकित्सा व्यावसायियों तथा नीम हकीमों के विरूद्ध कड़े कानूनों, नियमों एवं विनियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए अपने तंत्र को मजबूत बनाना चाहिए। जहां पर यह व्यवस्था नहीं है, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवैध चिकित्सा व्यावसायियों/नीम हकीमों के विरूद्ध प्रभावशाली कार्रवाई करने के लिए विधिक ढांचा तैयार करना चाहिए।

(iii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नीम हकीम–रोधी कार्रवाई के लिए एक मॉनीटरिंग व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास समय–समय पर इस विषय पर की गई कार्रवाई की आवधिक समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

(iv) अवैध चिकित्सा व्यावसायियों एवं नीम हकीमों के जोखिम की जांच करने की दिशा में केन्द्र सरकार को इस प्रकार की कुप्रथाओं में संलिप्त लोगों के लिए दण्ड देने हेतु प्रावधान करने के लिए एन्टी–क्वेकरी बिल तैयार करना चाहिए।

(v) विशेष रूप से जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख के कार्य करने वाले व्यावसायियों की भूमिका को कम नहीं आंकना चाहिए। अनेक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसरण की जाने वाली इस प्रवृत्ति, जिसमें अवैध व्यवसायियों/नीम हकीमों को उनकी दक्षता को बढ़ाने तथा जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक डॉक्टरों हेतु विभिन्न योग्यताओं के डाम्क्टरों को प्रशिक्षण दिया जाता है, को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक भेदभावपूर्ण कार्रवाई है।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य चिकित्सा एवं–अर्द्धचिकित्सीय स्टॉफ की कमी के कारण नीम हकीमों को लोगों का शोषण करने का मौका मिलता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य चिकित्सा एवं अर्द्ध–चिकित्सीय स्टॉफ उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विशेष ईनाम दिया जा सकता है।

(vii) केन्द्र सरकार द्वारा विद्यमान अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था में अवैध प्रथाओं के विरूद्ध प्रभावशाली एवं तत्काल कार्रवाई करने के लिए मजबूत विधिक ढ़ांचे हेतु इनमें यथोचित संशोधन किया जाना चाहिए।

(viii) जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख की कमी ही अकेली समस्या नहीं है क्योंकि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की उनके पर्यावरण से संबंधित अलग एवं विशिष्ट समस्याएं होती हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैली विभिन्न जनजातियों को मूलभूत स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध करवाते समय, क्षेत्र आधारित सोच से उनकी समस्याओं को निपटाना चाहिए। स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था को स्थानीय क्षेत्र की दशाओं के अनुकूल बनाना चाहिए।

(ix) देश में जनजातीय क्षेत्रों में विद्यमान स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को सुधारने के लिए में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा बहु–आयामी प्रस्ताव उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है।

(x) देश के जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त साफ–सफाई एवं स्वच्छता, पोषक आहार आदि की आपूर्ति करके सभी संबद्ध अभिकरणों द्वारा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(xi) कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध मानकीकृत स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में उत्तम/सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य जनजातीय क्षेत्रों में दोहराए जाने की आवश्यकता है।

(xii) जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने के लिए चिकित्सा एवं अर्द्ध चिकित्सीय स्टॉफ को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ईनाम की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें वित्तीय एवं पदोन्नति, दोनों प्रकार के ईनामों को शामिल किया जा सकता है।

(xiii) जनता एवं स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध करवाने वाले व्यक्तियों के बीच नियमित रूप से जागरूकता उत्पन्न किए जाने की आवश्यकता है।

(xiv) देश में घटिया/नकली दवाओं के उत्पादन एवं आपूर्ति पर नियंत्रण रखने के लिए निगरानी एवं मॉनीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(xv) देश में दवा निरीक्षण व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने एवं मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औषधालयों, जिनकी संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, की संख्या के अनुपात में औषध निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

(xvi) यह संस्तुति की गई थी कि आधुनिक तकनीकों एवं साधनों सहित नई प्रयोगशालाओं की स्थापना करके दवा जांच प्रयोगशालाओं के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जाए। इससे समयबद्ध तरीके से सैम्पलों की जांच करने में सुविधा होगी।

(xvii) दवाओं की गुणवत्ता एवं प्रभावों का आंकलन करने के लिए परामर्शदाताओं/चिकित्सा व्यवसायियों से फीडबैक लेने की व्यवस्था को विकसित करने की आवश्यकता है तथा इन आकलनों के परिणामों को लोगों की सामान्य जानकारी हेतु सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाना चाहिए।

(xviii) घटिया/नकली दवाओं की आपूर्ति के विषय में लोगों में व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाना महत्वपूर्ण है। अतः लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवश्यक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

(ix) विद्यमान लोक औषधि खरीद व्यवस्था की जांच निगरानी की आवश्यकता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामी उत्पादनकर्त्ताओं से दवाएं खरीदने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दवाओं की कीमत के बजाय उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(xx) संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा देश में औषधालयों के समग्र कार्यों को मॉनीटर किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

18-20 इन संस्तुतियों को अनुपालन हेतु सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सभी पक्षकारों को भेजा गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को आशा है कि सभी राज्यों/संघ शासित्र क्षेत्रों द्वारा इन संस्तुतियों पर आवश्यक कार्रवाई की गई (पैरा 5–6 एवं 5–7)।

flfydkfll

18-21 सिलिकॉसिस फेफड़े का एक असाध्य रोग है जो क्रिस्टलाइन सिलिका से युक्त धूल को सांस के रूप में खींचने पर होती है। क्रिस्टलाइन सिलिका या सिलिकान डाइआक्साइड स्फटिक, बलूआपत्थर, चकमक, स्लेट, बहुत से खनिज अयस्कों तथा ईंट, कंक्रीट, मोटार्र एवं टाइलों सहित कई निर्माण पदार्थों में पाया जाता है। सिलिका धूल से खतरे वाले व्यवसायों में खनन; सुरंग बनाना; पत्थर का काम तथा पत्थर कटाई शामिल हैं। इन सभी व्यवसाओं में कामगार काटने, चूरा करने, फोड़ने, पीसने, छेद करने, उड़ाने अथवा सुरंग बनाने से हवा में छोड़े गए छोटी सिलिका के कणों को सांस द्वारा अंदर लेते हैं तथा इस प्रक्रिया में वे सिलिकॉसिस के शिकार हो जाते हैं। सेरामिक, शीशा तथा अपघर्षक पाउडर के उत्पादन में लगे सभी मजदूरों को भी सिलिका धूल से खतरा है।

18-22 उन क्षेत्रों की सफाई में लगे मजदूर जहां बलूआ पत्थर तथा चट्टानों को तोड़ा जाता है अथवा उसे चूरा जाता है या वे मजदूर जो पत्थर को गाड़ी में चढ़ाने, उसे उतारने तथा पत्थर या कंक्रीट को पाटने या निर्माण सामग्री की सफाई में लगे हैं, उन सभी को सिलिकॉसिस होने का खतरा है क्योंकि इन प्रक्रियाओं में बड़ी मात्रा में धूल के बादल उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें क्रिस्टलाइन सिलिका धूल मौजूद है, खतरनाक हो सकती है चाहे उसे खुली हवा में क्यों न किया जाए। सांस द्वारा खीची गई सिलिका के कण इतने छोटे होते है कि उन्हें केवल किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। साथ ही वे इतने हल्के होते हैं कि काफी लम्बे समय तक वे वायुवाहित रहते हैं। जिसके परिणामस्वरूप सिलिका हवा में लम्बी दूरी तक जा सकता है तथा ऐसी आबादी को भी प्रभावित कर सकता है जिसे अन्यथा खतरे का विचार नहीं किया जा सकता। विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय व्यवसायगत स्वास्थ्य संस्थान द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययनों में समय–समय पर यह तथ्य उभर कर आया है कि सिलिकॉसिस न केवल उन सभी लोगों के स्वास्थ्य के प्रति एक गंभीर खतरा है जो क्रिस्टलाईन सिलिका धूल के खतरों वाले व्यावसायों में लगे है बल्कि जहां यह काम हो रहे हैं उसके आस–पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए भी सदैव एक स्वास्थ्य खतरा है। कम समय के लिए भी क्रिस्टलाईन धूल के संपर्क में आने से सिलिकॉसिस हो सकती है तथा इससे धीरे–धीरे कुछ वर्षों में फेफड़ों की दुर्बलता के साथ–साथ क्षणिक या स्थायी अशक्तता हो सकती है और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। अन्य बीमारियों के विपरीत इसके ऐसे कोई लक्षण नहीं है आरंभिक चरणों में इस बीमारी के शुरूआत के बारे में पता लगाया जा सके। सिलिकॉसिस से

ग्रस्त व्यक्तियों में मृत्यु का एक कारण सिलिको तपैदिक अथवा फेफड़े का केंसर है। अत्यधिक तंतु शोध तथा हृदय का काम करना बंद करने के कारण सांस लेने में तकलीफ मौत के अन्य कारणों में है। फिर भी जानकारी की कमी के कारण डॉक्टरों के बीच भी सिलिकॉसिस गलती से अन्य बीमारी समझ ली जाती है। भारत में सिलिकॉसिस से मरने वाले लोगों की संख्या अधिक है किन्तु इन मौतों के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इस बात की भी पुष्टि हुई है कि सिलिकॉसिस के लिए कोई चिकित्सा उपचार नहीं है। इस प्रकार सिलिकॉसिस एक अशक्त करने वाला अनिवर्त्य, घातक बीमारी है तथा सिलिका से संपर्क खत्म होने के बाद भी यह बीमारी बढ़ती रहती है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है इससे मजदूरों, उनके परिवारों एवं आश्रितों की उत्पादन क्षमता तथा आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

18-23 सिलिकॉसिस एक मानव अधिकार का मुद्दा तथा स्वास्थ्य से जुड़ा मसला दोनों है। इसका प्रभाव न केवल जीने के अधिकार पर है बल्कि सभी प्रभावित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों के गरिमा के साथ जीने के अधिकार पर भी है। इस मामले की जांच पड़ताल करने की दृष्टि से आयोग ने 2009–2010 के दौरान अपने सदस्य श्री पी. सी. शर्मा की अध्यक्षता में सिलिकॉसिस संबंधी विशेषज्ञ समूह का गठन किया। जैसा कि आयोग की वर्ष 2009–2010 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जनवरी, 2010 में आयोजित की गई थी। इसने सिलिकॉसिस – प्रवण उद्योगों की पहचान की तथा सिलिकॉसिस की समस्या का समाधान करने के लिए निवारक, उपचारी एवं पुनर्वासात्मक उपायों को शामिल करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त इसने प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवजे का भुगतान करने का सुझाव दिया। तदनुसार आयोग ने सिलिकॉसिस की समस्या का समाधान करने के लिए दो तरफा दृष्टिकोण अपनाया। एक ओर जहां इसने व्यक्तिगत मामलों में विचार कर पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए संबद्ध राज्य सरकारों को निर्देश दिया वहीं दूसरी ओर सिलिकॉसिस की समस्या का समाधान करने के लिए निवारक पुनर्वासात्मक एवं उपचारी उपाय किए। ये उपाय इस प्रकार हैं :–

fuokjd mik;%

1. संदिग्ध जोखिमपूर्ण उद्योगों में छःमाही आधार पर व्यावयायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा धूल सर्वेक्षण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। रोजगार में लेने से पूर्व सभी भर्ती किए गए मजदूरों की चिकित्सीय जाँच की जानी चाहिए। श्वसन संबंधी किसी भी गड़बड़ी की आशंका को दूर करने के लिए श्रमिकों के सीने की रेडियोग्राफी तथा फुफ्फुस के कार्य की चिकित्सीय जाँच की जानी चाहिए।
2. जिन प्रक्रियाओं अथवा काम में सिलिका शामिल है उनकी निगरानी के जरिए सिलिका धूल को नियंत्रित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों को विभिन्न लागत–प्रभावी इंजीनियरिंग नियंत्रण उपायों के विकास तथा उसे बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करना चाहिए।
3. सिलिकॉसिस प्रवण उद्योगों के कामगारों के लिए सुरक्षात्मक उपस्कर सहित एहतियाती उपायों को लागू किए जाने को संबंधित प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
4. कार्यस्थल पर धूल उत्पादन को कम करने के लिए धूल नियंत्रण यन्त्र लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान (एन. आई. ओ. एच) ने गोमेद, घिसाई तथा स्फटिक चूरने वाले उद्योगों के लिए स्थानीय निकास संवातन के सिद्धान्त पर नियंत्रण यंत्र तैयार किया है। वेट ड्रिलिंग तथा धूल निष्कर्षक के इस्तेमाल को संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा लागू किया जाना चाहिए।
5. जिन श्रमिकों को सिलिकॉसिस का खतरा है उन्हें इलैक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया के उपयोग द्वारा व्यापक प्रचार अभियान के जरिए इस बीमारी से अवगत कराया जाना चाहिए। इससे मामलों में स्वंय प्रतिक्रिया

दिखाने में सुधार होगा तथा शीघ्र पहचान करने में भी मदद मिलेगी।

6. सिलिकॉसिस खान अधिनियम, 1952 तथा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत् एक अधिसूचित रोग है। सिलिकॉसिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत् भी एक अधिसूचित रोग बनाया जा सकता है। इस प्रकार, देश में सभी जिला/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/अस्पतालों को सिलिकॉसिस के मामलों/संदिग्ध मामलों की सूचना सरकार को देनी होगी।
7. सिलिकॉसिस के शीघ्र निदान तथा पहचान के लिए सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य डाक्टरों/पैरामैडिकस को प्रशिक्षण देने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार करने की आवश्यकता है।
8. सिलिका की अपेक्षा कम जोखिमपूर्ण धूल का पता लगाया जाना चाहिए ताकि सिलिका की जगह उसका इस्तेमाल किया जा सके।
9. सिलिका प्रवण औद्योगिक इकाइयों की एक व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा समिति होनी चाहिए जिसमें श्रमिकों तथा स्वास्थ्य देखभाल का प्रबंध करने वालों के प्रतिनिधि शामिल हों।
10. सिलिकॉसिस नियंत्रण कार्यक्रम को मौजूदा संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी) के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
11. सिलिकॉसिस तथा तपेदिक की दोहरी समस्या से निपटने के लिए एक उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, महानिदेशालय कारखाना परामर्श सेवा, श्रम संस्थान, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संगठन, भारतीय तपेदिक संघ तथा सिविल सोसायटी संगठनों जैसे विभागों के बीच केंद्र तथा राज्य स्तर पर आपसी समन्वय के लिए एक तंत्र स्थापित किया जा सकता है।

mipkjh mik;%

1. प्रत्येक ऐसे जिले में जहाँ सिलिकॉसिस प्रवण उद्योग, खनन या कोई बड़ी निर्माण परियोजना चल रही है, वहाँ सिलिकॉसिस की पहचान के लिए एक सुविधा का पता लगाने की आवश्यकता है।
2. जिला तपेदिक अधिकारी को सिलिका के खतरे वाले कार्यस्थलों एवं मजदूरों की संख्या के संबंध में सही सूचना इकट्ठी करनी चाहिए तथा प्रलेखन का रखरखाव करना चाहिए।
3. कानून के नियमों तथा विनियम के पालन तथा उस पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व की समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
4. असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत् गठित राष्ट्रीय/राज्य सुरक्षा सलाहकार बोर्ड को वैसे असंगठित श्रमिकों, जिन्हें सिलिकॉसिस होने का खतरा है साथ ही जो इससे प्रभावित हो चुके हैं तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए बनाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करनी चाहिए।
5. केन्द्र सरकार को बी पी एल परिवारों तथा कुछ अन्य कमजोर समूहों के लिए लागू किए गए एक स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को उन श्रमिकों, जिन्हें सिलिकॉसिस होने का खतरा है तथा उनके परिवारों पर लागू करने पर विचार करना चाहिए।

iquokl dk mik;%

(i) स्थायी, अस्थाई अथवा अनुबंध वाले श्रमिक सहित सिलिका प्रभावित व्यक्ति के उपचार लागत को नियोक्ता द्वारा वहन किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन को इसका कार्यान्वयन तथा उपचार सुनिश्चित करना चाहिए।

(ii) सिलिकॉसिस के पीड़ित यदि काम करने में असमर्थ हैं तो उन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार देकर अथवा निर्वाह पेंशन देकर उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए।

(iii) सिलिका के खतरे जिन श्रमिकों को हैं उनके फायदे के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों की निगरानी तथा कार्यान्वयन में गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए।

(iv) सिलिकॉसिस से प्रभावित व्यक्तियों को उपयुक्त सलाह दी जानी चाहिए।

eqvkotk

(i) सिलिका प्रभावित व्यक्ति को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(ii) सिलिकॉसिस इ एस आई अधिनियम तथा कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत् सूचीबद्ध एक मुआवजा योग्य चोट है। इसलिए उड़ीसा सरकार द्वारा गठित एक पृथक सिलिकॉसिस बोर्ड के समान प्रत्येक राज्य में इसका गठन किया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों तथा मुआवजे के आदर्श परिकलन को इ.एस.आई अधिनियम तथा कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत् तैयार किया जाए।

(iii) मुआवजा तथा पुनर्वास के लिए बोर्ड सिलिकॉसिस के मामलों की निगरानी तथा इस बीमारी के परिणामस्वरूप हुई अशक्तता/कमाई की क्षमता में कमी का आकलन कर सकता है।

(iv) मुआवजे की गणना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार किए गए अशक्तता समायोजित जीवन वर्ष (डेली) के आधार पर की जा सकती है।

18-24 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने इन सिफारिशों को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों को अग्रेषित किया है तथा उन्हें यह भी अनुरोध किया है कि वे संबद्ध विभागों को यथायोग्य निर्देश जारी करें ताकि इन सभी सिफारिशों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके (पैरा 5.13 एवं 5.14)।

flfydkfll fo"k; ij jk"Vªh; lEesyu dk vk;kstu

18-25 दिसम्बर, 2010 में आयोग द्वारा संस्तुत किए गए निवारक, पुनर्वासात्मक एवं उपचारी उपायों के संबध में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन करने के उद्देश्य से आयोग ने 1 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में सिलिकोसिस विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन के माध्यम से आयोग सिलिकोसिस के संबंध में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों, तकनीकी संगठनों तथा नागरिक समाज के साथ विचार–विमर्श भी करना चाहता था। सम्मेलन में संबद्ध अधिकारियों/केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा सिलिकॉसिस की समस्या पर कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों, तकनीकी संगठनों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया (पैरा 5.15)।

18-26 सम्मेलन में उभर कर आए महत्वपूर्ण निर्णयों एवं सुझाावों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है :–

- सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 6 महीनों के भीतर अपने उद्योगों का एक विस्तृत सर्वेक्षण पूरा करना चाहिए, जब तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा एक विशिष्ट समय–सीमा नहीं दर्शायी जाती जैसा कि कुछ राज्यों के मामले में है।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रत्येक 2 महीने में कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित करेगा।
- सिलिका का पता लगाने वाले उपकरण को कारखाना–निरीक्षणालय को प्रदान किया जाना चाहिए ताकि सिलिका उत्पन्न करने वाले उद्योगों की पहचान हो सके।
- सर्वेक्षण को दो भागों में विभक्त किया जाना चाहिए। सिलिका उत्पन्न करने वाले कारखानों, खदानों आदि में काम करने वाले श्रमिकों के अतिरिक्त भूतपूर्व श्रमिकों के सर्वेक्षण की भी जरूरत है।

- मदंसौर पद्धति के सिलिकॉसिस बोर्ड को सभी राज्यों के प्रभावित जिलों में लागू किया जाना चाहिए।
- राहत तथा मुआवजे के बीच अंतर करने की आवश्यकता है।
- मध्य प्रदेश में पीड़ितों की स्थिति काफी दयनीय है। इसलिए निर्वाह पेंशन देने की राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिश को तत्काल लागू किया जाना चाहिए।
- सिलिकॉसिस से पीड़ित सभी व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे का परिवार माना जाना चाहिए।
- विशेष रूप से सिलिकॉसिस के पीड़ितों को लक्षित करने वाले अलग कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए तथा इसमें स्वास्थ्य शिक्षा के साथ–साथ आजीविका/सामाजिक सुरक्षा को शामिल किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कहने पर सी पी सी बी तथा डी जी एफ ए एस एल आई द्वारा पूर्व में की गई सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।
- जब किसी व्यावसायिक बीमारी से पीड़ित रोगी की मौत हो जाती है तो अंतिम संस्कार करने से पूर्व ईएसआईसी को सूचना देनी होती है ताकि मौत के कारण का पताया लगाया जा सके। वे चाहते हैं कि पोस्टमार्टम भी किया जाए। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पुलिस को शामिल करने वाली प्रक्रिया का पालन करना कठिन है। साथ ही दाह संस्कार से पूर्व लंबे समय तक शव को रखना हमारी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप भी नहीं है। इसलिए इस अनुबंध में बदलाव की आवश्यकता है।
- निदान के तरीके में यह शामिल होना चाहिए : प्रथम चरण – उन व्यक्तियों की जांच जिन्होंने सिलिका धूल उत्पन्न करने वाले कारखानों में काम किया है तथा जिन्हें कफ–सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण हों। 3 सरल प्रश्न – (क) क्या आप हांफते हैं? (ख) क्या आपने "बहुत अधिक खतरे वाले उद्योग" में काम किया है; (ग) क्या काम शुरू करने से पहले आपमें ये लक्षण थे? द्वितीय चरण – नामित एक्स–रे केन्द्र पर डॉक्टर द्वारा चिकित्सीय जांच तथा सीने का एक्स–रे। तृतीय चरण – अंतिम राय हेतु एक्स–रे को विशेषज्ञ रीडरों के पास भेजना।
- पलायन को रोकने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जानी चाहिए जिसमें और अधिक संख्या में मजदूरी के दिनों के पैसे देने हेतु मनरेगा योजना में संशोधन शामिल हो।
- कई खतरनाक उद्योग अभी भी चल रहे हैं, उन्हें बंद किया जाना चाहिए।
- राज्य को जहां भी मजदूर सिलिकॉसिस के संपर्क में आए हैं उसमें भारतीय दंड संहिता तथा कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत फैक्टरी मालिकों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।
- डीजीएफएएसएलआई को सभी राज्यों को मानक प्रश्नावली देनी चाहिए। इसमें मजदूरों के नाम, पता आदि, कार्य का पूर्व ब्यौरा – जहां काम किया है/काम कर रहा है, कार्य अवधि, प्रतिदिन काम करने के घंटे, किए गए काम का प्रकार, धूल के प्रभाव का स्तर, प्राप्त की गई मजदूरी, सीने से जुड़े लक्षण, क्षय, वजन में कमी, रोजगार का रिकार्ड आदि शामिल होना चाहिए।
- सिलिकॉसिस एक लोक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है तथा इसे राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाना चाहिए।
- मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से हटाकर औद्योगिक क्षेत्रों में उन्हें सफलतापूर्वक पुनः स्थापित किया है। इस उदाहरण को दूसरे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भी दोहराया जाना चाहिए।
- गुजरात उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है कि सिलिकॉसिस से प्रभावित सभी मामलों को 100: अपंगता माना जाए। इसे कानून बनाने के लिए ई एस आई सी को प्रस्ताव लाना चाहिए।
- सभी राज्य फैक्ट्री निदेशालयों में कम से कम एक औद्योगिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होना चाहिए।
- ई एस आई अधिनियम मंदसौर में उन यूनिटों के लिए लागू है जिसमें 10 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं। मंदसौर में अपनायी गई पद्धति को पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए।

- सभी सिविल अस्पतालों में व्यावसायिक बीमारियों के लिए पृथक ओ पी डी होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त जब कोई श्रमिक उस रोजगार से बाहर निकल जाता है तो उसके पास अपने रोजगार के समर्थन में पहचान पत्र अथवा उपस्थिति कार्ड अथवा पे स्लीप जैसे अपेक्षित कानूनी दस्तावेज नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस अनुबंध में बदलाव की आवश्यकता है।
- एनआरएचएम/राज्य स्वास्थ्य विभाग के तहत पृथक सेल के काम–काज को शुरू किया जाना चाहिए।
- जूनियर डॉक्टरों तथा इंटर्नस के लिए "पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य" का विशेष पाठ्यक्रम शुरू करना जिसे राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाना है।
- प्रमाणित सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट तथा चेस्ट स्पेशलिस्ट की तत्काल भर्ती तथा डब्ल्यू एच ओ एवं आई एल ओ मानक के अनुसार धूल जनित बीमारियों के संबंध में उनका क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण प्रबंध।
- जिला स्तर इएसआई, सरकारी अस्पतालों तथा विभिन्न स्थानों पर एनआरएचएम केन्द्रों पर व्यावसायिक रोग निदान केंद्र (ओडीडीसी) का गठन।
- सिलिकॉसिस की रोकथाम करने के संभव उपाय के रूप में धूल उत्पादन को नियंत्रित कर, धूल के कणों को छान कर अथवा उसे नियंत्रित कर, ताजी हवा के साथ इसके संग्रहण को कम कर तथा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक श्वसन संबंधी यंत्र के उपयोग से हानिकारक धूल के खतरे को सीमित किया जा सकता है।
- सभी श्रमिकों, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते है, को पहचान–पत्र दिया जाना चाहिए ताकि डॉक्टर को उनका इलाज करने के लिए उनके कार्य स्थान का पूर्व ब्यौरा, सिलिका धूल का उन पर प्रभाव, कार्य स्थिति तथा श्रमिकों की स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी हो सके।

18-27 आयोग द्वारा सभी पक्षकारों को ये संस्तुतियां अग्रेषित की गई थी तथा आयोग का मत है कि सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा इन संस्तुतियों पर आवश्यक कार्रवाई की गई (पैरा 5.16 एवं 5.17)।

,.Mk l yQku

18-28 आयोग ने केरल के कसारगोड़ जिले में स्थानीय लोगों पर एन्डोसल्फान कीटनाशक के हवा में छिड़काव से होने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया। आयोग ने एक स्वतंत्र जांच हेतु अपनी टीम को भी नियुक्त किया था, जिसने लोगों के बीच चिकित्सीय विकारों के अनेक घटनाओं के रिकॉर्डों तथा केरल सरकार द्वारा दी गई राहत का बहुत ही कम सकारात्मक प्रभाव देखने की पुष्टि की थी। इसी क्रम में इस विषय पर विशेषज्ञ सलाह लेने की दृष्टि से 24 दिसम्बर, 2010 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह की एक तत्काल बैठक बुलाई गई थी। कोर परामर्शी समूह ने सुझाव दिया था कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आयोग को एण्डोसलफान के उपयोग पर रोक लगाने की संस्तुति करनी चाहिए। इसने यह सुझाव भी दिया था कि प्रभावित लोगों को तत्काल मुआवजा दिया जाए तथा पुनर्वासात्मक प्रयासों में प्रभावित व्यक्तियों के लिए संपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधानों सहित सभी क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए (5.18)।

18-29 आयोग ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 की अपनी कार्यवाही में स्वास्थ्य संबंधी कोर सलाहकार समूह के मतों पर विचार किया तथा केंद्र सरकार एवं केरल सरकार को विस्तृत सिफारिशें की जिसमें एन्डोसल्फान के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाई करने हेतु भारत सरकार को सिफारिश करना, इस समस्या का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करना तथा केरल के कसारगोड जिले में प्रशासक देखरेख केन्द्र/अस्पताल की स्थापना करना शामिल था। इसके अतिरिक्त इसने सिफारिश की कि केरल सरकार को एण्डोसल्फान से मरने वाले लोगों के परिजनों के साथ–साथ उन लोगों के परिजनों को कम–से–कम 5,00,000 रु0 का भुगतान करना चाहिए जो पूरी तरह शय्याग्रस्त थे अथवा मंदबुद्धि के थे तथा उन लोगों को 3,00,000 रु0 का भुगतान करना चाहिए जिन्हें एण्डोसल्फान के कारण किसी अन्य प्रकार की अशक्तता थी (पैरा 5.19)।

18-30 इसके अतिरिक्त, सभी संबंधितों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करने के उद्देश्य से आयोग ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों तथा केरल सरकार के मुख्य सचिव के साथ बैठकों की श्रृंखला आयोजित की। इन बैठकों में केरल सरकार को मौत के 178 पक्के मामलों में और अधिक मुआवजा देने की आवश्यकता बताई गई जिनमें प्रत्येक को केवल 50,000 रु0 का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त केरल सरकार को आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार शेष 5,000 प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए। कीटनाशकों के प्रयोग के सुरक्षित तरीके पर व्यापक मीडिया अभियान के जरिए जनता को अत्यधिक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया (पैरा 5.20)।

Hkkjr d p;fur 28 ftyk es ekuo vfèkdkj tkx:drk rFkk ekuo vfèkdkj dk;Øe d vkdyu ,o iorZu dk l|Ikè; cukuk

18-31 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा देश में चिह्नित किए गए 28 जिलों में से निम्नलिखित दो जिलों में मानव अधिकार जागरूकता तथा मानव अधिकार कार्यक्रम के आकलन एवं प्रवर्तन को सुकर बनाने के भाग के रू प में दौरा किया गया : –

Øe l0	ftyk	jkT;	dk;Øe
1.	चतरा	झारखण्ड	22–23 सितम्बर, 2010
2.	तिरूवन्नामलाई	तमिलनाडु	26–28 अक्टूबर, 2010

Pkrjk ftyk

18-32 चतरा जिला झारखण्ड राज्य के बिल्कुल उत्तरी–पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यह उतर में गया जिले (बिहार राज्य) से घिरा हुआ है, पूर्व में हजारीबाग जिले से, दक्षिण में पलामू तथा रांची जिले से एवं पश्चिम में गया (बिहार राज्य) तथा पलामू जिले से घिरा हुआ है। यह जिला वर्ष 1991 में अस्तित्व में आया, क्योंकि इससे पहले यह हजारी बाग जिले का हिस्सा था। जिला मुख्यालय चतरा में स्थित है। इसमें एक उप–प्रमंडल, तीन विकास ब्लाक/अंचल, 125 पंचायतें तथा 1,479 राजस्व गांव शामिल हैं। यहां केवल एक नगरपालिका है – जो चतरा के जिला मुख्यालय में है। चतरा जिले में 9 थाना है। वर्तमान में चतरा प्रतिबंधित नक्सल उग्रवादी एम सी सी (माओवादी कम्यूनिस्ट केंद्र) द्वारा चरम हिंसा के अत्यंत गंभीर दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने चतरा जिले में स्थानीय पुलिस स्टेशनों, स्कूलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए उचित दर की दुकानों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अस्पतालों, पंचायतों तथा वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे विभिन्न अन्य विभागों का दौरा किया। इन दौरों का मुख्य उद्देश्य केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था। इन दौरों के बाद जिले में एक दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई। इस कार्यशाला में स्थानीय विधायकों, जिला अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा सिविल सोसायटी ने कुल मिलाकर भाग लिया (पैरा 6.11 एवं 6.12)।

18-33 चतरा कार्यशाला में हुए विचार–विमर्श में जो सिफारिशें/सुझाव उभर कर आईं उनमें से कुछ निम्नलिखित है :

- लोक सेवकों को प्रोत्साहन देने पर विचार करना ताकि उन्हें चतरा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके न कि इसे वे सजा समझें।

- उन सभी लोगों विशेष रूप से गैर हाजिर डाक्टरों तथा शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करना जिन्होंने चतरा में अपना पद छोड़ दिया है।
- विशेष रूप से डाक्टरों तथा शिक्षकों तथा पुलिस के सभी स्वीकृत पदों को तत्काल आधार पर भरना।
- लड़कियों की शिक्षा तथा महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ विशेष ध्यान देना।
- नक्सलियों द्वारा तहस–नहस किए गए आधारभूत संरचना की तत्काल मरम्मत करना अथवा उसका पुनःनिर्माण करना। नष्ट किए गए स्कूलों के पुननिर्माण को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। पुलिस को किसी भी तरह से स्कूलों को अपने लिए कैम्पों (छावनियों) के रूप में हथियाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- प्राथमिकता के विषय के रूप में अस्पतालों तथा स्कूलों में मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने की अत्यधिक आवश्यकता है।
- जिले में सड़कों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी करना तथा साथ ही उनकी गुणवत्ता में सुधार करना।
- बिजली आपूर्ति में सुधार, जो जिले की आवश्यकताओं के लिए कुल मिलाकर अपर्याप्त है।
- पेयजल की गुणवत्ता तथा उपलब्धता में सुधार लाने की आवश्यकता।
- बड़ी संख्या में उन लोगों की जरूरतों तथा मांगों पर विचार करना जो गरीबी रेखा से नीचे है, किन्तु मौजूदा सूचियों में सूचीबद्ध नहीं किए जाने के कारण जिनकी सुध नहीं ली जाती है (पैरा 6.13)।

fr:oUukeykbl ftyk

18-34 तमिलनाडु के तिरूवन्नामलाई जिले को भगवान अरूणाचलेश्वर के पवित्र मंदिर के कारण तीर्थयात्रियों के मंदिर शहर के रूप में जाना जाता है। इसने 30 सितम्बर, 1989 को पूर्वी उत्तरी आर्कोट जिले के बंटवारे के बाद एक अलग जिले के रूप में काम करना शुरू किया। यह जिला उत्तर तथा पश्चिम में बेल्लोर जिले से घिरा हुआ है, दक्षिण पश्चिम में धर्मापुरी जिले से, दक्षिण में विल्लूपुरम जिले से तथा पूर्व में कांचीपुरम जिले से घिरा हुआ है। तिरूवन्नामलाई जिलें में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम के दौरे का उद्देश्य जिले में उपलब्ध सुविधाओं तथा सिविल, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई राज्य तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन का जायजा लेना था। इस टीम ने विभिन्न अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, उप जेलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों तथा उचित मूल्य की दुकानों का दौरा किया। क्षेत्र दौरे के बाद राज्य तथा जिले के सभी संबंधित अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों तथा सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के साथ मानव अधिकार की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए जिले में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की कुछ मुख्य सिफारिशें/सुझाव निम्नलिखित हैंः

- यह पाया गया कि विरूवन्नामलाई जिले में लोक वितरण प्रणाली काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था। जिले से भूखमरी से मौत की कोई खबर नहीं थी। 'भोजन के अधिकार' से संबंधित मुद्दें का समाधान अपने जन वितरण प्रणाली के जरिए करने में तमिलनाडु राज्य के उदाहरण को देश में सभी राज्यों के लिए एक रोल मॉडेल के रूप में दोहराने की जरूरत है।
- समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों के भाग के रूप में राज्य अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावास चला रहा था। यह सिफारिश की गई थी कि इन संस्थाओं के नाम जाति सूचक नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे भेदभावपूर्ण रीति–रिवाजों का संकेत मिलता है।
- यह सिफारिश की गई कि जिला प्राधिकारियों को विशेष रूप से दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच राज्य कल्याण के सभी उपायों तथा विकास के कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना चाहिए ताकि वे इन कार्यक्रमों तथा कल्याणकारी उपायों का लाभ उठा सकें।

- जिले में न जोती जाने वाली भूमि 21039 हेक्टेयर का काफी बड़ा हिस्सा है। यह सिफारिश की गई कि जमीन को जोत योग्य बनाने के लिए तथा इसके बाद समाज के अत्यधिक गरीब वर्ग के बीच आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से उसे बांटने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए (पैरा 6.14, 6.15 एवं 6.16)।

f'k{kk esa HksnHkko ds fo:) ;wusLdks vfHkle;] 1960

18-35 यूनेस्को सम्मेलन के समग्र महत्व तथा इस तथ्य को देखते हुए कि 2006 में एशिया प्रशांत मंच की न्यायविदों की परामर्शदात्री परिषद ने भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग – भारत से सिफारिश की थी वह भारत सरकार से उक्त अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के लिए विचार करने का आग्रह करे। आयोग ने जुलाई, 2010 में विदेश मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया कि वे भारत सरकार द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने अथवा इसका अनुसमर्थन करने की स्थिति के बारे में इसे सूचित करें। आयोग को अभी तक अनुस्मारक के बावजूद विदेश मंत्रालय से कोई उतर प्राप्त नहीं हुआ है (पैरा 7.11)।

flj ij eSyk <ksus rFkk LoPNrk ds fo"k; esa jk"Vªh; dk;Z'kkyk dk vk;kstu

18-36 आयोग ने रिपोर्ट लिखने की अवधि के दौरान 11 मार्च, 2011 को तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली में सिर पर मैला ढोने एवं स्वच्छता के विषय में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इस एक दिवसीय कार्यशाला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन, शहरी विकास एवं रेल मंत्रालयों के अधिकारियों; हुडको जैसे तकनीकी संस्थानों तथा गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया। कार्यशाला में निम्नलिखित संस्तुतियां की गई :–

1. सिर पर मैला ढोने वालों को रोजगार तथा शुष्क शौचालय के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए तथा मैला ढुलाई की प्रथा के उन्मूलन को राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाना चाहिए।
2. राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की शुष्क शौचालयों तथा सिर पर मैला ढ़ोने वालो के पुनर्वास के संबंध में उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के डाटा से मेल खाते है। किसी भी विसंगति के पाए जाने पर राज्य सरकारों को इस मामले को मंत्रालय के समक्ष रखना चाहिए ताकि डाटा को सुधारा जा सके।
3. सिर पर मैला ढुलाई के उन्मूलन के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालयों के साथ अपने डाटा को मिलाने के पश्चात् प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को इस संबंध में एक घोषणा पत्र/अधिसूचना जारी करना चाहिए कि उनका क्षेत्र सिर पर मैला ढुलाई तथा शुष्क शौचालयों से मुक्त है। इसकी एक कॉपी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजी जानी चाहिए।
4. आज तक सिर पर मैला ढ़ोने वालों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई सिंगल विंडो नहीं है। प्रत्येक ऐसे जिले में एक सिंगल विन्डो की स्थापना की जानी चाहिए तथा एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए जहाँ सिर पर मैला ढ़ोने वालों की पहचान की गई हो, ताकि पुनर्वास की प्रक्रिया आसान हो सके तथा उसमें तेजी लाई जा सके। राज्य स्तर पर सिर पर मैला ढुलाई पर एक नोडल एजेंसी की भी स्थापना की जानी चाहिए।
5. हाथ से मैला सफाई की पद्धति को खत्म करने के लिए सेप्टीक टैंक को यंत्र चालित बनाया जाना चाहिए। मैन होल ऑपरेशन के लिए संबंधित प्राधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय तथा दक्ष प्रशिक्षण सहित तकनीक/यांत्रिक प्रणाली को अपनाने की जरूरत है।

6. हाथ से काम करने की संभावना को कम–से–कम करने के लिए रेलवे को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सफाई सुविधाओं की एक नयी तकनीक विकसित करनी चाहिए।
7. सफाई/मैन हॉल ऑपरेशन के लिए सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय (गुजरात) द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों को संबंधित एजेंसियों/नियोक्ता द्वारा लागू किया जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य संबंधी खतरों से सफाई कर्मचारियों को बचाया जा सके।
8. गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियोक्ताओं को मैन होल में काम करने वाले मजदूरों/मैला ढ़ोने वालों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण, पोशाक, सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना चाहिए। मजदूरी का ढाँचा पूरे देश में सफाई कर्मियों के लिए एक समान होना चाहिए।
9. सभी सफाई कर्मचारियों, चाहे वे स्थाई, पार्ट टाइम अथवा अनुबंध पर हों, तथा सभी हरिजन बस्तियों के आवासीय क्षेत्र में मोबाइल वाहनों के जरिए विशेष स्वास्थ्य जाँच किया जाना चाहिए जिसके पश्चात् चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
10. सफाई कर्मचारी की मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में उसके आश्रित को उनकी योग्यता के अनुसार तत्काल रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। मृतक के परिवार को कम–से–कम 3 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए।
11. सिर पर मैला ढ़ोने वालों को स्वरोजगार (एस आर एम एस), सर्व शिक्षा अभियान, (एस एस ए), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–2005 (नरेगा) आदि जैसी योजनाओं में जनसंख्या के इस वर्ग को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। इन योजनाओं की सफलता को सिर पर मैला ढ़ोने वालों तथा सफाई कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में इन योजनाओं के कारण आने वाले बदलाव से आंका जाना चाहिए।
12. इस वर्ग के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा इसे आसान बनाने हेतु अच्छे गुणवत्तापूर्ण विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए जहाँ उन्हें निःशुल्क शिक्षा तथा अध्ययन सामग्री, आवास एवं भोजन आदि उपलब्ध हो। सिर पर मैला ढ़ोने वालों के बच्चों के लिए वित्तीय अवयव को पर्याप्त रूप से बढ़ाये जाने की जरूरत है क्योंकि वे बहुत पीछे रह गए हैं तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए नियमित रूप से सहायता की जरूरत है।
13. ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ सफाई के काम के लिए नियुक्त किए गए लोग पूर्व में मैला ढ़ोने वाले किसी अन्य सफाई कर्मचारी को यह काम सौंप देते हैं। इस प्रकार यह शोषण अप्रत्यक्ष रूप में ही सही, जारी रहता है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसे अपराध मानते हुए इसके लिए जिम्मेवार लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
14. इस मुद्दे के लिंग घटक के समाधान के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मामलों जैसी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने हेतु व्यापक उपाय किए जाने चाहिए।
15. मेहतरों के बच्चों को छात्रवृत्ति तथा उनकी विधवाओं को पेंशन के साथ–साथ पुनर्वास किए गए मेहतरों को बी पी एल कार्ड दिया जाना चाहिए।
16. मेहतरों के पुनर्वास के लिए मौजूदा व्यवस्था में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसे और अधिक व्यावहारिक एवं यथार्थ बनाया जा सके।

18-37 इन संस्तुतियों को केन्द्र एवं राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में सभी संबंधितों को उनकी ओर से अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु भेजा गया था। आयोग का मानना है कि सभी संबद्ध पक्षकारों द्वारा इन संस्तुतियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी (पैरा 8.6 एवं 8.7)।

cèkqvk etnjh 0;oLFkk ¼mUeyu½ vfèkfu;e] 1976 dh èkkjk 11 dh leh{kk rFkk l'kkèku

18-38 देश में बंधुआ मजदूरी की स्थिति की मॉनीटरिंग में इसके अनुभव के आधार पर आयोग ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव से बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) प्रथा अधिनियम, 1976 की धारा 11 की पुनरीक्षा तथा उसमें संशोधन करने का अनुरोध किया। मंत्रालय द्वारा संशोधन को अधिसूचित किया जाना बाकी है। आयोग ने एक बार फिर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) प्रथा अधिनियम की धारा 11 में संशोधन करने और उसे जल्दी से जल्दी अधिसूचित करने का अनुरोध किया (पैरा 8.15)।

cky etnjh dk mUeyu

18-39 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई0एल0ओ0) अभिसमय द्वारा परिभाषित बाल श्रम तथा बालश्रम का सबसे निकृष्टतम स्वरूप, बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, उनकी शिक्षा को जोखिम में डालता है तथा भावी शोषण एवं दुरुपयोग की ओर ले जाता है। बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय(1989) का अनुच्छेद 32(1) – आर्थिक शोषण और जोखिम भरे अथवा बच्चे की शिक्षा में बाधा डालने वाले अथवा बच्चे के स्वास्थ्य अथवा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक कार्यों के संबंध में बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने को मान्यता देता है। इसलिए, बाल श्रम उन्मूलन, विशेषतः मिलेनियम डॅवलेपमेंट गोल्स (एम0डी0जी0)1 (परम निर्धनता तथा क्षुधा का उन्मूलन), (एम0डी0जी0)2 (सभी लड़कों तथा लड़कियों द्वारा प्राईमरी शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करना) तथा (एम0डी0जी0)6 (एच0आई0वी0/एडस, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से लड़ना) को प्राप्त करने के संबंध में प्रासंगिक है। एम0डी0जी0 7, जिसका लक्ष्य पर्यावरणीय स्रोतों की हानि पूर्णतया बदल देना है, को प्राप्त करने से परिवारों को तबाह करने वाले तथा बाल श्रम के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सृजन करने वाली पर्यावरणीय आपदाओं को कम करने में मदद मिलेगी (पैरा 8.19)।

Hkkjr ea ik;lo fyx fuèkkj.k % fo"k;] fpUrk,a ,oa dkjokbZ

18-40 नवीन

18.42 इस वार्षिक रिपोर्ट को लिखने के समय इन संस्तुतियों को सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को आवश्यक कार्रवाई हेतु इस आग्रह सहित भेजा गया था कि की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को अति तत्काल भिजवाएं (पैरा 9.15)।

jkT; ekuo vfèkdkj vk;kx ¼,l ,p vkj lh½

18-50 आयोग की इच्छा है कि देश के प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन हो ताकि उसके निवासियों को आसानी से मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण एवं न्याय उपलब्ध हो। आयोग ने मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण एवं संवर्द्धन के हित में शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए अब तक एस एच आर सी का गठन नहीं करने वाले सभी राज्यों से एक बार फिर गंभारतापूर्वक अपील की है। इसके अलावा आयोग निरंतर सभी एस एच आर सी के साथ संपर्क में है तथा उन्हें जब कभी सहयोग की अपेक्षा होती है, उन्हें तकनीकी सहयोग प्रदान करता है (पैरा 15.2)।

18-51 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एस एच आर सी एवं उन राज्यों के नोडल अधिकारियों जहां अब तक एस एच आर सी का गठन नहीं हुआ है, की एक बैठक 17 अगस्त, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

बैठक में चर्चा किए गए विषयों में एस एच आर सी के वित्तीय, क्रियात्मक एवं प्रशासनिक स्वायत्तया; एस एच आर सी द्वारा शिकायत निपटान – एटाफिंग संरचना; मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एन एच आर सी से वित्तीय सहायता; संगोष्ठियां एवं कार्यशालाएं; राज्यों में आयोग की बैठकें; पी एच आर ए के संशोधन; शिकायत निपटान प्रणाली (सी एम एस) तथा जिला मानव अधिकार न्यायालयों का सुदृढ़िकरण (पैरा 15.2)।

18-52 अभिकथित बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था, जो एस एच आर सी की आधारभूत संरचना, न्यूनतम मानव शक्ति एवं वित्तीय आवश्यकताओं को व्यक्त करने वाले विषयों पर विचार करें ताकि वे पी एच आर ए के अंतर्गत दिए गए अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम हो पाएं। इसके अलावा यह राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा शिकायतों के निपटान हेतु दिशा–निर्देश विकसित करेगी। तद्नुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति श्री जी. पी. माथुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति के अन्य सदस्य हैं कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री सुश्रय रामानायक तथा बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एस.एन. झा। समिति के समन्वयक हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव (का0 एवं प्रशा0) श्री जे. पी. मीणा (पैरा 15.4)।

x|j&l jdkjh l xBu

18-53 गैर सरकारी संगठनों के कोर समूह द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर रिपोर्ट लिखने की अवधि के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित कुछ कदम उठाए गए थे :–

(i) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को भारत के लिए मानव अधिकार समर्थकों के संबंध में यू एन विशेष संपर्ककर्त्ता के दौरे को सुगम बनाने हेतु पत्र लिखा। तद्नुसार, मानव अधिकार समर्थकों संबंधी यू एन विशेष संपर्ककर्त्ता ने जनवरी, 2011 को भारत का दौरा किया।

(ii) आयोग ने मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वाइंट का गठन किया जो चौबीस घंटे सुलभ होता है।

(iii) आयोग द्वारा आयोजित सभी सम्मेलनों/संगोष्ठियों की संस्तुतियों को गैर सरकारी संगठनों के कोर समूह के साथ साझा किया गया था।

(iv) आयोग ने मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में विद्यमान दिशा–निर्देशों की समीक्षा की तथा इनको संशोधित किया।

(v) गैर सरकारी संगठनों के कोर समूह के सदस्यों को महत्वपूर्ण मानव अधिकार विषयों पर उनके सुझाव/राय देने के लिए आग्रह किया गया था।

****

vu|yXud

अनुलग्नक-1

fnukad 01&04&2010 rd jkT;@l?k 'kkflr {ks=okj yfEcr ekeyksa dk n'kkZus okyh rkfydk

Ø- l-	jkT;@l?k 'kkflr {ks=k dk uke	çkjfEHkd fopkj.k gsrq yfEcr ekeys				os yfEcr ekeys ftuesa lacaf/kr çkf/kdkjh ls fjiksVZ çkIr gksuk xbZ gS vFkok mudh çrh{kk gS			
		f'kdk;r@ Lor% laKku	lwpuk		dqy	f'kdk;r Lor% laKku dh ekeys	fgjklr esa eR;q@ cykRdkj	eBHkM+ esa ekSr	dqy
			fgjklr esa ekSr@cykRdkj	eBHkM+ esa gbZ ekSr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अखिल भारत	5	0	0	5	3	0	0	3
2	आंध्र प्रदेश	27	5	1	33	129	306	39	474
3	अरूणाचल प्रदेश	2	0	0	2	1	5	0	6
4	असम	3	1	3	7	80	40	59	179
5	बिहार	94	3	0	97	459	283	5	747
6	गोवा	3	0	0	3	7	4	0	11
7	गुजरात	28	5	0	33	231	168	1	400
8	हरियाणा	82	1	0	83	397	97	12	506
9	हिमाचल प्रदेश	3	0	0	3	15	7	0	22
10	जम्मू तथा कश्मीर	6	0	0	6	121	6	1	128
11	कर्नाटक	18	0	0	18	88	150	18	256
12	केरल	17	2	0	19	34	83	1	118
13	मध्य प्रदेश	56	3	0	59	190	145	16	351
14	महाराष्ट्र	97	3	2	102	143	407	55	605
15	मणिपुर	6	0	0	6	95	1	4	100
16	मेघालय	0	0	0	0	20	9	1	30
17	मिजोरम	0	0	0	0	7	1	0	8
18	नागालैंड	0	0	0	0	3	1	0	4
19	उड़ीसा	21	2	0	23	573	58	2	633
20	पंजाब	18	3	0	21	204	64	0	268
21	राजस्थान	57	3	0	60	146	104	2	252
22	सिक्किम	0	0	0	0	1	2	0	3
23	तमिलनाडु	40	6	0	46	176	180	18	374
24	त्रिपुरा	2	0	0	2	23	9	0	32
25	उत्तर प्रदेश	1835	8	2	1845	3533	569	391	4493
26	पश्चिम बंगाल	30	1	0	31	183	95	5	283
27	अंडमान और निकोबार	3	0	0	3	4	0	0	4
28	चंडिगढ़	5	0	0	5	14	7	0	21
29	दादर एवं नागरहेवली	0	0	0	0	0	1	0	1
30	दमन एवं दीव	2	0	0	2	1	0	0	1
31	दिल्ली	171	0	0	171	487	57	22	566
32	लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0	0
33	पांडिचेरी	1	0	0	1	11	7	0	18
34	छत्तीसगढ़	12	1	0	13	77	65	2	144
35	झारखंड	30	4	0	34	271	145	14	430
36	उत्तराखंड	73	1	0	74	221	37	24	282
37	विदेश	2	0	0	2	18	0	0	18
dqy		**2749**	**52**	**8**	**2809**	**7966**	**3113**	**692**	**11771**

dqy ;ksx (6+10) = 2809 + 11771 = 14580

अनुलग्नक -2

पारा 2.7

01-04-2010 ls 31-03-2011 rd ntZ fd, x, ekeyksa dh jkT;@la?k jkT; {ks= okj n'kkZus okyh

Ø- l-	jkT;@la?k 'kkflr {ks= dk uke	f'kdk;r	Lor% laKku	fgjklr esa ekSr@cykRdkj dk ckjs esa lwpuk			eqBHksM+ esa gqbZ ekSrksa dh lwpuk	dqy (3+4+5+6 +7+8+9)
				iqfyl fgjklr esa ekSr	U;kf;d fgjklr esa ekSr	j{kk@v)Z lSfud fgjklr esa ekSr		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	अखिल भारत	44	0	0	0	0	0	44
2	आंध्र प्रदेश	1153	2	14	92	0	11	1272
3	अरूणाचल प्रदेश	28	0	0	0	0	1	29
4	असम	236	1	7	25	1	54	324
5	बिहार	2717	2	6	130	0	7	2862
6	गोवा	56	0	2	3	0	0	61
7	गुजरात	1356	1	9	66	0	1	1433
8	हरियाणा	3275	1	3	42	0	1	3322
9	हिमाचल प्रदेश	157	0	0	7	0	0	164
10	जम्मू तथा कश्मीर	216	0	2	4	0	2	224
11	कर्नाटक	607	0	5	15	0	8	635
12	केरला	610	1	2	45	0	1	659
13	मध्य प्रदेश	2231	2	5	79	0	4	2321
14	महाराष्ट्र	2157	2	31	99	0	8	2297
15	मणिपुर	60	1	1	0	0	4	66
16	मेघालय	23	1	0	3	0	6	33
17	मिजोरम	19	0	2	2	0	0	23
18	नागालैंड	13	0	1	5	0	0	19
19	उड़ीसा	1852	0	7	48	0	10	1917
20	पंजाब	1010	3	6	90	0	2	1111
21	राजस्थान	2631	3	2	83	0	5	2724
22	सिक्किम	4	0	0	1	0	0	5
23	तमिलनाडु	1372	1	6	71	0	4	1454
24	त्रिपुरा	48	0	1	1	0	0	50
25	उत्तर प्रदेश	49457	10	15	316	0	42	49840
26	पश्चिम बंगाल	1170	1	5	67	1	12	1256
27	अंडमान और निकोबार	19	0	0	1	0	0	20
28	चंडिगढ़	126	1	0	5	0	0	132
29	दादर एवं नागरहेवली	25	0	0	0	0	0	25
30	दमन एवं दीव	8	0	0	0	0	0	8
31	दिल्ली	5893	14	3	19	0	0	5929
32	लक्षदीप	8	0	0	0	0	0	8
33	पांडिचेरी	47	0	0	2	0	0	49
34	छत्तीसगढ़	434	2	1	36	0	8	481
35	झारखंड	1528	1	6	54	0	7	1596
36	उत्तराखंड	1990	0	4	15	0	1	2010
37	विदेश	199	3	0	0	0	0	202
	dqy ;ksx	**82779**	**53**	**146**	**1426**	**2**	**199**	**84605**

अनुलग्नक -3

पारा 2.7

o"k 2010&2011 d nkjku fuiVk, x, ekeyk dk jkT;@ l?k 'kkflr {k=okj n'kku okyh rkfydk

Ø- l-	jkT;@l?k jkT; {k= dk uke	çkjHk e [kkfjt	funi'k lfgr fuiVku	jkT; ekuo vf/kdkj vk;kx dk gLrkrfjr	fjikV çkIr djus ds ckn lekIr fd, x,				dy
					f'kdk;r@ Lor% lKku di ekeyi	fgjklr ei ekr di ekeyi	fgjklr ei cykRdkj di ekeyi	eBHkM ei ekr di ekeyi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	अखिल भारत	36	6	0	3	0	0	0	45
2	आंध्र प्रदेश	776	229	129	100	177	0	17	1428
3	अरूणाचल प्रदेश	10	6	0	4	3	0	0	23
4	असम	112	46	20	44	26	0	19	267
5	बिहार	1866	595	285	368	181	0	2	3297
6	गोवा	39	15	0	6	2	0	0	62
7	गुजरात	1023	228	104	107	93	0	0	1555
8	हरियाणा	2050	924	0	352	76	0	3	3405
9	हिमाचल प्रदेश	95	40	4	11	6	0	0	156
10	जम्मू तथा कश्मीर	99	57	34	56	3	0	4	253
11	कर्नाटक	414	121	65	54	92	0	1	747
12	केरल	383	125	81	22	59	0	1	671
13	मध्य प्रदेश	1570	423	207	114	85	0	5	2404
14	महाराष्ट्र	1557	385	266	92	204	0	5	2509
15	मणिपुर	18	5	5	22	0	0	1	51
16	मेघालय	11	4	0	4	5	0	0	24
17	मिजोरम	8	1	0	4	0	1	0	14
18	नागालैंड	9	2	0	1	3	0	0	15
19	उड़ीसा	640	677	352	102	55	0	1	1827
20	पंजाब	654	210	152	173	55	0	0	1244
21	राजस्थान	1817	539	257	126	67	1	1	2808
22	सिक्किम	2	1	0	1	3	0	0	7
23	तमिलनाडु	813	388	153	109	127	0	8	1598
24	त्रिपुरा	30	6	0	12	5	0	1	54
25	उत्तर प्रदेश	32581	8353	6926	2603	340	2	125	50930
26	पश्चिम बंगाल	713	248	153	135	60	0	5	1314
27	अंडमान और निकोबार	16	3	0	1	1	0	0	21
28	चंड़ीगढ़	85	37	0	3	8	0	0	133
29	दादर एवं नागरहेवली	21	3	0	1	1	0	0	26
30	दमन एवं दीव	8	1	0	1	0	0	0	10
31	दिल्ली	4179	1332	0	541	34	0	0	6086
32	लक्षदीप	5	2	0	0	0	0	0	7
33	पांडिचेरी	28	18	0	4	3	0	0	53
34	छत्तीसगढ़	274	79	61	58	45	0	1	518
35	झारखंड	1105	328	0	220	104	1	3	1761
36	उत्तराखंड	1499	321	0	203	21	0	2	2046
37	विदेश	130	55	0	14	0	0	0	199
	dy ;kx	**54676**	**15813**	**9254**	**5671**	**1944**	**5**	**205**	**87568**

vuqyXud -4

ikjk 2.7

31-03-2011 rd yfEcr ekeyksa dh jkT;@ l?k 'kkflr {ks=okj l[;k n'kkus okyh rkfydk

Ø- l-	jkT;@l?k 'kkflr {k= dk uke	çkjfHkd fopkju gsrq yfEcr ekeys				yfEcr ekeys ftuesa jkT; çkf/kdkfj;ksa ds ;k rks fjiksVZ çkIr gqbZ vFkok mudh çrh{kk gS			
		f'kdk;r Lor% lKku	lwpuk		dqy (3+4+5)	f'kdk;r Lor% lKku ds ekeys	fgjklr esa ekSr@ cykRdkj	eBHkkM+ esa ekSr	dqy (7+8+9)
			fgjklr esa ekSr @ cykRdkj	eBHkkM+ esa ekSr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अखिल भारत	4	0	0	4	3	0	0	3
2	आंध्र प्रदेश	38	3	0	41	119	230	22	371
3	अरूणाचल प्रदेश	8	0	0	8	8	3	0	11
4	असम	9	2	0	11	48	32	19	99
5	बिहार	67	3	0	70	414	223	2	639
6	गोवा	1		0	1	6	2	0	8
7	गुजरात	53	2	0	55	125	119	0	244
8	हरियाणा	55	4	0	59	471	100	3	574
9	हिमाचल प्रदेश	2	1	0	3	17	8	0	25
10	जम्मू तथा कश्मीर	3	0	0	3	71	5	4	80
11	कर्नाटक	10	1	0	11	63	115	6	184
12	केरल	18	1	0	19	43	71	1	115
13	मध्य प्रदेश	59	2	1	62	142	110	6	258
14	महाराष्ट्र	49	7	1	57	116	263	7	386
15	मणिपुर	4	1	1	6	41	0	1	42
16	मेघालय	1	0	0	1	4	7	0	11
17	मिजोरम	0	0	0	0	6	2	0	8
18	नागालैंड	0	0	0	0	1	5	0	6
19	उड़ीसा	32	0	0	32	132	63	1	196
20	पंजाब	16	7	0	23	209	83	0	292
21	राजस्थान	48	2	0	50	151	88	1	240
22	सिक्किम	2	0	0	2	1	3	0	4
23	तमिलनाडु	32	1	1	34	136	147	8	291
24	त्रिपुरा	0	1	0	1	18	7	1	26
25	उत्तर प्रदेश	987	16	0	1003	3185	434	141	3760
26	पश्चिम बंगाल	36	3	0	39	161	85	6	252
27	अंडमान और निकोबार	1	0	0	1	2	1	0	3
28	चंडीगढ़	0	0	0	0	5	8	0	13
29	दादर एवं नागरहेवली	0	0	0	0	1	1	0	2
30	दमन एवं दीव	0	0	0	0	1	0	0	1
31	दिल्ली	105	1	0	106	690	47	1	738
32	लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0	0
33	पांडिचेरी	1	0	0	1	4	6	0	10
34	छतीसगढ़	17	1	0	18	63	57	2	122
35	झारखंड	25	1	0	26	274	134	5	413
36	उत्तराखंड	98	1	0	99	282	32	3	317
37	विदेश	10	0	0	10	17	0	0	17
	कुल	**1791**	**61**	**4**	**1856**	**7030**	**2491**	**240**	**9761**
	dqy ;ksx **(6+10) = 1856 + 9761 = 11617**								

Annexure - 5

पारा 2.26

o"k 2010&2011 d nkjku vk;kx }kjk foÙkh; jkgr d fy, lLrfr fd, x, ekeyk dh dy l[;k

Ø- l-	jkT; @ l?k 'kkflr {k= dk uke	mu ekeyk dh l[;k ftlea lLrfr;k dh xb	lLrr dh xb jkf'k	mu ekeyk dh l[;k ftuea lLrfr;k dk vuikyu fd;k x;k	Hkxrku dh xb jkf'k	vuikyu grq yfcr ekeyk dh l[;k	vuikyu grq yfor ekeyk e lLrrh dh xb jkf'k
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	vk/k çn'k	30 ekeyk e foÙkh; jkgr	5,090,000	14	2,440,000	16	2,440,000
2.	v:.kpy çn'k	2 ekeyk e foÙkh; jkgr	2,00,000	0	----	2	0
3	vle	13 ekeyk e foÙkh; jkgr	5,395,000	5	2,850,000	8	2,850,000
4	fcgkj	46 ekeyk e foÙkh; jkgr	7,927,000	32	6,107,000	14	6,107,000
5	pfMx<	1 ekeyk e foÙkh; jkgr	5,00,000	0	-----	1	0
6	NÙkhlx<	10 ekeyk e foÙkh; jkgr	2,580,000	8	1,980,000	2	1,980,000
7	fnYyh	14 ekeyk e foÙkh; jkgr	1,655,000	12	1,635,000	2	1,635,000
8	xkok	1 ekeyk e foÙkh; jkgr	50,000	0	-----	1	0
9	xtjkr	24 ekeyk e foÙkh; jkgr	7,502,5000	21	3,025,000	3	3,025,000
10	gfj;k.kk	29 ekeyk e foÙkh; jkgr	6,415,000	25	5,205,000	4	5,205,000
11	tEe d'ehj	6 ekeyk e foÙkh; jkgr	1,625,000	2	9,00,000	4	9,00,000
12	>kj[kM	30 ekeyk e foÙkh; jkgr	5,511,000	15	3,226,000	15	3,226,000
13	dukVd	15 ekeyk e foÙkh; jkgr	2,500,000	13	2,300,000	2	2,300,000
14	djy	9 ekeyk e foÙkh; jkgr	1,560,000	3	2,400,00	6	2,400,00
15	e/; çn'k	15 ekeyk e foÙkh; jkgr	2,950,000	6	1,350,000	9	1,350,000
16	egkjk"V	18 ekeyk e foÙkh; jkgr	6,630,000	8	2,950,000	10	2,950,000
17	ef.kij	1 ekeyk e foÙkh; jkgr	50,000	1	50,000	0	50,000
18	e?kky;	5 ekeyk e foÙkh; jkgr	1,600,000	2	1,00,000	3	1,00,000
19	fetkje	2 ekeyk e foÙkh; jkgr	60,0000	2	6,00,000	0	6,00,000

20	mMh l k	9 ekeyk e foÙkh; jkgr	6,700,000	7	3,600,000	2	3,600,000
21	i tkc	6 ekeyk e foÙkh; jkgr	5,25000	3	2,25,000	3	2,250,00
22	jktLFkku	5 ekeyk e foÙkh; jkgr	5,00,000	3	3,00,000	2	3,00,000
23	rfeyukM	20 ekeyk e foÙkh; jkgr	3,497,500	15	2,897,500	5	2,897,500
24	f=ijk	3 ekeyk e foÙkh; jkgr	8,20,000	2	5,200,00	1	5,20,000
25	mÙkj çn'k	251 ekeyk e foÙkh; jkgr	5,372,6000	158	2,965,4000	93	2,965,4000
26	mÙkjk[kM	7 ekeyk e foÙkh; jkgr	2,930,000	4	2,300,000	3	2,300,000
27	oLV cxky	11 ekeyk e foÙkh; jkgr	2,094,000	6	1,319,000	5	1,319,000
	dy		**19,86,55,500**	**367**	**7,57,73,500**	**216**	**12,28,82,000**

अनुलग्नक - 6

पारा 2.27

foÙkh; jkgr d Hkqxrku grq o"k 2010&2011 d nkjku vk;kx dh lLrqfr;k d vuqikyu d fy, yfcr ekeyk dk fooj.k

क्र. सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला सं.	शिकायत का प्रकृति	संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणीयां
1	आन्ध्र प्रदेश	103/1/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	17/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
2	आन्ध्र प्रदेश	1085/1/6/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	18/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
3	आन्ध्र प्रदेश	140/1/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 3,00,000	23/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
4	आन्ध्र प्रदेश	17/1/23/08-09-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	22/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
5	आन्ध्र प्रदेश	19/1/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 3,00,000	08/09/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
6	आन्ध्र प्रदेश	325/1/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 3,00,000	15/09/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
7	आन्ध्र प्रदेश	377/1/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	18/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
8	आन्ध्र प्रदेश	428/1/17/09-10-पीसीडी	पुलिस हिरासत मे मौत (सूचना)	₹ 2,00,000	18/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
9	आन्ध्र प्रदेश	444/1/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	09/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
10	आन्ध्र प्रदेश	50/1/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	24/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
11	आन्ध्र प्रदेश	617/1/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	24/09/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
12	आन्ध्र प्रदेश	680/1/0/08-09-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	30/06/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
13	आन्ध्र प्रदेश	681/1/17/08-09-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	26/07/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
14	आन्ध्र प्रदेश	729/1/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	15/09/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
15	आन्ध्र प्रदेश	84/1/16/07-08	पुलिस गोलीबारी में मौत	₹ 50,000	21/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
16	आन्ध्र प्रदेश	877/1/2003-2004	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 5,00,000	30/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
17	अरूणाचल प्रदेश	1/2/4/08-09-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	21/10/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
18	अरूणाचल प्रदेश	3/2/14/08-09-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	12/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
19	असम	10/3/2005-2006	पुलिस मुठभेड में मौत	₹ 5,00,000	30/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

20	असम	103/3/8/07-08	पुलिस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	03/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
21	असम	127/3/2004-2005	राज्य/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	₹ 4,00,000	23/06/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
22	असम	130/3/2/07-08-पीसीडी	पुलिस हिरासत मे मौत (सूचना)	₹ 5,00,000	11/08/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
23	असम	152/3/9/2010	हिरासतीय उत्पीड़न	₹ 25,000	15/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
24	असम	167/3/12/2010	हिरासतीय उत्पीड़न	₹ 20,000	01/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
25	असम	32/3/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	24/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
26	असम	75/3/6/2010-ईडी	पुलिस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	31/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
27	बिहार	1098/4/2004-2005-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	24/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
28	बिहार	1152/4/26/09-10-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	03/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
29	बिहार	1164/4/2004-2005-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 50,000	28/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
30	बिहार	1358/4/26/08-09-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	22/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
31	बिहार	1389/4/23/09-10	शक्ति का दुरूपयोग	₹ 5,00,000	15/06/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
32	बिहार	1565/4/39/09-10	चिकित्सा व्यवसायियों का कुकृत्य	₹ 5,00,000	11/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
33	बिहार	1619/4/24/08-09-एडी	न्यायिक हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	₹ 1,00,000	28/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
34	बिहार	2491/4/7/08-09-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	31/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
35	बिहार	2602/4/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	02/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
36	बिहार	2765/4/4/08-09-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	11/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
37	बिहार	3114/4/5/08-09-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 50,000	03/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
38	बिहार	3145/4/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	11/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
39	बिहार	3618/4/26/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	04/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
40	बिहार	3665/4/9/07-08	शक्ति का दुरूपयोग	₹ 20,000	18/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
41	गोआ	11/5/1/09-10	शक्ति का दुरूपयोग	₹ 50,000	30/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
42	गुजरात	259/6/2004-2005-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 5,00,000	01/04/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
43	गुजरात	300/6/25/07-08	जोखिम पूर्वक नियोजन	₹ 7,140,0000	12/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
44	गुजरात	639/6/2003-2004-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	23/06/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
45	हरियाणा	1771/7/10/07-08-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 5,00,000	28/10/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
46	हरियाणा	265/7/13/09-10	न्याय संगत कार्रवाई करने मे असफलता	₹ 10,000	29/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

47	हरियाणा	459/7/2005-2006	पुलिस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	30/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
48	गोवा	602/7/9/08-09	अन. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार	₹ 2,00,000	29/10/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
49	जम्मू और कश्मिर	102/9/2000-2001	शक्ति का दुरूपयोग	₹ 1,00,000	28/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
50	जम्मू और कश्मिर	153/9/8/07-08-एएफ	फर्जी मुठभेड़	₹ 3,00,000	22/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
51	जम्मू और कश्मिर	55/9/2002-2003	शक्ति का दुरूपयोग	₹ 3,00,000	19/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
52	जम्मू और कश्मिर	62/9/2001-2002-एएफ	उत्पीड़न	₹ 25,000	03/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
53	कर्नाटका	217/10/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	03/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
54	कर्नाटका	445/10/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	22/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
55	केरला	112/11/10/2010-पीसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 5,00,000	10/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
56	केरला	24/11/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 3,00,000	27/10/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
57	केरला	46/11/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	23/06/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
58	केरला	48/11/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	10/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
59	केरला	49/11/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 3,00,000	27/09/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
60	केरला	55/11/1/09-10	शकित् का दुरूपयोग	₹ 20,000	30/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
61	मध्य प्रदेश	130/12/13/2010-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	₹ 2,00,000	09/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
62	मध्य प्रदेश	139/12/2004-2005-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	14/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
63	मध्य प्रदेश	1667/12/32/07-08-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	₹ 1,00,000	17/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
64	मध्य प्रदेश	1781/12/2002-2003	पुलिस मुठभेड़ मे मौत	₹ 5,00,000	01/04/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
65	मध्य प्रदेश	1785/12/8/08-09-पीसीडी	पुलिस हिरासत मे मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	09/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
66	मध्य प्रदेश	210/12/11/08-09-डब्ल्यूसी	सामूहिक बलात्कार	₹ 2,00,000	21/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
67	मध्य प्रदेश	2138/12/38/07-08	कथित फर्जी मुठभेड़	₹ 2,00,000	14/07/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
68	मध्य प्रदेश	528/12/45/09-10	न्याय पूर्ण कारवाई करने में असफलता	₹ 1,00,000	02/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
69	मध्य प्रदेश	983/12/2004-2005-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	10/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
70	महराष्ट्रा	1122/13/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 3,00,000	05/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
71	महराष्ट्रा	1328/13/16/08-09-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	11/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
72	महराष्ट्रा	1328/13/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 4,50,000	19/05/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

73	महराष्ट्रा	1476/13/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	06/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
74	महराष्ट्रा	1775/13/2004-2005	पुलिस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	18/08/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
75	महराष्ट्रा	2103/13/2003-2004	पुलिस गोलीबारी में मौत	₹ 5,00,000	05/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
76	महराष्ट्रा	366/13/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	22/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
77	महराष्ट्रा	511/13/2003-2004	न्यायपूर्ण कारवाई करने में असफलता	₹ 1,43,0000	06/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
78	महराष्ट्रा	595/13/8/08-09-जेसीडी	न्यायिक हिरसत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	27/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
79	महराष्ट्रा	745/13/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	22/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
80	मेघालय	10/15/2/09-10-एडी	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	₹ 5,00,000	01/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
81	मेघालय	24/15/6/07-08-पीसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 5,00,000	23/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
82	मेघालय	5/15/2005-2006	गुमशुदगी	₹ 5,00,000	20/08/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
83	उड़िसा	256/18/2/09-10	केन्द्र/राज्य सरकार सीमा शुल्क/प्रवर्त्तन/वन/आयकर विभाग आदि द्वारा अतयाचार	₹ 7,00,000	31/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
84	उड़िसा	613/18/2002-2003-एएफ	उत्पीड़न	₹ 2,400,000	19/10/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
85	पंजाब	348/19/5/09-10-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	15/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
86	पंजाब	543/19/10/09-10-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	24/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
87	पंजाब	97/19/2004-2005-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	30/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
88	राजस्थान	1343/20/14/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	11/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
89	राजस्थान	662/20/23/2010-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	10/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
90	तमिलनाडु	1106/22/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 2,00,000	14/07/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
91	तमिलनाडु	1681/22/10/07-08	शक्ति का दुरूपयोग	₹ 50,000	25/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
92	तमिलनाडु	239/22/15/09-10-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 50,000	03/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
93	तमिलनाडु	911/22/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	23/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
94	तमिलनाडु	912/22/42/07-08-डब्ल्यूसी	महिलाएं	₹ 2,00,000	27/09/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
95	त्रीपुरा	28/23/2004-2005-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 3,00,000	21/06/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
96	उत्तर प्रदेश	10704/24/18/08-09-पीसीडी	पुलिस मुठभेड में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	23/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
97	उत्तर प्रदेश	11162/24/2006-2007	पुलिस मुठभेड में मौत	₹ 5,00,000	03/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
98	उत्तर प्रदेश	11178/24/15/2010	पुलिस मुठभेड में मौत	₹ 20,000	22/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

99	उत्तर प्रदेश	11359/24/2006-2007	पुलीस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	03/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
100	उत्तर प्रदेश	11824/24/7/07-08	शक्ति का दुरूपयोग	₹ 5,000	22/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
101	उत्तर प्रदेश	12454/24/36/07-08-एडी	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	₹ 1,00,000	01/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
102	उत्तर प्रदेश	12677/24/2000-2001	अनुजाति/अनु जनजाति/अन्य पिछड़ वर्ग के साथ भेद भाव	₹ 1,20,0000	25/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
103	उत्तर प्रदेश	12705/24/40/2010	शक्ति का दुरूपयोग	₹ 50,000	24/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
104	उत्तर प्रदेश	13457/24/6/2010	शक्ति का दुरूपयोग	₹ 20,000	15/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
105	उत्तर प्रदेश	14010/24/6/07-08	पलिस मुठभेड़ मे मौत	₹ 5,00,000	13/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
106	उत्तर प्रदेश	14759/24/14/07-08	कथित फर्जी मुठभेड़	₹ 5,00,000	22/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
107	उत्तर प्रदेश	14927/24/2003-2004	पुलिस मुठभेड़ मे मौत	₹ 5,00,000	17/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
108	उत्तर प्रदेश	15853/24/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	18/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
109	उत्तर प्रदेश	16014/24/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	04/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
110	उत्तर प्रदेश	16176/24/12/07-08	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 20,000	22/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
111	उत्तर प्रदेश	1640/24/1/2010	अवैध कैद	₹ 50,000	17/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
112	उत्तर प्रदेश	17513/24/2006-2007	कथित फजी मुठभेड़	₹ 5,00,000	29/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
113	उत्तर प्रदेश	18387/24/53/07-08-ईडी	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	₹ 5,00,000	26/08/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
114	उत्तर प्रदेश	18453/24/39/08-09- ईडी	पुलिस हिरासत में मौत	₹ 5,00,000	03/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
115	उत्तर प्रदेश	18647/24/46/08-09-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	08/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
116	उत्तर प्रदेश	19369/24/2002-2003	अवैध कैद	₹ 50,000	23/09/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
117	उत्तर प्रदेश	19792/24/21/07-08	हिरासतीय उत्पीड़न	₹ 20,000	20/09/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
118	उत्तर प्रदेश	20170/24/2006-2007	न्याय पूर्ण कारवाई करने में विफलता	₹ 1,00,000	17/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
119	उत्तर प्रदेश	20640/24/2003-2004	अत्पीड़ित किया जाना	₹ 2,00,000	02/07/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
120	उत्तर प्रदेश	20678/24/2004-2005-एसीडी	पुलिस हिरासत में कथित हिरासतीय मौत	₹ 5,00,000	26/08/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
121	उत्तर प्रदेश	21589/24/70/07-08	अवैध गिरफ्तारी	₹ 40,000	17/09/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
122	उत्तर प्रदेश	21677/24/2006-2007	गैर कानून कैद	₹ 50,000	17/06/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
123	उत्तर प्रदेश	21872/24/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	08/09/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
124	उत्तर प्रदेश	224/24/73/09-10	गैर कानून निरोध कैद	₹ 25,000	26/08/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

125	उत्तर प्रदेश	2308/24/46/08-09-ईडी	पुलिस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	04/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
126	उत्तर प्रदेश	23226/24/1/07-08	अवैध गिरफ्तारी	₹ 10,000	18/10/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
127	उत्तर प्रदेश	23917/24/2006-2007	अपहरण	₹ 20,000	14/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
128	उत्तर प्रदेश	24409/24/43/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 5,00,000	19/04/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
129	उत्तर प्रदेश	2511/24/2006-2007	पुलिस गोलीबारी में मौत	₹ 5,00,000	28/10/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
130	उत्तर प्रदेश	25804/24/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	21/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
131	उत्तर प्रदेश	26298/24/57/09-10-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	25/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
132	उत्तर प्रदेश	26337/24/21/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	07/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
133	उत्तर प्रदेश	26592/24/2003-2004	अपहरण	₹ 30,000	22/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
134	उत्तर प्रदेश	26810/24/2004-2005	अपहरण	₹ 5,00,000	17/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
135	उत्तर प्रदेश	2697/24/2003-2004-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 50,000	22/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
136	उत्तर प्रदेश	28262/24/2006-2007	अवैध गिरफ्तारी	₹ 20,000	14/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
137	उत्तर प्रदेश	28766/24/50/07-08	कथित फर्जी मुठभेड़	₹ 5,00,000	17/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
138	उत्तर प्रदेश	29321/24/2006-2007	गैरकानूनी कैद	₹ 25,000	17/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
139	उत्तर प्रदेश	29467/24/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	14/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
140	उत्तर प्रदेश	29690/24/8/2010	हिरासतीय उत्पीड़न	₹ 20,000	14/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
141	उत्तर प्रदेश	30443/24/68/09-10-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	14/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
142	उत्तर प्रदेश	32587/24/2004-2005	न्यायपूर्ण कार्रवाई करने में विफलता	₹ 1,00,000	20/09/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
143	उत्तर प्रदेश	32600/24/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	21/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
144	उत्तर प्रदेश	3322/24/71/07-08	गैरकानूनी कैद	₹ 50,000	01/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
145	उत्तर प्रदेश	33497/24/2004-2005	बाल मजदूरी	₹ 2,200,000	05/01/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
146	उत्तर प्रदेश	3384/24/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	14/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
147	उत्तर प्रदेश	34100/24/2006-2007	राज्य सरकार/कैनद्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	₹ 2,00,000	27/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
148	उत्तर प्रदेश	34295/24/2005-2006	अपहरण	₹ 2,000	02/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
149	उत्तर प्रदेश	36412/24/30/07-08	पुलिस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	12/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
150	उत्तर प्रदेश	3679/24/33/09-10-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	03/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

151	उत्तर प्रदेश	36897/24/2003-2004	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	₹ 3,00,000	08/07/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
152	उत्तर प्रदेश	36978/24/2004-2005-डब्ल्यू सी	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	₹ 50,000	23/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
153	उत्तर प्रदेश	3718/24/2006-2007	अपहरण	₹ 25,000	13/09/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
154	उत्तर प्रदेश	37509/24/15/07-08	पुलिस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	23/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
155	उत्तर प्रदेश	3751/24/2006-2007	पुलिस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	17/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
156	उत्तर प्रदेश	38102/24/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 3,00,000	25/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
157	उत्तर प्रदेश	38543/24/2005-2006	बच्चे	₹ 2,00,000	03/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
158	उत्तर प्रदेश	39640/24/2004-2005	अपहरण	₹ 20,000	03/05/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
159	उत्तर प्रदेश	40177/24/2006-2007	गैरकानूनी कैद	₹ 10,000	22/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
160	उत्तर प्रदेश	40502/24/2002-2003-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 3,00,000	22/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
161	उत्तर प्रदेश	40818/24/1/08-09-जेसीडी	पुलिस हिरासत मे मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	01/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
162	उत्तर प्रदेश	41093/24/2005-2006	राज्य सरकार / कैनद्र सरकार के अधिकारियों को निष्क्रियता	₹ 2,600,000	14/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
163	उत्तर प्रदेश	41133/24/2006-2007	गैर कानूनी कैद	₹ 10,000	11/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
164	उत्तर प्रदेश	41956/24/2005-2006	पुलिस गोलीबारी में मौत	₹ 1,00,000	29/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
165	उत्तर प्रदेश	42001/24/2005-2006	अपहरण	₹ 10,000	20/09/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
166	उत्तर प्रदेश	42474/24/2006-2007	गैर कानूनी कैद	₹ 50,000	25/05/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
167	उत्तर प्रदेश	42526/24/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	12/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
168	उत्तर प्रदेश	43174/24/48/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	05/07/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
169	उत्तर प्रदेश	43674/24/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 3,00,000	14/06/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
170	उत्तर प्रदेश	43706/24/2006-2007	गैर कानूनी कैद	₹ 20,000	29/01/2008	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
171	उत्तर प्रदेश	44911/24/14/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 25,000	06/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
172	उत्तर प्रदेश	48147/24/7/07-08	शक्ति का दुरूपयोग	₹ 5,00,000	17/06/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
173	उत्तर प्रदेश	49248/24/2006-2007	पुलिस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	29/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
174	उत्तर प्रदेश	4999/24/10/09-10-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	02/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
175	उत्तर प्रदेश	50349/24/2006-2007	अवैध गिरफ्तारी	₹ 15,000	28/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
176	उत्तर प्रदेश	50920/24/0/07-08	शक्ति का दुरूपयोग	₹ 2,50,000	06/04/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

177	उत्तर प्रदेश	5148/24/13/07-08	पुलिस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	10/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
178	उत्तर प्रदेश	53186/24/7/07-08	न्याय संगत कार्रवाई करने में विफलता	₹ 1,00,000	16/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
179	उत्तर प्रदेश	56421/24/14/07-08	पुलिस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	11/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
180	उत्तर प्रदेश	6384/24/2003-2004	पुलिस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	05/05/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
181	उत्तर प्रदेश	6701/24/48/08-09-एडी	न्यायिक हिरासत में कथित मौत	₹ 1,00,000	01/09/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
182	उत्तर प्रदेश	6888/24/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 3,00,000	11/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
183	उत्तर प्रदेश	8224/24/46/07-08	न्यायपूर्ण कार्रवाई करने में विफलता	₹ 5,00,000	28/10/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
184	उत्तर प्रदेश	8304/24/17/2010	जोखिम पूर्ण रोजगार	₹ 4,00,000	07/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
185	उत्तर प्रदेश	8573/24/48/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	14/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
186	उत्तर प्रदेश	9085/24/48/08-09-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	11/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
187	उत्तर प्रदेश	9550/24/72/07-08	शक्ति का दुरूपयोग	₹ 1,00,000	02/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
188	उत्तर प्रदेश	9742/24/2006-2007	अपहरण	₹ 10,000	17/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
189	वेस्ट बंगाल	11/25/2003-2004	पुलिस द्वारा प्रेरित घटनाएं	₹ 5,00,000	20/10/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
190	वेस्ट बंगाल	149/25/2005-2006	बच्चों का शोषण	₹ 25,000	16/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
191	वेस्ट बंगाल	25/73/94-एलडी	पुलिस	₹ 50,000	06/07/2004	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
192	वेस्ट बंगाल	827/25/9/08-09-पीसीडी	हिरासतीय मौत (पुलिस)	₹ 1,00,000	28/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
193	वेस्ट बंगाल	865/25/9/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	17/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
194	चंडिगढ	53/27/0/07-08-पीसीडी	पुलिस हिरासतमें मौत (सूचना)	₹ 5,00,000	02/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
195	दिल्ली	4491/30/2/07-08	अवैध गिरफ्तारी	₹ 5,000	22/10/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
196	दिल्ली	612/30/2/09-10	हिरासतीय उत्पीड़न	₹ 15,000	18/08/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
197	छत्तिसगढ़	431/33/2006-2007	कथित फर्जी मुठभेड़	₹ 5,00,000	03/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
198	छत्तिसगढ़	45/33/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	21/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
199	झारखंड	1096/34/2005-2006-सीडी	पुलिस हिरासत मे मौत (सूचना)	₹ 3,00,000	30/08/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
200	झारखंड	1139/34/5/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	02/07/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
201	झारखंड	116/34/11/08-09-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	22/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
202	झारखंड	1175/34/16/08-09	अवैध गिरफ्तारी	₹ 25,000	04/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

203	झारखंड	1281/34/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	27/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
204	झारखंड	1291/34/16/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	25/10/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
205	झारखंड	1466/34/11/07-08	पुलिस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	10/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
206	झारखंड	1519/34/11/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	12/01/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
207	झारखंड	172/34/2003-2004	हतया का प्रयास	₹ 5,00,000	11/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
208	झारखंड	431/34/4/2010-PCD	हिरासतीय मौत (पुलिस)	₹ 1,00,000	07/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
209	झारखंड	449/34/8/09-10	गैरकानूनी कैद	₹ 10,000	03/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
210	झारखंड	490/34/8/08-09-पीसीडी	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	23/12/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
211	झारखंड	690/34/18/09-10-जेसीडी	न्यायिक हिरासत मे मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	03/11/2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
212	झारखंड	711/34/3/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत मे मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	15/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
213	झारखंड	729/34/11/09-10	शक्ति का दुरूपयोग	₹ 50,000	21/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
214	उत्तराखंड	1453/35/2006-2007	पुलिस मुठभेड़ में मौत	₹ 5,00,000	24/02/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
215	उत्तराखंड	1628/35/6/08-09	अवैध विरोध	₹ 30,000	01/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
216	उत्तराखंड	280/35/11/2010	केन्द्र /राजय सरकारों के सीमाशुल्क/ उत्पादन शुल्क/प्रवर्त्तन/वन/आयकर विभागों द्वारा अतयाचार	₹ 10,00,00	10/03/2011	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

Para 2.28

अनुलग्नक - 7

foÙkh; jkgr ds Hkqxrku vuq'kkflfud dkjZokbZ@vfHk;kstu ds gsrq o"kZ 1993&94 ls 2008&09 ds nkSjku vk;ksxdh laLrqfr;ksa ds vuqikyu gsrq yafcr ekeyksa dk fooj.k

Øe la-	jkT;@la?k 'kkflr {ks=k esa	dsl la[;k	f'kdk;r dh izÑfr	laLrqfr	laLrqfr dh frfFk	fVIi.kh
1.	fcgkj	838/4/2006-2007	U;kf;d fgjklr esa ekSr ¼lapuk½	₹ 1,00,000 + vuq'kkflr dkjZokbZ	1,00,000 + vuq'kkflr dkjZokbZ	Hkqxrku ds lk{; dh çfr{kk gS
2.	fnYyh	102/30/2005-2006	d- l- Lok- iz- dh fMLisljh }kjk xyr nokb;ka nsus ds dkj.k ,d yM+dh dk LokLF; lac/kh xaHkhj ifj.kkfu;ka gksuk	₹ 1,00,000	30.07.07	f'kdk;rdÙkkZ }kjk nokvksa dk dFkr j[kus vkSj i{k j[kus ds fy, vkosnd dk volj nsus ls oafpr j[kus rFkk xyr nok fn, tkus ds dkj.k jksxh dh gkyr [kjkc gksus ds vk/kkj ij fnYyh U;k;ky; esa pqukSrh fn, tkus ds dkj.k vuqikyu.k fjiksVZ çkIr ugha gbZ fnYyh mPp U;k;ky; esa fjV ;kfpdk la- 9776@07 ds vkns'k yafcr gSA
3.	dsjy	235/11/98-99	vfFkr :i ls >wBs QalkS;k tkuk	₹ 10,000	14.03.01	vk;ksx laLrqfr;ksa ds fo:) jkT; ljdkj us fjV vihy dh FkhA] tks fopkj.k gsrq yafcr gSA
4.	dsjy	95/11/1999-2000	le; ij fpfdRlk nsa[kjs[k ugha feyus ij M‍;wVh ij rSukr gks dkLVscy dh eR;q	₹ 50,000	29.08.07	ekuo vf/kdkj laj{k.k vf/kfu;e 1993 ds mica/kksa ds vuqikyu ugha fd, tkus ds vk/kkj ij dsjy vPpU;ky; esa uqukSrh nsus ds dkj.k vuqikyu fjiksVZ çkIr ugha gbZA dsjy mPpU;ky; ls nj ;kfpdk la[;k 36890@07 ds vkns'k dh çrh{kk gSA
5.	dsjy	43/11/2002-2003-cd	U;kf;d fgjklr esa ekSr	₹ 1,50,000	12.09.08	dsjy ljdkj us vk;ksx rFkk dsjy mPpU;k;y; dh laLrqfr;ksa ds fo:) dsjy mPp U;k;y; esa fjV;kfpdk la 21305@09 ntZ dh FkhA fjV;fpdk ds fu.kZ; dh çrh{kk gSA
6	dsjy	159/11/2006-2007 LF 169/11/2006-2007	iqfyl }kjk vo/k fgjklr ,oa mRihM+u	₹ 50,000	02.04.08	vuqikyu fjiksVZ dh çrh{kk gSA
7	mM+hlk	123/18/1999-2000	iqfyl }kjk dfFkr rkSj ij 'kkjhfjd ;kruk,a nsuk rFkk vo/k fgjklr esa j[kuk	₹ 1,00,000		jkT; ljdkj us vk;ksx dh laLrqfr;ksa ds fo:) mM+hlk mPpU;k;ky; esa fjV;kfpdk la- vks-ts-lh- la- 8776@2000 nk;j dh tks fopkjkèku gsrq yafcr gSA
8	mÙkj çns'k	30217/24/2002-2003-cd	U;k;f;d fgjklr esa ekSr ¼lapuk½	₹ 10,000	20.02.08	vuqikyu fjiksVZ dh rh{kk gSA
9	mÙkj çns'k	871/24/2006-2007	iqfyl dfeZ;ksa }kjk lkewfgd cykRdkj ¼lapuk½	₹ 3,00,000	27.12.08	vuqikyu fjiksVZ dh çrh{kk gSA
10	mÙkj çns'k	24507/24/2004-2005-cd	U;kf;d fgjklr esa ekSr ¼lapuk½	₹ 1,00,000	16.02.09	vuqikyu fjiksVZ dh çrh{kk gSA

11	mÙkj çns'k	24720/24/2006-2007-cd	U;kf;d fgjklr esa eksr ¼lspuk½	₹ 2,00,000	17.03.09	Hkqxrku dk lk{; çkIr gks x;k gSA nks"kh MkDVjksa ds fo:) dh xbZ dkjZokbZ dh çrh{kk gSA
12	oLV caxky	213/25/2004-2005-cd	iqyhl fgjklr esa eksr ¼lspuk½	₹ 1,00,000	17.10.08	vuqikyu fjiksVZ dh çrh{kk gSA
13	if'pe caxky	589/25/2002-2003	Hkkjr ljdkj ds dk;ZykfoHkkx ds vUrxZr ,d [kknku ds xkMZ }kjk xyrh ls pyh xksyh ls ,d yM+ds dks xEHkhj pksV yxuk ¼f'kdk;r½	₹ 1,00,000	28.12.07	vuqikyu fjiksVZ rFkk Hkqxrku ds lk{; dk çrh{kk gSA

अनुलग्नक - 8

i|jk 2-28

foÙkh; jkgr dk Hkqxrku@vuq'kklfud dk;Zokbl@ vfHk ;kstuk gsrq 2009&10 ds nkSjku vk;ksx dh laLrqfr;ksa ds vuqikyu ds fy, yafcr ekeyksa dk fooj.k

Øe la-	jkT;@la?k dk uke	dsl la-	f'kdk;r dh iÑfr laLrqfr	laLrqfr	laLrqfr dh frfFk	fVIi.kh
1	बिहार	2349/4/98-99-एसीडी	पुलिस हिरासत में उत्पीड़न के कारण कथित मौतें	₹1,00,000+ Disciplinary action	24.06.2001	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
2	बिहार	3413/4/2006-2007	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000		भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
3	बिहार	1583/4/26/07-08	आरपीएफ कर्तियों द्वारा फेंके जाने के कारण राकेश कुमार पासवान की हड्डियां टूटना	₹ 50,000	12.05.2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
4	बिहार	2367/4/9/07-08	बिजली का करेंट लगनेके कारण मौत (शिकायत)	₹ 2,00,000	19.11.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
5	जम्मू और कश्मिर	55/9/2003-2004-एडी	पुलिस हिरासत में उत्पीड़न के कारण कथित मौतें	₹ 5,00,000	19.08.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
6	जम्मू और कश्मिर	206/9/2003-2004	सरकार द्वारा मकान को क्षति पहुंचाना	₹ 2,00,000	23.11.09	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
7	केरला	160/11/2002-2003-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,0000	13.07.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
8	मध्य प्रदेश	1904/12/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,4000	13.07.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
9	मध्य प्रदेश	1275/12/20/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,0000	26.11.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
10	महाराष्ट्र	574/13/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	24.02.2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
11	महाराष्ट्र	34/13/2002-2003 एलएफ 175/13/2002-2003	फर्जी मुठभेड़में पुलिस द्वारा कथित मौत	₹ 5,00,000	20.01.2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
12	मणीपुर	24/14/4/07-08	सैन्य कर्मियों द्वारा सताया जाना तथा उत्पीड़न	₹ 25,000	04.02.10	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
13	उड़ीसा	265/18/34/08-09	टीटीई द्वारा एक 12 वर्षिय बच्चे को रेत से बाहर फेकना (शिकायत)	₹ 5,00,000	05.03.2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
14	उत्तर प्रदेश	20992/24/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	02.12.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
15	उत्तर प्रदेश	12969/24/2002-2003	पुलीस मुठभेड़ में मौत	₹ 3,00,000	27.05.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

16	उत्तर प्रदेश	14221/24/2004-2005 एलएफ 11506/24/2004-2005 एलएफ 17061/24/2004-2005	फर्जी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा हत्या (शिकायत)	₹ 1,00,000	01.06.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
17	उत्तर प्रदेश	39058/24/2003-2004	पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड में हत्या (शिकायत)	₹ 6,00,000 (3,00,000/- प्रत्येक दो व्यक्ति को)	27.07.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
18	उत्तर प्रदेश	25106/24/2006-2007	पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड में हत्या (शिकायत)	₹ 5,00,000	04.02.2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
19	उत्तर प्रदेश	28279/24/2004-2005	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	08.03.2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
20	उत्तर प्रदेश	42729/24/2006-2007	पुलिस द्वारा अवैध कैद (शिकायत)	₹ 50,000	24.07.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
21	उत्तर प्रदेश	33497/24/2004-2005	पटाखा फैक्टरी में आग लगने के कारण बच्चों की मौत	₹ 2,400000 (3,00,000/- to each 8 victims)	05.01.2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
22	उत्तर प्रदेश	18476/24/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	22.02.2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
23	उत्तर प्रदेश	33074/24/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	27.10.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
24	उत्तर प्रदेश	5375/24/2005-2006-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	09.06.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
25	उत्तर प्रदेश	7767/24/48/08-09	पुलिस द्वारा देशभक्तों को लाठियों से पीटना	₹ 10,000	21.07.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
26	उत्तर प्रदेश	37802/24/2006-2007	पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न (शिकायत)	₹ 25,000	24.08.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
27	उत्तर प्रदेश	3278/24/24/07-08-जेसीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	09.09.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
28	उत्तर प्रदेश	38166/24/2006-2007-सीडी	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	₹ 1,00,000	31.10.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
29	उत्तर प्रदेश	14303/24/2006-2007	लखीमपुर खीरी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जिसके विरूद्ध प्रेस में रिपोर्ट आई थी, के इशारे पर पुलीस द्वारा प्रेस रिपोर्टर को उत्पीडित किया जाना	₹ 5,00,000	04.02.10	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
30	उत्तर प्रदेश	13285/24/48/09-10	गोमती नगर, लखनऊ मेंमैन होल में गिरनेसे एक बच्चे की मौत (शिकायत)	₹ 3,00,000	10.03.2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
31	उत्तर प्रदेश	24293/24/2002-2003-एडी	जहर खाने के कारण जेल में एक विचाराधीन कैदी की मौत (शिकायत)	₹ 1,00,000	17.03.2010	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
32	वेस्ट बंगाल	180/25/18/07-08-पीएफ	बीएसएफ कर्मियों द्वारा अंधाधुध गोलीबारी (शिकायत)	₹ 6,50,000 5,00,000/- मृतक के निकटतम रिश्तेदार को तथा 50,000/- प्रत्येक घायल को	26.11.2009	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

अनुलग्नक -9

i`jk 12.4

o"kZ 2009&10 ds nkSjku jk-ek-v- vk;ksx }kjk vk;ksftr ekuo vf/kdkj çf'k{k.k dk;ZØe

क्रम. सं.	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एवं कार्यक्रमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम तिथि एवं प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	राज्य प्रशिक्षण अकादमी मणिपुर सरकार सचिवालय (साउथ. ब्लॉक) इंफाल – 795 001 (मणिपुर)		राज्य प्रशिक्षण अकादमी इंफाल, मणिपुर	7 से 11 फरवरी, 2011 कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
2.	लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास का राजय संस्थान ए.डी. नगर, अगरतला–799003 त्रिपुरा (प.)	एक टीओटी कार्यक्रम (तीन दिवसीय9	लोक प्रकाशसन एवं ग्रामीण विकास संस्थान	3 से 5 फरवरी, 2011 कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
3.	मानसिक स्वास्थ्य एवं मानव अधिकार संसाधन केन्द्र, 135ए विवेकानंद सरानी (पोरा अश्वथाला) ठाकुरपुकुर, कोलक. ता–700063 (पश्चिम बंगाल)	दो प्रशि. कार्य. (दो दिवसीय)	ललितकला अकादमी कोलकाता होटल केसरी, भुवनेश्वर	3 से 4 दिसम्बर, 2010 51 प्रतिभागी 17 से 18 दिसम्बर, 2010 35 प्रतिभागी
4.	असम मानव अधिकार आयोग जीएमसीरोड़, भंगागढ़ गुवाहटी– 781005 (असम)	आठ (एक दिवसीय) बेसिक प्रशिक्षण	नालबारी जिले में मुकालमुआ, कामरूप जिले में हाजो उत्तरी लखीमपुर जिले में ढाक आखाना, सोनितपुर जिले में बिश्वनाथ चारिथली बारपेटा जिले में बाजाली, सिवसागर जिले में मोरीगांव जिला मुख्यालय सोनारी, जो रहट जिले में टीटाबोर	30 नवम्बर 2010 10 दिसम्बर 2010 18 दिसम्बर 2010 20 दिसम्बर 2010 07 जनवरी 2011 28 जनवरी 2011 03 फरवरी 2011 05 फरवरी 2011 कार्यक्रम की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
5.	सैन्य शिक्षा संस्थान दिल्ली कैन्ट कंधार लाईंस रिंगरोड, दिल्ली कैन्ट, नई दिल्ली–110010	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	सैन्यशिक्षा संस्थान दिल्ली कैन्ट, नई दिल्ली	04 फरवरी 2011 113 प्रतिभागी
6.	यूनीवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, आंध्र प्रदेश विशाखापटनम 530003	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	डॉ अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, आंध्र प्रदेश, विशाखापटनम	10 दिसंवर 2010 200 प्रतिभागी
7.	आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय धौलाकुंआ, नई दिल्ली–21	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज	23 मार्च 2011 300 प्रतिभागी
8	लॉ स्कूल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी–221005 (उ.प्र.)	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	लॉ स्कूल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	23 जनवरी 2011 216 प्रतिभागी
9	बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय कानपुर–कला (सोनीपत)	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	बीपीएस महिला मिश्वविद्यालय	07 फरवरी 2011 75 प्रतिभागी
10.	सीवीएलएनआर डिग्री एण्ड पी.जी. कॉलेज 11/461 जीसस नगर, मिशन कंपाउंड अनन्तपुर (आंध्र प्रदेश)	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	सीवीएलएनआर डिग्री एण्ड पी.जी. कॉलेज कॉलेज परिसर	29 जनवरी 2011 142 प्रतिभागी
11.	होली क्रॉस कॉलेज के पाकुलम पोस्ट तियचिरापल्ली–620002	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	शांति हॉल	10 फरवरी 2011 कार्यक्रम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
12.	भारतीय विधि संस्थान भगवान दास रोड, नई दिल्ली – 110001	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	प्लानरी हॉल, इण्डीयन लॉ इंस्ट्टयूट	05 मार्च 2011 कार्यक्रम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

13.	जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर – 744104 अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	सेमिनार हॉल जवाहरलाल नेहरू राजकन्या महाविद्यालय	24 जनवरी 2011 57 प्रतिभागी
14.	नेशनल लॉ यूनिवसिटी एन.एच. 65 नागौर रोड, मंदौर, जोधपुर (राजस्थान)	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	सम्मेलन कक्ष नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर	11 फरवरी 2011 कार्यक्रम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
15.	नेशनल इंस्टीट्यूट केरवा डाम रोड भोपाल – 462044	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	सम्मेलन कक्ष नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट भोपाल	05 मार्च 2011 78 प्रतिभागी
16.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कालाडी पोस्ट इमाकुलम–683 574 (केरल)	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	मुख्यालय श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कालाडी	11 फरवरी 2011 कार्यक्रम रिपोर्ट की प्रतिक्षा है
17.	तेजपुर विश्वविद्यालय नापम तेजपुर–784028	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	सम्मेलन कक्ष, ऊर्जा विभाग समानअवसर प्रकोष्ठ, तेजपुर विश्वविद्यालय	13 नवम्बर 2010 (एप्राक्स) 100 प्रतिभागी
18	यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनॉलोजी केरल विश्वविद्यालय, नेयट्टीनकारा सेन्टर, अरालुम्मुकु–पो.बो. 695123 (केरल)	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	स्टूडेंट सेंटर केरला विश्वविद्यालय पीएमजी तिरूअनथपुरम	20 दिसम्बर 2010 180 प्रतिभागी
19	कलकत्ता विश्वविद्यालय 35, बालीगंज सकुलर रोड कलकत्ता– 700 019	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	सर्विक ग्राम विकास केन्द्र (गांधी मिशन) देही बोलीहरपुर, प. मिदनापुर	26 दिसम्बर 2010 129 प्रतिभागी
20.	बी.एम. सालगावकर कॉलेज ऑफ ला मिरामर पंजिम गोवा–403001	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	सम्मेलन कक्ष वी एम सालगावकर कॉलेज गोवा	11 दिसम्बर 2010
21.	विश्वनाथराव चवान इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईस एण्ड रिसर्च इरानंडवान पुणे–411038 (महराष्ट्र)	एक प्र. कार्यक्रम (1 दिवसीय)	सम्मेलन कक्ष विश्वनाथराव चवान इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईस एण्ड रिसर्च इरानंडवान	28 जनवरी 2011 100 प्रतिभागी
22.	द सन रामपचोदवरम – 533 288 पूर्वी गोदावरी जिला (आंध्र प्रदेश)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रोजेक्ट मानीटरिंग एण्ड रिसोर्स सेन्टर रामपचोरवरम जिला पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश	23 जनवरी 2011 60 प्रतिभागी
23.	हिमकला संगम विलासपुर मकान नं. 3, रोडा सेक्टर–3 नजदीक कॉलेज चौक बिलासपुर–174001 (हिमाचल प्रदेश)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	कन्दरौर, जिला विलासपुर हिमाचल प्रदेश	27 फरवरी 2011 120 प्रतिभागी
24.	समाज सेवा समिति नं. 60, 3 क्रास, गावीपुरम एक्स. बैंगलोर – 560019 (कर्नाटक)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	शिक्षरा सदन, सम्मेलन कक्ष, बैंगलोर	28 फरवरी 2011 50 प्रतिभागी
25.	इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमनराइट्स एडवोकेसी सं.–24, शिवनंद नगर, नवानगर	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	कर्नाटक चैमबड ऑफ कामर्स जयाचामराज नगर, हुबली धारवाड़ कर्नाटक	19 फरवरी 2011 92 प्रतिभागी
26.	वीजरपुर डिस्ट्रिक फिजीकली हैन्डीकैप्ट वेलफेयर एसोसिएशन (आर) माथापटीगली, वीजरपुर–586 101 (कर्नाटका)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	खेड कालेज कैम्पस माथापटी गली, बीजापुर, कर्नाटक	19 फरवरी 2011 112 प्रतिभागी
27.	स्वयं सिद्ध संस्थान हेम–मंजुल 03 रामसिंह रोड नजदीक होटल मेंरू पैलेस जयपुर (राजस्थान)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर	30 जनवरी 2011 70 प्रतिभागी
28.	चंद्रा आई.टी.एडयूकेशन ट्रस्ट 15 कबीर कॉलोंनी, मनुमार्ग अलवर–302021 (राजस्थान)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	22–23 चेतन एनक्लेव जयपुर रोड, अलवर राजस्थान	12 मार्च 2011 50 प्रतिभागी

29.	भारतीय किसान कल्याण समिति 216, ए.बी. नगर उन्नाव (उ० प्र०)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्वदेश कन्या इंटर कॉलेज नेकपुर, माधीनाथ, बरेली	06 मार्च 2011 60 प्रतिभागी
30.	यूथवेलफेयर सोसाइटी 3/7 मजीद स्ट्रीट फरूखाबाद – 209 625 (उ०प्र०)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	कांफ्रेस हॉल होटल राजपूताना, बराहपुर, फरूखाबाद	06 मार्च 2011 करीब 204 प्रतिभागी
31.	संगीता महिला समिति आश्रम रोड, वार्ड नं. – III पो. एवं जिला– हेलाकांडी–788151 (असम)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	रामकृष्ण संस्कृत विद्यापीठ आश्रम रोड, हैलाकांडा, असम	13 मार्च 2011 162 प्रतिभागी
32.	जनता कल्याण समिति बस स्टैण्ड के सामने रेवाड़ी (हरियाणा)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	मस्मेलन कक्ष मिनी सेकरेटरिएट रेवाड़ी, हरियाणा	28 जनवरी 2011 250 प्रतिभागी
33.	राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जयपुर (राजस्थान)	तीन (एक दिवसीय) बेसिक ट्रेनिंग कार्यक्रम	बूंदी जिला नागपुर जिला, जोधपुर जिला	27 फरवरी 2011 11 मार्च 2011 09 मार्च 2011 कार्यक्रम की रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।
34.	बाबा कखारूआ बैद्यनाथ कालेज मनात्री, मयूरभंज–757017, ओड़ीशा	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	कॉलेज परिसर	12 फरवरी 2011 81 प्रतिभागी
35.	गोबी आर्ट्स एण्ड साइंस कालेज गोबीचेट्टीपलयम–638453 (तमिलनाडु)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	25 फरवरी 2011 लगभग 100 प्रतिभागी	जुलाई प्रतिभागी
36.	लिटिल फ्लावरइंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एण्ड हेल्थ कैथापोईयेल पो. कोजीकोड़–673023	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	लिटिल फ्लावर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एण्ड हेल्थ, कोजीकोड़	18 फरवरी 2011 150 प्रतिभागी
37.	महर्षि कॉलेज दयानंद कॉलेज बरफखाना जवाहरनगर रोड जयपुर (राजस्थान)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	कॉलेज परिसर	12 फरवरी 2011 81 प्रतिभागी
38	एन.ए.एम. कॉलेज कल्लीकांडी, विद्यागिरी पो.–कल्लीकांडी कन्नूर–670693	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	व्यापार भवन, पन्नूर, कन्नूर जिला, केरल	10 फरवरी 2011 55 प्रतिभागी
39	उस्मानिया मेडिकल कालेज डाक्टजस फोरम पोस्ट बॉक्स–531 हैदराबाद–500 095 (आंध्र प्रदेश)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	कांफ्रेस हॉल उस्मानिया मेडिकल कालेज डाक्टर्स फोरम	08 मार्च 2011 50 प्रतिाागी
40	यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद–500007 (आंध्र प्रदेश)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	पी.जी. कालेज ऑफ लॉ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी बंशीरबाग, हैदराबाद	12 मार्च 2011 60 प्रतिभागी
41.	डिपार्टमेंट ऑफ लॉ सेन्ट एन्ड्रयू कॉलेज नजदीक कलैक्टरेट कोर्ट, सिविल लाइंस, गोरखपुर उत्तर प्रदेश	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	कांफ्रेंस हॉल सेंट एण्ड्रयू कॉलेज, गोरखपुर	28 फरवरी 2011 कार्यक्रम की रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।
42.	थिरूवाल्लाबुर गवन्मेंट आर्ट्स कालेज रसिपुरम–637408 नमक्कल (तमिलनाडु)	एक दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	मिटिंग हॉल थिरूवल्लावुर गवन्मेंट आर्ट्स कॉलेज, रासिपुरम	24 फरवरी 2011 150 प्रतिभागी
43.	आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी किमायत सागर हैदराबाद–500 008	एक दो प्र. कार्य. (दो दिवसीय)	आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी हैदराबाद	21 से 22 मार्च 20100 59 प्रतिभागी
44	पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज दारोट जिला–कांगडा हिमाचल प्रदेश	मानव अधिकरों पर दो दिवसीय कार्यशाला	पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज	28–29 मार्च 2011 59 प्रतिभागी
45	पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज जूनागढ़–362001 गुजरात	एक दो दिवसीय मानव अधिकारों के कार्यालय	कृषि विश्वविद्यालय परिसर, जूनागढ़, कांफ्रेस हॉल	29 से 30 मार्च 2011 29 प्रतिभागी

46.	सोसाइटी फॉर डिसएविलिटी एण्ड रिहेबिलिटेशन स्टडी बी–285, बसंत कुंज एनक्लेव, नई दिल्ली–70	एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	गोल्डफील्ड कालेज ऑफ एडयूकेशन बांगरपेंट, कोलार कर्नाटक	29 से 30 मार्च 2011 115 प्रतिभागी
47	वेलफेयर आर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट नं. 760, साउथ वलासाइकड्डू सलाइगग्रामम (पो.) एलइयानकुडी (तालुक) शिवगंगाई (तमिलनाडु)	एक दिवसीय दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	वेलफेयर आर्गनाइजेशन ऑफ रूसी डेवलपमेंट शिवगंगाई जिला तमिलनाडु	26 मार्च 2011 79 प्रतिभागी
48	वायनाड सोशल सर्विस सोसाइटी पो. बॉक्स नं. 16, मनन्तावाडी केरल	रेडियो मट्ट्रोली के माध्यम से मानव अधिकार (प्रशीक्षण कार्यक्रम)	सामुदायिक रेडियो मट्टोली वायनाड़	27 मार्च 2011 रेडियोमट्टोली के माध्यम से वायनाड में 2,50,000 श्रोता
49.	यूथ टेकनीकल ट्रेनिंग सोसाईटी 13 (जीएफ) करूणा सदन, सेक्टर–II चण्डीगढ़	मानव अधिकार विषयों पर टी ओटी कार्यक्रम के भाग के रूप में एनसीसी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण देने के लिए तीन दिवसीय	संतकबीर स्कूल सेक्टर 26 चण्डीगढ़	24 से 26 मार्च 2011 65 प्रतिभागी
50	डिपार्टमेंट ऑफ लीगल स्टडीज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, उत्तर प्रदेश	एक दिवसीय दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	सीसीएस यूनिवर्सिटी कैम्पस	29 मार्च 2011 कार्यक्रम की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
51.	मुम्बई विश्वविद्यालय सिविक्स एण्ड पोलिटिक्स डिपार्टमेंट मुंबई	एक–तीन दिवसीय सेमिनार	सेट जोवियर विला खण्डाला	24 से 26 फरवरी 2011 40 से अधिक प्रतिभागी
52.	इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट डीएस–423 / 424 न्यू राजेन्द्रनगर नई दिल्ली–110060	एक–दो दिवसीय सम्मेलन	विज्ञान भवन नई दिल्ली	11 से 12 दिसम्बर 2010 कार्यक्रम की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
53.	महाराष्ट्र राज्यमानव अधिकार आयोग मुंबई	एक दिवसीय कार्यक्रम	सहयाद्री राज्य गेस्ट हाउस मालावार हिल्स, मुंबई	12 अगस्त 2010 114 प्रतिभागी
54.	नेहरू युवा केन्द्र नई दिल्ली	एक नेशलन लांचिंग कार्यक्रम	कला भारती ऑडिटोरियम मादिलापलम विशाखापटनम आंध्र प्रदेश	03 दिसम्बर 2010 1120 प्रतिभागी
55.	नेहरू युवा केन्द्र नई दिल्ली	नेशनल इंटीग्रेशन कैम्प के दौरान एच.आर. ट्रेनिंग कार्यक्रम	आइएमआरटी बिजनेस स्कूल विपुल खण्ड 06 नजदीक अम्बेडकर स्मारक गोमती नगर–225010	04 मार्च 2011 कार्यक्रम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
56.	राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर	मानव अधिकार संरक्षण विषय पर एक (दो दिवसीय) सम्मेलन	राजस्थान पुलिस अकादमी नेहरू नगर	29–30 मार्च 2011 64 प्रतिभागी
57.	एवती विस्ट ऑफ वालेंटरी एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमेनिटि 86 / 32, सरोजनी देवी लेन, मकबूलगंज लखनउ–226018 (उ. प्र.)	एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	गांधी भवन जिला बाराबंकी (उ० प्र०)	29 जनवरी 2011 70 प्रतिभागी

57 संस्थानों / विश्वविद्यालयों / गैरसरकारी संगठनों के 67 कार्यक्रम

pkVZ vkSj xzkQ

वर्ष 2010–11 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में दर्ज किए गए मामलों की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार संख्या

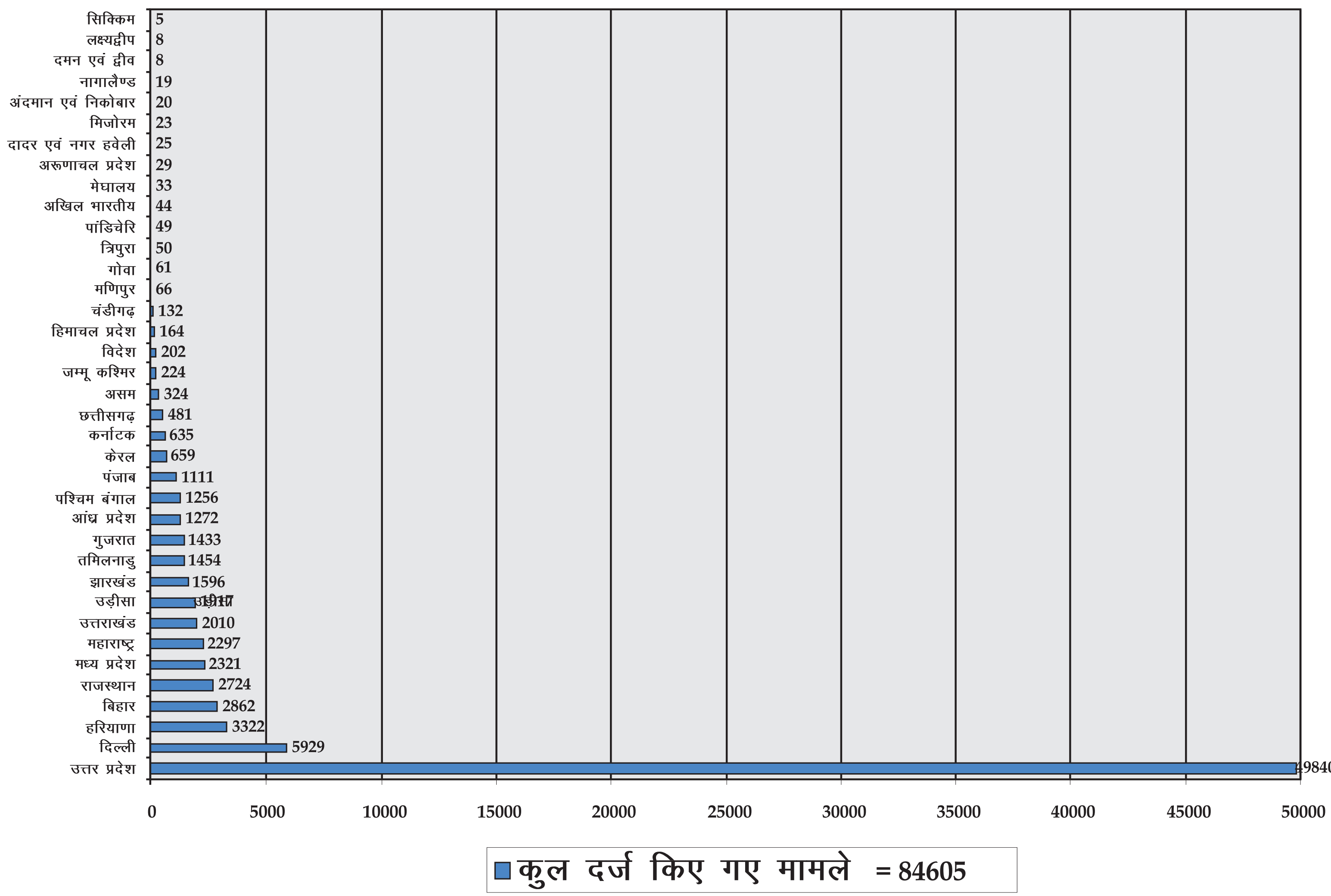

वर्ष 2010–11 के दौरान हिरासतीय मौतों से संबधित आयोग मे दर्ज की गई राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार सूचनाएं कुल मामले +1574

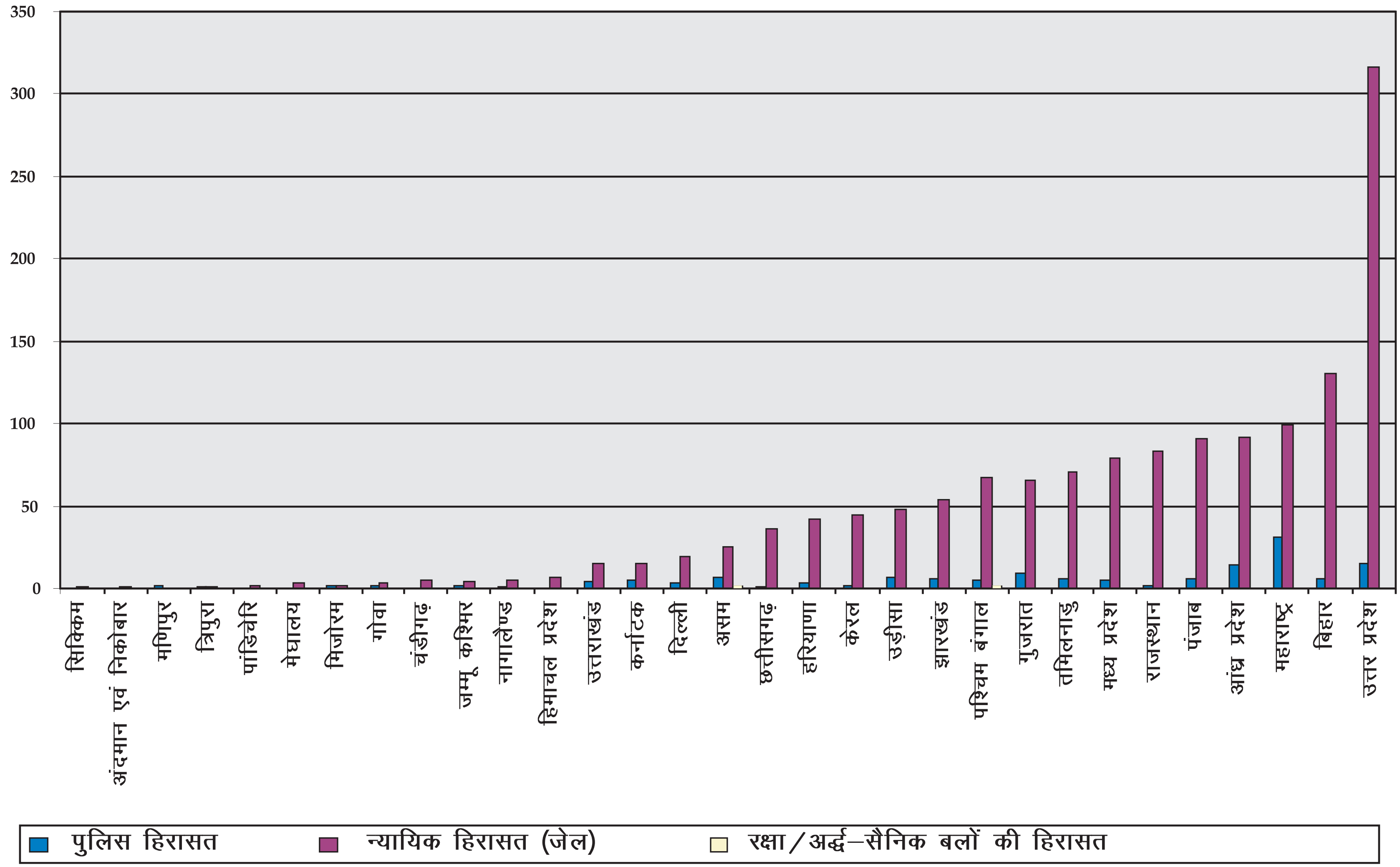

वर्ष 2010–11 के दौरान रा० मा० आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोगों को हस्तांतरित मामले

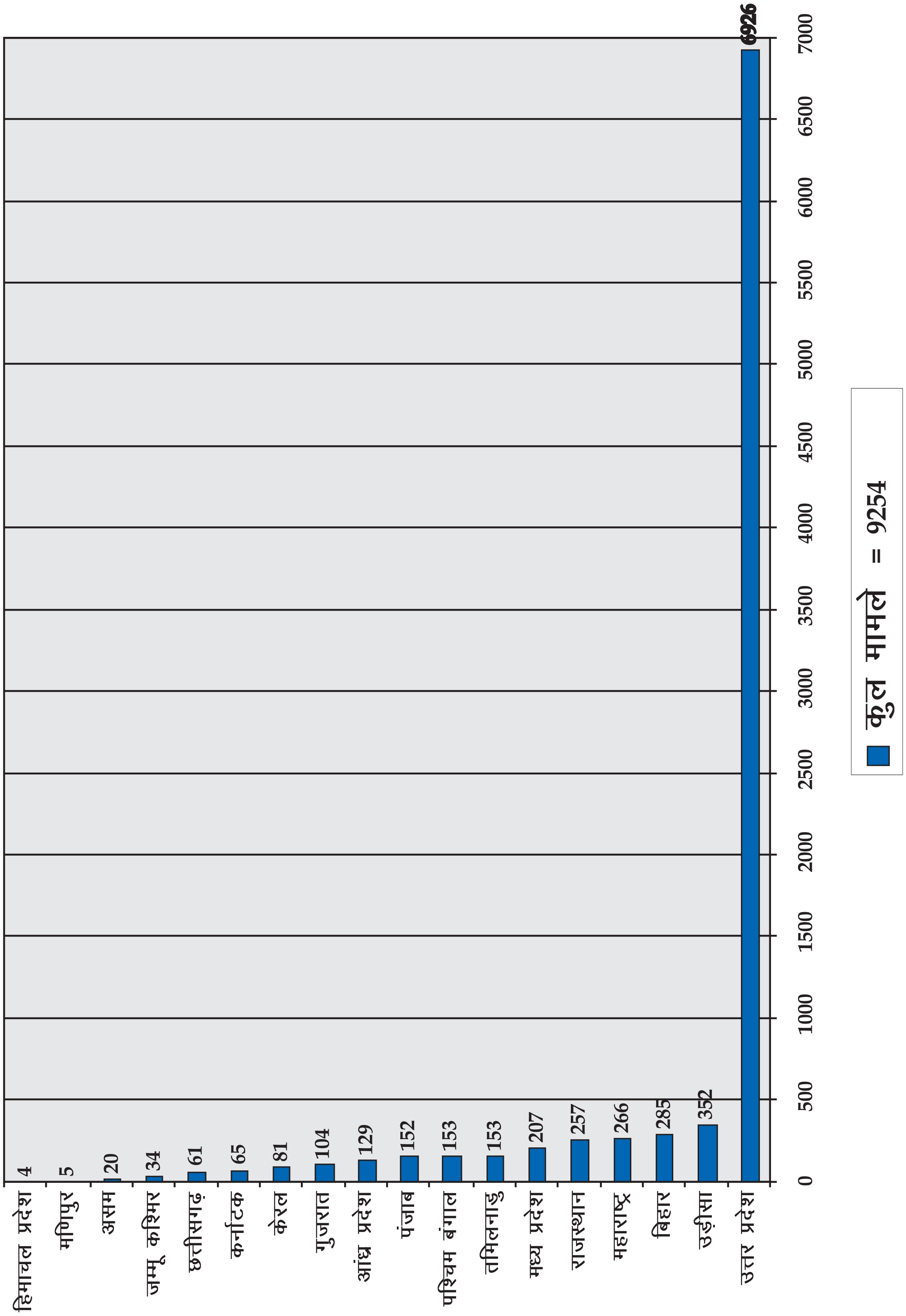

वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए रिपोर्ट मामलों की प्रकृति एवं वर्गीकरण

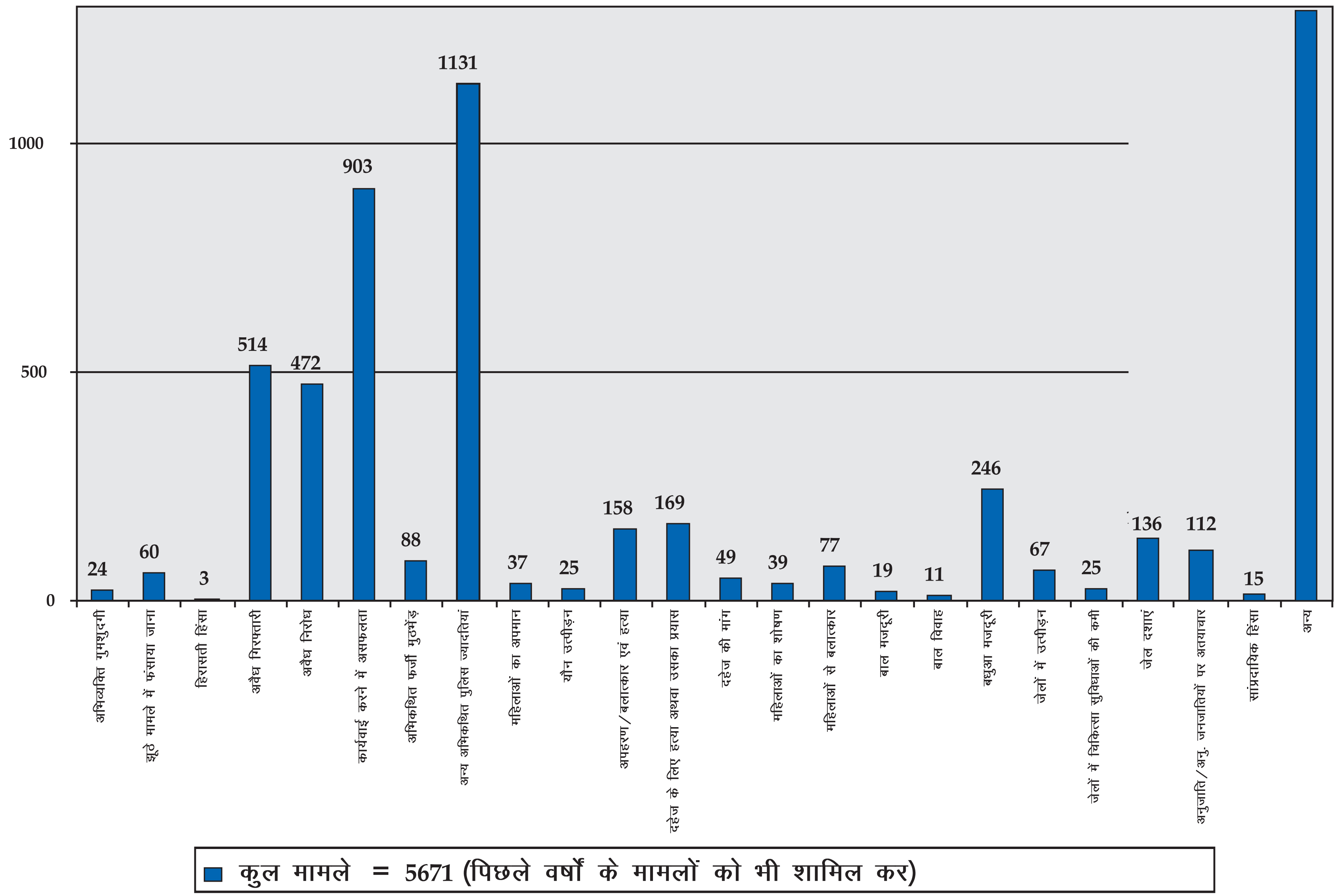

वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए/ निपटान हेतु लंबित मामले

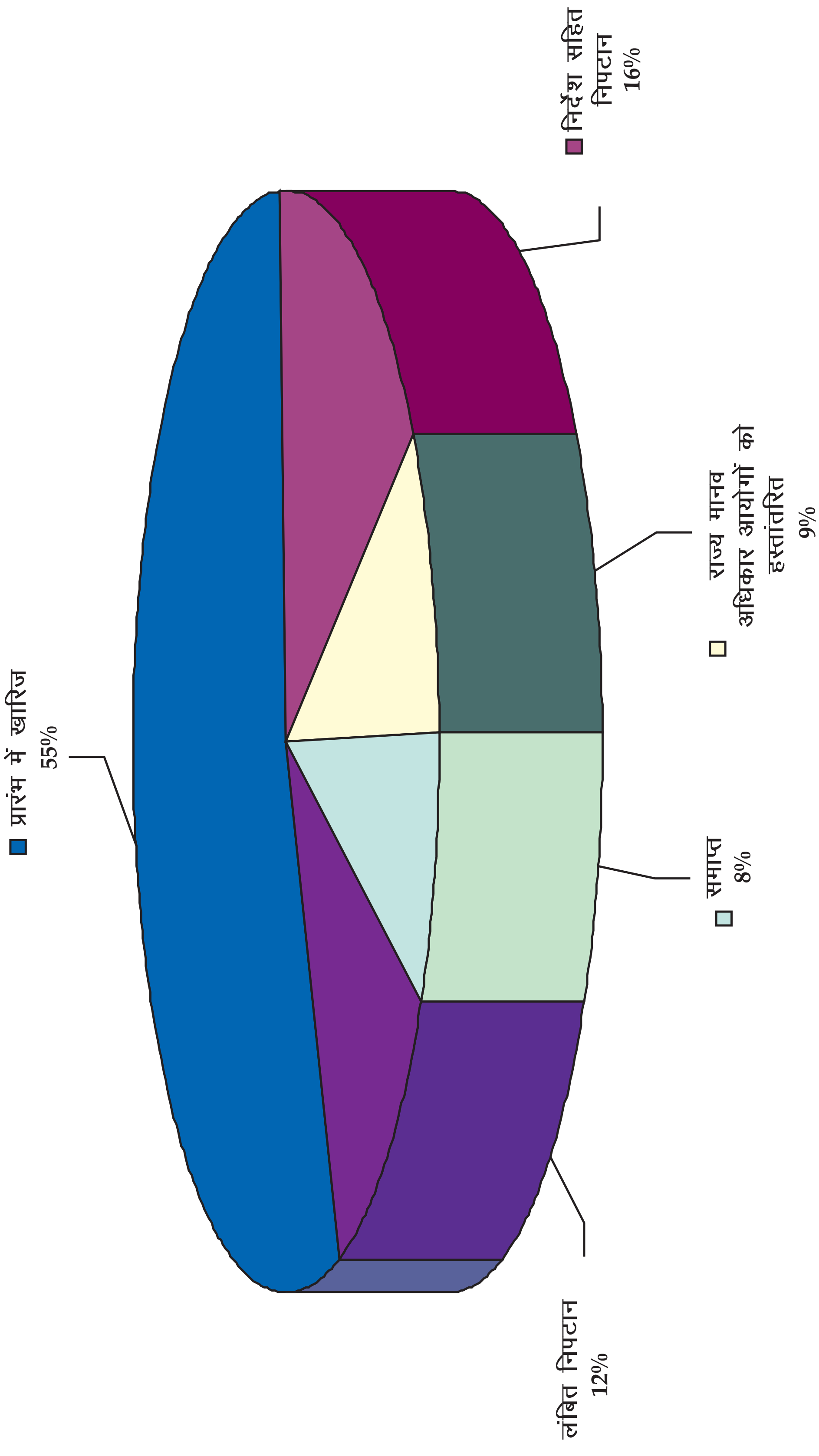

2010–2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरंभ में खारिज किए गए मामले जिनकी खारिज दर 3 प्रतिशत से अधिक है।

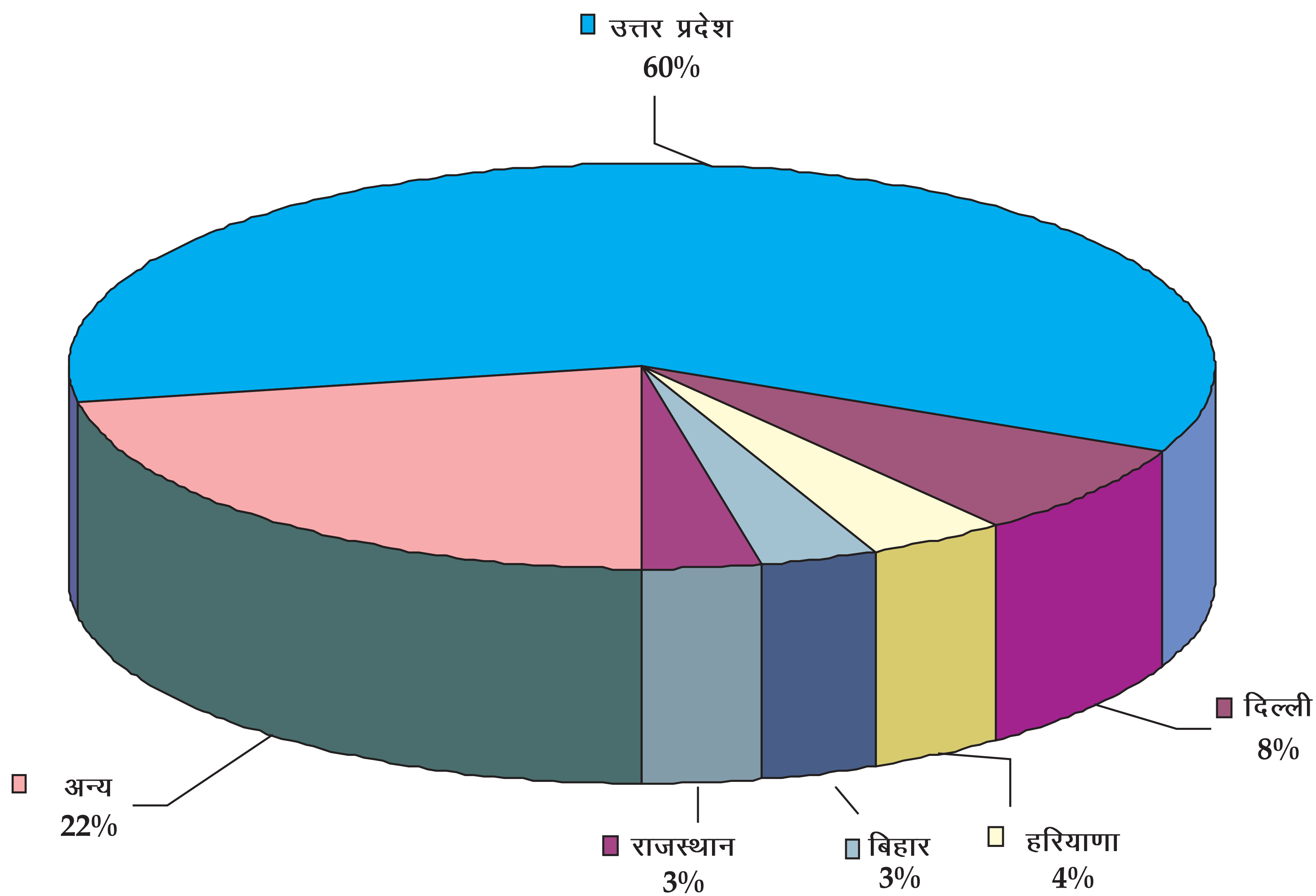

2010–2011 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निर्देश सहित निपटाए गए मामले जिनकी खारिज दर 3 प्रतिशत से अधिक है

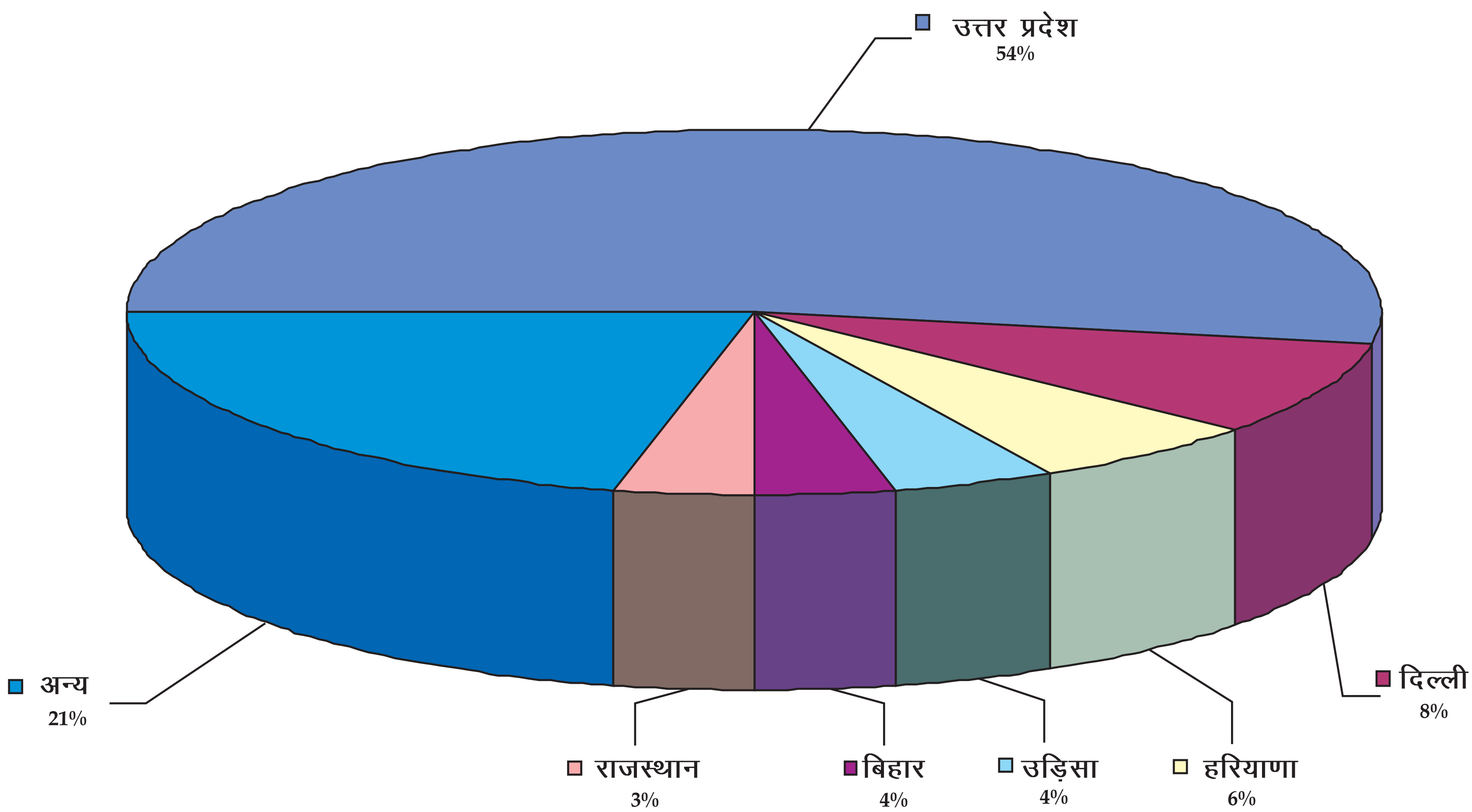

l f{kfl r ;k

ए एन एम	सहायक परिचारिका
ए पी एफ	एषिया पैसिफक फोरम
ए टी आई	प्रषासनिक प्रषिक्षण संस्थान
सी बी–सी आई डी	अपराध षाखा–आपराधिक अनवेषण विभाग
सी बी आई	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सी पी सी बी	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी पी आई ओ	केन्द्रीय जनसंपर्क अधिकारी
सी आर पी सी	दण्ड प्रक्रिया संहिता
सी आर	अपराधी
डाटर/ऑफ	पुत्री
डी जी	महानिदेषक
डी जी (आई)	महानिदेषक (अन्वेषण)
डीजीएफएएसएलआई	महानिदेषक कारखाना परामर्ष सेवा तथा श्रम संस्थान
डी जी पी	पुलिस महानिदेषक
डी आई जी	उपमहानिरीक्षक
डी आर डी ए	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
ई सी एल	इस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड
ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
एफ आई आर	प्रथम सूचना रिपोर्ट
एफ एस एल	न्यायिक विज्ञान प्रयोगषाला
जी ओ आई	भारत सरकार
आई एल ओ	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
आई पी सी	भारतीय दण्ड संहिता
के जी	किलोग्राम
एन सी टी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एन जी ओ	गैर सरकारी संगठन
एन एच आर सी	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

एन एच आर आई एस	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाएं
एन ओ के	निकटतम रिष्तेदार
एन आर एच एम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन
ओ एच सी एच आर	संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय
ओ पी डी	बहिंरग रोगी विभाग
पी एस	पुलिस स्टेषन
पी सी पी एन डी टी	गर्भाधान–पूर्व तथा प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक
पी एच आर ए	मानव अधिकार संरक्षण (संषोधन) अधिनियम, 2006 द्‌वारा यथासंषोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
एस टी एफ	विषेष टास्क फोर्स
टी आर जी	प्रषिक्षण
यू एस	धारा के तहत्
यू/टी एस	संघ राज्य क्षेत्र
यू एन एफ पी ए	जनसंख्या हेतु संयुक्त राष्ट्र निधि
डब्ल्यू एच ओ	विष्व स्वास्थ्य संगठन

****

"हमें जनता की स्वतंत्र शक्ति स्थापित करनी चाहिए अर्थात् हमें दण्ड देने की शक्ति के बजाय हिंसात्मक शक्ति का प्रतिकार करने की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए।"

विनोबा भावे

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत

फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग
नई दिल्ली – 110001, भारत